खण्ड-366, अंक-1
गुरूवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1906
(22 मार्च, 1984 ई0)

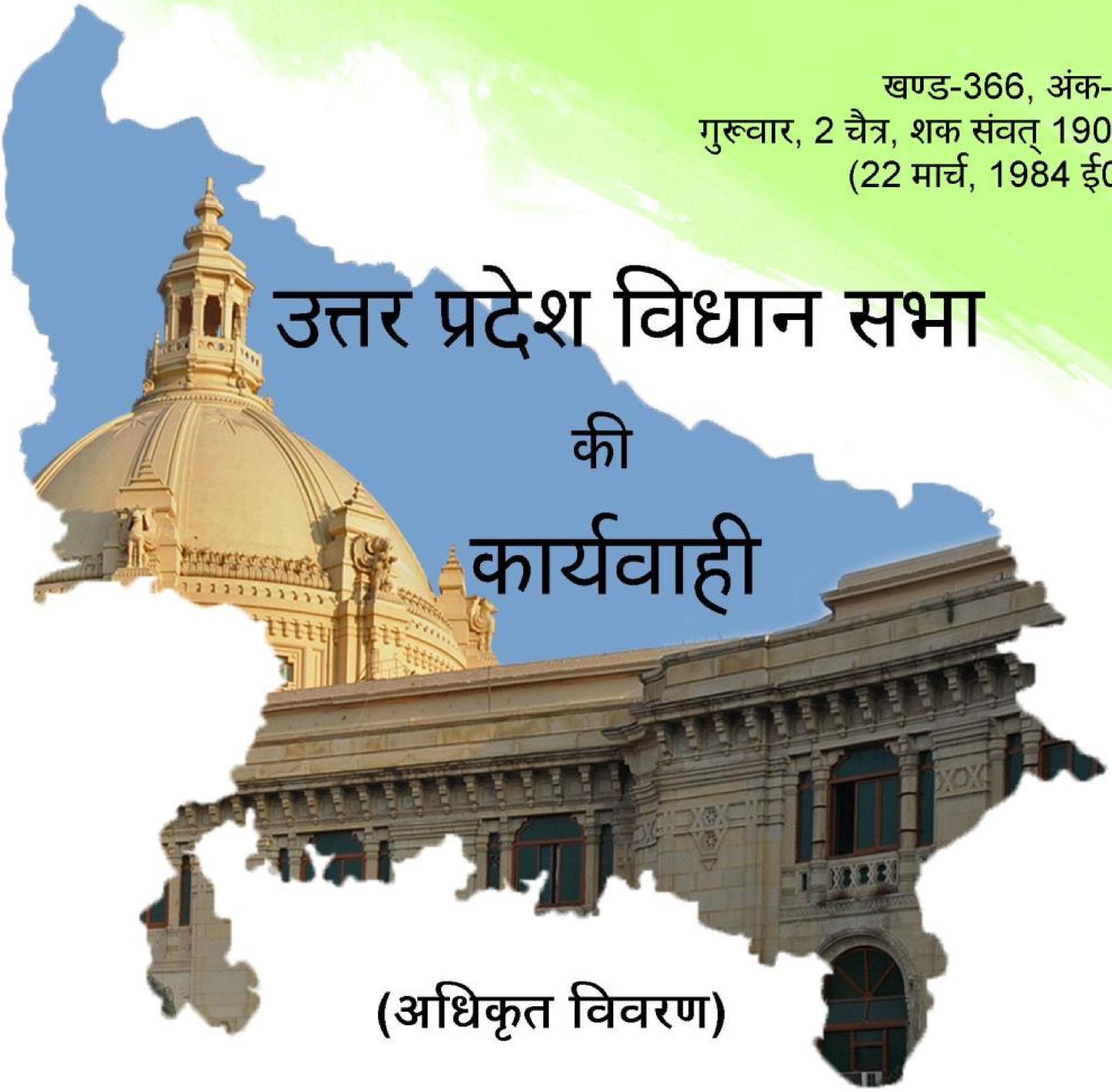

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 366 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	2–5
प्रश्नोत्तर	6–62
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	62
सहारनपुर कोतवाली के सी0ओ0 श्री विश्नोई द्वारा एक एडवोकेट के साथ किए गए दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	26–63
अनवरगंज, जिला कानपुर थाने की पुलिस द्वारा स्थानीय निवासियों की कथित पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	63
थाना जंगल, जिला बिजनौर के सिपाहियों द्वारा एक नाबालिग छात्रा के साथ किए गए सामूहिक बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63–64
सल्ट क्षेत्र, जिला अल्मोड़ा में आदमखोर वन्य जन्तुओं से व्याप्त आतंक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .	64
रामजनक, निवासी महथापार (जिला देवरिया) की मृत्यु तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .	64
सगड़ी, जिला आजमगढ़ के बन्द राजकीय नलकूप एवं टूटी नालियों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64–65
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गड़बड़ियों की जांच कर रहे अधिकारी को बदले जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	64–65
मुख्य मन्त्री के विरुद्ध लगाए गए आरोप के सम्बन्ध में उनके द्वारा स्पष्टीकरण न दिए जाने के विषय में औचित्य का प्रश्न	66–70
सदन में थाना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा सौराज नामक हरिजन युवक को जलाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के समय (मुख्य मंत्री) की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	70–73
अनवरगंज, जिला कानपुर थाने की पुलिस द्वारा वहां के निवासियों को पीटे जाने के विषय को नियम 51 में स्वीकार न करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	73–75
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 46वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	75
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 47वां प्रतिवेदन .. (प्रस्तुत किया गया)	75
उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1984 की प्रतियाँ सदस्यों को वितरित न किए जाने पर आपत्ति	75–79
उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) विधेयक, 1984 (पुरःस्थापित किया गया)	80–94
कार्य-स्थगन प्रस्तावो की सूचनाएं	94–100
1984–85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद (जारी)	100–124

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 124–125

विधान सभा सचिवालय तथा मन्त्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों में सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 125–127

1984–85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 11–खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) 127–131

जनपद देवरिया की कचेहरी में वकीलों पर पुलिस द्वारा तथा कथित लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य 132–137

जनपद गोन्डा में बनगाई रेलवे स्टेशन पर छात्रों पर जी0 आर0 पी0 द्वारा चलाए जाने से एक व्यक्ति के मरने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तगत वक्तव्य 137–140

ग्राम सहोरिया (गोरखपुर) में हैजे के प्रकोप से लोगों की मृत्यु के सम्बन्ध में दिनांक 1 मार्च, 1984 में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या–10 (नत्थी 'ग') के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा .. 140–142

नत्थियां 143–147

अदर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 22 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–341

अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री — गोंडा
अजहर इमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री — बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अमीरुद्दीन, श्री — बिजनौर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री — इलाहाबाद
आजाद कुमार कर्दम, श्री — आगरा
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ऊदल, श्री — वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री — नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री — बरेली
कल्लू राम रत्नाकर, श्री — मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह, श्री — बदायूं
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर — आगरा
केदार सिंह, श्री — आजमगढ़
केदार नाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट) श्री — एटा
कैलाश टण्डन, श्री — वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री — मुरादाबाद
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़

ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाब सिंह, श्री — देहरादून
गुलाम नबी, श्री — आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपीनाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गोपीनाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा
गोवर्धन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री — बलिया
चन्दन सिंह, श्री — मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 — बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री — आजमगढ़
चन्द्र भान सिंह, श्री — बांदा
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चन्दर सिंह, श्री — मेरठ
चेतराम गंगवार, श्री — बरेली
छत्तर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री — खीरी
छेदी लाल, श्री — गोंडा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री — फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
जगदीश सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
जटा शंकर सिंह, श्री — बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री — खीरी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री — जालौन
जीराज सिंह मौर्य, श्री — मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री — सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री — मेरठ
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री — खीरी
तेजबहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
थम्मन सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
दलजीत सिंह, श्री — रामपुर
दलसिंगार, श्री — आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — बस्ती
दीनानाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री — गोंडा
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह
चन्देल, श्री — कानपुर
धनी राम वर्मा, श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धरमपाल, श्री — बहराइच
धर्मपाल सिंह, डाक्टर — अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री — मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
ध्रुव प्रसाद राय, श्री — देवरिया
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्दराम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नाजिर अली, श्री — शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री — प्रतापगढ़
निर्मल खत्री, श्री — फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री — एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी — इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई

परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री सीतापुर
पहलवान, श्री जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री मिर्जापुर
पुष्पा चौहान, श्रीमती अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री फैजाबाद
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती लखनऊ
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री गोरखपुर
बंशीधर, श्री रामपुर
बंशीधर राज, श्री खीरी
बदन सिंह, श्री आगरा
बनवारी राम, श्री वाराणसी
बलवीर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री उत्तरकाशी
बाबूराम, श्री पीलीभीत
बाबू लाल, श्री गोंडा
बाबू लाल, श्री हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री फर्रुखाबाद
बुद्धपाल सिंह बुलन्दशहर
"खुर्जेवाला" श्री
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री कानपुर
भागीरथ, श्री झांसी
भीखा लाल, श्री उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री कानपुर
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री गोरखपुर

मंगलदेव, श्री गोंडा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री उर्फ शबराज गोंडा
महाबीर सिंह, श्री सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती इटावा
महेश उपाध्याय, श्री आगरा
महेश चन्द्र, श्री मेरठ
महेश प्रसाद, श्री देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री वाराणसी
माधव प्रसाद, श्री फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री एटा
मान बहादुर, श्री गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री गोरखपुर
मित्रसेन, श्री फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री बदायूं
मुईद अहमद, श्री सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री सीतापुर
मुरलीधर मुनीम, श्री गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
मेंहदी असगर, श्री मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री कानपुर
मोहन लाल, श्री हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री लखनऊ
मोहम्मद स्फीउर्रहमान अन्सारी, श्री वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री वाराणसी
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री मैनपुरी

सत्यमेव जयते

रतीराम, श्री — बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रवीन्द्र, श्री — आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री — बहराइच
राज कुमार राय, श्री — आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती — सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
राजमंगल पांडेय, श्री — देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री — झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री — एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री — इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री — फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री — बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री — हरदोई
राम करन, श्री — वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री — आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री — सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 — जौनपुर
राम गोविन्द, श्री — बलिया
राम चन्द्र, श्री — वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
रामजी राम, श्री — फैजाबाद
रामधनी, श्री — गाजीपुर
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट) — गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री — कानपुर
रामपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री — जालौन
राम प्रसाद, श्री — मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री — खीरी
राम लाल वर्मा, श्री — हरदोई
राम शिरोमणि, श्री — जौनपुर
राम समुझावन, श्री — जौनपुर
राम सागर, श्री — बाराबंकी
राम सिंह खन्ना, श्री — बरेली
रामसिंह रावल, श्री — एटा
राम स्वरूप निम, श्री — सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री — कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री — बहराइच
राम हर्ष राय, श्री — गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री — बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री — बांदा
रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
रियासत हुसैन, श्री — मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
रुद्र राम, श्री — शाहजहांपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी) — इलाहाबाद
लल्लू सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
लालसा, श्री — आजमगढ़
लोकपति, श्री — मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री — मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री — प्रतापगढ़
विजय पाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री — गाजीपुर
विजय सिंह, श्री — मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री — आगरा
विद्या सागर नौटियाल, श्री — टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा0 — पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री — फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विशन लाल, श्री — बिजनौर
विश्वनाथ, श्री — देवरिया
विश्राम दास, श्री — इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री — मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री — सीतापुर
वृद्धि नारायण सिंह, श्री — वाराणसी
शम्भूनाथ, श्री — आजमगढ़

शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सन्त बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सरजू प्रसाद "सरोज" श्री	प्रतापगढ़
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री	शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता, श्रीमती	कानपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	अलीगढ़
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरीशंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री	मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 22 मार्च, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजाजी पुरम, लखनऊ योजना के अन्तर्गत 'ई' ब्लाक में भवनों का आवंटन तथा ली गयी मासिक किस्त

**1—श्री राजेन्द्र सिंह चौहान (अनुपस्थित)—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि राजाजी पुरम, लखनऊ योजना के अन्तर्गत माह जुलाई, 1983 में 'ई ब्लाक' में जो मध्यम आय वर्ग के मकान एलाट किए गए थे, उनका अभी तक आवंटित लोगों को कब्जा नहीं दिया गया है जबकि उनसे उक्त मकानों की रु0 700 से रु0 1000 तक माहवारी किश्त ली जा रही है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य पूरा कराये बगैर भवन आवंटित करने तथा कब्जा देने से पूर्व भवन की किश्तें जमा कराए जाने का क्या औचित्य है ?

नगर विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

अब तक 25 भवनों का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है । इन भवनों की न्यूनतम किस्त रु0 741/— प्रति माह है । यह सही है कि मकानों की मासिक किस्त जुलाई, 1983 से ली जा रही है । आवास विकास परिषद की सामान्य नीति के अनुसार आवंटन-पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर मासिक किस्तों की अदायगी शुरू हो जाती है । भवनों का आवंटन शासन की नीति के अनुसार भवनों में न्यूनतम आवश्यकता उपलब्ध कराकर आवंटियों को उन्हें आवंटित कर दिया जाता है ।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन में सहकारी समितियों को वरीयता दिये जाने के आदेश

*2—श्री कुंवर सिंह नेगी,
श्रीमती गौरी देवी,
डाक्टर शिवानन्द नौटियाल,
श्री विद्यासागर नौटियाल,
श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
तथा श्री ख्वाजा हलीम

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था को सहकारी समितियों से हटाने पर सरकार विचार कर रही है ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह—)

जी नहीं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन में सहकारी समितियों को वरीयता दिये जाने के आदेश शासन द्वारा दिये गये हैं किन्तु साथ ही साथ जिलाधिकारियों को यह भी आदेश दे दिये गये हैं कि जिन स्थानों पर सहकारी समितियों द्वारा संचालित सस्ते गल्ले की दुकानें ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही हैं उनके स्थान पर जिलाधिकारी अपने स्तर से उचित वैकल्पिक व्यवस्था करें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली

में और जो प्राइवेट दुकानें लाइसेंस वालों को दी जाती हैं उनमें दूरी और जनसंख्या का क्या एक ही आधार है ? दूसरे दूर क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां जनसंख्या बिखरी रहती है जो सहकारी समितियों की दुकानें रहती हैं । वह बड़ी आबादी में खोलने के लिये तैयार होते हैं और छोटी आबादी में नहीं, और प्रशासक सभी आप लोगों के हैं जो जनसुविधाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं और ग्रामीणों को काफी दूर की दुकानों से अटैच कर देते हैं जबकि वहां प्राइवेट वाले दुकानें खोलने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए क्या मंत्री जी आबादी को देखते हुये प्राइवेट लोगों को लाइसेंस देने के आदेश देंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है कि दुकानें बहुत दूर हैं और उसके बाद विचार होगा ।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

मान्यवर, जवाब में कहा है कि जिन स्थानों पर सहकारी समितियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, वहां जिलाधिकारी को अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था करने के आदेश दिये गये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जिले में खाद्य परामर्श दात्री समितियां हैं जिनमें विधायक की भी शिरकत होती है या होनी चाहिये, तो उन समितियों के जरिये फैसले करवाये जायं, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस तरह के आदेश देंगे और खाद्य परामर्श दात्री समितियों को क्रियाशील बनाया जाय और उनकी मीटिंग बुलवायी जाय क्या इसके लिये भी मंत्री जी आदेश पारित करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

जो समितियां बनी हैं, अभी तक शायद उनकी मीटिंग नहीं हुई हैं । लेकिन अब यहां से आदेश चले जायेंगे कि वह कायदे से मीटिंग्स करें और जन प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर सुचारु रूप से उसको चलावें ।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने उत्तर दे दिया है, आपको कहना था तो पहले कहते, अब मैंने डाक्टर कौशल को बुला लिया है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मंत्री जी ने फरमाया कि जहां सहकारी समितियां ठीक से नहीं काम कर रही हैं, वहां पर जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं कि वह उचित व्यवस्था करें, तो जिस ध्येय से सहकारी समितियों को यह कार्य सौंपा गया था, उसका कोई अच्छा परिणाम सामने नहीं आया है, अतः मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस 'उचित व्यवस्था' का क्या तात्पर्य है ? जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां ठीक से नहीं काम कर रही हैं, वैसे ही शहरी क्षेत्रों में भी वह ठीक से नहीं काम कर रही हैं तो शहरी क्षेत्रों में जहां वह ठीक से काम नहीं कर रही हैं, वहां के लिए वह क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

जहां यह ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वह उसकी जांच करके दूसरे प्रकार की व्यवस्था करें या उनको कैंसिल करके किसी दूसरे को लाइसेंस दे दें ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या यह भी आपकी व्यवस्था है कि क्षेत्रीय एम0 एल0 ए0 की भी इसमें सिफारिश ली जाती है, क्या उनकी सिफारिश के आधार पर निर्णय लेने के आदेश यहां से

गये हैं ? क्या कभी उनकी संस्तुतियों पर भी विचार किया जाता रहा है या विचार किया जाता है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

वहां से जो रिपोर्ट आती है उस पर जरूर कार्यवाही की जाती है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी–

सहकारी समितियों की दुकानें क्यों नहीं सही काम कर रही हैं क्या इसके पहलू पर कभी सरकार ने विचार किया है? क्यों उनकी विफलता का कारण यह नहीं है कि प्रदेश में दोहरी व्यवस्था लागू है–कहीं पर सहकारी समितियां हैं और कहीं पर व्यक्तिगत दुकानें हैं, तो क्या मंत्री जी उनमें से केवल एक प्रणाली को प्रश्रय देने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

ऐसा कहना कि सब समितियां खराब हैं, ठीक नहीं है या यह कहना कि सब प्राइवेट आदमी अच्छे हैं, यह भी सही नहीं है । कुछ सहकारी समितियां भी अच्छी तरह काम कर रही हैं और कुछ प्राइवेट दुकानें भी ठीक से काम कर रही हैं । जहां पर यह ठीक से काम नहीं कर रही हैं, उन्हीं के संबंध में डी0 एम0 को यह अधिकार दिया गया है कि वह उनको कैंसिल करके दूसरी व्यवस्था कर दें ।

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी–

माननीय मंत्री जी ने किन किन चीजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लिया है और क्या उसमें सीमेंट और टिन शीट्स को भी देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

इस प्रणाली में गेंहू, चावल, तेल, कपड़ा और मिट्टी का तेल आदि है । जहां तक सीमेंट का सवाल है, उसका अलग से परमिट नगरों में सप्लाई अफसर द्वारा और ब्लाकों में बी0 डी0 ओ0 द्वारा जारी होता है ।

श्रीमती गौरी देवी–

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वितरण व्यवस्था ठीक है या नहीं, इसकी देखभाल के लिए ग्राम प्रधानों को भी अधिकृत करने का वह कष्ट करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

ग्राम प्रधानों की सिफारिश लाइसेंस देने में लिया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन–

अभी तक हर पंचायत अदालत में साधारणतया दो सेल्स प्वाइन्ट की व्यवस्था है, क्या माननीय मंत्री जी इसको बढ़ा कर दो के स्थान पर तीन सेल्स प्वाइन्ट् स्थापित करने पर विचार करेंगे ताकि वितरण प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाया जा सके ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री प्रभूनारायण सिंह–

बहुत सी ऐसी भी साधन सहकारी समितियां हैं जिन्होंने पिछले एक वर्ष से कोई भी आवश्यक वस्तु उठायी ही नहीं है । तो क्या ऐसी समितियों की कोई सूची बनायी जाती है, यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इनकी सूची तैयार कराने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

ऐसी अभी तक कोई सूची नहीं है, माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार कर लेंगे ।

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, माननीया गौरी देवी ने अभी एक सवाल यह पूछा था कि ग्राम प्रधानों को क्या इस संबंध में कोई अधिकार देंगे,

माननीय मंत्री जी ने उसे इनकार कर दिया । मान्यवर, अभी जब ग्राम प्रधानों का एक सम्मेलन लखनऊ में हुआ था तो उसमें माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने ग्राम प्रधानों को और अधिक अधिकार देने का आश्वासन दिया था तो उसको दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार ग्राम प्रधानों को यह अधिकार देगी कि वे इन दूकानों का निरीक्षण आदि कर सकें ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

उन्होंने अपने विभाग द्वारा अधिकार देने की बात कही होगी, इस विभाग के वह कैसे दे सकते हैं ।

श्री बिहारी लाल–

मैं यह जानना चाहता हूं प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी साधन सहकारी समितियां हैं, जिलेवार क्या उनकी सूचना है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वकालत करते-करते इसके बाल सफेद हो गये, पर उसकी हालत जो आज है वह सभी जानते हैं । आज हालत यह है कि सचिव ब्लैक करते हुये पकड़ा जाता है, पर उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखायी जा सकती है । तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि यदि सचिव भ्रष्टाचार करते हुये पाया जायेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और कार्यवाही की जायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

उसके खिलाफ ए0 आर0 कार्यवाही करेगा, दूसरा विभाग उसके लिये सक्षम नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

सचिव अगर ब्लैक करता हुआ पकड़ा जाता है तो कोई आदमी उसके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखा सकता, उसके लिये पहले ए0 आर0 से परमीशन लेना होता है । तो आप ऐसा कर दें कि ए0 आर0 से उसके लिये परमीशन न लेना पड़े, सीधे एफ0 आई0 आर0 लिखायी जा सके । इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

यह आश्वासन देना सम्भव नहीं है ।

श्री हरदेव–

न्याय पंचायत स्तर पर जो यह दूकानें हैं वह कहीं कहीं 2-2 और 3-3 मील की दूरी पर हैं । तो क्या मंत्री जी और दूकानें कम-कम दूरी पर खुलवायेंगे ताकि लोगों को सामान लेने अधिक दूर न जाना पड़े ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

माननीय सदस्य अगर सूचना दें कि किन गांवों की दुकानें वहां से दूर हैं तो इसकी व्यवस्था की जायगी ।

श्री छत्तर सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी समितियों के क्षेत्र के प्रधान अगर लिखित रूप से शिकायत करें कि हम इसका विरोध करते हैं तो क्या उस समिति से राशन व्यवस्था हटा ली जायगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

मान्यवर, कोई शिकायत आयेगी तो उस पर अवश्य कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री शिवराज सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे, सहकारिता विभाग द्वारा यह जो सबसे

बड़ा भ्रष्टाचार किया जाता है इस पर आप का कोई नियंत्रण नहीं है और विभाग की बदनामी वितरण प्रणाली के संबंध में होती है । तो क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सहकारिता विभाग के अधिकारी जो यह गलत काम करते हैं उस पर नियंत्रण कर सकें अथवा अपने विभाग द्वारा इस कार्य प्रणाली को अपने हाथ में लेने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने कहा कि बदनामी होती है और नियंत्रण नहीं है तो इसकी व्यवस्था कर दी गयी है । डी0 एम0 को अधिकार दिये गये हैं ताकि वह इस पर कार्यवाही कर सके और विभाग की बदनामी न हो ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, जबसे सहकारिता विभाग में वितरण का कार्य आया है उसके पहले यह सारा कार्य प्राइवेट हाथों में था उन लोगों ने तमाम गरीब आदमियों के राशन कार्ड जमा कर लिये थे और उन पर फर्जी राशन निकाल लिया करते थे। इन गरीब लोगों के पास राशन कार्ड न होने के कारण राशन नहीं मिल सकता है । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह प्रदेश में खासतौर से उन्नाव जनपद में राशन कार्डों को पुन: बनवाने की व्यवस्था करेंगे । यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर देंगे ? यदि उनकी सामर्थ्य से बाहर है तो क्या जिलाधिकारी को इस बात के लिये इम्पावर करेंगे कि वह अपने जनपद के राशन कार्डों को बनवा कर बंटवायें ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

मान्यवर राशन कार्ड बहुत ही जल्दी छपवाकर दिये जायेंगे। राशन कार्ड छपने में देर हुई है तो इनको छपवाकर शीघ्रातिशीघ्र पूरे प्राविन्स में बांटने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, साधन सहकारी समितियों का क्षेत्र छोटा होता है पर जहां पर एल0 एस0 एस0 है वहां पर कई न्याय पंचायतें स्थित होती हैं। वहां पर बड़ी समस्या है 5-10 किलोमीटर तक दूकानें नहीं होती हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर एल0 एस0 एस0 हैं वहां पर यह व्यवस्था करेंगे, दूकानों में फैलाव लाने के लिये वहां पर जो प्राइवेट ओनर्स हैं या अन्य संस्थायें हैं, वहां पर खोलने की व्यवस्था करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

माननीय सदस्य ने अंग्रेजी का प्रयोग किया है इसलिये इसका जवाब देने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष–

दो तरह की सोसायटीज हैं, एक साधन सहकारी समितियां हैं और एक एल0 एस0 एस0 हैं। एल0 एस0 एस0 पर क्या आप इसको लागू करने पर विचार करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

मान्यवर, जहां समितियां बड़ी हैं और कई गांव होते हैं, और जहां दूकानें दूर हैं वहां प्राइवेट दूकानें दी जायेंगी। यह व्यवस्था मेरे ख्याल से इस समय है। अगर नहीं है तो की जायगी।

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड में 10-10 हजार ग्रामों में आबादी है और गांव दूर दूर बसे हैं। नतीजा यह होता है कि सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो मेरा सुझाव है कि ऐसे ग्राम जिनकी आबादी 5 हजार या उससे अधिक है वहां पर ऐसी ही एक दूकान

खुलवायेंगे चाहे साधन सहकारी समिति के माध्यम से या प्राइवेट दूकानदारों के माध्यम से?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

श्रीमन्, विचार किया जायगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं यद्यपि इस पर काफी विचार हो चुका है, आपने कहा यह अन्तिम सवाल है, मान्यवर, जहां ये कहते हैं कि साधन सहकारी समितियां कहीं अच्छी चल रही हैं और कहीं बुरी चल रही हैं, क्या संबंधित क्षेत्रीय विधायक को माननीय मंत्री जी यह अधिकार देंगे कि वह साधन सहकारी समितियों को देखें और जांच कर सकें और वह अपनी रिपोर्ट दें तथा उनकी रिपोर्ट पर कार्यवाही हो?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

मान्यवर, अगर कोई माननीय सदस्य उसकी जांच करके रिपोर्ट भेजता है, तो उस पर कार्यवाही करेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बुलन्दशहर जनपद में उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा संचालित क्रय केन्द्र, खूपुरा से खरीदा गया गेहूं बेचने के सम्बन्ध में ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही

*1–श्री धनीराम वर्मा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1982-83 में बुलन्दशहर जनपद में उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के माध्यम से खरीदा 7 ट्रक गेहूं निगम के गोदामों में न जाकर दिल्ली के खुले बाजार में निगम के अध्यक्ष (श्री जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा) के मौखिक आदेश द्वारा नियुक्त एक ठेकेदार जिससे क्रय केन्द्र के इन्चार्ज ने ठेकेदारी का बाण्ड आदि भी नहीं भरवाया, बेच दिया जिससे निगम को लगभग 4 लाख की हानि हुई? यदि हां, तो क्या सरकार अतिशीघ्र निगम के अध्यक्ष को हटाकर सारे मामले की जांच करवा कर दोषी पाए जाने वाले लोगों को सजा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री जैराज गौतम)–

वर्ष 1982-83 में बुलन्दशहर जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा संचालित क्रय केन्द्र खूपुरा से दिनांक 14-6-82 को 7 ट्रक गेहूं (मूल्य 1,41,771.00 रुपये) ट्रांसपोर्ट ठेकेदार के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के जोखाबाद डिपो को भेजा गया था। यह गेहूं भारतीय खाद्य निगम के जोखाबाद डिपो पर नहीं पहुंचा। अतः दिनांक 18-6-82 को ट्रांसपोर्ट ठेकेदार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट खूपुरा थाने में दर्ज कराते हुए विधिवत् कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिस पर पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है।

उक्त ट्रान्सपोर्ट ठेकेदार की नियुक्ति निगम के मण्डलीय प्रबन्धक द्वारा की गई थी। उक्त ठेकेदार से बाण्ड आदि नहीं भरवाया गया था। अनुबन्ध-पत्र न भरवाये जाने के सम्बन्ध में जो अनियमिततायें की गईं, उसमें तत्कालीन मण्डलीय प्रबन्धक श्री ब्रह्म

सिंह, जिला प्रबन्धक श्री आर0 एस0 बासवन प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक निगम के अध्यक्ष श्री जगदीश मिश्र के मौखिक आदेशों द्वारा उक्त ठेकेदार की तैनाती का प्रश्न है, ऐसे कोई आदेश अध्यक्ष द्वारा नहीं दिये गये हैं। अतः इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, यह जो आवश्यक खाद्य वस्तु निगम के अध्यक्ष श्री बाल्टी बाबा उर्फ जगदीश मिश्र नियुक्त किये गये, उन्होंने केवल बुलन्दशहर में जो आपका जनपद है गेहूं की खरीदारी में लाखों रुपये का घोटाला किया है।

श्री अध्यक्ष–

मेरा जनपद तो पूरा सूबा है।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, बाल्टी बाबा उर्फ जगदीश मिश्र ने मौखिक आदेश देकर जिला प्रबन्धक और जिले के अन्य उच्च अधिकारियों से यह कहा कि हमारे अमुक-अमुक व्यक्ति को बिना अनुबन्ध पत्र भरवाये ट्रान्सपोर्ट ठेकेदार नियुक्त कर दिया जाय और उन्होंने ऐसा ही किया। यह मान्यवर, एक जगह का मामला है, पांच जगह का मामला और ऐसे ही है, जिसकी कुल कीमत मिला कर 10-12 लाख होती है, उन्होंने क्रय केन्द्रों से गेहूं ले जाकर दिल्ली के बाजारों में बेचा और जो ठेकेदार, जिससे अनुबन्ध नहीं करवाया गया, उस ठेकेदार का नाम और पता क्या है? मान्यवर, दूसरी जानकारी यह चाहूंगा कि दो साल रिपोर्ट लाज करायें हो गये, उनके खिलाफ अभी तक जांच ही चल रही है। मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी तक उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा क्यों नहीं भेजा गया?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक तो भाषण बहुत दिया। श्रीमन्, इसमें पहला प्रश्न तो यह है कि उस ठेकेदार का नाम क्या है? तो उसका नाम मान्यवर, रामवीर सिंह है।

श्री मोहन सिंह–

उसका पता बता दीजिए?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

खूपुरा केन्द्र था, ठेकेदार का पता नहीं है, नाम बता दिया है।

श्री उदल–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस ठेकेदार का नाम, जिला, गांव कौन सा है, इसको बताने की कृपा करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

ठेकेदार का जो पता है, वल्दियत है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा काण्ड हो गया। क्या किसी आदमी को एक दिन के लिये जेल भेजा गया? यदि नहीं भेजा गया, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

इसमें कुछ लोग जमानत पर हैं, बाकी सरकारी कर्मचारी थे . . .

श्री रियासत हुसैन–

मेरा प्रश्न दूसरा है। जमानत पर है या सरेन्डर किया इससे मेरा मतलब नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जेल भेजा गया या नहीं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

जो ठेकेदार के साथ दो आदमी थे,

उनकी जमानत हुई है, बाकी सरकारी आदमी थे, एक इण्डियन इंस्टीट्यूट में पड़ा है और दूसरा सुप्रीमकोर्ट से स्टे ले आया है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को विस्तृत जानकारी और छानबीन के लिए प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सुपुर्द करता हूं।

स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा उन्हें बहुधन्धी योजना से अलग करने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन

*2–श्री खैरुल बशर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा उन्हें बहुधंधी योजना से अलग करने की मांग को लेकर विगत 2 माह से जनपथ पर क्रमिक अनशन चलाया जा रहा है? यदि हां, तो उनकी मांग के औचित्य से इन्कार किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)–

प्रश्नगत अनशन 28-2-84 से समाप्त कर दिया गया है। चूंकि स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा किया जा रहा कार्य भी अब बहुउद्देशी स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) द्वारा सम्पादित होना है अतएव स्वास्थ्य निरीक्षकों को प्रश्नगत योजना से अलग रखा जाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री खैरुल बशर–

इन्होंने निरीक्षक और पर्यवेक्षक दो शब्द का उपयोग किया है। इनके अलग-अलग क्या काम हैं। विभाग में दोनों को एक साथ काम करना पड़ता है। या अलग-अलग काम कर रहे हैं?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)–

श्रीमन्, ग्रामीण सेवा के अन्तर्गत कितने कार्यकर्ता थे, सबका समायोजन करके बहुधन्धी कार्यकर्ता योजना लागू कर दी गयी है, जिसके यह अंग हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है।

श्री खैरुल बशर–

निरीक्षक और पर्यवेक्षक में क्या अन्तर है। इनके अलग-अलग काम क्या हैं, अलग-अलग काम है या नहीं?

श्री हरिसिंह–

पर्यवेक्षक फील्ड की सर्विस में सुपरवाइजरी काम करता है और निरीक्षक जैसे सेनेटरी इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर होते हैं।

श्री खैरुल बशर–

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। इनका काम अलग-अलग है?

श्री हरिसिंह–

जी हां, काम अलग-अलग है।

बी0 एच0 सी0 का विभिन्न फर्मों से क्रय तथा अधिकृत प्रयोगशाला से परीक्षण

*3–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अष्टम विधान सभा की लोक लेखा समिति 1983-84 के प्रथम प्रतिवेदन, जो सदन में 15-2-84 को प्रस्तुत किया गया, के पैरा 31 से 40 तक के सन्दर्भ में किन-किन फर्मों ने अधोमानक वी0 एच0 सी0 50 प्रतिशत की आपूर्ति उस समय की थी? क्या यह सही है कि इन फर्मों को ब्लैकलिस्ट न करके पुनः आपूर्ति करने के आदेश दिए गए? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम तत्काल उठाएगी?

श्री हरि सिंह–

संदर्भित अवधि में प्रश्नगत बी0

एच0 सी0 भारत सरकार ने डी0 जी0 एस0 एण्ड डी0 दिल्ली के माध्यम से मैसर्स प्रकाश पल्वराइजिंग मिल्स, अलवर से क्रय कराकर आपूर्ति करायी थी। आपूर्ति की गई बी0 एच0 सी0 को स्प्रे हेतु उपयोग में लाये जाने से पूर्व उसके मानक स्तर का पता लगाने हेतु पहले तो पब्लिक एनालिस्ट, उत्तर प्रदेश से परीक्षण कराया गया था, किन्तु उनके पास आई0 एस0 आई0 मानकों के अनुसार गामा आइसोमर के मूल्यांकन एवं परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उनके द्वारा किये गये परीक्षण को निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली ने सन्तोषप्रद न मानते हुए यह परामर्श दिया कि उसी बी0 एच0 सी0 का पुनः परीक्षण किसी अधिकृत प्रयोगशाला से, जैसे कि श्री राम टेस्ट हाउस आदि से, करा लिया जाय। तदनुसार पुनः परीक्षण श्री राम टेस्ट हाउस दिल्ली से कराया गया और उक्त बी0 एच0 सी0 को मानक स्तर का ही पाया गया। अतः शेष प्रश्न नहीं उठते हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह अत्यधिक गम्भीर मामला है पब्लिक एनालिस्ट का। पब्लिक एनालिस्ट ने इसे अधोमानक घोषित किया तो क्या पब्लिक एनालिस्ट ने नहीं कहा कि उनके पास यन्त्र मौजूद नहीं हैं जिससे वह परीक्षण करते हैं तो कौन सी जरूरत थी कि राम टेस्ट प्रयोगशाला में इसकी जांच करायी गयी इसकी कलकत्ता प्रयोगशाला में जांच क्यों नहीं करायी गयी दूसरी बात जब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने दुबारा प्रतिक्रिया व्यक्त की लेकिन उसके साथ यह था कि जिलों में बी0 एच0 सी0 सप्लाई की जिससे उत्तर प्रदेश शासन को 16,74,784 रुपए का घाटा हुआ [illegible] अधिकारी का इसमें हाथ है जबकि पी0 ए0 सी0 ने साफ लिखा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से सांठ-गांठ करके उत्तर प्रदेश को भारी घाटा पड़ा।

श्री लोकपति—

मान्यवर, प्रश्न के प्रथम अंग में जो बी0 एच0 सी0 की जांच आई0 एस0 आई0 ने की उनके पास गामा आइसोमस की मशीन नहीं थी इसके प्रयोग की जरूरत होती है मलेरिया के कीटाणुओं को समाप्त करने के लिए। यह भारत सरकार द्वारा मंगा दी गयी है अपनी रिपोर्ट को हमने भेजा तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया उन्होंने कहा इसमें गामा आइसोमस की जांच करायी जाए और वह रामटेस्ट हाउस में की गयी तो वह ठीक पाया गया। मान्यवर, जिसके बारे में कहा कि 16 लाख का घाटा हुआ था जिस फर्म को यह दी गयी थी उसने बिना चार्ज के बदल करके दे दिया था इसमें शासन को कोई घाटा नहीं हुआ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, रिपोर्ट के सम्बन्ध में सीधा-सीधा प्रश्न देखने की कृपा करें यह प्रश्न जो किया गया है मान्यवर, यह लोक लेखा समिति के 83-84 का प्रथम प्रतिवेदन जो सदन में 15-2-84 को प्रस्तुत किया गया इसमें 31 से 40 पैराग्राफ पर विचार किया गया। मान्यवर, तीन जो पैराग्राफ हैं यह छोटे-छोटे हैं, मैं पढ़ना आवश्यक समझता हूं

38—साक्ष्य के समय समिति को यह भी ज्ञात हुआ कि अभी उन्हीं फर्मों से दवाईयां खरीदी जा रही हैं जिनकी दवाइयां अधोमानक घोषित की गई थीं।

39—समिति का निश्चित मत है कि कुछ अधिकारियों ने अपराधिक

प्रवृत्ति की फर्मों से सांठगांठ करके अधोमानक दवाईयों का क्रय किया जिससे मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रायः ठप्प सा हो गया। समिति संस्तुति करती है कि पूरे मामले की जांच करके उत्तरदायित्व निश्चित किया जाये, तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करके समिति को अविलम्ब सूचित किया जावे।

40–समिति के मतानुसार मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की देखरेख तथा संचालन के लिए संयुक्त निदेशक (मलेरिया) विशेष रूप से जिम्मेदार थे . . .

उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारु रूप से नहीं किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने साक्ष्य के समय तोड़मरोड़ तथा स्पष्ट रूप से तथ्यों को अवगत न कराने का प्रयास किया, जो एक ऐसे उच्च अधिकारी के लिए शोभनीय नहीं था। समिति इससे भारी असन्तोष व्यक्त करती है। मान्यवर, सीधे पैराग्राफ के आधार पर ही प्रश्न पूछा गया था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह छोटी सी समिति, मिनियेचर हाउस की सिफारिश है, उन्होंने यह मामला आपके माध्यम से इस सदन के पटल पर रखा। तो लोक लेखा समिति की संस्तुति के आधार पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की और इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, उनको अब तक लिस्ट से अलग क्यों नहीं किया और जो संस्तुतियां की गयी थीं, उनके अनुसार कार्यों का निर्वहन क्यों नहीं किया?

श्री लोकपति–

श्रीमन्, ये एक-एक पैराग्राफ पढ़ते जायं, मैं उत्तर देता जाऊंगा। पहले एक पढ़ दें और मैं उत्तर दे दूं, फिर इसी प्रकार दूसरा और तीसरा पढ़ दें और मैं उत्तर दे दूं।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, संक्षिप्त रूप से परिभाषित कर दें। मान्यवर, लोक लेखा समिति इस सदन की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। उस समिति ने जांच करके आख्या सदन के सामने प्रस्तुत की और उसमें किसी अधिकारी विशेष के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारित किया तो (1) उस अधिकारी विशेष के विरुद्ध आपके विभाग ने क्या कार्यवाही की, (2) सम्पूर्ण प्रकरण की जांच के लिए एक समिति मुकर्रर करने के लिए निर्देशित किया उस समिति ने। इस सदन की ओर से एक समिति ने छानबीन की और अपनी आख्या प्रस्तुत कर दी, इसलिए वह निर्देश सम्पूर्ण सदन का हुआ, उसके मुताबिक इस घटना के लिये जिम्मेदार अधिकारी विशेष के लिये कौन सी जांच समिति नियुक्त की और उस समिति ने क्या कार्यवाही की?

श्री लोकपति–

श्रीमन्, समिति नियुक्त हुई और उसने छानबीन की और समिति की रिपोर्ट आयी। मूल प्रश्न यह है कि श्रीमन्, यह जो खरीद हुई बी0 एच0 सी0 की तो खरीद भारत सरकार ने की और उसकी जांच के उपरान्त उसमें कोई सब स्टैन्डर्ड वस्तु नहीं पायी गयी। वह सब स्टैन्डर्ड नहीं थी। जब सब स्टैन्डर्ड नहीं थी तो किसी फर्म से खरीदें, न खरीदें, इसका प्रश्न नहीं उठता। स्टैन्डर्ड थी, उसका प्रयोग हुआ। लोक लेखा समिति ने दूसरा बिन्दु उठाया कि जांच करा ली जाय, जांच हो गयी। श्रीमन्, जो समिति बनायी गयी, उनके नाम मैं पढ़ देता हूं। उसमें डा0

सान्याल, एडीशनल डायरेक्टर (हेल्थ), भारत सरकार, डा0 आर0आर0 द्विवेदी निदेशक, क्षेत्रीय परिवार कल्याण (मलेरिया), भारत सरकार, श्री एल0 डी0 भल्ला, ज्वाइन्ट डायरेक्टर, मलेरिया . . .

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

जिनके खिलाफ आरोप था।

श्री लोकपति–

मान्यवर, किसी के कहने से किसी अधिकारी को आरोपित कर दिया जाय, मैं इससे सहमत नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिये, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, वह पूरा नहीं हो पाया, आप बीच में खड़े हो गये। प्रश्नों में व्यवस्था नहीं होती।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के ऊपर व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, साक्ष्य लेने के बाद ही लोक लेखा समिति के सामने वही प्रकरण आते हैं जिनकी महालेखाकार की रिपोर्ट में परीक्षण करने के बाद आडिट आख्या आ जाती है। उस आख्या के तहत लोक लेखा समिति विभागीय अधिकारियों को साक्ष्य हेतु बुलाती है। साक्ष्य लेने के बाद ही वह अपनी रिपोर्ट में संस्तुति करती है, किसी एक व्यक्ति विशेष विधायक के कहने पर वह अपनी संस्तुति नहीं करती है। महालेखाकार की रिपोर्ट, उसके ऊपर आख्या और आख्या के बाद साक्ष्य लेने के बाद ही समिति संस्तुति करती है। इसके ऊपर माननीय मंत्री जी का ऐसा कहना, पूरे सदन की अवमानना है। मैं इनके खिलाफ विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं।

श्री लोकपति–

मान्यवर, चौथा व्यक्ति उसमें डाक्टर एस0 बी0 सिंह था।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, पहले आप व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने नोटिस देने के लिए कह दिया है। पहले वह नोटिस दे दें, तब मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री लोकपति–

इस प्रकार यह चार आदमियों की जांच समिति थी। इस समिति ने जांच करके अपना निर्णय दिया कि यह बी0 एच0 सी0 सब-स्टैन्डर्ड की नहीं थी। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपने पैराग्राफ में जो संस्तुतियां की हैं, उनका परीक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। परीक्षण होने के बाद जो सूचना आयेगी, वह स्वतः आपको उपलब्ध हो जायेगी। तीसरा, बिन्दु माननीय सदस्य ने जो उठाया है, यदि उसे वह पुनः कह दें तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि जो संयुक्त निदेशक, मलेरिया के हैं, उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया। यह साफ-साफ समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री लोकपति–

मान्यवर, परचेज किया भारत सरकार ने, जांच की भारत सरकार ने। हमने अपनी रिपोर्ट उन्हें भेज दी, उन्होंने पुनः जांच कराई। जांच करने

के बाद उन्होंने कहा कि बी0 एच0 सी0 सही है, उसका छिड़काव कर दिया जाय। जांच के दौरान जिन दवाइयों का समय बीत चुका था, और वह जिन फर्मों से सप्लाई की गई थी, वह बी0 एच0 सी0 उन्हें वापस कर दी गई। मान्यवर, लोक लेखा समिति की मान्यता और उसके अधिकारों के बारे में मेरे कहने का मतलब यह नहीं है और न ही मैं उसके ऊपर अनधिकृत रूप से कह रहा हूं, अगर सदन को यह गलत लगा हो, तो मैं इसके बारे में क्षमा चाहता हूं। मैं तो यह कह रहा था कि किसी व्यक्ति के कहने पर किसी अधिकारी को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। लोक लेखा समिति के पैराग्राफ 31 से 40 तक जो संस्तुतियां की गई हैं, उन पर विभाग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है, जो भी अधिकारी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जो भी परीक्षण होगा और जो भी विभागीय कार्यवाही होगी, उससे आप लोगों को अवगत करा दिया जायेगा।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

मान्यवर, एक गम्भीर मामले के ऊपर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया है। माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, एक अधिकारी विशेष के ऊपर लोक लेखा समिति ने अपनी राय जाहिर की और शासन ने एक 4 आदमियों की समिति जांच हेतु बनाई, किन्तु उस समिति में उस अधिकारी को भी शामिल कर दिया गया, जिसके खिलाफ समिति द्वारा चार्ज लगाया गया था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि जो समिति उन्होंने बनायी है, उसमें उस अधिकारी को न रखकर किसी अन्य अधिकारी को रखा जाय ताकि सही परिणाम सामने आ सके?

श्री लोकपति–

मान्यवर, यह सरासर अन्याय है। श्री कौशल जी ने कहा कि एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है, किसके लिए आरोपित है उसने वह परचेज किया ही नहीं तो उसके ऊपर आरोप कैसे हो। खरीदा भारत सरकार ने, लिया भारत सरकार ने, अब जो आरोप लग रहे हैं, सदन में लगायें, हम उसको दिखवालेंगे।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, सदन में नहीं लगाये।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को जांच इत्यादि के लिये प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर रहा हूं।

[बृहस्पतिवार, 22 मार्च, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नगरपालिका, बलरामपुर, गोण्डा के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री आर0 सी0 मिश्रा द्वारा तारकोल अवैध रूप से बेचे जाने की घटना की जांच

*1–श्री भूधर नारायण मिश्र (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1980-81 में नगर पालिका, बलरामपुर, गोण्डा के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (श्री आर0 सी0 मिश्रा) द्वारा 500 ड्रम तारकोल अवैध रूप से बेचे जाने की घटना की जांच कराई गयी? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

वर्ष 1977-78 में (न कि वर्ष 1980-81 में) नगरपालिका, बलरामपुर में 50 ड्रम तारकोल की चोरी तथा इस सम्बन्ध में तत्समय कार्यरत अधिशासी अधिकारी (श्री आर0 सी0 मिश्रा) द्वारा पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था न करने कुप्रबन्ध तथा अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता तथा शिथिलता बरतने के आरोप की जांच कराई गई थी। विभागीय जांच सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा की गई है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिस पर कार्यवाही की जा रही है। श्री सागर यादव तत्कालीन अवर अभियन्ता के विरुद्ध भी की गई अनुशासनिक विभागीय जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई जो शासन के विचाराधीन है। अकेन्द्रीयित संवर्ग के जो कर्मचारी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये उनके विरुद्ध भी वांछित अनुशासनिक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, गोण्डा को लिखा जा चुका है।

वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) द्वारा प्रशासक नगर महापालिका के पद पर नियुक्ति के लिए नगरपालिका सेवा के योग्य अधिकारियों को अवसर दिये जाने की संस्तुति

*2–श्री मोहन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों के लिए गठित वेतन आयोग (1979-80) ने अपनी संस्तुतियों में यह कहा है कि नगरपालिका संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारियों को ही नगर महापालिकाओं का प्रशासक नियुक्त किया जाय, तो क्या स्थानीय निकाय सम्बन्धित वेतन आयोग की संस्तुतियों को शासन ने स्वीकार कर लिया है? यदि हां, तो इसकी रोशनी में नगरपालिका प्रशासनिक वर्ग के कितने अधिकारियों को प्रशासक पद पर नगर महापालिकाओं में नियुक्त किया गया है?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) (1979-80) द्वारा केवल मत व्यक्त किया गया है कि प्रशासक नगर महापालिका के पद पर नियुक्ति के लिए नगरपालिका सेवा के योग्य अधिकारियों को अवसर दिया जाय। वेतन आयोग के उपर्युक्त सुझाव को शासन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मुझे खेद है कि जो वेतन आयोग शासन की ओर से नियुक्त किया गया, वह अपना मत व्यक्त करने के लिये ही नियुक्त किया गया, लेकिन इसमें किन्हीं खास परिस्थितियों का परीक्षण कर अपनी राय देना, यह वेतन आयोग का दायित्व था, वेतन आयोग ने अपनी राय दे दी, महत्वपूर्ण उनकी राय, जिसमें यह मत व्यक्त किया गया कि नगरपालिका और नगरमहापालिकाओं पर नियंत्रण ढंग से पी0 सी0 एस0 या आई0 ए0 एस0 अधिकारी नहीं कर पाते हैं, जो विभागीय अधिशासी अधिकारी हैं, उस संवर्ग के लोग ही, इस पर नियंत्रण अच्छी ढंग से कर सकते हैं, तो इस संस्तुति को न स्वीकार करने के पीछे क्या कारण है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, जैसा कि उत्तर में पहले निवेदन किया कि वेतन आयोग ने अपना मत व्यक्त किया, शासन ने उस पर

विचार किया, लेकिन वह शासन की दृष्टि में उपयुक्त नहीं साबित हुआ। उसके मूल रूप से कुछ मान्य बिन्दु हैं, उसमें कुछ बिन्दु मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। मान्यवर, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि प्रशासनिक तालमेल को शासन ने देखा कि वह टूटेगा, अगर इस आधार पर प्रशासक नियुक्त हुए। मान्यवर, विभाग के अंदर तमाम संवर्गीय लोग होते हैं, जैसे हेल्थ, मेडिकल, शिक्षा, इंजीनियरिंग, अगर किसी विभाग का आदमी प्रशासक पद पर नियुक्त हो जायेगा, तो कार्य रूप संचालन में बहुत दिक्कत होगी। मान्यवर, प्रशासक का पद एक प्रधान पद होता है, अगर मान्यवर, पालिका सेवा के कोई अधिकारी इस आधार पर प्रशासक नियुक्त हो, तो उसके द्वारा नगर महापालिकाओं में अभियंत्रण सेवा के नगर अभियन्ताओं/प्रमुख अभियंताओं पर सार्थक नियंत्रण रख पाने में दिक्कत होगी। इसके अलावा मान्यवर, इस विभाग से संबंधित, जो महानगरों की जटिल समस्यायें हैं, उनके सुलझाने हेतु, उसे शासन के अन्य विभागों से प्रभावी सम्पर्क स्थापित करके कार्यवाही करनी होती है। शासन से तालमेल की बात है, मान्यवर, वह भी ऐसी स्थिति में अधिक प्रभावी नहीं होगा, वह भी प्रशासनिक दिक्कत आती है, जिसका वह यथावत स्वरूप नहीं बनता है। तीसरी बात मान्यवर, अकेन्द्रीयित तथा केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों के अधिष्ठान एवं सेवा सम्बन्धी मामले भी देखने होते हैं, शासन की यह सामान्य मान्यता है कि किसी अधिष्ठान का कार्य अधिष्ठान से संबंधित संवर्ग के अधिकारी द्वारा न देखा जाय, इसमें यह भी दिक्कत थी। मान्यवर, इन सब दिक्कतों पर शासन ने विचार कर तय किया कि यह सम्भव नहीं है। मान्यवर, इस तरह है इसमें मुख्य रूप से प्रशासनिक तालमेल और इससे उत्पन्न होने वाली अड़चनों को देखते हुए ही शासन ने इसको अस्वीकार किया।

श्री काशीनाथ मिश्र–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि नगरपालिकाओं और यह स्वायत्त संस्थाओं में आई0 ए0 एस0 प्रशासक बिठा देने से, इससे माननीय मंत्री जी भी सहमत होंगे और सारे जनप्रतिनिधि भी जानते होंगे कि वह लोग उन स्वायत्त संस्थाओं को अपनी जागीर बनाये हुए हैं, बिल्कुल उनके निजी स्वार्थ की जागीर बनी हुई है और इस स्थिति से इन संस्थाओं से जनहित का कोई काम नहीं हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए क्या इस पर विचार करेंगे कि पुराने जो हमारे जन प्रतिनिधि चुने थे . . उसी कमेटी को रिवाइज कर देंगे या कोई ऐसी टेम्पोरेरी कमेटी बना देंगे जिससे इन संस्थाओं का कार्य चले? आई0 ए0 एस0 के प्रशासक रहते हुए जनहित का काम नहीं होगा।

श्री अरुण कुमार सिंह–

माननीय सदस्य काशीनाथ जी ने जो कहा है, वह सम्भव नहीं है। जनप्रतिनिधियों के चुनाव की बात करें, तो ठीक है।

श्री मोहन सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि पी0 सी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 सम्वर्ग के जो अधिकारी हैं, यह विभिन्न विभागों में घुसकर विभागीय अधिकारियों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं? क्या आश्वासन का यह भी

अर्थ है कि बड़ी नगरमहापालिकाओं में तो नहीं, लेकिन कहीं-कहीं जिलों में दो-दो, तीन-तीन नगरपालिकायें हैं, जिनके आवश्यक कामों को प्रशासकीय कामों को जिलाधिकारी नहीं देख पाते हैं, परगनाधिकारी नहीं देख पाते हैं, क्या ऐसे स्थानों पर उसी सम्वर्ग के वरिष्ठ अधिकारी को जिले का प्रशासकीय अधिकारी बनाकर इन नगरपालिकाओं का, महापालिकाओं का इन्तजाम सौंपेंगे?

श्री अरुण कुमार सिंह–

ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जिले का प्रशासकीय अधिकारी डी0 एम0 या एस0 डी0 एम0 समुचित व्यवस्था नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 15-15 आदमियों की कमेटी बनाना मुश्किल है, तो क्या 5-5 आदमियों की नान-आफिशियल्स की कमेटी बनायेंगे म्युनिस्पल बोर्ड, टाउन एरिया और "कवाल" टाउन्स के लिये?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मैं सम्मानित सदस्य और सदन को बताना चाहता हूं कि कमेटी के बारे में मैंने बात ही नहीं की, नये जन प्रतिनिधियों के चुनाव की बात करना चाहता हूं। नयी पद्धति अपनायी जायगी।

*3–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

[करण संख्या 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित।]

*4–श्री मित्रसेन–

[करण संख्या 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित।]

*5–श्री कुंवर सिंह नेगी–

-[दिनांक 1-3-84 को तारांकित प्रश्न संख्या–29 द्वारा उत्तरित।]

*6–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

-[दिनांक 1-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या–29 द्वारा उत्तरित।]

प्रदेश में कैन्सर रोग के उपचार की व्यवस्था की मांग

*7–श्री रेवती रमण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलायेंगे कि कैंसर रोग की चिकित्सा के लिए उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था की गई वह नितान्त प्रभावहीन है और जिसके कारण हजारों की संख्या में मरीजों का निधन हो जाता है? अगर हां, तो क्या जैसे बम्बई में टाटा मेमोरियल या बैंगलोर में व्यवस्था है उसी प्रकार की व्यवस्था यहां भी इस प्रदेश में करेंगे? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री हरि सिंह–

प्रदेश में कैन्सर रोग के उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है। इसमें निरन्तर विकास और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

श्री रेवती रमण सिंह–

अभी कल लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो प्रतिवर्ष दवा पर खर्च किया जाता है, वह पूरे भारत में सबसे कम है। 14 रु0 कुछ पैसे प्रदेश में है, जब कि भारत में 27/- रु0 एवरेज आता है। कैन्सर के बारे में कहा कि सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है और इस व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश–11 करोड़ के सूबे में हजारों लोग कैन्सर से पीड़ित होते हैं और यहां उसकी कोई उपयोगी चिकित्सा नहीं हो पाती। बम्बई में जैसा है, गुजरात में है, बेल्लोर में है, उस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में करने में क्या दिक्कत है?

श्री लोकपति–

मेरठ, आगरा, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद इतनी जगह कैन्सर के रोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था है और भारत सरकार के माध्यम से जो इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, वाराणसी है, हिन्दू यूनिवर्सिटी में, वहां है। अब तीन जगह "अरली कैन्सर डिटेक्शन यूनिट" स्थापित कर रहे हैं, इस वर्ष के बजट प्रस्ताव में रखा है। टाटा मेमोरियल और बंगलौर के समकक्ष जो कैन्सर इन्स्टीट्यूट, कानपुर में है, वैसा ही बनाने का प्रस्ताव है। इसको सातवीं योजना में समायोजित कर दिया है।

श्री रेवती रमण सिंह–

सातवीं योजना पूरी होते-होते तो प्रदेश में लाखों लोग मर जायेंगे। जैसे संजय गांधी इन्स्टीट्यूट तत्काल बना दिया गया। कैन्सर इन्स्टीट्यूट तत्काल खोलने में क्या कठिनाई है?

श्री लोकपति–

कैन्सर से लोग तब मरते हैं जब "अरली स्टेज" पर पता नहीं लगता है कि कौन सा रोग हो गया है। इसीलिये तीन जगह अर्ली कैन्सर डिटेक्टिव यूनिट को स्थापित कर रहे हैं। सातवीं योजना होते-होते लाखों आदमी नहीं मरेंगे। इसी वर्ष 15 हजार कैन्सर के रोगियों ने लाभ प्राप्त किया है। 1985 तक यह हो जायेगा।

सिविल लाइन्स में स्थित तमकुही कोठी नामक स्थान की भूमि पर सार्वजनिक मैदान बनाने तथा गांधी जी की मूर्ति स्थापित किये जाने का प्रस्ताव

*8–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर नगर महापालिका के अन्तर्गत सिविल लाइन्स में स्थित तमकुही कोठी नामक स्थान पर (जहां पर वर्तमान में जिला लोकदल का कार्यालय है), वर्ष 75 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने उपरोक्त जमीन में सार्वजनिक मैदान बनाने, गांधी जी की मूर्ति स्थापित करने और टूरिस्ट होटल निर्मित कराने की घोषणा की थी और यह योजना शासन को प्रस्तावित थी? क्या यह भी सच है कि वर्ष 82 में जिला अधिकारी, गोरखपुर ने उपरोक्त तमकुही कोठी को मोटर सेल्स, गोलघर गोरखपुर को मोटर वर्क्स शाप बनाने के लिए 5 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से बेच देने की अनुमति शासन से मांगी है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त जमीन में गांधी जी की मूर्ति लगाने, सार्वजनिक स्थल बनाने तथा टूरिस्ट होटल खोलने के प्रस्ताव पर शासन विचार करेगा?

श्री अरुण कुमार सिंह–

शासन में इस प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। जिलाधिकारी, गोरखपुर, ने उक्त तमकुही कोठी को बेंचने का कोई प्रस्ताव शासन को नहीं संदर्भित किया था। यदि प्रकार का कोई प्रस्ताव जिलाधिकारी से प्राप्त होगा तो उस पर शासन द्वारा विचार कर लिया जायेगा।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि गोरखपुर में कोई सार्वजनिक मैदान नहीं है और न कहीं कोई गांधी जी की प्रतिमा है, न मूर्ति है। तमकुही कोठी नामक स्थान की 6 एकड़ जमीन शहर के बीच में खाली है इसलिये क्या मंत्री जी जनहित में सार्वजनिक मैदान बनाने तथा गांधी जी की मूर्ति स्थापित करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, मैंने उत्तर में पहले ही निवेदन किया कि ऐसा न कोई प्रस्ताव था और न ऐसी कोई योजना है। वह जगह हाईकोर्ट के स्टे आर्डर में फंसी हुई है, खाली नहीं है।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिलाधिकारी से प्राप्त किस प्रकार के प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा और क्या आप इस सम्बन्ध में कोई निर्देश जिलाधिकारी, गोरखपुर को देंगे कि एक गांधी जी की प्रतिमा वहां लगा दी जाय उस जमीन पर जो खाली पड़ी हुई है। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि यह 6 एकड़ जमीन तमकुही कोठी नामक स्थान पर खाली है। मान्यवर, आप माननीय मंत्री जी से इस सदन में यह आश्वासन दिला दीजिये कि वहां पर गांधी जी एक प्रतिमा लगा दी जायेगी, यह घोषणा आप करवा दीजिये।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्या की भावना का आदर करता हूं कि बापू के लिये उनके दिल में इतनी श्रद्धा है। उनके ही नहीं बापू के लिये सारे देश के लोगों के हृदय में सहानुभूति है परन्तु यह मामला हाईकोर्ट में स्टे है तो उसमें प्रस्ताव के लिए शासन कैसे आदेश दे सकता है?

श्री रियासत हुसैन–

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की स्पष्ट रूप से घोषणा करेंगे कि जब भी वह जमीन हाईकोर्ट से छूटेगी तो वहां पर पार्क और महात्मा गांधी की स्टैच्यू की स्थापना की जायेगी और उस जमीन को किसी और दूसरे काम में नहीं लिया जायेगा?

श्री अरुण कुमार सिंह–

सदन में परिस्थितियों के आधार पर कोई घोषणा करने का तो अधिकार है नहीं कि कब क्या किया जायेगा।

श्री उदल–

श्रीमन्, प्रश्न को आप देखें कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कोई घोषणा की थी। क्या माननीय मंत्री जी को उस घोषणा की कोई जानकारी है कि जिसमें महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने और टूरिस्ट होटल निर्मित करने की घोषणा की गयी थी, इसकी कोई जानकारी उनको है या नहीं?

श्री अरुण कुमार सिंह–

ऐसी कोई घोषणा की जानकारी मुझे नहीं है।

फैजाबाद व लखनऊ मंडलों के जनपदों में कार्यरत पूर्ति निरीक्षकों के स्थानान्तरण की मांग

*9–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि 5-6 वर्ष से अधिक फैजाबाद व लखनऊ मण्डलों के जनपदों में कार्यरत पूर्ति निरीक्षकों के स्थानान्तरण अभी तक नहीं किए गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री जैराज गौतम–

फैजाबाद मंडल के जनपदों में कार्यरत पूर्ति निरीक्षकों, जिन्होंने एक जनपद में 5 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली थी, के स्थानान्तरण मंडलायुक्त फैजाबाद द्वारा जून, 1983 में कर दिये गये थे। उक्त स्थानान्तरित पूर्ति निरीक्षकों में से एक पूर्ति निरीक्षक श्री राम फेर सरोज का स्थानान्तरण उनकी पत्नी की बीमारी के सन्दर्भ में एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था।

लखनऊ मंडल के जनपदों में 5 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके पूर्ति निरीक्षकों में से केवल 5 पूर्ति निरीक्षकों के स्थानान्तरण उनकी घरेलू परिस्थितियों एवं बीमारी के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारियों की संस्तुति पर मई, 1984 तक स्थगित किये गये हैं। शेष ऐसे समस्त पूर्ति निरीक्षकों को स्थानान्तरित किया जा चुका है।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि फैजाबाद मंडल के जिन 5 पूर्ति निरीक्षकों का स्थानान्तरण हुआ था, क्या उन्होंने भी श्री सरोज के साथ स्थानान्तरण रोकने के प्रार्थना पत्र दिए थे, तो श्री सरोज का स्थानान्तरण निश्चित तिथि को कर दिया जायेगा?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

श्रीमन्, सरोज जो फैजाबाद के हैं, उनका स्थानान्तरण एक वर्ष के लिए स्थगित हुआ था। इस वर्ष जैसे ही सत्र शुरू होता है, जून-मई में कर दिया जायेगा। उनका स्थानान्तरण एक वर्ष के लिए रोका गया था, पत्नी की दरख्वास्त आयी थी, बीमारी की।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या श्री सरोज के साथ अन्य लोगों के भी इसी आशय के प्रार्थना पत्र आये थे कि उनका स्थानान्तरण रोक दिया जाय?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

शेष निरीक्षकों के जो प्रार्थना पत्र आये, हो सकता है वह गलत पाये गये हों। इसलिए उन पर विचार नहीं किया गया होगा।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लखनऊ मंडल के जिन पूर्ति निरीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया है उनके नाम क्या हैं और जिन लोगों को रोका गया है, उनका स्थानान्तरण मई के अन्त तक कर दिया जायेगा?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

लखनऊ मंडल के 5 निरीक्षकों के नाम हैं– विजय बाबू निगम, हरेन्द्र प्रसाद गुप्त, आर0 एन0 तिवारी, उमाशंकर मिश्र और जयवर्धन पाठक इनका मई, 1984 में स्थानान्तरण कर दिया जायेगा।

बीस सूत्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत चलती फिरती दुकानों की व्यवस्था

*10–श्री श्यामलाल वाजपेयी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "बीस-सूत्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम" के सूत्र संख्या 17 के अन्तर्गत प्रदेश के कितने जिलों में आवश्यक वस्तुओं को गरीब और पिछड़े क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा विद्यार्थियों तक पहुंचने हेतु "चलती फिरती" सचल दूकानों की व्यवस्था की गयी? क्या सम्पूर्ण प्रदेश में सचल दूकानों की व्यवस्था प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत शासन करेगा? यदि हां, तो कब से?

श्री जैराज गौतम–

"बीस सूत्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रमों" के सूत्र संख्या 17 से सम्बन्धित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्यारह जनपदों में चलती फिरती दुकानों की व्यवस्था की गई है। प्रशासकीय एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सम्पूर्ण प्रदेश में सचल दुकानों की व्यवस्था करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बीस सूत्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के सूत्र संख्या 17 के अन्तर्गत प्रदेश के कितने जिलों में आवश्यक वस्तुओं को गरीब और पिछड़े क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा विद्यार्थियों तक पहुंचने हेतु कितनी सचल दुकानों की स्थापना की गयी है। एक बड़े अच्छे आदर्श से सूत्र सं0 17 की स्थापना की गयी है और मान्यवर, तत्कालीन खाद्य सचिव श्री सक्सेना ने डी0 ओ0 सं0 1985/29 दिनांक 26-12-1982 को एक पत्र जारी किया था, जिसके तहत दुकानें खोली जायेंगी, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन 11 जिलों में यह दुकानें खोली गयी हैं और अन्य जिलों में न खोलने का क्या कारण है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

श्रीमन्, जो सचल दुकानें खोली गयी हैं, अलीगढ़ में 23, कानपुर नगर में 4, सुल्तानपुर में 12, झांसी में 1, मिर्जापुर में 10 और नैनीताल में 1, कुल 32 और जो आवश्यक वस्तु निगम के द्वारा खोली गयी हैं वे लखनऊ में 2, आगरा में 1 और देहरादून में 1 सचल दुकानें खोली गयी हैं। इसके अलावा माननीय सदस्य ने पूछा कि यह पूरे प्रदेश में क्यों नहीं खोली गयी हैं तो इसके कई कारण हैं क्योंकि पूरे प्रदेश में खोलना सम्भव नहीं है। माननीय सदस्य ने जो स्थान बतलाये हैं गरीबों के, विद्यार्थियों के और औद्योगिक स्थानों के, उनके बारे में वे सूचना दें तो वहां पर खोलने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसके कई कारण हैं कि पूरे प्रदेश में क्यों नहीं खोली गयी।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह अधूरा दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि एक यहां पर शासकीय आदेश जारी हुआ था तत्कालीन खाद्य सचिव के द्वारा 26-12-82 को। उस शासनादेश को कितने जिला पूर्ति अधिकारियों ने माना और जिन लोगों ने इन दुकानों को चलाया है क्या उनकी समीक्षा की गई? उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने विशिष्ट कार्य किया? उनको कोई प्रोत्साहन दिया गया? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु निगम के द्वारा इस तरह की कितनी दुकानें चलाई जा रही हैं? क्या वे बड़े शहरों के अलावा ग्रामों तक पहुंचने का साहस नहीं कर रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों? तीसरी बात माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान केन्द्रीय बजट में माननीया प्रधान मंत्री ने 47 प्रतिशत पैसा इस बीस सूत्री कार्यक्रम के लिये और दिया है। इस महान आकर्षण को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी निकट भविष्य में सम्पूर्ण प्रदेश में सचल दुकानें खोलने की घोषणा करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि आवश्यक वस्तु निगम के द्वारा 4 दुकानें खोली गयी हैं–लखनऊ में 2, आगरा में 1, देहरादून में 1। उन्होंने पूछा कि पूरे प्रदेश में क्यों नहीं करते हैं तो इसके कई कारण हैं। जो खाद्य सचिव का पत्र वे पढ़ रहे हैं, उसकी तो मेरे पास सूचना नहीं है। माननीय सदस्य स्वयं उसको देखें कि क्या आदेश उन्होंने दिये थे और क्यों कार्यान्वित

नहीं हुए। लेकिन इस बात का आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि कई परिस्थितियों के कारण पूरे प्रदेश में सचल दुकानें खोली जायें। दोहरी नीति ठीक नहीं है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो माननीय मंत्री जी ने 11 दुकानें बतायी हैं कि कहां-कहां वे खोली गयी हैं तो किस स्थान पर कितनी दुकानें खोली जानी चाहिए, इसका क्या आधार दिया गया है और सुल्तानपुर में 12 दुकानें खोलने का क्या आधार है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

इसका क्या आधार था, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, इन 11 दुकानों में माननीय मंत्री जी ने जनपद सुल्तानपुर का भी नाम लिया यह सौभाग्य की बात है। उस फैजाबाद मण्डल में बाराबंकी भी है। क्या बाराबंकी जनपद जैसे अभागे जिले में एक-आध सचल दुकान खोलने का आप कृपा करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रार्थना-पत्र दें, उस पर विचार किया जायेगा।

स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में सीधी भर्ती हेतु भण्डार प्रबन्धक 'बी' ग्रेड, आशुलिपिक तथा कनिष्ठ प्राविधिक सहायक के आमन्त्रित किए गए प्रार्थना-पत्र

*11–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में सीधी भर्ती हेतु भण्डार प्रबन्धक 'बी' ग्रेड, आशुलिपिक तथा कनिष्ठ प्राविधिक सहायक के प्रार्थना-पत्र माह नवम्बर, 1983 में आमन्त्रित किए गये हैं जबकि पूर्व में इस निगम से 379 कर्मचारी निकाले जा चुके हैं? यदि हां, तो सीधी भर्ती का आधार क्या है?

श्री लोकपति–

जी हां। भण्डार प्रबन्धक 'बी' ग्रेड, आशुलिपिक तथा कनिष्ठ प्राविधिक सहायक के पद तकनीकी पद हैं, जिनकी निगम में आवश्यकता है, जबकि निकाले गये 379 व्यक्ति दैनिक मजदूरी के आधार पर श्रमिक अथवा लिपिक के रूप में नियोजित थे, जिनकी सेवायें फालतू होने के कारण नियमानुसार समाप्त की गयी थीं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

माननीय अध्यक्ष जी जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 379 लोगों को इसलिये निकाल दिया गया कि जिन पदों पर उनकी नियुक्ति हुई थी वह तकनीकी थे। तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि इन 379 में से कितने ऐसे लोग थे जो वह तकनीकी योग्यता रखते थे? यदि वह योग्यता रखते हैं तो क्या उनको पुनः वापस लेने पर विचार करेंगे?

श्री लोकपति–

श्रीमन्, नियुक्ति के लिये इम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज से नाम मंगाये जा रहे हैं जो उस योग्यता के होंगे अगर उसमें निकाले हुये भी हैं और इम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज के माध्यम से आते हैं तो उन्हें रख लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

श्रीमान जी, यह 379 लोग तीन वर्ष से अधिक समय तक काम किये हैं

उनको इन पदों से इस लिए निकाल दिया गया कि वह उस योग्यता में नहीं आते थे यह आपने स्वीकार किया है और अगर योग्यता रखते तो नहीं निकाले जाते। मेरा प्रश्न है कि अगर इनमें से जो यह योग्यता रखते हैं जो यह 379 लोग निकाले गये हैं उनको रोजगार दफ्तर जाने की क्या आवश्यकता है जब कि वह 3-3 वर्ष तक आपके विभाग में काम कर चुके हैं? तो ऐसे कर्मचारियों को पुनः उन पदों पर रखने पर विचार करेंगे?

श्री लोकपति–

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से उत्तर दिया कि जो नियुक्तियां होंगी वह इम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज के माध्यम से होंगी। तो वहां से जो नाम आयेंगे और जो उसके सक्षम होंगे उनको रख लिया जायेगा। उसमें निकाले हुए भी आ सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन्, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक समय तक यह आपके निगम में सेवा कर चुके हैं और छटनीशुदा कर्मचारियों के लिए नियम भी है और मानवता की दृष्टि से तथा कानूनी दृष्टि से छटनीशुदा कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है तो इस बात को दृष्टि में रखते हुए इन छटनीशुदा कर्मचारियों को उस निगम में या वहां जगह न होने पर दूसरे स्थान पर उनको समायोजित करने का प्रयास किया जायेगा?

श्री लोकपति–

अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को जो छटनीशुदा हैं, उनको अवश्य मान्यता दी जायेगी।

सहकारी संस्थाओं में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के विनियमितीकरण का विचार

*12–श्री रियासत हुसैन–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-1-1979 व 1-5-1983 के मध्य सहकारी संस्थाओं (भूमि विकास बैंक, पी0 सी0 एफ0, उ0 प्र0 को-आपरेटिव बैंक लि0 व पैकफैड आदि में) तदर्थ अथवा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के विनियमितीकरण किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी रूप-रेखा क्या है तथा अनुमानतः कितनी सहकारी संस्थाओं के कितने कर्मचारी नियमित होंगे ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सितम्बर/अक्तूबर, 1983 में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय से इस सम्बन्ध में राय ली गयी थी ? यदि हां, तो इस संबंध में कार्मिक अनुभाग का अभिमत क्या है ?

श्री लोकपति–

25 जुलाई, 1972 से वर्ष 1983 के मध्य सीधी भर्ती से तदर्थ आधार पर नियुक्त सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के विनियमितीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है।

मामला विचाराधीन होने के कारण अभी इस संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, यह देखते हुए कि सन् 72 वालों को अब 14 साल हो चुके हैं तो क्या आप निश्चित तौर पर यह बताने की कृपा करेंगे कि कब तक इस पर शासन अंतिम-निर्णय ले लेगा कि इन लोगों को जो एड-

हाक एपवाइंट किये गये, उनको रेगुलराइज कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति–

बहुत शीघ्र ।

श्री रियासत हुसैन–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सितम्बर/अक्तूबर, 1983 में कार्मिक विभाग से राय ली गयी थी और जो उस समय नहीं मिली थी, अब वह राय मिल गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री लोकपति–

श्रीमन्, हमने यह जानकारी चाही थी कि 1-1-79 के बाद जो शासन ने निर्णय लिया कि कर्मचारियों का विनियमितीकरण कर दिया जायेगा तो उस पर शासनादेश हो गया है अथवा नहीं, यह जानकारी चाही थी तो अक्तूबर की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार शासनादेश नहीं हुआ ।

जल संस्थान कर्मचारी संघ के श्रमिकों की मांगों पर निर्णय लेने हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन

*13–श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, 1983 में उ0 प्र0 जल संस्थान कर्मचारी संघ के दि0 9-9-83 से होने वाली हड़ताल के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 द्वारा एक उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन कर, 3 माह में श्रमिकों की मांगों पर विचार करके निर्णय लेने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त घोषणा के आधार पर सम्बन्धित उच्चस्तरीय कमेटी ने क्या निर्णय लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरूण कुमार सिंह–

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी संघ की दिनांक 10-9-83 से (9-9-83 से नहीं) होने वाली हड़ताल के संबंध में किसी उच्च-स्तरीय समिति का गठन नहीं किया गया था । मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से यह निर्णय अवश्य लिया गया था कि अध्यक्ष, उ0 प्र0 जल निगम की अध्यक्षता में जो एक समिति पहले से ही गठित है उसी के द्वारा शहरी क्षेत्रों में जल वितरण का क्या ढांचा हो इस पर भी विचार कर लिया जाय जिससे कि महासंघ की पहली और मुख्य मांग का समाधान हो जाय । उक्त समिति की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

श्रीमन्, 10-9-83 को यह हड़ताल उ0 प्र0 जल संस्थान कर्मचारी संघ ने घोषित किया था और मुख्य मंत्री जी ने मुझको अपने कक्ष में बुलाकर यह घोषणा की थी कि एक कमेटी का गठन किया जायेगा जो 3 माह में अपनी रिपोर्ट दे देगी । लेकिन मंत्री जी ने उत्तर में इंकार कर दिया कि ऐसा मुख्य मंत्री ने घोषणा नहीं किया । क्या मेरी सूचना को सत्य मानते हुये मुख्य मंत्री से जानकारी प्राप्त करें कि क्या कोई ऐसी कमेटी बनाने की घोषणा की थी और 3 माह में शासन को रिपोर्ट दे । यदि हां, तो उस कमेटी की घोषणा कराने की कृपा करेंगे ? दूसरी बात यदि कमेटी 10-9-83 की घोषणा के बाद बन गयी, जैसा कहते हैं कि दूसरी कमेटी को यह मामला दे दिया गया और आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस मौजूदा कमेटी की रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है ?

श्री अरूण कुमार सिंह–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया है, जैसा मा0 सदस्य कह रहे हैं, तो

उसकी मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मैं इसकी जानकारी कर लूंगा । मेरी जानकारी है कि ऐसी घोषणा नहीं की गयी । दूसरा प्रश्न समझ में नहीं आया ।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

मान्यवर, दूसरा प्रश्न है कि जो इस समय कमेटी देख रही है उसकी कब तक रिपोर्ट आ जायेगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, बहुत सी चीजों की रिपोर्ट भेज दिया है और बहुत सी नहीं चूंकि 17 मांगे हैं और अलग अलग सूचनायें आनी हैं और कमेटी की विधिवत् रिपोर्ट नहीं आयी है लेकिन शीघ्र ही आ जायेगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

मान्यवर, शीघ्र शब्द को निश्चित तारीख या महीने में बतला दें ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

शीघ्र का मतलब तो शीघ्र ही होता है और वह एक महीना या कुछ ज्यादा भी हो सकता है ।

श्रीमती महेन्द्री की नसबन्दी शिविर छपरौली में गलत आपरेशन किये जाने से मृत्यु तथा आश्रितों को सहायता

*14–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि श्रीमती महेन्द्री पत्नी श्री महावीर सिंह, निवासी ग्राम किरठल, थाना रमाला, जिला मेरठ की नसबन्दी शिविर छपरौली में गलत आपरेशन किए जाने के कारण दि0 8-6-83 में प्यारे लाल शर्मा अस्पताल, मेरठ में मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो आपरेशन करने वाले दोषी डाक्टर के विपरीत क्या कार्यवाही की गयी है और मृतक श्रीमती महेन्द्री के आश्रित तीन नाबालिग बच्चों को सरकार ने क्या मुआवजा दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह–

श्रीमती महेन्द्री, पत्नी श्री महावीर सिंह निवासी ग्राम किरठल, थाना छपरौली, जनपद मेरठ की नसबंदी दिनांक 31-5-83 को परिवार कल्याण शिविर छपरौली में की गई थी । नसबंदी आपरेशन के उपरांत कुछ जटिलता उत्पन्न हो गई । श्रीमती महेन्द्री को बचाने का पर्याप्त प्रयास किया गया परन्तु उन्हें नहीं बचाया जा सका और अन्ततः दिनांक 8-6-83 को उनकी मृत्यु हो गई । यद्यपि संबंधित चिकित्सक द्वारा कोई असावधानी नहीं बरती गई परन्तु फिर भी उन्हें ऐसे मामले में और अधिक ध्यान देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है । मृतक के आश्रितों को 500/–रुपये की धनराशि एक्सग्रेसिया भुगतान के रूप में तथा 2000/– रुपये की धनराशि जिला अधिकारी, मेरठ द्वारा प्रदान की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर में विरोधाभास है । उत्तर का एक वाक्य देखें जिसमें लिखा है–"यद्यपि संबंधित चिकित्सक द्वारा कोई असावधानी नहीं बरती गयी परन्तु फिर भी उन्हें ऐसे मामले में और अधिक ध्यान देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है ।" मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि इस महिला का आपरेशन ठीक नहीं हुआ और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, जब यह बहुत ही पीड़ित अवस्था में थी, गांव में चली गई और जब वहां उसकी हालत बहुत खराब हुई तो यह शिविर में पुनः आयी और वहां से उसको मेरठ भेजने में बिलम्ब किया गया और इसकी नौबत आई

और 1 सप्ताह बाद 8 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई, तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो इस आपरेशन करने वाले चिकित्सक को बचाने के लिए मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है, तो इस मामले में किस अधिकारी से जांच कराई गई है और उसमें क्या तथ्य सामने आए हैं?

श्री हरि सिंह–

जिस डाक्टर ने आपरेशन किया उसका नाम डा0 नीलिमा पन्त है और जांच के लिए डाक्टरों की एक सब कमेटी बनी थी, उनके नाम भी हमारे पास हैं, कहेंगे तो उन्हें भी पढ़ सकता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह–

इस केस में 5 हजार रुपया दिया गया है, दो हजार रुपया जिलाधीश ने दिया है। कोई दुर्घटनाग्रस्त मृत्य मोटर वेहिकिल्स एक्ट में भी होती है तो उसमें भी 15 हजार रुपया जिलाधीश देते हैं। तो इसमें इस निश्चित राशि से भी यह सात हजार रुपया बहुत कम है, तो क्या मंत्री जी अपनी उदारता अपने उत्तर में दिखाते हुए इसको कुछ अधिक धनराशि दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति–

विचार कर लेंगे।

सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद में श्री कन्हैया लाल की मृत्यु तथा फार्मेसिस्ट का निलम्बन

*15–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 22/23-9-82 को सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद में श्री कन्हैया लाल, निवासी ग्राम चांदपुर की भर्ती कराई गयी तथा जिसका इलाज अस्पताल के फार्मेसिस्ट श्री अकलीम अहमद ने स्वयं ही किया जिसके फलस्वरूप मरीज की प्रातः तक मृत्यु हो गयी और जिसकी शिकायत उसकी पत्नी श्रीमती शान्ती देवी एवं पुत्र श्री राकेश कुमार ने की थी? यदि हां, तो उक्त फार्मेसिस्ट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

दिनांक 22/23-9-82 को रात्रि करीब 3.00 बजे सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद में श्री कन्हैया लाल को उपचार हेतु लाया गया था। उस समय श्री अकलीम अहमद फार्मेसिस्ट इमरजेन्सी ड्यूटी पर थे। उन्होंने बिना अधीक्षक के परामर्श तथा बिना भर्ती किये हुए मरीज का उपचार किया। उक्त रोगी की मृत्यु दिनांक 23-9-82 को प्रातः काल में हो गई। घटना की शिकायत मरीज की पत्नी तथा पुत्र ने की। प्रारम्भिक जांच में फार्मासिस्ट दोषी पाया गया और उन्हें निलम्बित कर दिया गया है।

केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि0 गाजीपुर के शाखा प्रबन्धक श्री सीताराम गुप्त के बकाया वेतन का भुगतान के संबंध में पत्र

*16–श्री रामनारायण सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि0, गाजीपुर के शाखा प्रबन्धक श्री सीताराम गुप्त ने अपने बकाए वेतन मुबलिग रु0 16337.53 पैसे के भुगतान के संबंध में प्रार्थना-पत्र सन् 1980 के बाद दिए हैं? यदि हां, तो अब तक उन्हें कौन सी राहत दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों क्या सरकार अवशेष भुगतान शीघ्र कराने की व्यवस्था करेगी?

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

जी हां ।

श्री सीताराम गुप्त का बकाया वेतन 16337.53 पैसे गाजीपुर तहसील के रजिस्टर नं0—4 में जमा कर दिया गया जिसमें से 1633.76 रुपये संग्रह शुल्क काटने के बाद अवशेष धनराशि 14703.77 रुपये कोषागार गाजीपुर में श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश, वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी द्वारा निर्देशित मद में स्थानान्तरित हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि में से संग्रह शुल्क कट जाने के कारण अवशेष धनराशि 1633.76 रु0 जमा करने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद सहारनपुर में देहरादून रोड पर इण्डेना फैक्ट्री तथा कैम्पाकोला फैक्ट्री के उत्प्रवाह के नमूने का परीक्षण

*17—श्री रामस्वरूप निम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर में देहरादून रोड पर स्थित इण्डेना फैक्ट्री तथा कैम्पा कोला फैक्ट्री तथा अन्य अनेक फैक्टरियों की वजह से वहां का पानी पीने योग्य नहीं रहा है तथा प्रदूषण की वजह से प्रति वर्ष उक्त क्षेत्र में हैजा, टी0 बी0 इत्यादि बीमारियों से रोगियों की मृत्यु हो रही है? उक्त फैक्ट्रियों का गन्दा पानी सड़क के किनारों पर भरा रहता है जिससे मलेरिया का भी प्रकोप हुआ है ? क्या फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करके पानी की व्यवस्था को ठीक कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जनपद सहारनपुर में देहरादून रोड पर इण्डेना फैक्ट्री तथा कैम्पाकोला फैक्ट्री के उत्प्रवाह के नमूने का परीक्षण 29-7-83 को किया गया था जिसमें कोई प्रदूषण नहीं पाया गया । उस क्षेत्र में पानी के कारण हैजा, टी0 बी0 इत्यादि बीमारियों से रोगियों की मृत्यु होने की कोई सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है । इण्डेना फैक्ट्री के उत्प्रवाह के निकास हेतु एक कच्चा नाला कुमार खेड़ा गांव तक बना हुआ है, किन्तु कुछ पानी फिर भी फैक्ट्री के बाहर खुली जमीन में भर जाता है । इस उत्प्रवाह भराव से मलेरिया उत्पन्न न हो जाए इस लिए उस क्षेत्र में समय समय पर कीट नाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जाता है । फैक्ट्री में उत्प्रवाह निकासी हेतु हयूम पाइप जमीन के अन्दर भी डलवाया है जिससे उत्प्रवाह नागदेव नदी में जाकर गिरता है । कैम्पा कोला फैक्ट्री के आस पास इस समय कहीं भी पानी नहीं भरा हुआ है ।

पीने के पानी तथा दूषित पानी के पुनः नमूने एकत्र करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं ।

यू0 पी0 डी0 पी0 एल0, लखनऊ से फिनायल का क्रय

*18—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित डिसइन्फैक्टो केमिकल इंडस्ट्रीज उद्योग विभाग से अनुबन्धित होकर फिनाइल की आपूर्ति 6.85 रुपए लिटर में कर रही थी और फिर जब उसने यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 लखनऊ के नाम से फिनायल बनाने का लाइसेन्स ले लिया तब इस फर्म द्वारा तैयार माल लखनऊ में ही सी0 एम0 एस0 डी0 स्टोर को 10.75

रु0 लीटर में आपूर्ति फिनायल की की जा रही है ? यदि हां, तो 3.90 रु0 प्रति लीटर बढ़ी कीमत पर फिनायल आपूर्ति का कारण क्या है ?

श्री लोकपति–

शासन की यह नीति रही है कि मात्रा अनुबन्ध हेतु जो उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों एवं यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 करने के लिये सक्षम हैं, उनका क्रय उन्ही से कोटेशन लेते हुए न्यूनतम दर वाली इकाई से किया जाये । इसी आधार पर यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 से जिसकी दर सबसे कम थी, से फिनायल का क्रय किया गया था । यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 द्वारा फिनायल का उत्पादन मेसर्स डिसइन्फैक्टों केमिकल इन्डस्ट्रीज के साथ लोन लाइसेन्स पर किया गया ।

प्रदेश की सहकारी समितियों के स्थगित चुनाव

*19–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सहकारी समितियों के चुनाव तीन बार स्थगित किए जाने से नामांकन पत्रों के साथ प्राप्त प्रतिभू (सेक्योरिटी) की धनराशि को वापस करने के बारे में शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया?

श्री बच्चा पाठक–

नामांकन पत्रों के साथ कोई धन-राशि प्रतिभूति (सिक्योरिटी) के रूप में प्राप्त नहीं की जाती है। अतः उसके वापस करने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*20–श्री जयदीप सिंह बरार–

-[दिनांक 14-3-84 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त।]

अतारांकित प्रश्न

टी0 बी0 हास्पिटल, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद में डाक्टर की सेवाएं समाप्त करने का औचित्य

1–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि टी0 बी0 हास्पिटल, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद के किसी डाक्टर को दिनांक 10-1-84 के आसपास सेवा समाप्ति के आदेश निर्गत हुए हैं? यदि हां, तो क्या उनकी सेवाएं समाप्त करने के पूर्व उक्त डाक्टर से किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण मांगा गया अथवा कोई आरोप-पत्र दिया गया? यदि नहीं, तो सेवाएं समाप्त करने का क्या औचित्य था?

श्री लोकपति–

जी हां। परन्तु यह मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बैंच, लखनऊ के विचाराधीन है।

2–श्रीमती गौरी देवी–

[7वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गांव बिनैका, जिला वाराणसी की आराजी नं0 105 को अर्बन सीलिंग एक्ट में दी गयी छूट

3–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बिनैका, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी की आराजी नं0 105 म्युनिसिपल नं0 बी0 29/87-88 रकबा 1–89 एकड़ की धारा 21 (1) अर्बन सीलिंग एक्ट में छूट दे दी गयी है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? इसके मालिक कौन-कौन हैं?

श्री बलराम सिंह यादव–

प्रश्नगत भूमि को समाज के दुर्बल वर्ग के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु धारण करने की अनुज्ञा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 21 के अन्तर्गत प्रदान की गयी है।

इस भूमि के मालिक महाराज कुमार अनन्त नारायण सिंह, पुत्र एवं महाराज कुमारी विष्णुप्रिया, महाराज कुमारी कृष्ण प्रिया और महाराज कुमारी हरि प्रिया, पुत्री महाराज विभूति नारायण सिंह हैं।

अर्बन सीलिंग विभाग, वाराणसी तथा उपान्त क्षेत्र वाराणसी में सीलिंग के विचाराधीन मामले

4–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्बन सीलिंग विभाग, वाराणसी तथा उपान्त क्षेत्र वाराणसी के यहां 20 हजार सीलिंग के छोटे-छोटे मामले विचाराधीन हैं? यदि हां, तो जनता की परेशानियों को देखते हुए क्या सरकार भारत सरकार से सिफारिश करेगी कि अर्बन सीलिंग विभाग को समाप्त कर दें?

श्री बलराम सिंह यादव–

नगर भूमि सीमारोपण कार्यालय, वाराणसी में नगर क्षेत्र एवं उपान्त क्षेत्र के लगभग 12500 वाद अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विचाराधीन हैं।

इस अधिनियम को समाप्त किये जाने की भारत सरकार से सिफारिश करने का कोई औचित्य नहीं है।

5–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

अर्बन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी, वाराणसी द्वारा दी गयी छूट

6–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनन्त इलेक्ट्रिक लैम्प वर्क्स प्रा0 लि0 नदेसर, वाराणसी 7779.95 वर्गमीटर व इमलाक डेवलपमेंट प्रा0 लि0 नदेसर 10459.33 वर्ग मीटर व महाराज कुमार अनन्त नारासिंह, वाराणसी निकट हाउस 4659.33 वर्ग मीटर व महाराज कुमारी हरिप्रिया शीशमहल कमच्छा 2880.67 वर्गमीटर व रामकृष्ण कुमार एण्ड भरत कुमार नाली इमिलि 7245.43 वर्गमीटर की छूट धारा 21(1) अरबन सीलिंग एक्ट 1976 के अधीन सक्षम अधिकारी, वाराणसी ने छूट दे दी है और 18-1-79 को आदेश दिया है कि 5 वर्ष की अवधि में कमजोर वर्ग के लिए मकान कार्य पूरा नहीं करते तो सरकार पुनः उस जमीन को ले लेगी? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि उपरोक्त स्थानों में दुकानें, गैरिज आदि बना दिए गये हैं और जिन लोगों को छूट दी गयी है उनके नाम और भी जमीनें वाराणसी शहर में हैं?

श्री बलराम सिंह यादव–

राय कृष्ण कुमार एवं भरत कुमार नाटी इमली के अतिरिक्त शेष भू-धारकों को नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 21(1) के अन्तर्गत समाज के दुर्बल वर्ग हेतु निवासी एककों के निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि धारण करने की अनुज्ञा दिनांक 29-6-81 को प्रदान की गयी है। दिनांक 18-1-78 को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है कि यदि 5 वर्ष की अवधि में निवासी एककों का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जाता

तो सरकार उस जमीन को वापस ले लेगी। केवल नदेसर में कुछ तिमंजिला निवासी एककों के नीचे भू-तल पर कुछ दुकान एवं गोदाम तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी, वाराणसी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा के अन्तर्गत बनाये गये हैं। शीश-महल में दुकानों और गोदामों का निर्माण नहीं किया गया है। "गैरिज" का निर्माण कहीं भी नहीं किया गया है। भू-धारकों के पास वाराणसी नगर संकुलन में और भी जमीनें हैं।

ग्राम टकसाल, तहसील व जिला वाराणसी के म्युनिसिपल नं0 18/34 को अर्बन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत दी गयी छूट तथा उक्त भूमि पर अंकित नाम

7—श्री उदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम टकसाल परगना देहात मानत, तह0 व जिला वाराणसी को म्युनिसिपल नं0 18-34 रकबा 1-67 एकड़ की धारा 21(1) अर्बन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत छूट दे दी गयी है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? इसके मालिक कौन-कौन लोग हैं? क्या इसी जमीन में टकसाल सिनेमा गृह भी बना है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

ग्राम टकसाल, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी के म्युनिसिपल नम्बर 18/34 के मालिक सर्वश्री लौटन राम व झिनकूराम पुत्रगण दासू निवासी स्थानीय अंकित हैं।

इस जमीन में टकसाल सिनेमागृह नहीं बना है। अतः किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।

निबन्धक, सहकारी समितियां उ0 प्र0 द्वारा की गयी जांच व परिणाम

8—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11-4-83 के सन्दर्भ में निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 को जो जांच के लिए निर्देशित किया गया था और जिसकी मंत्री जी के प्रश्नकर्ता को प्रेषित पत्र दि0 6-5-83 द्वारा सूचना दी गई थी, उस जांच का क्या परिणाम रहा?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगर महापालिका, गोरखपुर द्वारा बिछिया बस्ती को मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत लेने की संस्तुति

9—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दि0 3-10-83 जो प्रशासक महानगरपालिका गोरखपुर को सम्बोधित था के सन्दर्भ में महानगरपालिका, गोरखपुर की तरफ से जं0 तुलसीराम उर्फ बिछिया की मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत लेने की संस्तुति शासन को की गयी है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलराम सिंह यादव—

नगर महापालिका, गोरखपुर द्वारा बिछिया बस्ती की योजना मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0 प्र0 को दिनांक 14 मार्च, 1984 को जांच हेतु प्राप्त हुई है, जिसका तकनीकी परीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है।

नगर महापालिकाओं तथा राज्य सरकार की डिस्पेंसरियों के वैद्य एवं हकीमों के वेतन में असमानता

10—श्री सिकन्दर अली खां—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वेतन आयोग की सिफारिशों पर नगरमहापालिका के अधीनस्थ डिस्पेंसरियों में अन्य सरकारी डिस्पेंसरियों के बराबर वेतन एवं सेलेक्शन ग्रेड वैद्य एवं हकीमों

को नहीं दिया जा रहा है? जबकि एक ही कार्य एवं एक ही डिग्री वैद्य एवं हकीम ग्रहण किए हुए हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

राज्य सरकार की डिस्पेंसरियों के वैद्य एवं हकीमों और नगर महापालिकाओं की डिस्पेंसरियों के वैद्य एवं हकीमों में पद की अर्हता, भर्ती की विधि, पूर्व के वेतन-मान तथा कार्य की प्रकृति की दृष्टि से भिन्नता है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर महापालिकाओं के वैद्यों और हकीमों को उनके पूर्व वेतनमानों के समुपयुक्त वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं।

बी0 डी0 बर्जोरिया अस्पताल, सहारनपुर में कार्यरत मैट्रन के विरुद्ध श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन द्वारा की गयी शिकायत

11–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 डी0 बर्जोरिया अस्पताल, सहारनपुर में कार्यरत मैट्रन (इस समय सहायक निदेशक नर्सिंग) के विरुद्ध श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन द्वारा 12-5-83 को निदेशक, स्वास्थ्य विभाग को यह शिकायत की गयी थी कि उक्त मैट्रन (कु0 पाठक) द्वारा नर्सेज मेस की क्वाकरी के दुरुपयोग तथा दो नर्सों की हत्या कराई गयी है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करके उनकी प्रोन्नति करने का क्या कारण है?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्र की जा रही है।

विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल तथा राज्य रक्षालस संस्थान पटुवाडांगर को अलग-अलग संवर्ग मानने का आधार

12–श्री सरदार सिंह–

द्वितीय सत्र 83 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 115 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल तथा राज्य रक्षालस संस्थान पटुवाडांगर एक ही विभाग तथा एक ही निदेशालय के अधीन कार्यरत हैं? यदि हां, तो इन दोनों को अलग-अलग संवर्ग मानने का क्या आधार है?

श्री लोकपति–

विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल तथा राज्य रक्षालस संस्थान, पटुवाडांगर, दोनों ही स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधीन कार्यरत हैं किन्तु इनके अनुभाग अलग-अलग हैं। इन दोनों के कार्य-कलाप पृथक हैं तथा ये दोनों अलग-अलग योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। इसी आधार पर इन दोनों के सेवा संवर्ग पृथक हैं।

मोहल्ला गढ़ीकनौरा तालकटोरा रोड, लखनऊ में पानी की पाईप लाइन से उपभोक्ताओं को दिये गये पानी के कनेक्शन

13–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला गढ़ीकनौरा, तालकटोरा रोड, लखनऊ में पानी की पाइप लाइन से अक्तूबर, 1983 तक कितने व्यक्तियों को वैध रूप से कनेक्शन दिये गये हैं? क्या यह सही है कि पाइप लाइन से लगभग 40 घरों में नाजायज कनेक्शन लगे हैं? इस कारण इस समय क्षेत्रीय इंस्पेक्टर द्वारा पानी की आपूर्ति बन्द कर दी गयी है जिससे वैध रूप से कनेक्शन लेने वाले

व्यक्तियों को पानी की घोर असुविधा हो गयी है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

मोहल्ला गढ़ीकनौरा तालकटोरा रोड, लखनऊ में अक्तूबर, 1983 तक पानी की पाइप लाइन से कुल 2 उपभोक्ताओं को वैध रूप से पानी के कनेक्शन दिये गये थे।

जी नहीं। केवल 4 व्यक्तियों द्वारा अपने भवनों में चोरी से अवैधानिक जल संयोजन करा लिये गये थे जिनकी जानकारी मिलने पर कनेक्शन काटा जा चुका है।

जी नहीं। पानी की आपूर्ति बन्द नहीं की गयी बल्कि जलापूर्ति सामान्य रूप से हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्मिक विभाग, जल निगम में बरती जा रही व्यापक अनियमितताओं के संबंध में श्री बाबूराम यादव, वरिष्ठ आलेखक का आमरण अनशन

14–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्मिक विभाग, जल निगम में बरती जा रही व्यापक अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री बाबूराम यादव, आर0 जी0 सी0 उ0 प्र0 जल निगम (मुख्यालय) का आमरण अनशन का नोटिस दिनांक 18-11-83 प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है? क्या सरकार को दिनांक 9-1-84 को श्री यादव का पुनः आमरण नोटिस प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

श्री बाबूराम यादव, वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक से दिनांक 15-11-83 को दिनांक 18-11-83 से आमरण अनशन पर बैठने का नोटिस प्राप्त हुआ था।

इस सम्बन्ध में उन्हें दिनांक 17-11-83 को उत्तर भेज दिया गया था।

जी हां। दिनांक 9-1-84 से पुनः आमरण अनशन करने का नोटिस दिनांक 23-12-83 को प्राप्त हुआ था। श्री यादव ने मांग की है कि उनका वेतन श्री मंगल प्रसाद व0 आ0 प्रा0 से जो उनसे कनिष्ठ है, कम निर्धारित न किया जाय। उनकी यह मांग नियमानुसार नहीं है। इसकी सूचना श्री यादव को दिनांक 27-12-83 को पुनः दे दी गयी है। उन्हें यह भी अवगत करा दिया गया था कि उनका प्रस्तावित कदम अवैधानिक एवं दण्डनीय है।

ग्राम समसपुर, विकास खण्ड नरायनपुर, जनपद मिर्जापुर में हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में पत्र

15–श्री राम चरण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र ग्राम समसपुर, तह0 चुनार, वि0 खण्ड नरायनपुर मिर्जापुर में पेयजल योजना में हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में दिनांक 6-8-83 को उन्हें लिखा था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम समसपुर, तहसील चुनार, वि0 ख0 नरायनपुर, जनपद मिर्जापुर न तो वर्ष 1972 के सर्वेक्षण की समस्या ग्रस्त

ग्रामों की सूची में सम्मिलित है और न ही किसी प्रस्तावित चालू पेयजल योजना में शासन की वर्तमान नीति के अनुसार छठीं पंचवर्षीय योजना काल में केवल 1972 के सर्वेक्षण में घोषित समस्या-ग्रस्त ग्रामों में पेयजल सुविधा दी जा रही है। अतः फिलहाल उक्त ग्राम में पेयजल सुविधा योजना कार्यान्वित कराना सम्भव नहीं है। उपरोक्त स्थिति से प्रश्नकर्ता को अवगत करा दिया गया है।

स्थानीय निकाय कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान कथित सुविधा दिये जाने के प्रश्न पर विचार

16—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत अभी तक उनके वेतन से 20 रु० मासिक की कटौती कराकर मृत्यु हो जाने पर 25 हजार रुपया के क्लेम की सुविधा नहीं दी गयी, जबकि उन्हें महंगाई आदि भत्तों की सुविधा राज्य कर्मचारियों की भांति ही सरकार देती है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

स्थानीय निकाय कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान कथित सुविधा दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

नगरमहापालिका गोरखपुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु नलकूप के निर्माण की मांग

17—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर नगर महापालिका के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र नौसड मिर्जापुर, बेतियाहाता दक्षिणी, गोपालपुर, महादेव झारखंडी टुकड़ा नम्बर—1 तथा महुई-सुधरपुर में रहने वाली घनी आबादी को जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या व्यवस्था करेगी और उन क्षेत्रों में नलकूप निर्माण का कार्य शीघ्र कराएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

नगर महापालिका गोरखपुर के अन्तर्गत आने वाले पूर्ण क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु गोरखपुर पुनर्गठन जल सम्पूर्ति योजना जल निगम द्वारा तैयार करने हेतु नगर महापालिका गोरखपुर से विरचन शुल्क की मांग की गयी है। नगर महापालिका से अभी पूर्ण धनराशि प्राप्त नहीं हुई है जिसके प्राप्त हो जाने पर योजना का विरचन जल निगम द्वारा किया जायेगा। योजना पर निर्माण कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जायेगा।

जिला चिकित्सालय, आगरा के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में विकलांग का कोटा

18—श्री बदन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय आगरा के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में कोई भी विकलांग कर्मचारी कार्यरत नहीं है? यदि हां, तो इस चिकित्सालय में विकलांगों का कोटा पूर्ण न करने का क्या कारण है?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगरपालिकाओं, टाउन एरिया कमेटियों/स्थानीय निकायों के अधीन अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को पेंशन सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में विचार

19—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि नगर पालिकाओं व टाउन एरिया कमेटियों के अधीन नौन-सेंट्रलाइज कैडर (अकेन्द्रीयित कर्मचारियों) को सरकार ने जो पेंशन सुविधा देने की घोषणा की थी उस सम्बन्ध में अभी तक कोई राजाज्ञा नहीं निकाली गई? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री बलराम सिंह यादव—

नगरपालिकाओं के अधीन अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को पेंशन सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में विनियमावली को अंतिम रूप दिये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया कमेटियों के अकेन्द्रीयित कर्मचारियों को पेंशन सुविधा दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

20—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों के अकेन्द्रीयित कर्मचारियों को केन्द्रीयत (सेंट्रलाइज्ड कैडर) के समान पेंशन सुविधाएं व्यवहारिक रूप से देने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव—

स्थानीय निकायों के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को केन्द्रीयित कर्मचारियों के समान पेंशन सुविधा व्यवहारिक रूप से दिये जाने पर विचार किया जा रहा है।

मलेरिया निरीक्षक एवं वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक के पृथक-पृथक वेतनमान तथा स्थाईकरण के आदेश

21—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलेरिया विभाग में मलेरिया निरीक्षक एवं वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक के वेतनमान पृथक-पृथक रखे गए हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? क्या वेतन आयोग की रपट के आधार पर समान काम के लिए समान वेतन का फारमूला इन दोनों पदों के लिए लागू नहीं होता है? क्या यह भी सही है कि स्पष्ट शासनादेश होने के बावजूद भी मलेरिया निरीक्षक संवर्ग के 33 प्रतिशत पदों का स्थायीकरण अभी तक नहीं हुआ है? इन तमाम असंगतियों का क्या कारण है? सरकार इनको कब तक दूर करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

जी हां, ये वेतनमान पृथक-पृथक रखे गए हैं। मलेरिया निरीक्षक कनिष्ठ कर्मचारी हैं जिनकी पदोन्नति वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक के उच्चतर दायित्व के पद पर उच्चतर वेतनमान में ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है। वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक तथा मलेरिया निरीक्षक के पद प्रारम्भ से ही पृथक-पृथक हैं तथा वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक को उच्चतर वेतनमान अनुमन्य रहा है और वेतन आयोग की संस्तुति पर वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक तथा मलेरिया निरीक्षक को उनके वेतनमान अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किए गए हैं।

मलेरिया निरीक्षक संवर्ग के 33 प्रतिशत पदों पर कर्मचारियों के स्थाईकरण के आदेश पहले ही पारित किए जा चुके हैं। अतः कोई असंगतियां नहीं हैं। शेष प्रश्न नहीं उठते।

ग्राम सभा रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में यूनानी चिकित्सालय खोलने के विषय में पत्र

22—श्री बाबूराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम आसरे वर्मा, विधायक का दिनांक 14-9-83 का पत्र ग्राम सभा रसूलपुर वि0 खण्ड शुकुल बाजार,

जिला सुल्तानपुर में यूनानी चिकित्सालय खोलने के विषय में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

जी हां।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना जिला मेक्टर के अन्तर्गत आती है। श्री रामआसरे वर्मा का उक्त प्रार्थना पत्र निदेशक, आयुर्वेद द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को भेज दिया गया।

आवश्यक कार्यवाही की गयी।

उप निबन्धक केन्द्रीय सहकारी समिति, लखनऊ द्वारा सचिवालय उपभोक्ता सहकारी समिति की बैलेन्स शीट की जांच

23–श्री सूबेदार सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि0 6-8-83 को उप निबन्धक केन्द्रीय सहकारी समिति, लखनऊ द्वारा सचिवालय उपभोक्ता सहकारी समिति की जांच की गयी है? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या तथ्य पाए गये?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

जांच में कुछ अभिलेख पूर्ण नहीं पाये गए जिन्हें पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

24–श्री सूबेदार सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री जी बतायेंगे कि सचिवालय उपभोक्ता सहकारी समितियों की दुकानों का 1980-81-82 की बैलेंस शीट अभी तक नहीं जमा की गयी है? यदि हां, तो क्या कारण है? क्या इसकी जांच करायेंगे?

श्री बच्चा पाठक–

वर्ष 1980-81 की बैलेन्स शीट जमा है। 1981-82 की बैलेन्स शीट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

समिति के रिकार्ड अधूरे थे जिन्हें पूरे कराकर बैलेन्स शीट जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक जहानागंज में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, भवन के किराये की दर

25–श्री दूधनाथ राजभर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31-12-83 को जनपद आजमगढ़ के ब्लाक जहानागंज में कितने दाई सेन्टर कायम हैं तथा उनमें से कितने दाई केन्द्रों का निर्माण कराया जा चुका है तथा कितनों का भवन किराए पर लिया गया है? किराए की मासिक दर क्या है?

श्री लोकपति–

आजमगढ़ के ब्लाक जहानागंज में 20 मातृ शिशु कल्याण केन्द्र कार्यरत हैं। दाई सेन्टर नाम की कोई योजना नहीं है।

जहानागंज स्थित केन्द्र राजकीय भवन में है।

विभिन्न उप केन्द्रों के भवन के किराए की दर अलग-अलग है।

अर्बन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत दी गयी छूट तथा नदेसर पैलेस, वाराणसी में भूतल पर दुकानों एवं गोदामों के निर्माण की अनुमति

26–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि अरबन सीलिंग एक्ट, 1976 की धारा 21(1) में जो छूट दी जाती है, उसमें दुकान बनाने का प्राविधान नहीं है? यदि हां, तो नदेसर

पैलेस वाराणसी को जमीन, जो छूट में दे दी गयी है, उसमें दूकान (बाजार) कैसे बना दी गयी है? 10 भवन बिना नक्शे के पास कराए जो बनाए गये हैं उस पर विकास प्राधिकरण वाराणसी ने क्या कोई आपत्ति की? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव–

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा-21(1) के अन्तर्गत समाज के दुर्बल वर्ग हेतु आवासीय एककों के निर्माण के लिए सीमाधिक्य रिक्त भूमि धारण किये जाने की अनुज्ञा दिये जाने का प्राविधान है। आवासीय एककों के निवासियों की सुविधा के लिए नदेसर पैलेस वाराणसी में भू-तल पर दुकानों एवं गोदामों तथा उनके ऊपर आवासीय एककों के निर्माण की अनुमति तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी, वाराणसी द्वारा प्रदान की गयी।

10 भवन बिना नक्शा पास कराये नहीं बनाये गये हैं अतः विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा आपत्ति किये जाने तथा सरकार द्वारा जांच किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

27–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेवेन्यू सेटलमेंट नं0 188/7/2, 33, 226/02, 227/002, 2238/02, 229/01, 230/01, 231/02, 232/02, 233/02, 234/01, 235/01, 236/01, 237/01, 238/01, 239/02, 240/01, 241/01, 242/01, 243/02, 244/03, 245/02 रकबा 2-45, एकड़ मु0 नदेसर परगना देहात अमानत तह0 व जिला वाराणसी को अर्बन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत लिया गया? क्या यह सत्य है कि धारा 21(1) में छूट नहीं दी गयी है और इसके मालिकान कौन हैं?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत भू-खण्डों को नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा-21(1) के अन्तर्गत समाज के दुर्बल वर्ग हेतु निवासी एककों के निर्माण के लिए धारण करने की अनुज्ञा प्रदान की गयी है। इसके मालिक मेसर्स इमलाक वाराणसी डेवलपमेन्ट प्रा0 लि0, वाराणसी है।

श्री गोपाल प्रसाद द्वारा जिलाधिकारी, मथुरा को पट्टे के नवीनीकरण के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर कार्यवाही

28–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री गोपाल प्रसाद पुत्र श्री नरायन निवासी नौगजा-अम्बारवार, मथुरा ने जिलाधिकारी, मथुरा को दि0 29-11-80 को पट्टा भूखण्ड, नजूल नं0 48-04 एकड़ मौजा मुहाल बरामद छावनी मोहल्ला नौगजा अम्बारवार मथुरा को नवीनीकरण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति सहित दिया था जिसको उन्होंने आवश्यक कार्यवाही हेतु ए0 डी0 एम0 (वित्त एवं राजस्व) को उसी तिथि में भेज दिया था? यदि हां, तो शासन ने उक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

जिलाधिकारी, मथुरा ने अपने आदेश दिनांक 20-12-83 द्वारा पट्टे के निरस्तीकरण का निर्णय अपने स्तर पर ही ले लिया है। चूंकि मामला शासन को संदर्भित नहीं किया गया, अतः

शासन स्तर पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

गोरखपुर नगर महापालिका क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की मांग

29—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज से डिभिया मार्ग 2 कि0 मी0 दारुद्रपुर से गोपलापुर मार्ग 2 कि0 मी0 तथा रुस्तमपुर-फुलवरिया मार्ग 2 कि0 मी0 वर्ष 83-84 में नगर महापालिका गोरखपुर द्वारा बनाकर उस पर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों और कब तक उपरोक्त मार्ग बन जायगा और स्ट्रीट लाईट लग जायगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

गोरखपुर नगर महापालिका क्षेत्र में सम्मिलित किए गए 47 ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत ही प्रश्नगत मार्गों का निर्माण किया जाना एवं स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की जानी है। यह कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना सम्भव होगा।

यू0 पी0 बैंक इम्प्लाइज कोआपरेटिव सोसायटी के प्रशासक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

30—श्री भीखा लाल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-1-84 यू0 पी0 बैंक इम्प्लाइज कोआपरेटिव सोसायटी लि0, लखनऊ के हिस्सेदारों के प्रार्थना-पत्र के साथ उनको मिला है, जिसमें सोसायटी के प्रशासक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाए गये हैं? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गयी? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

परिवार कल्याण विभाग में प्रसार शिक्षकों की वरिष्ठता सूची

31—श्री भीखा लाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार कल्याण विभाग में प्रसार शिक्षकों के पद के सृजन के बाद उनकी वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

जी हां, सूची तैयार कर ली गयी है।

उ0 प्र0 स्वास्थ्य निरीक्षक संगठन द्वारा किये गये अनशन की समाप्ति

32—श्री गौरीशंकर भैय्या—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 स्वास्थ्य निरीक्षक संगठन द्वारा अपनी एक सूत्रीय मांग "स्वास्थ्य निरीक्षकों को बहुधंधी स्वास्थ्य योजना से अलग रखा जाय" को लेकर विकास भवन सचिवालय के समक्ष कोई अनशन चलाया जा रहा है? यदि हां, तो उनकी एक सूत्रीय मांग पूरी किए जाने में क्या कठिनाई है? क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

प्रश्नगत अनशन दिनांक 28-2-84 से बिना शर्त समाप्त कर दिया गया है। शेष प्रश्न नहीं उठते।

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय) कानपुर के कार्यालय के परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित लेखों के आडिट में गबन व जालसाजी की अनियमिततायें

33—श्री मोती लाल दहेलवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में जनपद कानपुर स्थित जिला कल्याण ब्यूरो व परिवार कल्याण के स्वास्थ्य कार्यालय व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलासा व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झींझक तथा नगरीय मलेरिया यूनिट के राजकीय धन का आडिट हुआ था? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट के अनुसार उक्त संस्थाओं में किस-किस संस्था में कितने-कितने धन का गबन व जालसाजी तथा अनियमितता पायी गयी थी और अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति—

वर्ष 1980 में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय) कानपुर के कार्यालय के परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित वर्ष 1976-77 से वर्ष 1978-79 तक के लेखों का सम्प्रेक्षण राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो के विभागीय सम्प्रेक्षण दल द्वारा किया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झींझक व मलासा तथा नगरीय मलेरिया यूनिट कानपुर के राजकीय धन से संबंधित अभिलेखों का वर्ष 1980 में आडिट नहीं हुआ।

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय) कानपुर के कार्यालय के परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित लेखों के सम्प्रेक्षण से विदित हुआ कि अनियमिततायें, जालसाजी तथा गबन के फलस्वरूप लगभग रु0 22,46,447-00 पैसे की धनराशि की हानि अनुमानित है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशक को आदेश दिये गये हैं कि वे आडिट रिपोर्ट तथा अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शीघ्र अनुशासनिक कार्यवाही करें।

राजकीय मेडिकल कालेजों में मेडिसिन विभाग के रीडरों की वरिष्ठता सूची

34—श्री मोतीलाल दहेलवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 82-83 में रीडर इन मेडिसिन की वरिष्ठता सूची क्या है और वर्ष 83 में किन-किन रीडर्स को प्रोन्नतियां दी गयी हैं? क्या इसी प्रसंग में कृपया यह भी बतायेंगे कि यह प्रोन्नतियां किस आधार पर की गयी हैं?

श्री लोकपति—

राजकीय मेडिकल कालेजों में मेडिसिन विभाग के रीडरों की वरिष्ठता सूची संलग्न है। वर्ष 1983 में इलाहाबाद मेडिकल कालेज में डा0 डी0 के0 निगम तथा झांसी मेडिकल कालेज में डा0 आर0 सी0 अरोरा की प्रोफेसर आफ मेडिसिन के पद पर तदर्थ प्रोन्नतियां की गई हैं। ये प्रोन्नतियां शिक्षण के हित में स्थानीय व्यवस्था के आधार पर की गयी हैं।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 148 पर।)

मेडिकल कालेजों में भर्ती हेतु पिछड़े वर्ग के आरक्षण की समाप्ति

35—श्री मोतीलाल दहेलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मेडिकल कालेजों में भर्ती हेतु वर्ष 1982 में होने वाली परीक्षा में पिछड़ी वर्ग का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

विचारोपरान्त यह निर्णय जनहित में लिया गया है ।

जिला आजमगढ़, टाउन एरिया महाराजगंज को नाली व सड़क बनाने हेतु दिया गया अनुदान

36—श्री दलसिंगार—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ टाउन एरिया महाराजगंज को 82-83 एवं जनवरी, 84 तक नाली व सड़क बनाने के लिए 3 (तीन) वर्षों में कितना-कितना धन हर मदों में शासन द्वारा प्राप्त हुआ और बाजार से तहबाजारी से कितना धन प्राप्त हुआ ? क्या हर वर्ष का ब्योरा सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त जो धन शासन को प्राप्त हुआ उसको किन-किन स्थानों पर खर्च किया गया, उसकी सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

टाउन एरिया महाराजगंज को वर्ष 81-82, 82-83 तथा वर्ष 83-84 में दिनांक 31 जनवरी, 1984 तक क्रमशः रु0 1, 20,000/— रु0 50,000/— तथा रु0 37,500/—की धनराशि सड़क अनुदान से तथा क्रमशः रु0 15,212.50 पैसे रु0 25,875/— तथा रु0 43,122.70 पैसे की धनराशि तहबाजारी से प्राप्त हुई । शासन से प्राप्त अनुदान की धनराशि द्वारा कराए गए कार्यों की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 144 पर।)

लिपिकीय पदों पर की गयी अस्थायी नियुक्तियां

37—श्री मोतीलाल देहलवी—

श्री चित्रांगद सिंह, नियन्त्रक बांट तथा माप, उत्तर प्रदेश द्वारा श्री परशुराम पाल को दिये गये पत्र सं0 2308/नि0 बा0 मा0 दिनांकित 11 जुलाई, 83 के सन्दर्भ में क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नियन्त्रक के उपरोक्त पत्र के पश्चात् लिपिकीय पदों पर कितनी नियुक्तियां की गयी और वर्णित पत्र के अनुसार श्री परशुराम पाल की नियुक्ति न करने के कारण क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्नगत पत्र के पश्चात लिपिकीय पदों पर 11 अस्थाई नियुक्तियां उस समय तक के लिये की गयी हैं जब तक नियमित चयन, जो अभी तक आयोजित नहीं किया जा सका है, न हो जाय ।

एम0 जी0 कालेज सिविल लाइन, कानपुर की प्रवक्ता श्रीमती कानन बाला सेठ की पुनः नियुक्ति का औचित्य

38—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि एम0 जी0 कालेज सिविल लाइन, कानपुर की प्रवक्ता श्रीमती कानन बाला सेठ की सेवाएं सन् 1981 में तत्कालीन नगर प्रशासक श्री वी0 के0 दीवान ने समाप्त कर दी थी ? यदि हां, तो उनकी पुनः नियुक्ति का औचित्य क्या था ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

श्रीमती कानन बाला सेठ द्वारा प्रत्यावेदन देने पर मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद के निर्देशानुसार, प्रशासक, कानपुर नगर महापालिका द्वारा श्रीमती सेठ की सेवायें समाप्त किये जाने के आदेशों को निरस्त करते हुए उनकी अस्थायी नियुक्ति का कार्यकाल चयन समिति द्वारा प्रवक्ता के पद पर नियमित नियुक्ति किये जाने तक बढ़ाया गया था ।

39—श्री मोतीलाल दहेवली—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती कानन बाला सेठ की नियुक्ति जब प्रवक्ता के पद पर महापालिका से सम्बन्धित एम0 जी0 कालेज कानपुर में सन् 1978 में हुई थी, तो उस समय श्रीमती कानन बाला सेठ के पति श्री जे0 सी0 सेठ कानपुर नगर महापालिका में उप नगर अधिकारी थे और शिक्षा विभाग का कार्य भी देख रहे थे ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति उ0 प्र0 नगर महापालिका शिक्षा नियमावली, 1971 की धारा 58 व उसकी उपधारा 6 के प्रतिकूल होते हुए कैसे और क्यों की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सन् 1978 में श्री जे0 सी0 सेठ, कानपुर नगर महापालिका में उपनगर अधिकारी के पद पर नियुक्त थे, किन्तु शिक्षा विभाग का कार्य नहीं देख रहे थे ।

नगर महापालिका, कानपुर द्वारा श्रीमती काननबाला सेठ की नियुक्ति शासन के पूर्वानुमोदन से की गयी थी, जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका शिक्षा सेवा नियमावली, 1971 के अनुकूल था ।

बहेड़ाखाल उपभोक्ता सहकारी समिति के संचालक मण्डल के भंग हो जाने से प्रशासक द्वारा समिति के कारोबार की जांच

40—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत बहेड़ाखाल उपभोक्ता सहकारी समिति के संचालक मण्डल के 30 जून, 1981 को भंग हो जाने के फलस्वरूप नियुक्त प्रशासक द्वारा संचालक मण्डल से कब कार्यभार किस अधिकारी द्वारा लिया गया है और तब से प्रशासक द्वारा समिति के कारोबार की जांच स्वयं बहेड़ाखाल आकर कब-कब की गयी है ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत सहकारी समितियों द्वारा ऋण का वितरण, उद्देश्य तथा पूर्ति

41—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 81—82, 82—83 तथा 83-84 में अब तक कितना ऋण वितरित किया गया है और वितरित ऋण का उद्देश्य क्या है तथा उद्देश्यों की कहां तक पूर्ति हुई है ?

श्री बच्चा पाठक—

जनपद पौड़ी गढ़वाल में आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत वर्ष 81-82 में रु0 94-65 लाख (अनुदान सहित) वर्ष 82-83 में 264-45 लाख रु0 (अनुदान सहित) एवं वर्ष 83-84 में (जनवरी 84 तक) 162-04 लाख रु0 (अनुदान सहित) ऋण वितरित हुआ है ।

वितरित ऋण का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले निर्धनतम व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराना तथा गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है । उक्त योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में उन्हें यथोद्दिष्ट सहायता मिली है ।

पर्वतीय जनपदों में सर्वेक्षण के अनुसार पेयजल हेतु अभावग्रस्त गांव तथा उपलब्ध सुविधा

42—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डरी—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में ऐसे कितने गांव हैं, जो 1972

के सर्वेक्षण के अनुसार पेयजल के लिए अभावग्रस्त हैं ? इन गांवों में से ऐसे कितने गांव हैं जो पेयजल योजना नहीं चाहते हैं ? इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इन गांवों के स्थान पर ऐसे गांवों को पीने का पानी उपलब्ध करायेगी जो वर्तमान में वास्तविक रूप से घोर अभावग्रस्त हैं और पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव–

7771 ग्राम ।

219 ग्राम ।

ग्रामों को समस्याग्रस्त निम्न आधार पर घोषित किया गया है:–

1–जिनमें पर्याप्त जल श्रोत ग्राम की आबादी से 800मीटर या अधिक दूरी पर उपलब्ध है ।

2–जिनमें पर्याप्त जल श्रोत ग्राम की आबादी से 100 मीटर या अधिक ऊंचाई अथवा नीचाई पर उपलब्ध है।

3–जिनमें उपलब्ध जल पीने योग्य नहीं है ।

इस समय शासन की नीति है कि जिन ग्रामों को वर्ष 1972 के सर्वेक्षण में समस्या ग्रस्त घोषित किया गया था उनको मार्च, 1985 तक लाभान्वित किया जाय तथा तत्पश्चात् अन्य समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।

गढ़वाल जल संस्थान के पास जनपद चमोली तथा पौड़ी में रख रखाव हेतु पेयजल योजनायें

43–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी और चमोली के अन्तर्गत गढ़वाल जल संस्थान के पास कुल कितनी पेयजल योजना रखरखाव के लिये हैं ? इनमें प्रत्येक जनपद में कितनी ऐसी पेयजल योजनाएं हैं जो समुचित रखरखाव तथा धनाभाव के कारण ठप्प पड़ी हुई हैं और जनता को पेयजल की सुविधा नहीं मिल रही है ? इन योजनाओं को ठीक करके पुनः चालू करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? और योजनाओं की मरम्मत हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है तथा सरकार द्वारा यह धनराशि कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

गढ़वाल जल संस्थान के पास जनपद पौड़ी की कुल 309 तथा चमोली की कुल 386 पेयजल योजनायें रख-रखाव के लिये हैं । जनपद पौड़ी की कुल 87 तथा जनपद चमोली की 64 योजनायें आंशिक रूप से और पौड़ी में 7 एवं चमोली में 36 योजनायें पूर्णरूप से बंद हैं । इन योजनायों को चालू करने हेतु प्रारम्भिक सर्वे के अनुसार जनपद पौड़ी के लिये रु0 35.34 लाख धनराशि की आवश्यकता आंकी गयी है । गढ़वाल जल संस्थान को पर्वतीय क्षेत्र को ग्रामीण पेयजल योजनायों के रख रखाव हेतु शासन द्वारा वर्ष 1983-84 में 80 लाख रुपया अनुदान स्वरूप दिया गया है ।

विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत जोली सिराई पेयजल योजना की स्वीकृति, निर्माण तथा व्यय

44–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत जोली-सिराई पेयजल योजना शासन द्वारा कब स्वीकृत हुई थी तथा इसका निर्माण कब प्रारम्भ हुआ था और कब पूर्ण हुआ तथा इस योजना के निर्माण पर कुल कितना धन व्यय हुआ ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की

कृपा करेंगे कि क्या वह सत्य है कि दिनांक 16-12-83 को इस योजना का निरीक्षण उत्तर प्रदेश जल निगम, पौड़ी के अधीक्षण अभियन्ता (श्री प्रेम कुमार पाण्डेय) द्वारा किया गया ? यदि हां, तो योजना के निर्माण में क्या-क्या त्रुटिया पाई गयीं और इनके प्रति किस-किस अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया है? सरकार द्वारा उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

यह योजना मार्च, 1982 में स्वीकृत हुई थी और योजना पर निर्माण कार्य मार्च, 1982 में आरम्भ हुआ था । योजना के समस्त कार्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं तथा इस योजना के निर्माण में फरवरी, 84 तक रु0 7.21 लाख व्यय हुआ है ।

इस योजना का निरीक्षण श्री प्रेम कुमार पाण्डे, अधीक्षण अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम, पौड़ी द्वारा 16-12-83 को किया गया था निरीक्षण के समय अधीक्षण अभियंता द्वारा योजना के निर्माण में जो मुख्य मुख्य कमियां व त्रुटियां पाई गईं उनका विवरण संलग्न है । त्रुटियों को दूर कराया जा रहा है तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है ।

योजना में पाई गई त्रुटियों के सम्बन्ध में जो अधिकारी व कर्मचारी उत्तरदाई पाये जायेंगे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 145-146 पर ।)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत दाबड़ पेयजल योजना की स्वीकृति निर्माण कार्य

45–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल के विकास क्षेत्र द्वारीखाल के अन्तर्गत दाबड़ पेयजल योजना किस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी थी और इस योजना में किन-किन गावों को पीने का पानी दिए जाने का प्रस्ताव है तथा योजना का निर्माण अभी तक प्रारम्भ न किए जाने का कारण क्या है ? निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने में विलम्ब के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा कब तक योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

यह योजना वर्ष 1980-81 में स्वीकृत की गई थी । इस योजना में ग्राम दाबड़ खंड तथा अमोला को पानी दिये जाने का प्रस्ताव है ।

इस योजना के लिए प्रस्तावित जल श्रोत जिनका नाम दलमिया तोक है, पर ग्रामवासियों द्वारा विवाद उठाये जाने के कारण योजना पर निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है । निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने में विलम्ब के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं है ।

जल श्रोत पर ग्रामवासियों द्वारा उठाये गये विवाद के निराकरण के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाना संभव होगा ।

पर्वतीय जनपदों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु सर्वेक्षण तथा समाधान

46–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जनपदों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु क्या 1980 में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किन अधिकारियों के माध्यम से करवाया गया और 1980 के इस सर्वेक्षण में और 1972 के सर्वेक्षण के अनुसार अतिरिक्त पर्वतीय जनपदों में अभावग्रस्त ग्रामों की अलग-अलग स्थिति क्या है तथा इस सर्वेक्षण के अनुसार अभावग्रस्त ग्रामों की पेयजल समस्या

के समाधान का लक्ष्य कब तक रखा गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां,

जल निगम के माध्यम से करवाया गया ।

अतिरिक्त अभावग्रस्त ग्रामों की स्थिति जनपदवार निम्न प्रकार है:–

अल्मोड़ा	–601
पिथौरागढ़	–583
टिहरी	–456
चमोली	–341
उत्तर काशी	–32
देहरादून	–40
पौड़ी	–1148
	योग–3201

अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है परन्तु छठी पंचवर्षीय योजना के पश्चात् इन ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आशा है ।

47–श्री नरेन्द्र सिंह–

–[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी एवं धोसी तहसील में आई0 पी0 पी0 के अन्तर्गत मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों का निर्माण कार्य

48–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी व धोसी तहसील में आई0 पी0 पी0 के अन्तर्गत कितने मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों का निर्माण कार्य 31 जनवरी, 84 तक पूरा हो चुका है तथा कितनों का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ? जिन मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों का निर्माण पूरा नहीं है उन्हें कब तक पूरा करा दिया जायगा ?

श्री लोकपति–

जी हां,

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी एवं धोसी तहसील में आई0 पी0 पी0 के अन्तर्गत 31 जनवरी, 1984 तक 8 उपकेन्द्रों एवं 3 एल0एच0वी0 आवास सहित उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । 13 उपकेन्द्रों तथा 7 एल0 एच0 वी0 आवास सहित उपकेन्द्रों पर कार्य अभी प्रारम्भ नहीं है। अपूर्ण निर्माण कार्यों के मार्च, 85 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

49–श्री हरगोविन्द वर्मा–

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत प्रसार शिक्षक श्री के0 डी0 त्रिपाठी की हत्या तथा आश्रितों को सामूहिक बीमा, जी0 पी0 फण्ड, ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेन्शन की मांग

50–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत एक प्रसार शिक्षक (श्री के0 डी0 त्रिपाठी) जिनकी हत्या सेवा काल में ही 14-8-81 को हो गयी थी उनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, जी0 पी0 फण्ड, ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन का धन अब तक न दिये जाने का क्या कारण है ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल लखनऊ में प्राचार्य का रिक्त पद

51–श्री खैरुल बशर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल लखनऊ का प्राचार्य का पद रिक्त है? यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री

इसको प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में वर्षों से कार्यरत अनुसूचित जातियों के प्रवक्ता पद पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्रोन्नति कर भरने पर विचार करेगी? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ति कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

जी हां।

राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल लखनऊ के प्राचार्य का पद सीधी भर्ती का पद है अतः इसे प्रोन्नति से भरने का प्रश्न नहीं उठता।

52–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

[दिनांक 15-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या–110 द्वारा उत्तरित।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण

53–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रश्नकर्त्ता द्वारा 18-10-83 से 22-10-83 तक किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण किया गया? इस निरीक्षण की पूर्व सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी को कब प्राप्त हुई थी और निरीक्षण स्थलों पर उनके तथा उनके अधीनस्थ उप मुख्य चिकित्साधिकारियों की अनुपस्थिति का कारण क्या है तथा जिन-जिन स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण नहीं किया जा सका उसका क्या कारण है?

श्री लोकपति–

माननीय विधायक द्वारा दिनांक 18-10-83 से 22-10-83 तक जनपद पौड़ी गढ़वाल के निम्नलिखित स्वास्थ्य सेवाओं/इकाइयों का निरीक्षण किया गया:–

1–मातृ शिशु कल्याण उप केन्द्र बगानी खाल

2–राजकीय चिकित्सालय कलजीखाल

3–राजकीय चिकित्सालय अदवानी एवं उप केन्द्र

4–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धन्डियाल

5–राजकीय चिकित्सालय चौलूसेण एवं उपकेन्द्र

6–राजकीय चिकित्सालय सतपुली

7–राजकीय चिकित्सालय बांघाट

8–मातृ एवं शिशु कल्याण उप केन्द्र वाडयूं

9–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटीसेण

10–राजकीय चिकित्सालय खिर्सू

11–मातृ एवं शिशु उपकेन्द्र सन्तूधार

12–राजकीय चिकित्सालय नौगांवखाल एवं उपकेन्द्र।

इस निरीक्षण की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी को दिनांक 4-10-83 को प्राप्त हुयी। प्रश्नगत अवधि में भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक भी उक्त जनपद के भ्रमण पर थे जिसके कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उस समय जनपद में उपलब्ध एकमात्र उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अत्यधिक व्यस्तता के कारण उनका निरीक्षण स्थलों पर उपस्थित रहना सम्भव नहीं हो सका।

जिन स्वास्थ्य सेवाओं/इकाइयों का निरीक्षण माननीय विधायक नहीं कर सके उसके कारणों पर वे स्वयं प्रकाश डाल सकते हैं।

चीफ फार्मेसिस्ट के सृजित पद तथा आरक्षण कोटा

54–श्री मोतीलाल देहलवी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फार्मेसिस्ट से चीफ फार्मेसिस्ट के जो 132

पद सृजित हुए हैं, उनमें अनुसूचित जाति के लिए कितने पद आरक्षित हैं? क्या अनुसूचित जाति के तमाम पद अब तक भरे जा चुके हैं? यदि नहीं, तो कब तक भरे जायेंगे?

श्री लोकपति–

चीफ फार्मेसिस्ट के 132 पदों में से 24 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखे गये हैं। यह सभी पद अभी भरे नहीं जा सके हैं क्योंकि इनके नामों की सूचना अभी जनपदों से प्राप्त नहीं हुई है। अपेक्षित सूचना प्राप्त होते ही इन पदों को भर दिया जायेगा।

नघेटा रोड, हरदोई की भूमि के अधिग्रहण का नोटिफिकेशन तथा काश्तकारों को उनकी अर्जित भूमि के एवज में आंशिक भुगतान

55–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नघेटा रोड हरदोई की भूमि के अधिग्रहण का नोटीफिकेशन सन् 1979 में आवास विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा किया गया था और इस भूमि का अधिग्रहण 7-2-83 को कर दिया गया? यदि हां, तो उपरोक्त भूमि के मुआवजे का एवार्ड अब तक दिया गया? यदि नहीं, तो सरकार कब तक इस जमीन का एवार्ड काश्तकारों को दिलाने जा रही है?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

उपरोक्त भूमि में दो ग्राम शामिल हैं जिसमें ग्राम बेहटा चांद का अभिनिर्णय मण्डलायुक्त की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त 11-8-83 को घोषित भी किया जा चुका है तथा ग्राम नघेटा के काश्तकारों को उनकी अर्जित भूमि के एवज में आंशिक भुगतान भी किया गया है। ग्राम नघेटा का एवार्ड निकट भविष्य में शीघ्र ही राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश की स्वीकृति के बाद घोषित किया जायेगा।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ में कार्यरत आयुर्वेदिक परिचारिकाओं को वर्दी भत्ते के रूप में धनराशि का भुगतान

56– श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ में कार्यरत आयुर्वेदिक परिचारिकाओं को वर्दी भत्ते के रूप में देय 500 रुपये की धनराशि का भुगतान आज पर्यन्त नहीं किया गया है जबकि उक्त चिकित्सालय में कार्यरत सभी एलोपैथिक परिचारिकाओं की उपरोक्त भत्ते की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है? यदि हां, तो उक्त भत्ते का भुगतान आयुर्वेदिक परिचारिकाओं को भी कब तक कर दिया जायेगा?

श्री लोकपति–

एलोपैथिक परिचारिकाओं को यह भत्ता देय है अतः उन्हें इस भत्ते का भुगतान किया जा चुका है।

आयुर्वेद परिचारिकाओं को वर्दी भत्ता स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है।

आयुर्वेद परिचारिकाओं को वर्दी भत्ता वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही दिया जा सकेगा।

57–श्री विजय सिंह राना–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

58–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[दिनांक 8-9-83 को तारांकित प्रश्न संख्या–3 द्वारा उत्तरित।]

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के स्वास्थ्य संवर्ग के लिपिकों का स्थायीकरण तथा आरक्षण लाभ

59—श्री राम सेवक—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80 तथा 83 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के स्वास्थ्य संवर्ग के कितने लिपिकों का स्थायीकरण किया गया है? इस स्थायीकरण में शासनादेश संख्या 15/25/73 रा0 एकी0 दिनांक 10-5-76 के अन्तर्गत स्थायीकरण में आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति के कितने लिपिकों को प्रदान किया गया? यदि आरक्षण का लाभ नहीं प्रदान किया गया है, तो क्यों?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री बद्री, निवासी ग्राम व थाना धम्मौर, जनपद सुल्तानपुर के विरुद्ध बेनामी लाइसेन्स निरस्त करके मुकदमा कायम कराने की कार्यवाही

60—श्री मुईद अहमद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बद्री निवासी ग्राम व थाना धम्मौर, जनपद सुल्तानपुर मिट्टी के तेल का लाइसेन्सी है उसकी स्त्री के नाम भी डीजल का लाइसेन्स है तथा अन्य दो बेनामी लाइसेन्स श्री बद्री के ही पास हैं और मिट्टी का तेल ब्लैक करने के आरोप में उसकी दुकान पर मार्च अथवा अप्रैल सन् 83 में छापा मारा गया जिसमें 179 लीटर मिट्टी का तेल कम पाया गया परन्तु उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु नियम के अन्तर्गत मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? क्या मंत्री जी श्री बद्री के समस्त बेनामी लाइसेन्स निरस्त करके 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा कायम कराने की कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ0 प्र0 जल निगम निर्माण शाखा देहरादून में निर्माणाधीन एजेण्डी पेयजल योजना के अन्तर्गत अन्य योजनाओं को हस्तगत करने से इंकार करने का कारण

61—श्री रियासत हुसैन—

क्या नगर विकास मंत्री को विदित है कि उ0 प्र0 जल निगम निर्माण शाखा देहरादून में निर्माणाधीन हटार एजेण्डी पेयजल योजना के अन्तर्गत जल संस्थान अनुरक्षण खण्ड देहरादून ने अपने पत्रांक 811/डब्लू0 एस0 आई0/7, दिनांक 9-8-83 द्वारा इस शाखा की 7 योजनाओं को अपने अण्डर में लेने से इंकार कर दिया है? यदि हां, तो इंकार करने के क्या-क्या कारण हैं?

श्री बलराम सिंह यादव—

उ0 प्र0 जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार हरताड़ एजेण्डी पेयजल योजना निगम की देहरादून स्थित द्वितीय निर्माण शाखा के अन्तर्गत अभी निर्माणाधीन है। जल संस्थान, अनुरक्षण खण्ड, देहरादून के पत्रांक 811/डब्लू एस—7/योजना हस्ता0/83-84, दिनांक 9-8-83 में वर्णित सात पेयजल योजनायें हरताड़ एजेण्डी पेयजल योजना के अन्तर्गत न होकर स्वतंत्र योजनायें हैं। उक्त पत्र में गढ़वाल जल संस्थान द्वारा इन योजनाओं को हस्तगत करने से मना नहीं किया गया है। इन सात योजनाओं में से 5 योजनाएं गढ़वाल जल संस्थान

द्वारा हस्तगत की जा चुकी है। शेष दो योजनाओं में से एक योजना जल निगम एवं जल संस्थान के सहायक अभियन्ताओं के संयुक्त निरीक्षण, जो कुछ क्षेत्र में बर्फ जमी होने के कारण अभी नहीं हो पाया है, के पश्चात् हस्तांतरित हो जाने की आशा है। सातवीं योजना आंशिक रूप से गढ़वाल जल संस्थान को गत तीन वर्षों से हस्तान्तरित है तथा इसका अनुरक्षण भी उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कुछ कार्य शेष है जिसके पूरे हो जाने के बाद यह योजना भी पूर्णरूप से जल संस्थान द्वारा हस्तगत कर ली जायगी।

प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों की सेवा नियमावली

62—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1958 से कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों की सेवा नियमावली बनी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

प्रयोगशाला प्राविधज्ञों की सेवा नियमावली तैयार की जा रही है।

श्री इश्तियाक अहमद, पत्रकार, कोपागंज, जिला आजमगढ़ का कथित प्रार्थना-पत्र

63—श्री भीखालाल—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इश्तियाक अहमद पत्रकार, कोपागंज, जिला आजमगढ़ का प्रार्थना पत्र दिनांक 16-1-84 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है, जिसमें दिनांक 22-11-83 को कोपागंज में पकड़े गये 140 बोरा आटा की नीलामी में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है? यदि हां, तो उस मामले में जांच कराई गई अथवा नहीं और यदि कराई गई तो क्या परिणाम निकला?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्री इश्तियाक अहमद पत्रकार का संदर्भित पत्र दिनांक 16-1-1984 खाद्य विभाग में उपलब्ध नहीं हो रहा है। यदि माननीय विधायक उक्त पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दें तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 के कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा निलम्बित कर्मचारियों को जीवन निर्वाह भत्ते की दर

64—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 के कर्मचारियों की सेवा शर्तें औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 व औद्योगिक सेवा स्थायी आदेश, 1946 के अन्तर्गत आती हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बैंक के कर्मचारियों को निलम्बन अवधि में 6 माह तक 50 प्रतिशत और 6 माह से अधिक अवधि में 75 प्रतिशत जीवन निर्वाह भत्ता देय होता है ? क्या निलम्बित कर्मचारियों को उक्त दर से जीवन भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बच्चा पाठक—

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में निलम्बित कर्मचारियों को निलम्बन अवधि में देय भत्ते के संबंध में कोई प्राविधान नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 के कर्मचारियों की सेवा शर्तें औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के बजाये उत्तर प्रदेश सहकारी समिति सेवा विनियमावली 1975 तथा उसके अधीन बनाई गई उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि

विकास बैंक लि0 कर्मचारी सेवा नियमावली द्वारा शासित होती है । उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली के विनियम संख्या-85 (सात) (ए) तथा बैंक सेवा नियमावली के अनुसार निलम्बित कर्मचारी को निलम्बन के प्रथम 6 मास में वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 1/3 भाग तथा विनियम संख्या–85 (सात) (बी) के अनुसार 6 मास के पश्चात वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 1/2 भाग जीवन निर्वाह भत्ता देय होता है तद्नुसार ही बैंक के निलम्बित कर्मचारियों को जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जा रहा है । श्रम कानून का उल्लंघन न होने के कारण किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लैण्ड सीलिंग डायरेक्ट्रेट के कार्यालय से पत्रावलियों की कथित चोरी तथा जांच

65–श्री पंचानन राय–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लैण्ड सीलिंग डायरेक्ट्रेट के कार्यालय से 8 हजार पत्रावलियां चोरी चली गई है ? यदि हां, तो ये पत्रावलियां किन मामलों से संबंधित है तथा उक्त चोरी की जानकारी शासन को कब प्राप्त हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी नहीं ।

नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय उत्तर प्रदेश के कार्यालय की कोई पत्रावलियां चोरी नही गयी है ।

प्रश्न नही उठता ।

66–श्री पंचानन राय–

क्या नगर विकास मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त चोरी के संबंध में पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो उस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले है ? यदि उक्त प्रकरण में स्थानीय पुलिस के माध्यम से कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है तो क्या सरकार सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी0 बी0 आई0 को सौंप रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव–

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जनपद के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत नियुक्त महिला एवं पुरुष कर्मचारियों को वेतन भुगतान की मांग

67–श्री गोरेलाल शाक्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समन्वित बाल विकास परियोजना (आई0 सी0 डी0 एस0 स्कीम) के अन्तर्गत नियुक्त महिला एवं पुरुष कर्मचारियों को माह सितम्बर, 83 से जनवरी 84 तक का वेतन भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार आवश्यक कार्यवाही करके उनके अवशेष वेतन का भुगतान शीघ्र करा देगी ? यदि हां, तो कब तक?

श्री लोकपति–

इस योजना के अन्तर्गत नियुक्त महिला व पुरुष कर्मचारियों को सितम्बर, 83 के वेतन का भुगतान कर दिया गया है । अक्टूबर, 83 से जनवरी, 84 तक वेतन के भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा ।

लखनऊ स्थित वेंकटेश्वर फ्लोर मिल लि0 द्वारा मिल को प्रदेश से बाहर ले जाने की मांगी गयी अनुमति

68–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित वेंकटेश्वर फ्लोर मिल

लि0, ने मिल को प्रदेश से बाहर ले जाने की अनुमति हाल में ही मांगी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

जी हां ।

(1) गेहूं का निर्गत मूल्य कम करने तथा खुले बाजार से गेहूं खरीदने की अनुमति मांगी थी । इस मामले में भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना था । अतः मिल के प्रार्थना पत्र को भारत सरकार को अग्रसारित कर दिया गया है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा अवशिष्ट आटा का मूल्य रु0 125/– प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है । मिल ने अवशिष्ट आटा के मूल्य को बढ़ाने का अनुरोध किया था । इस विषय पर रोलर फ्लोर मिलों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर की गयी हैं, अभी तक विचाराधीन हैं लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवशिष्ट आटा रु0 180/- प्रति कुन्तल बेचने के अन्तरिम आदेश पारित किये हैं ।

(3) मिल का यह भी कहना था कि राज्य सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । राज्य सरकार द्वारा अब मैदा व होलमील आटा का तीन दिन का स्टाक सुरक्षित रखकर शेष स्टाक प्रदेश से बाहर बिना किसी प्रतिबन्ध के निर्यात करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

जौनपुर भदोही मार्ग से रामलीला मैदान से होकर दरीपुर, शहानावा, मथुरापुर नई बाजार मार्ग के मरम्मत की मांग

69–श्री उदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी को जौनपुर-भदोही मार्ग से रामलीला मैदान से होकर दरीपुर, शहानावा, मथुरापुर-नई बाजार मार्ग में काफी गड्ढे हो गये हैं और खड़ंजे को उखाड़ लिया गया है ? यदि हां, तो इस मार्ग की मरम्मत अब तक न कराने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर तुरन्त इसको बनवाने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव–

वर्षा के कारण प्रश्नगत मार्ग में कहीं कहीं गड्ढे हो गये हैं किन्तु खड़ंजे को उखाड़ा नहीं गया है ।

धनाभाव के कारण नगरपालिका द्वारा प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत नहीं करायी जा सकी ।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट, वाराणसी को निर्देशित कर दिया गया है ।

नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी द्वारा चुंगी के मद से आय तथा व्यय

70–श्री उदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका भदोही जिला वाराणसी के द्वारा सन् 82-83 व जनवरी, 84 तक चुंगी के मद में कितने रुपये की आय हुई है और उस रुपये को किन-किन मदों पर खर्च किया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

वर्ष 1982-83 में रुपया 8,41,966.75 की और वर्ष 1983-84 में माह जनवरी, 84 तक रुपया 7,71,584.50 की आय हुई । उक्त धनराशि से पालिका कर्मचारियों को समय से वेतन वितरण किया गया, तथा विद्युत खर्च, सफाई उपकरण एवं जलकल मदों में व्यय किया गया ।

नोटीफाइड एरिया, नई बाजार, जिला वाराणसी के मार्गों से पानी निकासी हेतु नाली न होने के सम्बन्ध में कार्यवाही

71—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोटीफाइड एरिया, नई बाजार, जिला वाराणसी के सभी मार्ग नाली से पानी न निकासी होने की वजह से कीचड़, गन्दे पानी से भरे हुए हैं व आने जाने का रास्ता अवरुद्ध है, बीमारी फैल रही है इसको दूर करने के लिये अब तक कोई कार्यवाही न करने का कारण क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। कुछ मार्गों से पानी निकासी हेतु नाली बनी हुई है। कतिपय मोहल्लों में पानी की निकासी हेतु नाली नहीं बनी है, जिसके कारण विगत बरसात में मुख्य मार्ग के कुछ स्थान पर पानी एकत्रित हो गया था, जो वर्षा समाप्त होने के उपरान्त सूख गया है। वर्तमान में कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं है और न ही कोई बीमारी फैल रही है।

बस्ती जिले के विकास खण्ड बढ़नी में मिट्टी का तेल व चीनी का वितरण

72—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1982-83 में बस्ती जिले के विकास खण्ड बढ़नी के न्याय पंचायत बसहिया, धनौरा बोहली तथा टाउन एरिया, बढ़नी को किस-किस माह कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल व चीनी आवंटित किया गया व किसको किस मात्रा में वितरित किया है तथा उक्त दुकानों पर अलग-अलग कितने कार्डधारक हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सर्वश्री आई0 डी0 श्रीवास्तव तथा डी0 के0 सक्सेना, स्वास्थ्य निरीक्षकों को उनके नियुक्ति स्थानों पर वापस भेजने पर विचार

73—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सर्वश्री आई0 डी0 श्रीवास्तव तथा डी0 के0 सक्सेना स्वास्थ्य निरीक्षकों का वर्तमान नियुक्ति स्थान क्रमशः उन्नाव एवं रायबरेली जनपद में होते हुए भी उन्हें लखनऊ में जिला मलेरिया अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सम्बद्ध किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और उनकी नियुक्ति स्थान पर आम जनता को होने वाली असुविधा को इस दौरान दूर करने के क्या उपाय किये गये ? क्या सरकार उक्त दोनों निरीक्षकों को अविलम्ब उनके नियुक्ति स्थानों पर वापस भेजने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां।

जनहित में ऐसा कुछ समय के लिए ही किया गया है और उनके स्थानों पर कार्य की देख भाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत अन्य स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा की गई है ताकि आम जनता को कोई असुविधा उस दौरान न होने पाये। इन दोनों स्वास्थ्य निरीक्षकों को अब उनके नियुक्ति स्थानों पर वापस करने के आदेश पारित कर दिये गये हैं।

जिला वाराणसी के पी0 एस0 सी0 पिंडरा ब्लाक पिंडरा में बन रही इमारत में प्रयोग की गई ईंटें

74—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 एस0 सी0 पिंडरा ब्लाक पिंडरा,

जिला वाराणसी का उच्चीकरण किया गया है और उसकी इमारत बन रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पूरी इमारत में नं0 2 व नं0 3 के ईंटें लगाये गये हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि नं0 1 के ईंटों का ठेका दिया गया है या नं02 व नं0 3 का दिया गया है और किसके देख-रेख में यह इमारत बन रही है ?

श्री लोकपति–

जी हां ।

जनपद-वाराणसी के पिंडरा पी0 एच0 सी0 के निर्माण में यथा प्राविधानित प्रथम श्रेणी की ईंटें लगी हैं । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता । उक्त इमारत द्वितीय भारत जनसंख्या परियोजना, निर्माण खण्ड–1 वाराणसी की देखरेख में बन रही है ।

अनुज्ञप्ति विभाग में कार्यरत कर्मचारियों हेतु स्थायी पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में पत्र तथा अस्थाई पदों के सृजन के सम्बन्ध में शासनादेश

75–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, वाराणसी के प्रशासक ने अपने पत्र संख्या 1/1219/केन्द्रीय/83-84 दिनांक 2-1-84 के द्वारा अनुसचिव नगर विकास अनुभाग-7 उ0 प्र0 शासन को भेज कर अनुज्ञप्ति विभाग में कार्यरत 69 कर्मचारियों को स्थायी पद सृजन के लिए लिखा है? यदि हां, तो पद सृजित कर दिये गये हैं?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

पद अस्थायी रूप से सृजित कर दिये गये हैं।

76–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 69 पदों में 45 पदों हेतु स्थायी सृजन शासनादेश संख्या 2894 ए/11--न0 वि0-7-11 ए0 क्यू0/80, दिनांक 28 मई, 81 द्वारा तथा चार पदों का अस्थायी सृजन शासनादेश सं0 6166ए/11-न0 वि0-7-11 क्यू0/80 दिनांक 12 नवम्बर, 82 द्वारा किया गया है? क्या यह सही है कि इसको स्थायी रूप से सृजित करने हेतु प्रशासक नगर महापालिका, वाराणसी ने लिखा है? अब तक आदेश न भेजने का क्या कारण है?

श्री बलराम सिंह यादव–

69 पदों में से 65 पदों का अस्थायी सृजन शासनादेश संख्या-2894ए/11-नवि0 वि0-7-11 ए0 क्यू0/80 दिनांक 28 मई, 81 के द्वारा तथा चार पदों का अस्थायी सृजन शासनादेश संख्या 6166ए/11-नवि0 वि0-7-11 ए0 क्यू0/80, दिनांक 12 नवम्बर, 1982 द्वारा किया गया है।

जी हां।

अस्थायी पदों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष तक पूरी हो जाने तथा भविष्य में भी उन पदों के लगातार चलते रहने की सम्भावना होने पर ही पदों के स्थायीकरण पर विचार किया जाता है। इन पदों के कार्यकाल की अवधि अभी तीन वर्ष नहीं हुई।

उ0 प्र0 के अधिग्रहीत आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों के शिक्षकों के वेतनमानों में असमानता

77–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 के अधिग्रहीत 10 आयुर्वेदिक तथा 2 यूनानी कालेजों में कार्यरत शिक्षकों के वेतनमानों में असमानता है? यदि हां, तो एक ही पद के लिए विभिन्न कालेजों में वेतन की असमानता

के क्या कारण है? वेतनमानों में समानता स्थापित करने की दिशा में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री लोकपति–

6 आयुर्वेदिक व 2 यूनानी कालेजों के शिक्षकों के वेतनमान में समानता नहीं है।

इन शिक्षकों को इस समय वही वेतनमान मिल रहा है जो इन्हें प्रान्तीयकरण के समय मिल रहा था। इनका वेतनमान समान करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम रसूलपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शुकुल बाजार, जनपद सुल्तानपुर में मातृ एवं शिशु कल्याण उप केन्द्र की स्थापना

78–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, वि0 खं0 शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में लोगों के लिए कोई शिशु कल्याण एवं जच्चा बच्चा केन्द्र नहीं है? यदि हां, तो उक्त स्थान पर एक शिशु कल्याण एवं जच्चा बच्चा केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

ग्राम रसूलपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शुकूल बाजार, जनपद सुलतानपुर में वित्तीय वर्ष 83–84 में मातृ एवं शिशु कल्याण उप केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है।

आयुर्वेद कालेज झांसी में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही

79–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद कालेज, झांसी में कितने अध्यापकों की कमी है तथा उक्त अध्यापकों की कमी के कारण वर्ष 83 दिसम्बर से आज तक शिक्षण कार्य बन्द रहा है? यदि हां, तो शासन द्वारा अध्यापकों की पूर्ति न करने का क्या कारण है?

श्री लोकपति–

आयुर्वेदिक कालेज, झांसी में शिक्षकों के 29 पदों के विपरीत 25 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, झांसी में दिसम्बर, 1983 से अब तक शिक्षण कार्य बराबर चलता रहा। अवशेष अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री भोला को पुनः विकास खंड जोगिया में मिट्टी का तेल, सीमेंट, चीनी, गल्ला आदि का डीलर नियुक्त करने का औचित्य

80–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भोला निवासी ग्राम खड़कुइयां वि0 क्षे0 बढ़नी साधन सहकारी समिति ग्राम बसहिया में वि0 क्षे0 बढ़नी के अन्तर्गत एकाउटेन्ट थे और लगभग 80 हजार लीटर मिट्टी के तेल की चोर बाजारी एवं तस्करी करने के आरोप में वर्ष 81–82 में अपने सचिव के साथ सेवा से बर्खास्त कर

दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उन्हें पुनः विकास खंड जोगिया में मिट्टी का तेल, सीमेन्ट, चीनी, गल्ला आदि का डीलर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कैसे ?

श्री बच्चा पाठक–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

भरत मिलाप कालोनी, ईश्वरगंगी, नयी बस्ती व चौकाघाट क्षेत्र शहर वाराणसी में पेयजल संकट

81–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भरत मिलाप कालोनी, ईश्वरगंगी, नयी बस्ती व चौकाघाट क्षेत्र शहर वाराणसी में पेयजल का संकट महीनों से व्याप्त है ? यदि हां, तो इसको दूर करने हेतु क्या किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां ।

नवम्बर, 1983 से केवल 3 माह के लिये जलाभाव हो गया था क्योंकि एक नलकूप के पानी की क्षमता गिर जाने से उसे बन्द करना पड़ा । परन्तु अब उसे पुनः चालू करके जलापूर्ति पूर्ववत् की जा रही है । इसके अतिरिक्त एक नये नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और उसमें पम्पगृह का निर्माण पम्प अधिष्ठापन एवं विद्युत आपूर्ति करना शेष है जिन्हें शीघ्र पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

नगर महापालिका क्षेत्र, वाराणसी में पेयजल हेतु नलकूप लगाने की योजना

82–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका क्षेत्र वाराणसी की आबादी को तथा क्षेत्र को देखते हुए पेयजल के 10 और नलकूप लगाने की योजना है ? यदि हां, तो ये नलकूप कब तक लग जायेंगे ? क्या नाटी इमली शहर वाराणसी में एक नलकूप की बोरिंग हो रही है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां ।

नाटी इमली शहर वाराणसी में एक नलकूप की बोरिंग पूर्ण हो चुकी है । इस नलकूप को विद्युत का कनेक्शन मिलने पर चालू किया जाना सम्भव होगा ।

ब्लाक पिंडरा व ब्लाक बड़ागांव के ग्रामों में पेयजल सुविधा की मांग

83–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान बाबतपुर मंगारी, ब्लाक पिंडरा व स्थान कुवार, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के आसपास के पचासों ग्राम में पेयजल की असुविधा है और ये सूख जाते हैं? यदि हां, तो नलकूप लगाकर सरकार पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

सन् 1972 के सर्वेक्षण के अनुसार ब्लाक पिण्डरा तथा बड़ागांव में क्रमशः 16 तथा 25 ग्राम समस्याग्रस्त थे। इन सभी को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पाईप लाईन डालकर पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है।

वर्तमान नीति के अनुसार केवल 1972 की सूची के समस्याग्रस्त ग्रामों में ही प्राथमिकता के आधार पर यथावश्यक नलकूप अथवा हैण्डपम्प योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। अतः वर्तमान में प्रश्नगत विकास खण्डों के शेष ग्रामों को

लाभान्वित किये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

सूखे की स्थिति में जिलाधिकारी से धन की उपलब्धता के अनुसार उनके द्वारा इंगित ग्रामों में वैकल्पिक व्यवस्था कर पेयजल उपलब्ध कराया जायगा।

बाजार मड़ियाहूं, जिला जौनपुर की सड़क पर पानी निकासी हेतु नाले का निर्माण

84—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाजार मड़ियाहूं, जिला जौनपुर की सड़क पर पानी करीब एक फर्लांग तक जमा रहता है? उसके निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो वहां की नोटीफाइड एरिया ने इस गंदगी को दूर करने हेतु अब तक क्या किया है?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

तथाकथित सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। पानी निकासी हेतु नाले का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के मुख्यालय मंकारी में सब्सीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का आश्वासन

85—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के मुख्यालय मंकारी में मा0 स्वास्थ्य मंत्री ने एक एलोपैथिक अस्पताल बनाने का आश्वासन अर्सा 4/5 माह पूर्व ब्लाक कमेटी की मीटिंग में दिया था? यदि हां, तो उक्त अस्पताल खोलने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और कब तक खुल जाने की उम्मीद है?

श्री लोकपति—

सब्सीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का आश्वासन दिया था।

खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

स्टेट डिस्पेंसरी सफदलपुर सहारनपुर की बाउन्डरी को बनाने हेतु ठेकेदार श्री सुरेन्द्र शर्मा को दी गयी धनराशि तथा निर्माण कार्य न होने के विरुद्ध जांच

86—श्री रामस्वरूप निगम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट डिस्पेंसरी सफदलपुर सहारनपुर की बाउन्डरी को बनाने के लिये लोहे के खम्भे लोहे के तार अथवा पक्की दीवाल बनाये जाने के लिए 10 हजार रुपया 31-3-83 को ड्राफ्ट बनाकर ठेकेदार सुरेन्द्र शर्मा को दे दिया गया था जब कि कोई बाउन्डरी लाइन न बनायी गयी और न मौके पर है? सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही कर सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया, पीपीगंज की स्थापना

87—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया पीपीगंज, गोरखपुर वर्ष 79 में घोषित किया गया जिसमें उसके आसपास के गांव शिवपुर बन्धु पुरवा टीचर्स कालोनी आदि को शामिल करने के लिए वहां के निवासियों ने सरकार से कोई निवेदन किया था? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी और उन गांवों को शामिल करने में विलम्ब का कारण क्या है और कब तक शामिल करके नागरिकों को टाउन एरिया चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया जायगा?

श्री बलराम सिंह यादव–

जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया पीपीगंज की स्थापना वर्ष 1979 में की गयी थी। तथाकथित गांवों के निवासियों का गांवों को टाउन एरिया पीपीगंज में शामिल किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद के कैम्पीयरगंज विकास क्षेत्र में 30 शैय्या वाले अस्पताल की स्थापना

88–श्रीमती गौरी देवी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि 4 जून, 82 को गोरखपुर जनपद के कैम्पीयरगंज वि0 क्षे0 में 30 शैय्या वाले अस्पताल की स्थापना का शिलान्यास सिंचाई मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह ने किया था? यदि हां, तो उक्त अस्पताल की स्थापना में विलम्ब का कारण क्या है? क्या यह सच है कि गोरखपुर में वर्ष 82-83 व 83-84 में किसी भी अस्पताल की स्थापना नहीं हुई?

श्री लोकपति–

जी हां।

भवन पूर्ण न होने के कारण अस्पताल की स्थापना न हो सकी।

वर्ष 1982-83 में किसी अस्पताल की स्थापना नहीं की गयी किन्तु वर्ष 1983-84 में 5 एलोपैथिक चिकित्सालयों की स्वीकृति भेजी जा रही है।

मोहल्ला जय प्रकाश नगर, आलमबाग, लखनऊ में पोल संख्या 18/3 से पूर्व की ओर गली के सुधार हेतु पत्र

89–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रेमवती तिवारी, विधायिका का पत्र प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को दि0 24-5-83 को मोहल्ला जयप्रकाश नगर, आलमबाग, लखनऊ में पोल संख्या 18/3 से पूर्व की ओर की गली का सुधार किए जाने हेतु प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या उक्त पत्र में उल्लिखित सड़क के सुधार हेतु प्राथमिकता के आधार पर इस वर्ष कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

मोहल्ला जयप्रकाश नगर लखनऊ में विद्युत पोल संख्या 18/3 से पूर्व की ओर गली के सुधार हेतु माननीय विधायिका का दिनांक 25-4-83 का पत्र प्रशासक को प्राप्त हुआ था।

लखनऊ नगरमहापालिका द्वारा कार्य स्वीकृत कर दिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है।

गोरखपुर जनपद की रामगढ़ ताल का सुन्दरीकरण व पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना

90–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद की रामगढ़ ताल का सुन्दरीकरण करके उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना का कार्य वर्ष 81-82 से प्रारम्भ होना था? यदि हां, तो अब तक इसके लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया और क्या कार्य हुए? इस योजना का प्रारूप क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव–

गोरखपुर जनपद की रामगढ़ ताल का सुन्दरीकरण करके उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर निर्माण कार्य वर्ष 1981-82 से प्रारम्भ किए जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था, बल्कि योजना की तैयारी का मामला विचाराधीन था।

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु आवास विभाग द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण को भूमि अध्याप्ति हेतु 25 लाख रुपया का ऋण स्वीकृत किया गया है और उससे गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इस योजना में शासन के कई विभाग अर्थात सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन, पर्यटन, उद्यान, व मत्स्य विभाग सहभागी हैं, किन्तु उक्त विभागों द्वारा सिंचाई मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 18-3-82 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार अपनी योजनाओं के लिए भूमि अध्याप्ति हेतु गोरखपुर विकास प्राधिकरण को अपेक्षित धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उक्त सभी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं के लिये वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था स्वयं ही अपने विभाग के बजट में कराये जाने पर ही योजना का कार्यान्वयन सुचारु रूप से सम्भव हो सकेगा।

इस योजना का प्रारूप निम्न प्रकार है :-

1-पंच सितारा होटल
2-उक्त होटल के दक्षिण में उद्यान
3-संग्रहालय तथा ताल के किनारे जीवशास्त्र तथा तरणताल तथा बोटिंग क्लब
4-नाट्यशाला
5-अल्पाहार गृह
6-खेल का मैदान तथा
7-पक्षीशरण।

स्थानीय निकाय निदेशालय बनने के उपरान्त निदेशालय द्वारा विभिन्न संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारी की ज्येष्ठता सूची पर विनियमितीकरण की कार्यवाही

91-श्री मोहन सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 73-74 में स्थानीय निकाय निदेशालय बनने के उपरान्त से निदेशालय ने स्थानीय निकायों में कार्यरत किन-किन संवर्गों के कितने अधिकारियों का स्थायीकरण, वरिष्ठता निर्धारण, नियमितीकरण किया? अधिशासी अधिकारियों, कर अधिकारियों, डाक्टरों तथा अभियन्ताओं के संवर्ग में कुल कितने-कितने अधिकारी कार्यरत हैं और इनकी सेवा नियमावली बना दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव-

स्थानीय निकाय निदेशालय बनने के उपरान्त निदेशालय ने निम्नलिखित संवर्गों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, जिनकी संख्या उनके सामने अंकित कोष्ठक में दी गयी है, की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार की है :-

पदनाम	संख्या
1-अधिशासी अधिकारी	42
2-कर अधीक्षक	43
3-जल कल अभियन्ता	25
4-लेखा परीक्षक	12
5-लेखाकार	33
6-मुख्य सफाई निरीक्षक	38
7-सफाई निरीक्षक	286
8-चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 (एलो0)	13
9-चिकित्साधिकारी ग्रेड-2 (एलो0)	27
10-चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 (होम्यो0)	1
11-वैद्य एवं हकीम ग्रेड-1	4
12-वैद्य एवं हकीम ग्रेड-2	4
13-सहायक पशु चिकित्सक ग्रेड-2	2
14-अवर अभियन्ता	152

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अवर अभियन्ताओं में से 2 अवर अभियन्ता का स्थायीकरण स्थानीय निकाय

निदेशालय द्वारा दिनांक 29-8-1983 को किया गया है।

उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा में की गयी तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण हेतु नियमावली का आलेख दिनांक 7-1-1984 के असाधारण गजट में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा चुका है। इसे अंतिम रूप देने के पश्चात् तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण हेतु कार्यवाही की जायेगी।

अधिशासी अधिकारियों, कर अधीक्षकों, डाक्टरों तथा अभियन्ताओं के संवर्ग में निम्नानुसार अधिकारी कार्यरत हैं: –

पदनाम	संख्या
1–अधिशासी अधिकारी	205
2–कर अधीक्षक	132
3–डाक्टर	103
4–मुख्य अभियन्ता	8
5–अधिशासी अभियन्ता	34
6–सहायक अभियन्ता	145
7–अवर अभियन्ता	363

उपर्युक्त अधिकारियों की सेवा नियमावली (उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966) बनायी जा चुकी है।

श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव, हेल्थ विजिटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालगंज, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

92–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव, हेल्थ विजिटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालगंज, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 16-8-83 के साथ प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं? उनकी जांच किस अधिकारी से कराई गयी है तथा जांच के क्या परिणाम निकले?

श्री लोकपति–

जी हां। प्रमुख शिकायतों की सूची संलग्न है।

शिकायतों की जांच उप मुख्य चिकित्साधिकारी लालगंज, (आजमगढ़) से करायी गयी। जांच में शिकायतें सत्य नहीं पायी गयीं।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 147 पर)।

जनपद हमीरपुर में पूर्णकालिक प्रशिक्षित दाइयों के रिक्त पदों पर अंशकालीन दाइयों की नियुक्ति

93–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 82-83 में हमीरपुर जनपद में कितनी संख्या में पूर्णकालीन दाइयों की नियुक्ति की गयी एवं उनकी नियुक्तियों में क्या प्रक्रिया अपनाई गयी एवं कितनी अंशकालीन दाइयों की नियुक्ति की गयी है? यह नियुक्तियां किस नियम के अन्तर्गत की गयीं?

श्री लोकपति–

वर्ष 1982-83 में हमीरपुर जनपद में सात पूर्णकालिक प्रशिक्षित दाइयों के रिक्त पदों पर ऐसी अंशकालीन दाइयों को जो 50/- रु0 प्रतिमाह निर्धारित वेतन पर कार्य कर रही थीं, को नियुक्त किया गया है। उपरोक्त नियुक्तियां संबंधित क्षेत्र के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के हित को सर्वोपरि रखते हुए, उपयुक्तता एवं श्रेष्ठता के आधार पर की गयी। वर्ष 1982-83 में 17 अंशकालीन दाइयों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पैटर्न के आधार पर 50/- प्रतिमाह निर्धारित वेतन पर की गयीं।

जनपद बाराबंकी, ग्राम जाटा बरौली में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राप्त सुविधायें, कर्मचारियों/अधिकारियों के नियमित रूप से न जाने की शिकायत

94—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बाराबंकी के वि0 खं0 बंकी के अन्तर्गत ग्राम जाटा बरौली में लगभग 3 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया गया है? यदि हां, तो सन् 81 से 14-11-83 तक इस केन्द्र पर कितने डाक्टर, कम्पाउन्डर, चौकीदार नियुक्त किए गये? स्वास्थ्य केन्द्र के रजिस्टर में औसतन कितने रोगी नित्य नाम दर्ज कराके औषध एवं उपचार लाभ प्राप्त करते हैं? क्या शासन को पता है कि जाटा बरौली स्वास्थ्य केन्द्र में कोई डाक्टर, कम्पाउन्डर अथवा अन्य कर्मचारी जाते ही नहीं? यदि हां, तो स्वास्थ्य विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री लोकपति—

जी हां। जनपद बाराबंकी जाटा बरौली के लिये स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जाटा में निर्मित है किन्तु वहां सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण उक्त केन्द्र द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा उपचार की सुविधा ग्राम बरौली, जो ग्राम जाटा से मात्र डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है, में स्थित परिवार कल्याण मुख्य केन्द्र पर वर्ष 1979 से व्यवस्थित है तथा उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की शेष यूनिटें विकास खण्ड बंकी में कार्यरत है।

वर्ष 1981 से 14-11-83 तक समय-समय पर उक्त केन्द्र में कुल 5 चिकित्सक, एक फार्मेसिस्ट तथा एक चौकीदार नियुक्त रहे। उक्त केन्द्र से प्रतिदिन औसतन 10.2 रोगियों ने चिकित्सा सुविधा प्राप्त की। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियमित रूप से कर्मचारियों/अधिकारियों के न जाने की शिकायत प्राप्त हुई है जिस पर समुचित कार्यवाही की जा रही है।

चिकित्सा संवर्ग पी0 एम0 एच0 एस0 के सीनियर स्केल में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अधिकारियों की प्रोन्नति करने पर विचार

95—श्री परमाई लाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा संवर्ग पी0 एम0 एच0 एस0 में सीनियर स्केल के कितने पद अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए कितने अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के साधारण ग्रेड के चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध हैं? क्या सरकार इन अधिकारियों की प्रोन्नति सीनियर स्केल में करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

चिकित्सा संवर्ग पी0 एम0 एच0 एस0 में सीनियर स्केल के चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत कुल 806 पदों में से 161 पद अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण के अन्तर्गत आते हैं अब तक अनुसूचित जाति/जनजाति के 33 अधिकारी सीनियर स्केल में प्रोन्नत किए जा चुके हैं।

सीनियर स्केल में प्रोन्नति के लिए सम्प्रति निम्नलिखित पात्रता निर्धारित है :—

(1) साधारण ग्रेड में स्थायीकरण हो गया हो,

(2) कम से कम 2 वर्ष ग्रामीण या पर्वतीय क्षेत्र की सेवा कर चुके हों,

(3) मात्र एम0 बी0 बी0 एस0 अर्हता पर 8 वर्ष, चिकित्सा विज्ञान की किसी विशिष्टता में डिप्लोमा प्राप्त होने पर 7 वर्ष एवं चिकित्सा विज्ञान की किसी विशिष्टता में स्नातकोत्तर डिग्री होने पर 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

उक्त अर्हता के अन्तर्गत 8 अधिकारी शर्तें पूरी करते हैं, जिनमें से 4 अधिकारियों को सीनियर स्केल में प्रोन्नति पर तैनाती के प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिन पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा। शेष 4 अधिकारियों को पिछली चयन समिति ने प्रोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया।

96—श्री परमाई लाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे कितने चिकित्सा अधिकारी पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग में हैं जो 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं? क्या इन अधिकारियों की सीनियर स्केल में प्रोन्नति शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग में अनुसूचित जाति/जनजाति के 41 अधिकारी हैं जिन्होंने 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। सीनियर स्केल में प्रोन्नति के लिए पात्रता क्षेत्र में अन्य के अतिरिक्त साधारण ग्रेड में स्थायीकरण तथा ग्रामीण या पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष की सेवा की शर्त निर्धारित है। उपर्युक्त 41 अधिकारियों में से 4 अधिकारियों की प्रोन्नति पर तैनाती के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, 4 अधिकारियों को पिछली चयन समिति ने प्रोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया। शेष 33 अधिकारी पिछले चयन के अवसर पर पात्रता संबंधी उपर्युक्त शर्त/शर्तें पूरी न होने के कारण प्रोन्नति नहीं पा सके।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

[समय 12.20 अपराह्न से]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

श्रीमन्, मेरा प्रश्नों में एक व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष—

इसे पहले आप लिखकर मुझको दीजिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

यह आज का ही है, जो अतारांकित प्रश्न है . .

श्री अध्यक्ष—

तारांकित लिया है, अतारांकित तो है नहीं, इसमें कैसा सवाल? पहले आप लिखकर दे दें। तो मैं जानू समझूं कि उसमें क्या कमी है, तभी तो आगे हम कुछ कह सकते हैं। बैठिये आप।

सहारनपुर कोतवाली के सी0 ओ0, श्री विश्नोई द्वारा एक एडवोकेट के साथ किये गये दुर्व्यवहार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 19 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से मैंने सर्वश्री राम स्वरूप निम, श्री मोतीलाल देहलवी, श्री खैरुल बशर, श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री हरिवंश सहाय, श्री पंचानन राय तथा श्री मुईद अहमद की सूचना को स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है।

*श्री रामस्वरूप निम—

मान्यवर, जनपद सहारनपुर के सिटी कोतवाली के सी0 ओ0 श्री विश्नोई ने

मार्च, 84 के प्रथम सप्ताह में एडवोकेट श्री त्यागी के घर पर जाकर मारपीट की क्योंकि श्री त्यागी एडवोकेट ने एक मुल्जिम की जमानत कराई थी जिसके कारण कोतवाल विश्नोई बहुत ही असन्तुष्ट हो गये हैं। पुलिस दल बल के साथ मारपीट तो की ही तथा बन्द करने की भी धमकी दी। यदि तुमने आगे मुल्जिम के केस को लड़ा तो तुम्हारी जान की खैर नहीं होगी। हमारे पास बहुत बदमाश हैं पता भी नहीं चलेगा, पुलिस दुश्मनी देखी नहीं है। इस घटना को जब श्री त्यागी एडवोकेट ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बताया तो सहारनपुर जनपद के समस्त वकीलों ने 7-3-84 को कोर्ट का बहिष्कार किया तथा मांग की कि श्री विश्नोई कोतवाल को अविलम्ब निलम्बित किया जाय। इस घटना से जिले के अधिवक्ताओं तथा समस्त बुद्धिजीवियों में भारी रोष है।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की जांच जूडिशियल मैजिस्ट्रेट से कराते हुए उक्त कोतवाल को निलम्बित करने की मांग करता हूं।

अनवरगंज, जिला कानपुर थाने की पुलिस द्वारा स्थानीय निवासियों की कथित पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोतीलाल देहलवी–

अध्यक्ष महोदय, विगत 16/17 मार्च, 84 की रात कानपुर की फूलवाली गली में पुलिस चौकी लाटूश रोड व थाना अनवरगंज के इंस्पेक्टर ने पी0 ए0 सी0 तथा सिपाहियों की सहायता से वहां के निवासियों को अकारण उनके घरों में घुसकर महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों को बर्बरता पूर्वक मारापीटा है। इस मारपीट में एक वर्षीय बच्चा सहित दर्जनों स्त्री, पुरुष व बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें अधिकांश हरिजन हैं। मारपीट के समय महिलाओं व बच्चों की चीत्कार से प्रलंयकारी दृश्य बना हुआ था, कि कांग्रेस (जे) के महामंत्री, मदन मोहन वहां पहुंचे और उन्होंने पुलिस से मारपीट रोकने का आग्रह किया तो चौकी इन्चार्ज और इन्सपेक्टर अश्लील गालियां देते हुए उन्हीं पर टूट पड़े, और चौधरी मदन मोहन के कई लाठियां मारीं। मैंने स्वयं मदन मोहन के कई जख्मों को देखा है। पुलिस ने अनेक लोगों के मकानों के दरवाजों को तोड़ कर उनके सामानों को तहस-नहस कर दिया। इस बर्बर काण्ड के विरुद्ध श्री मोती राम एडवोकेट भूतपूर्व विधायक व के0 के0 तिवारी व मदन मोहन तथा शिव कुमार बेरिया आदि विभिन्न दलों के नेताओं के नेतृत्व में मौन जुलूस निकाल कर अधिकारियों को ज्ञापन दिए गये। किन्तु कार्यवाही नहीं हुई। अस्तु पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित है।

श्री केदार नाथ सिंह–

मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं . .

श्री अध्यक्ष–

पहले लिख कर दीजिए मुझे। अभी तो नियम 301 चल रहा है।

थाना जंगल, जिला बिजनौर के सिपाहियों द्वारा एक नाबालिग छात्रा के साथ किये गये सामूहिक बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, दिनांक 2-3-84 को थाना जंगल, जिला बिजनौर के राजा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भरतसिंह इन्टर कालेज की एक नाबालिग छात्रा, कु0 पूनम राणा को शादी का झांसा देकर थाने के सिपाही योगेन्दर तथा यशपाल ने थाने के अन्दर सामूहिक बलात्कार किया। घटना निन्दनीय थी। दण्डनीय होने के नाते सम्पूर्ण जनपद बिजनौर में शिक्षा संस्थाओं तथा समस्त राजनीतिक पार्टियों ने छात्रा के साथ थाने के अन्दर सिपाहियों द्वारा बलात्कार की निन्दा और जोरदार प्रदर्शन कर पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परन्तु अब तक मुकदमा न कायम करने के कारण जनपद में रोष व्याप्त है। अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सरकार के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि थाना जंगल, के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया जाये तथा कठोर दण्ड दिया जाये।

सल्ट क्षेत्र, जिला अल्मोड़ा में आदमखोर वन्य जन्तुओं से व्याप्त आतंक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

मान्यवर, ग्राम खड़गांव एवं ग्राम ठकुरा विकास खण्ड सल्ट, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा, में दिनांक 14/15 मार्च को 8 वर्षीय बालिका व 14 वर्षीय बालिका को बाघ (तेंदुवा) द्वारा मार दिया गया है। तीन मास पूर्व भी इस क्षेत्र में 5 बालिकाओं को व एक महिला को बाघ (तेंदुआ) द्वारा मार दिया गया था और इन दो बालिकाओं के मारे जाने से सल्ट क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अविलम्ब इस लोक महत्व को देखते हुए तुरन्त बाघ को मारने की व्यवस्था की जाये और मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाय। यह भी कहना चाहूंगा कि वन्य जन्तु अधिनियम के कारण पर्वतीय ग्रामीण अंचलों में वन्य जन्तु का आतंक बढ़ रहा है। ग्रामवासियों को ऐसे मानुषखोर वन्य जन्तुओं को मारने की आज्ञा दी जाय।

रामजनक, निवासी महथापार (जिला देवरिया) की मृत्यु तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय–

मान्यवर, श्री रामजनक, उम्र 11 साल, पुत्र नगीना ग्राम महथापार थाना सलेमपुर, जिला देवरिया, तूफानी के ट्रक से दिनांक 16-3-84 को कुचल गया और उसकी मृत्यु हो गयी। इस घटना से उसके मां-बाप बेहोश होकर गिर गये। मौका पाकर तूफानी का लड़का काशी ने लाश को रस्सी से बांध कर साइकिल पर रखकर चल दिया। इसे गांव के लोगों ने मना किया। वह मानने के बजाय तैश में आकर लाश को नदी में ले जाकर फेंक दिया। इसकी सूचना थाने में दी गयी। थानेदार गांव आये। वे मुल्जिमों को छोड़, उल्टे लड़के के पिता नगीना, चाचा फौजदार राधे तथा उप प्रधान भोला यादव को पकड़ कर थाने ले गये तथा मारपीटकर बन्द कर दिया। दूसरे दिन लाश नदी से बरामद हुई और सभी को जेल भेज दिया गया। अभी तक मुख्य अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस घटना से लोगों में भय एवं आक्रोश है। अतः माननीय सदन के संज्ञान में लाकर इसकी जांच की मांग की जाती है।

सगड़ी, जिला आजमगढ़ के बन्द राजकीय नलकूप एवं टूटी नालियों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र सगड़ी (आजमगढ़) में अधिकांश राजकीय नलकूप या तो खराब हैं या उनकी नालियां टूटी हुयी हैं जिसके कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंच रहा है। विभागीय अधिकारियों से मैंने स्वयं सम्पर्क स्थापित किया तथा अनेक पत्र लिखे किन्तु उनकी तरफ से पूरी उदासीनता बरती जा रही है किसानों में इसके कारण अत्यन्त क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त है।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि इस सम्बन्ध में तत्काल उच्च स्तरीय जांच करायी जाय, बंद राजकीय नलकूपों को चालू कराया जाय, नालियों की मरम्मत करायी जाय तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गड़बड़ियों की जांच कर रहे अधिकारी को बदले जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास औचित्य के 3 प्रश्न आये हैं। मैं इनको एक-एक करके लूंगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें। चूंकि यह जो प्रथा पड़ती जा रही है कि हर मामले को लेकर औचित्य के प्रश्न आ जाते हैं और इसमें सदन का बहुत समय व्यतीत होता है, इसलिये बहुत संक्षेप में उनकी बात सुनी जायगी।

*श्री पंचानन राय–

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस प्रदेश का ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है। इस सदन में अनेक बार इस विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ियां हैं, उनकी बात उठी। सरकार ने प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी, श्री पंडिता को जांच अधिकारी नियुक्त किया था और इसकी जांच चल रही थी लेकिन उसी बीच में सरकार ने एक दूसरा जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी जब बजट भाषण कर रहे थे तो उन्होंने सदन में कहा कि हम जांच को शीघ्र पूरी करायेंगे। मैं दो बातों को कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में एक जांच अधिकारी नियुक्त हुआ, उसकी जांच चल रही थी कि सरकार ने जांच की प्रक्रिया रोक दी और दूसरा जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। तो जांच रोकने के दो कारण हो सकते हैं, इसका औचित्य मैं जानना चाहता हूं। एक कारण यह हो सकता है कि सरकार जानबूझ कर विलम्ब करना चाहती है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जो पहले वाले जांच अधिकारी थे जैसा कि सदन में कहा गया है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप थे और उसकी जांच हो रही थी, इस कारण से सरकार ने उनको हटाया ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और दूसरा अधिकारी नियुक्त किया। तो मान्यवर, कारण जो भी हो, इससे विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। जांच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हो पा रही है इसलिए सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पा रही है। तो मैं इस बात का औचित्य जानना चाहता हूं कि जांच अधिकारी को क्यों बदला गया इसका क्या औचित्य था?

*संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष जी, जब यहां पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट पर चर्चा हो रही थी तो यह बात आयी थी। उस समय मैंने यह निवेदन किया था कि जांच अधिकारी को बदल दिया गया है। यह सूचना मैंने सम्मानित सदस्यों को दी थी। जांच अधिकारी को बदलने का कारण कोई और नहीं है सिवा इसके कि जो जांच अधिकारी नियुक्त हुए थे श्री पंडिता, उनके पास कार्य ज्यादा था चूंकि वह यू0 पी0 सीमेंट कारपोरेशन के चेयरमैन हैं, उनके पास काम ज्यादा है, इसलिये वह कार्य ठीक से देख नहीं पाते थे। जैसा कि माननीय पंचानन राय ने कहा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थिति है उसमें शीघ्रातिशीघ्र जांच पूरी होना जरूरी है ताकि वहां पर जो गड़बड़ियां हैं, उनको दूर किया जा सके। सरकार ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जांच अधिकारी बदला। न तो किसी अधिकारी पर कोई जांच चल रही थी न डिले करने के कारण से जांच अधिकारी को बदला बल्कि एक अधिकारी जो नियुक्त किये गये थे उनके पास काम ज्यादा था देर हो सकती थी इसलिये जांच अधिकारी बदला गया और कोई कारण नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पंचानन राय और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। भविष्य में माननीय सदस्य कृपया इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह के सवाल जो प्रशासनिक हो उन्हें तो ऐसे मामले औचित्य के प्रश्न के रूप में यहां न लाने की कृपा करें। मैं इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं, इसकी आज्ञा नहीं देता हूं।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में उनके द्वारा स्पष्टीकरण न दिये जाने के विषय में औचित्य का प्रश्न

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपकी आज्ञा से औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, 14 मार्च को मैंने इसी माननीय सदन के अन्दर एक हरिजन की दारुण कथा अपनी जबान से सुनाना चाही थी और उस भ्रष्टाचार को सदन के संज्ञान में लाने का मुझे अपमान भी सहना पड़ा था, मुझे सदन से निकाला भी गया था उस रोज, मान्यवर, एक हरिजन, श्री जोखई, निवासी शेखपुरा, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर. . .

श्री अध्यक्ष–

सम्मान सहित बुला तो लिया गया था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वह आपकी कृपा से।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इनको सन् 1976 में गाटा नं0 147, रकबा 12 डेस्मल आवास के लिये भूमि पट्टे पर मिली थी और उस जमीन का विधिवत् कब्जा भी दिलवा दिया गया था और उस जमीन में सुधार भी किये गये और उसे समतल भी किया गया और उस पर रुपया खर्च हुआ और दीवाल बनवानी शुरू की, मकान बनवाना शुरू किया था, लेकिन प्रमोद कुमार मिश्र नामक युवक जो संयोग से इसी प्रदेश के मुख्य मंत्री के पुत्र भी हैं, उसको ढहवा दिया और अपनी दूकानें तामीर करा लीं। मान्यवर, इस बात को मैंने उस दिन सदन के संज्ञान में लाना चाहा, मान्यवर, आपको और सभी को मालूम है कि भूमिहीन हरिजनों को आवास के

लिये पट्टे पर भूमि दिलाना तथा उस पर कब्जा दिलाना बीस सूत्रीय कार्यक्रम का एक सूत्र है। मान्यवर, जब मुझको निष्कासन के बाद सदन में वापस बुलाया गया तथा सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस दिन आश्वासन दिया था कि चूंकि आज मुख्य मंत्री जी 14 तारीख को दिल्ली गये हैं, लखनऊ में नहीं हैं, प्रदेश के अन्दर नहीं हैं, इसलिये वह स्वयं लखनऊ आकर इसका स्पष्टीकरण देंगे और जिस दिन वह लखनऊ आ जायेंगे, उस दिन इसके बारे में वह स्वयं इसका स्पष्टीकरण देंगे।

मान्यवर, मुझको मालूम हो चुका है कि मुख्य मंत्री जी इसका सदन में स्पष्टीकरण देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो मामला मैं उठाना चाहता था, उसके सबूत में दस्तावेजी सबूत मेरे पास हैं। मुझे पता चला है कि मुख्य मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण देने में कतरा रहे हैं। वह लखनऊ में मौजूद होने के बावजूद भी वह सदन में आकर स्पष्टीकरण जानबूझकर नहीं देना चाहते हैं। तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से यह औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के सदन में स्पष्ट आश्वासन के बाद मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य न देने का क्या औचित्य है ? क्या सदन में इस आश्वासन के दिये जाने के बाद इसकी अवहेलना करने का मुख्य मंत्री जी को कोई अधिकार है?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि उस दिन संयोग ऐसा हुआ कि बड़ी उत्तेजना सदन में हो गयी और आपको सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। माननीय नेतागण की आपके कक्ष में बैठक हुई, आपको याद होगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा कि ज्यों ही माननीय मुख्य मंत्री लखनऊ आयेंगे, वह सदन में आकर सफाई करेंगे और अपना स्पष्टीकरण देंगे। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री के ऊपर इतना गम्भीर आरोप लगा है, जिसका जबाब होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि गरीब हरिजन की सम्पत्ति का अपहरण माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा किया गया, लेकिन मुख्य मंत्री जी नहीं आये। मैं तो कल तक यह समझता था कि मुख्य मंत्री जी लखनऊ से बाहर हैं, लेकिन आज समाचार पत्र में पढ़ा था कि जिस समय एक गरीब हरिजन के जलाये जाने की चर्चा सदन में चल रही थी और इस पक्ष के और उस पक्ष के माननीय सदस्य संवेदना प्रकट कर रहे थे, उस समय माननीय मुख्य मंत्री तिलक हाल में रंगारंग कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। माननीय मुख्य मंत्री मान्यवर, लखनऊ में मौजूद थे, लेकिन वह स्वयं सदन में नहीं आये। कल मुख्य मंत्री जी उस समय, जब सदन में गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही थी और गृह विभाग से संबंधित चर्चा थी, तो वह उस समय रंगारंग कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। माननीय मुख्य मंत्री का यहां न आना इस बात का परिचायक है कि जो आरोप उनके खिलाफ सदन में लगाये गये हैं, वह सही हैं। वह उसका जबाब नहीं देना चाहते हैं। इस संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि आपने स्वयं मध्यस्थता की थी और यहां सदन में बयान दिलाने के लिये पहल कराया था।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री लखनऊ में रहें और ऐसी गम्भीर घटनाओं पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चर्चा के समय सदन में न आवें, यह अवमानना का प्रश्न है।

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

अध्यक्ष जी, सबसे पहले किरनपाल सिंह जी ने जो मुझे कोट किया है, उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे गलत तरीके से कोट किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने यह कहा था कि निश्चित भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसका उत्तर वह स्वयं देने आयेंगे। आप कार्यवाही मंगा कर देख लें उस दिन की। मैंने साफ-साफ कहा था कि जितने बिन्दु थे, उन सबका मुख्य मंत्री जी ने बिन्दुवाइज जवाब दे दिया है। हमारा राजनीतिक जीवन खुली हुई किताब है। यदि माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हैं, वह चाहते हैं तो जब आयेंगे, उत्तर दे देंगे। प्रोसीडिंग मेरे पास है, आप मंगवा कर देख लें। इसके अतिरिक्त कोई बात हो तो उस पर आप निर्णय कर सकते हैं। आज राष्ट्रपति महोदय आये हुए हैं, मुख्य मंत्री जी वहां गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

थे या नहीं।

श्री अम्मार रिजवी–

जितनी बातें कही गई थीं, उन सब बातों का इस सम्मानित सदन में आपकी उपस्थिति में माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं, कोई बात बची नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती है, मुख्य मंत्री जी जब आवेंगे, उनसे कहा जा सकता है, इसके बारे में वह बता दें। यह बात मैंने नहीं कही थी कि वह आकर वक्तव्य देंगे। इसलिये इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

कल माननीय मुख्य मंत्री लखनऊ में थे, इसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री ने कोई जानकारी नहीं दी। अगर थे तो हम सब का आरोप है कि मुख्य मंत्री के लखनऊ में होते हुए, जानबूझकर सदन में न आना, यह सदन के विनिश्चय की अवमानना है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें।

श्री किरनपाल सिंह–

स्पष्टीकरण होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा?

श्री अध्यक्ष–

मैंने किरनपाल सिंह और संसदीय कार्य मंत्री को सुना...

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि जब आयेंगे तो अपनी बात कह देंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि आदरणीय सदन मुख्य मंत्री के इशारे पर चलेगा या आपके निर्देश पर चलेगा।

श्री अध्यक्ष–

नियमों के अनुसार चलेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

आप निर्देशित करें कि मुख्य मंत्री हाजिर हों। इतने संगीन आरोप नेता सदन के ऊपर लगाया जाय और वह यहां न आकर रंगारंग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आप निर्देशित करें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री की भी रुचि है कि मुख्य मंत्री आयें और अपनी बात कहें।

श्री किरनपाल सिंह–

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें। मैंने सब की बात और

खासतौर से जिन्होंने औचित्य का प्रश्न दिया है, किरनपाल सिंह को सुन लिया, संसदीय कार्यमंत्री को सुन लिया। इसके नियम बने हुए हैं।

(व्यवधान)

कृपया मुझे निर्णय देने दीजिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

संसदीय कार्य मंत्री से उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्यमंत्री जी आप उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

यह एक सैद्धान्तिक बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं बाध्य नहीं हूं कि सबको सुनूं। बजट पर एक घंटा का समय नहीं निकाल पाते हैं और छोटे-छोटे मसलों पर समय लेते हैं।

श्री अम्मार रिजवी–

किसी सदस्य को स्पष्टीकरण के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है नियमानुसार।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

मेरे पास सबूत मौजूद हैं, भ्रष्टाचार का मामला है . . . .

(शोरगुल)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, आप निर्देश दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मैं क्या करना चाहता हूं क्या करना नहीं चाहता, नियमों में आप भी बधें हुए हैं, मैं भी बधां हुआ हूं इसलिए मुझे निर्णय देने दीजिए। मैंने माननीय किरनपाल सिंह एवं अन्य सदस्यों को सुना। संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। जहां तक संसदीय कार्य मंत्री के आश्वासन के बावजूद माननीय मंत्री जी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है और सब माननीय सदस्यों को शंका है और यदि उनके प्रति इस सदन में कोई बात उठायी जाए तो वह स्पष्टीकरण देना चाहे तो दें, लेकिन स्पष्टीकरण देने के लिए किसी भी मंत्री को या सदस्य को बाध्य नहीं किया जा सकता, यह उनका अधिकार है।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर।)

आप बैठें, आप सब बैठ जाएं। यह इस प्रकार की परिपाटी चली आयी है कि यदि किसी वजह से वह उत्तर देना नहीं चाहते तो यह उनको अधिकार है। इसमें अब यह जाने और शासन के लोग जानें। मैं औचित्य के प्रश्नों को उठाने की आज्ञा नहीं देता हूं।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

काहे की व्यवस्था है ? मैंने कोई निर्णय दे दिया उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, इसके नियम को पढ़िये।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आज्ञा नहीं दी है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

आपके निर्णय के बाद मान्यवर, कोई व्यवस्था नहीं उठायी जा सकती है।

श्री विजय सिंह राना–

आपका निर्णय शिरोधार्य है मान्यवर, उसका हम आदर करते हैं लेकिन मान्यवर, श्री किरनपाल सिंह जी ने जो इस विषय को उठाया है उसका विषय यह है . . .

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्णय दे दिया है क्या विषय है ? अब आप बैठें ।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष–

क्या सुन लूं ? मैंने जो निर्णय दे दिया है, उस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने व्यवस्था दी, वह शिरोधार्य है, उसका हम आदर करते हैं आपके निर्णय पर हमें बहस नहीं करनी है मान्यवर, आपकी व्यवस्था पर टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि इस सदन के अधिकारों की रक्षा करना आपका दायित्व है और दायित्व है इस सदन के अधिकारों को बढ़ाने का मान्यवर, एक परम्परा रही है, यदि सदन में विवाद पैदा हो जाता है तो उस समय आप अपने कक्ष में माननीय नेताओं को बुलाते हैं और माननीय नेताओं के साथ परामर्श होता है । मैं इस परम्परा को ध्यान में रखते हुए कि कक्ष में हुई बातचीत की चर्चा सदन में नहीं होनी चाहिए । मान्यवर, जो वहां निर्णय आपके कक्ष से होता है, वहां वायदा होगा लेकिन मान्यवर, वहां बैठकर हम वचन दे दें और यहां सदन में आकर अपने वचन से मुकर जाएं तो किस तरह की स्थिति पैदा होगी माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस बात के साक्षी हैं यहां से जाने के बाद बात हुई थी कि किरनपाल सिंह के निलम्बन का प्रस्ताव तय होगा और इसके बाद माननीय मुख्य मंत्री अपने ऊपर लगाए गए आरोपों की सफाई में बयान देंगे सदन में इस बात की चर्चा नहीं हुई और यहां इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि वह अपना बयान नहीं देंगे, इसमें मैं आपका निर्णय चाहूंगा आपके निर्देश का पालन न करना दूसरी बात है आप का जो निर्देश होता है, वह सदन का निर्देश होता है । इसमें जो विशिष्ट शक्तियां हैं, उनको पढ़ लें । उसमें लिखा गया है कि माननीय अध्यक्ष का निर्देश सदन का विनिश्चय माना जायगा । मान्यवर, आपका निर्देश था । इस पीठ से ही नहीं, चेम्बर में, आपके कक्ष में भी जो फैसला होगा, उसकी विधिक मान्यता होगी, वही होगी जो आप अध्यक्ष पीठ पर बैठकर देंगे । क्या आपके फैसले की अवहलेना नहीं हो रही है ? क्या इस सदन की अवमानना नहीं हो रही है ? मेरा यह साफ दृष्टिकोण है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये बयान देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने अपना निर्णय दे दिया है । जो कुछ माननीय गुप्त जी ने कहा है, उस पर मैं विचार करूंगा, आप बैठिये ।

(व्यवधान)

सदन में थाना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा सौराज नामक हरिजन युवक को जलाये जाने के सम्बन्ध मे चर्चा के समय मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, कल दिनांक 21-3-84 को मद संख्या 11 के अन्तर्गत थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा सौराज नामक हरिजन युवक को जिंदा जला दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा दी गयी सूचना पर एक घंटे की चर्चा हो रही थी . .

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किरनपाल सिंह–

अब और क्या रास्ता बचा है मुख्य मंत्री के खिलाफ कार्यवाही करने का ?

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, इस गम्भीर विषय पर सवा सात बजे रात तक चर्चा होती रही इस सदन में और माननीय मुख्य मंत्रीजी, कल जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी, इसी विधान भवन के प्रांगण में होली के आयोजन में मदन कुण्डू की जादूगरी का खेल देख रहे थे, अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ और इस प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के पास गृह मंत्री का भी चार्ज है, उनकी तरफ से जो राज्य मंत्री यहां पर वक्तव्य दे रहे थे, कल भी सभी माननीय विधायकों की राय थी कि उनके जो उत्तर थे, वह संतोषपूर्ण नहीं थे । वह तोते की तरह बोल रहे थे । मान्यवर, यह एक गम्भीर मसला था और इस गम्भीर मसले पर माननीय मुख्य मंत्री जी का इस सदन में न आना, मान्यवर, जहां एक हरिजन युवक को पुलिस द्वारा जिंदा जला दिये जाने का मसला है, मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को यहां होना चाहिये था । लेकिन, वह रंगा रंग कार्यक्रम में भाग ले रहे थे । मैं मान्यवर, कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार' के पृष्ठ 932 के 68 (ग) का उद्धरण दे रहा हूं । उन्होंने लिखा है कि "अध्यक्ष की अंतर्निहित शक्ति के अन्तर्गत उसके द्वारा समय समय पर व्यक्त किये गये विचारों के परिणामस्वरूप, सभा में मंत्रियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में कुछ परिपाटियां बन गयी हैं । ये परिपाटियां सुस्थापित हो चुकी हैं कि महत्वपूर्ण अवसरों पर, जैसे प्रश्नोत्तर काल, बजट या राष्ट्रपति के अभिभाषण या अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान, सम्बद्ध को यथासम्भव सभा में उपस्थित रहना चाहिये ।" तो मान्यवर, कल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहां पर चर्चा हो रही थी और माननीय मुख्य मंत्रीजी जो गृह मंत्री भी हैं, उनका यहां पर होना आवश्यक था । वह यहां पर मौजूद रहने के बजाय जादू का खेल देखते रहे । यह एक बहुत ही अशोभनीय और निन्दनीय बात है । इस हाउस की अवमानना है । हरिजनों के प्रति उनकी भावना क्या है, वह इसी बात से पता चल जाता है । इसलिए मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में उठा रहा हूं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, सम्बन्धित विषय के बारे में मुझे कुछ थोड़ा और कहना है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठें। इस प्रकार सभी माननीय सदस्य समय मांगेंगे तो मेरे लिए यह सम्भव नहीं हो सकेगी।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है जिसे मेरे पूर्व वक्ता ने छोड़ दिया था। . . . . .

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप उनसे कह दिये होते तो वही कह देते। मैं वह परिपाटी नहीं डालना चाहता हूं, जो हमारे नियमानुकूल न हो।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, कल जो मंत्री यहां पर जवाब दे रहे थे, उनके पास पूरे विभाग का चार्ज ही नहीं है। अच्छा तो यह होता कि वह इन्हें वहां जादूगर का खेल देखने भेज देते और माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित रहते। यहां रोम जल रहा था तो वहां नीरो हंस रहा था। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वह सफारी पहनकर तमाशा देखने चले गये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठें। जो बात आप कह रहे हैं, वह माननीय श्री कुंवर सिंह नेगी जी ने कह दिया है।

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, विद्यासागर नौटियाल जी कह रहे थे कि इनको यहां पर होना चाहिए था और इसको वहां पर भेज दिया जाना चाहिए था। मान्यवर, विद्यासागर नौटियाल जी के जो कर्तव्य हैं, उनसे बचकर हम कहां जाते। देखने में तो इस प्रश्न का जो विषय है, वह एक जादू ही है जो माननीय श्री कुंवर सिंह नेगी जी ने उठाया है। परन्तु इससे पहले एक मौलिक प्रश्न यह है कि क्या कोई मंत्री, जो यहां पर बैठा हो, वह सरकार की तरफ से जवाब दे सकता है कि नहीं मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं कि यह कलेक्टिव रिस्पान्सिबिलिटी है। कोई भी मंत्री सरकार की ओर से किसी सवाल का भी जवाब दे सकता है। फिर जिस समय सदन में इस विषय पर चर्चा चल रही थी उस समय स्वयं गृह राज्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित थे, जिन्हें राज्यपाल महोदय ने माननीय मुख्य मंत्री जी के परामर्श पर मंत्री बनाया है। माननीय मुख्य मंत्री जी कहां पर हैं और किस जगह पर हैं, वह इस सदन की कार्यवाही नहीं है। जो घटना घटित हुई है, उसकी सीमा के अन्दर विचार-विमर्श करना इस सदन के माननीय सदस्यों का काम है। उस समय चर्चा चल रही थी, माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित नहीं थे, किन्तु उनकी जगह पर राज्य गृह मंत्री जी यहां पर उपस्थित थे। उन्होंने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। पूरी कार्यवाही नियमानुसार चली। इतना सब होने के बावजूद भी यह कहना कि वह जादू देखने चले गये थे, गलत है। जादू देखना या किसी चीज को देखना या न देखना इस सदन के कौन से नियम के अन्दर आता है।

कोई भी सोशियल गैदरिंग में, चाहे वह होली मिलन का हो और चाहे कोई और चीज हो, तो कहां पर सरकार के और उस पक्ष के सभी लोग जब सदन 11.00 बजे शुरू होता है और जब तक समाप्त नहीं होता है, उपस्थित रहते हैं। कोई उपस्थित नहीं रहता है। यह सदन तय कर ले कि सभी माननीय सदस्य सदन शुरू होने से समाप्त होने तक सदन में उपस्थित रहेंगे लेकिन, जब तक नियमों में इसका प्राविधान नहीं है, जब तक संयुक्त उत्तरदायित्व है, जब तक कि ज्वाइंट रिस्पान्सिबिलिटी की बात है और जब तक जो यह प्रक्रिया चली आ रही है प्रजातन्त्र की और पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी की और वह जब तक रहेगी और इसी तरह से रहेगी तब तक यह सवाल औचित्य का, उसका कोई आधार नहीं है। यह औचित्य का सवाल है, उसको बिल्कुल बे-बुनियाद तरीके से उठाया गया है, वास्तविकता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। कहीं किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और नियमावली के विनियमन और प्रक्रिया के संचालन में, सदन के संचालन में, कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ है। मान्यवर, इसकी बाबत जो कांस्टीट्यूशन और जो नियमावली का नियम है, मान्यवर, मैं चाहूंगा कि उसे माननीय सदस्य ठीक प्रकार से देख लिया करें, और मान्यवर, आप स्क्रूटिनाइज कर लीजिए कि कौन सा प्रश्न औचित्य का है। हर प्रश्न को मेरा निवेदन है कि मान्यवर, इस तरह से उठाने की अनुमति न दिया करें।

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानकारी केवल यह चाहूंगा मान्यवर, आपने जो नियमों और संविधान का हवाला दिया कि उसमें इसकी बाबत कोई प्राविधान नहीं है, सदन में प्रस्तुत रहने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन, प्वाइंट यह है कि कोई औचित्य का प्रश्न है और मुख्य मंत्री यहां हों, तिलक हाल में बैठें होली मनायें और हरिजन के जलाने का मामला यहां पर उठ रहा हो यहां प्रोपराइटी की बात है। मान्यवर, यह कहा गया कि किसी नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ, संविधान की किसी धारा का उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन यह औचित्य का उल्लंघन है प्रोपराइटी का उल्लंघन हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय श्री कुंवर सिंह नेगी, माननीय विद्यासागर नौटियाल और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। श्री कुंवर सिंह नेगी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, यह प्रक्रिया नियमावली तथा संविधान के प्राविधानों से सम्बन्धित नहीं है। अध्यक्ष पीठ से कई बार ऐसे निर्णय किये जा चुके हैं कि मंत्रिपरिषद् के सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य को सदन में अवश्य रहना चाहिए। मंत्रि-मण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी है, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों में यह अपेक्षा करना कि कस दन और किस समय कौन सा मंत्री सदन में उपस्थित रहें, मेरी राय में यह उचित नहीं रहेगा। यह मंत्री के विवेक पर ही छोड़ना चाहिए। किन्तु इतना मैं अवश्य अनुरोध करना चाहूंगा। कि यदि कोई मंत्री मुख्यालय पर उपस्थित हो तो उसे अधिकाधिक समय सदन में देना चाहिए।

जहां तक माननीय गृह मंत्री का सम्बन्ध है, माननीय मुख्य मंत्री ने गृह विभाग से सम्बन्धित जितने भी प्रश्न हैं, जो भी मसले उनके लिए आते हैं, उनको अधिकार दे रखा है लिखित रूप में। मुख्य मंत्री का जो एलोकेशन वर्क होता है, जो काम का बंटवारा होता है, वह माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जूदेव जी को दे रखा है। फिर भी मैंने यह निर्णय लिया है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कल जो यह प्रकरण चल रहा था, आप माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री जूदेव जी को मुजफ्फरनगर भेजें, वे वहां जाकर जांच करें और वहां की स्थिति को देखें, ताकि वहां की जनता में जो अविश्वास पैदा हो गया है, वह दूर हो और विश्वास पैदा हो।

जो प्रश्न श्री नेगी जी ने उठाया है प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत नहीं है इसलिए इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की आज्ञा नहीं दी जाती है।

अनवरगंज, जिला कानपुर थाने की पुलिस द्वारा वहां के निवासियों को पीटे जाने के विषय को नियम 51 में स्वीकार न करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिए, उसे देख लूंगा। कल सुन लूंगा।

*श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, आज यह प्रश्न, इसी परिस्थिति में, प्रस्तुत करने का कारण, अभी पैदा हुआ है। इसलिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, वर्ना मैं आप को लिखकर दे देता।

मान्यवर, अभी माननीय देहलवी जी ने 301 में एक सूचना प्रस्तुत की। मान्यवर, इसी प्रश्न को लेकर मैं आपसे कल मिला भी था। कानपुर में होलिका दहन की रात्रि को जो हरिजन बस्ती में भारी लाठीचार्ज हुआ और उसमें सैकड़ों हरिजन घायल हुए, उनको बचाने के लिए हमारी पार्टी के महा मंत्री कानपुर के गये, उस राजनीतिक नेता को भी बुरी तरह से पुलिस ने पीटा। इस प्रश्न के बारे में मैंने कल आपसे अनुरोध किया था कि नियम 301 में न लेकर आप कृपया नियम 51 में ले लें और आपने यह कहा था कि अगले दिन नियम 51 में ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष–

मैंने यह नहीं कहा था कि ले लूंगा, मैंने कहा था कि विचार करूंगा।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, आपकी बात सही है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जिस सबजेक्ट पर कल हाउस में चर्चा हो गयी, क्या उसी को फिर हाउस में दोहराया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष–

कल चर्चा नहीं हुई थी, आज नियम 301 में स्वीकार हो गयी है।

(श्री केदार नाथ सिंह के पुनः खड़े होने पर।)

माननीय केदारनाथ जी, मैंने आपकी बात को सुन लिया है, आप बैठें।

श्री केदार नाथ सिंह–

अभी कहां सुना है, मान्यवर। कल आपने आश्वासन दिया था कि विचार कर लेंगे। आज मैंने 10 बजे के अन्दर नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी और आपको टेलीफोन किया कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए स्वीकार कर लें, आपने कहा कि ठीक है देख लेंगे। आपके इस आश्वासन पर कानपुर मैंने एक पत्र लिख दिया कि आज माननीय अध्यक्ष नियम 51 में इस प्रश्न को स्वीकार करेंगे, वह पत्र कानपुर चला गया और इस समय 301 में उस विषय को स्वीकार करके हमारे नियम 51 के मामले को शिथिल कर दिया। उस पत्र के सन्दर्भ में हमारे सम्मान पर, वहां के लोग कहेंगे कि नियम 51 के अन्तर्गत हमारे दल के नेता ने सूचना दी किन्तु वह स्वीकार नहीं हुई। हमारे दल का मामला है, महामंत्री को पुलिस ने मारा है, मैं अपेक्षा करता था कि हमारी सूचना को प्राथमिकता देंगे, लेकिन नहीं दी गयी, अतः मैं औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह जो आपने कहा है, यह बात सही है कि कल आप मेरे पास आये थे, आज टेलीफोन किया था। हमारे पास नियम 51 के जो प्रश्न आते हैं, हमको उन्हें छांटना पड़ता है कि किसकी महत्ता अधिक है। माननीय देहलवी जी का नियम 301 में आ गया है, लेकिन जो कुछ आपने कहा है, उस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केदार नाथ सिंह–

निवेदन करना चाहता हूं, सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री केदार नाथ सिंह–

आप सदन में वक्तव्य ही दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं विचार करूंगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 46वां प्रतिवेदन†

श्री रियासत हुसैन–

मैं आपकी आज्ञा से और सभापति, आश्वासन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 46वां प्रतिवेदन जो वर्ष 1978 की अवधि में दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

(मद संख्या–9 पुकारे जाने पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 47वां प्रतिवेदन†

श्री रियासत हुसैन–

मैं आपकी आज्ञा से और सभापति, आश्वासन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 47वां प्रतिवेदन जो वर्ष 1979 की अवधि में दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

(मद संख्या–9 पुकारे जाने पर)

उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक 1984 की प्रतियां सदस्यों को वितरित न किये जाने पर आपत्ति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष–

आप उनको प्रस्तुत तो करने दीजिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसी बात पर तो आपत्ति है, आप सुन लें। मान्यवर आप सुन तो लें मेरी बात को, इनके खड़े होने पर मुझे आपत्ति है।

श्री मोती लाल देहलवी–

आपने मद संख्या 6क्यों छोड़ दी है, इसमें विशेषाधिकार का मामला है।

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने गुप्त जी को बुला लिया है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु आपकी अनुज्ञा मांगने के लिये खड़े हो रहे हैं, मेरी इसी बात पर आपत्ति है। मान्यवर, आप नियम 123 (1) जो कि पुरःस्थापन की अनुज्ञा मांगने के लिये प्रस्ताव किये जाने से सम्बन्धित है, में साफ लिखा हुआ है कि "नियम 114 के अधीन रहते हुए किसी भी विधेयक की पुरःस्थापना के पूर्व सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी, परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन रहते हुए उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा। जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों।" आज विधेयक को पुरःस्थापित करने हेतु मंत्री जी अनुज्ञा मांगने जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष–

क्या थिजनहाल में इसकी कापियां नहीं हैं?

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उसकी प्रतियां आज नहीं बल्कि आज से पहले उपलब्ध हो जानी चाहिए थीं। मैं आज 11 बजे पिजनहोल देखने गया था। कल सायंकाल 5 बजे मैंने पिजनहोल देखा था, उस समय भी इस तरह का कोई साहित्य मुझे वहां नहीं मिला जिससे कि मुझे जानकारी मिलती कि इस तरह का विधेयक मंत्री जी पुरःस्थापित करने वाले हैं। आज सुबह 10 बजे मुझे इसकी कापी मिली है। मुझे जानकारी है कि विभाग से कल सायंकाल 5 बजे आपके कार्यालय में उसकी कापियां मिली हैं। आपके सचिव के आदेश से यह साहित्य वितरित होना है। यह भी नियम है कि काम के समय का उत्तरार्द्ध और पूर्वार्द्ध बंटा हुआ है। उत्तरार्द्ध जो प्रारम्भ होगा वह दूसरे दिन तक माना जायेगा। अगर सायंकाल 5 बजे के बाद कोई चीज सचिवालय में आये तो वह हमें दूसरे दिन मिली हुई समझी जायेगी। हमको वह मिल भी जाये, कोई सदस्य यह बतला दे, जो यहां पर बैठे हुए हैं कि यह हमको कल 11 या 12 बजे तक इसकी प्रतिलिपि उन्हें पिजनहोल में मिली है? सबको आज प्रातःकाल इसकी प्रतिलिपि मिली होंगी। मैंने स्वतः देखा कि सुबह पिजनहोल में कापियां रखी जा रही थीं। मान्यवर, यह पास तो हो जायेगा क्योंकि उनका बहुमत है लेकिन संसदीय परम्पराओं की रक्षा करना मान्यवर, आपका काम है। अगर इसी तरह से सदन के अधिकार में कटौती होती चली गयी तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती है। हमारी परम्परायें केवल उत्तर प्रदेश के लिये ही नहीं हैं। आप द्वारा स्थापित परम्परायें दुनियां में आपकी व्यवस्था के मार्गदर्शन के रूप में काम करेंगी। आज होगा वह दूसरे दिन तक माना जायेगा। आप द्वारा डाली गयी परम्परा सदैव रहेगी। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि आपके द्वारा परम्पराओं की रक्षा होनी चाहिए, उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। इसीलिए मेरी आपत्ति है, आप सुनिश्चित कर लें कि आज से पहले क्या इसकी प्रतिलिपियां माननीय सदस्यों को उपलब्ध हो गयी थीं? यदि नहीं, तो आप आज इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा न दें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

मैं जांच कर रहा हूं। तब तक माननीय हुकुम सिंह जी कह लें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरी आपत्ति नियम 123(2) के अन्तर्गत है। मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित करने पर संवैधानिक आपत्ति करता हूं और अपना आशय भी साफ करना चाहता हूं कि मैं उर्दू विरोधी नहीं हूं, मेरा उर्दू से प्रेम है। जितना प्रेम उर्दू से शासक दल को है उससे अधिक मुझे है। शासक दल सदैव उर्दू के नाम पर वर्ग संघर्ष कराता रहा है। आप देखें सबसे पहले 7 अप्रैल, 1982 को आर्डीनेन्स किया गया, फिर 28 सितम्बर, को किया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हुकुम सिंह जी, आप बैठें। जो माननीय गुप्ता जी ने और हुकुम सिंह ने कहा कि पिजनहोल में इसकी प्रतिलिपि नहीं मिली। मैंने अपने सचिवालय से इसकी जांच करायी है और आपको आश्वासन देता हूं कि यहां से जाने के बाद लिखित रूप से जांच करूंगा। मैं कह रहा हूं कि कल 5 और साढ़े पांच बजे जो हमारे सचिवालय ने रिपोर्ट दी है, पिजनहोल में कापियां रख दी गयी थीं। सवा सात बजे तक सदन चलता रहा। बहुत से माननीय सदस्य मौजूद नहीं थे, चले गये थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपने स्वयं जांच करनी चाही है,

परम्पराओं की आप रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें।

श्री अध्यक्ष–

जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार कल प्रतिलिपियां पांच से साढ़े पांच बजे के बीच रखवा दी गयी थीं, मैंने कहा कि फिर इसको दिखवा लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

तो मान्यवर, आप अनुज्ञा मत दिलवायें। आफ्टर नून में कागज आया है, तो क्या आप उसको उसी दिन आया हुआ मान लेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुनिश्चित कर लिया है और लिखित भी आ गया है कि कल 5 से साढ़े पांच बजे के बीच प्रतिलिपियां पिजन होल में रखवा दी गयी थीं। उस समय गुप्त जी, मोहन सिंह जी नहीं थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं सदन में था। हम सदन में थे मेरा भाषण हुआ है। आप मेरी बात को सुन लें। मैं उर्दू का हिमायती हूं आप संसदीय परम्पराओं की रक्षा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि पांच और साढ़े पांच बजे जो पिजन-होल में प्रतिलिपियां रखी गयी थीं, वह आप लोगों को मिली हैं या नहीं।

(शासन पक्ष की ओर से आवाजें आयीं मिली हैं)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप संसदीय परम्पराओं की रक्षा करें, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप उनकी हत्या नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष–

क्या हत्या हो गयी?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

कापियां नहीं मिलीं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि अभी गुप्ता जी की इस पर एक आपत्ति आई। उसके बारे में जब आप रूलिंग दे रहे थे तो उस समय संयोग से आपने यह कहा कि यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसकी जांच करूंगा.....

श्री अध्यक्ष–

और उन लोगों को दंड भी दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उनकी क्या गल्ती है?

श्री अध्यक्ष–

जो मुझको अपने कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके बारे में मैं संतुष्ट हूं कि पांच और साढ़े पांच बजे के बीच उसकी प्रतियां रख दी गई थीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नहीं रखी गई थीं।

श्री अध्यक्ष–

इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सदस्य बोल रहे हैं कि प्रतियां उनको मिलीं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं यह अनुरोध कर रहा था कि यदि आप आश्वस्त थे कि नियमानुसार पिजन होल्स में इसकी प्रतियां रख दी गई हैं तो आपको कहना चाहिए था लेकिन आपने कहा कि मैं इसकी जांच करूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जानकारी में यह है कि वह नहीं रखी गई। यदि एक फीसदी यह बात सही नहीं है तो.....

श्री अध्यक्ष–

99 फीसदी तो सही है।

श्री हुकुम सिंह–

यदि 1 फीसदी गलत हुआ तो नियमों का उल्लंघन हो गया?

श्री भीखालाल–

श्रीमन्, आपने यह कहा कि पांच और साढ़े पांच बजे के बीच में इसकी प्रतियां रख दी गई थीं। इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? . . .

श्री अध्यक्ष–

मैं संतुष्ट हूं कि पांच और साढ़े पांच बजे के बीच रखी गई थीं।

श्री भीखालाल–

मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने कहा कि मुझे भी मिल गई इसलिये मैं भी संतुष्ट हूं। लेकिन मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई ऐसा निर्णय न करें जिससे गलत परम्परा पड़े। हमारे सदन का समय 11 बजे से 5 बजे तक का है और विशेष परिस्थितियों में पांच बजे के बाद भी सदन के आदेश से उसका समय बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से जो सदन का समय बढ़ाया गया और उसके बीच जो प्रतियां वहां रखी गयीं तो क्या उसे 11 बजे से 5 बजे के बीच में प्रतिलिपियां मिली हुई समझी जायेंगी या जो समय बढ़ाया गया था उस बीच रखी गयीं तो उसी समय हमको मिली हुई समझी जायेंगी? मान्यवर, इस चीज को देखकर आप कोई निर्णय दें, यही मेरा निवेदन है।

*संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

अध्यक्ष जी, माननीय भीखालाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु उठाया। सदन का समय 11 बजे से 5 बजे तक का है और जो हमारी नियमावली का नियम 15 है. . . .

श्री अध्यक्ष–

उसमें यह है कि सदन का समय उस समय तक होगा जब तक सदन चलता रहेगा।

श्री अम्मार रिजवी–

सम्मानित सदस्य स्वयं देते हैं कि पांच बजे के बाद यह काम लिया जायेगा. .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

कल पांच बजे के बाद कोई काम नहीं था।

श्री अम्मार रिजवी–

कल एक चर्चा लगी हुई थी। दूसरी बात यह है कि माननीय गुप्ता जी नियमावली के नियम 123(1) का भी अवलोकन करें जिसके अन्तर्गत लिखा हुआ है 'परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन'। आपको इस बात का अधिकार है कि आप किसी भी प्रकार का आदेश दे सकते हैं। मान्यवर, इसी नियम के आखिर में लिखा हुआ है 'प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक', कहीं पर समय नहीं लिखा हुआ है। वह एक दिन पहले हो सकता है, 2 बजे हो सकता है 3 बजे हो सकता है और सदन के चलने के बीच में हो सकता है, जब तक सदन का कार्य चले। इसके अलावा मान्यवर, नियम 15 में लिखा हुआ है कि सदन का कार्य उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक उस दिन के लिये निर्धारित कार्य समाप्त न हो जाये, सदन का बिजनेस समाप्त न हो जाय। कल भी सदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेशन में था, पूर्व निर्धारित बिजनेस चल रहा था, उसमें किसी वक्त भी विधेयक की प्रतियां पिजन होल में रखी जा सकती थीं। इसलिये मान्यवर, इसमें किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल जो एजेंडा दिया गया था, उसमें 5 बजे के बाद कोई कार्यक्रम घोषित नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

है, लिखा हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह संसदीय परम्परा की रक्षा का प्रश्न है। कल पेश हो जायेगा, क्या फर्क पड़ेगा। संसदीय परम्परा की रक्षा हो जाय। अपने संख्या बल पर यह पास करा ही लेंगे, कल पेश हो जाय।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

माननीय सदस्य भीखालाल जी ने उदाहरण देकर कहा है। क्या फर्क पड़ता है, कल पेश हो जाय। आज नहीं तो कल रख लें।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

क्या यही संसदीय परम्परा है गुप्ता जी कि कहते हैं नहीं मिला।

(व्यवधान)

श्री श्याम नरायन तिवारी–

मान्यवर, निवेदन यह है कि संसदीय परम्परा को कोई आघात न हो, कोई गलत परम्परा न पड़े, संसदीय परम्परा खतरे में न पड़े, तो तरह-तरह की बातें उठायी गयी हैं और आप संतुष्ट हैं कि पिजन होल में समय पर प्रतियां पहुंच गयीं। जो भी हो, मुझे निवेदन यह करना है कि उर्दू को उचित दर्जा दिलाने के संबंध में जो चर्चा होनी है या जो बात होनी है वह कहीं खटाई में न पड़ जाय उसके लिये जानबूझ कर प्रश्न उठा कर उलझाया न जाय। मेरा निवेदन है कि अगर आप संतुष्ट हैं तो इसको आगे बढ़ायें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय गुप्ता जी को, अन्य सदस्यों को तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। जहां तक मैंने जानकारी हासिल की है वह 5 और 5.30 बजे के बीच में इसकी प्रतिलिपियां पीजन होल में रख दी गय थीं। लेकिन फिर भी मैं शासन के लोगों से कहूंगा और अपने सचिवालय के लोगों से भी कहूंगा..

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस सचिवालय की कोई गलती नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि दोनों सचिवालय इस प्रकार की प्रतिलिपियां पिजन होल में आने के एक दिन पहले मेरे कार्यालय में अवश्य आ जानी चाहिए वरना मैं उसे नहीं लूंगा। जहां तक माननीय गुप्ता जी ने और नियमों का हवाला दिया, उस सबको देखते हुए अध्यक्ष का यह....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सदन के अधिकारों को कट न करते हुए।

श्री अध्यक्ष–

अधिकार है। जो भी आपत्ति उठायी गयी है, उनको अस्वीकार करता हूं।

उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक 1984†

[समय 1 बजकर 28 मिनट]

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अनुज्ञा मांगी है, उसका मैं नियम 123 (2) के अन्तर्गत विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक उर्दू का ताल्लुक है, उससे मेरा और मेरी पार्टी का कोई विरोध नहीं है। उर्दू की वृद्धि हो, उसका विकास हो इसमें कोई बहस नहीं है, मेरा पूरा सहयोग उसमें है और हम शासन के साथ हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में किसी भी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा देना आवश्यक है? इस विषय पर मैं अपना तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं और 7 आपत्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरी आपत्ति यह है कि यह सरकार की विधायिनी शक्ति के बाहर है। मैं अपनी बात का और विस्तार करूंगा। पहले मैं आपका ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं संविधान की धारा 345 में साफ लिखा है।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि किसी भी मा0 मंत्री और शासन को अधिकार है कि वह बिल को इन्टरोड्यूस कर सकता है और उसमें डिबेट की आवश्यकता नहीं है, इसलिये जो आपत्ति श्री गुप्त जी उठा रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी गुप्ता जी ने कहा कि 5 बजे तक पिजन होल में विधेयक की प्रतियां नहीं मिली लेकिन मेरा कहना है कि यदि पिजन होल में उनको नहीं मिलीं तो किस आधार पर इतनी तैयारी करके वह आये हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पीजन होल का मामला समाप्त हो गया। आप बैठें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, गुप्ता जी ने कहा कि प्रतियां पिजन होल में नहीं थीं तो क्या उनको जो दूसरे के पिजन होल में हाथ डालने की आदत है तो क्या उसकी वजह से दूसरे पिजन होल से निकाल लिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इन्हीं के पिजन होल से निकाल लिया।

मान्यवर, मैं संविधान की धारा 345 की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, अनुच्छेद 345 में प्राविधान है कि "अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की विधान मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के

†दिनांक 23 मार्च, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा ।"

यह विधि दी हुई है । उसके तहत जिसमें इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री गोविन्द बल्लभ पंत थे और इस अध्यक्ष पीठ पर श्री टंडन जी विराजमान थे तो 1951 में उ0 प्र0 राज्य भाषा अधिनियम बन गया और उसके तहत उ0 प्र0 की राज भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी तय हो गयी । उस समय विवाद उठा था और जिसकी कार्यवाही मैंने पढ़ी है । उस समय पं0 जवाहर लाल नेहरू, प्रधान मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि उर्दू की हम तरक्की चाहते हैं लेकिन वह राज्य की दूसरी भाषा नहीं हो सकती है क्योंकि इससे राज्य का खर्चा दुगुना हो जायेगा । तो यह तय हो गया कि हिन्दी राज भाषा हुई । मान्यवर, मेरे कहने का तात्पर्य है और पहली आपत्ति है कि जिस धारा के तहत हमको भाषा बनाने का अधिकार था वह उ0 प्र0 ने कर लिया । तो उ0 प्र0 की राज भाषा हिन्दी बन गयी अर्थात् धनुष से तीर निकल गया तो वह वापस नहीं हो सकता। इस प्रकार मान्यवर, अनुच्छेद 345 के तहत राज भाषा बन गयी, काम पूरा हो गया, उसको बदलने का अधिकार इस विधान मंडल और सरकार को नहीं है ।

मान्यवर, दूसरी आपत्ति है अनुच्छेद 347 को देखें । उसमें लिखा है कि —"यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए ।"

मान्यवर, मैं कल्पना करता हूं कि ऐसी परिस्थिति पैदा होती फिर एक मांग खड़ी होती तो उस पर राष्ट्रपति को अधिकार था, फैसला करने का । मैं याद दिलाना चाहता हूं इस धारा के तहत 1960 में राष्ट्रपति का परिपत्र जारी हो चुका है और भाषा निर्धारित हो चुकी है । तो राष्ट्रपति को अधिकार नहीं था और यदि होता तो उनकी ओर से आदेश आता, विधान मंडल का कोई अधिकार नहीं ।

मान्यवर, धारा 351 को आप देखें, तो कुल मिलाकर संविधान की धाराओं का उल्लंघन और संविधान के साथ बलात्कार किया गया है । श्रीमन्, आप अनुच्छेद 351 देखने की कृपा करें । वह यह कहता है—" संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाये, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किये बिना" तो 351 के अन्तर्गत जो हिन्दी भाषा तय हुई है, उसका विकास करना, प्रसार करना और उसको सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों के योग्य बनाने का क. करना है । सरकार का काम उसको ताकत देना है । किन्तु यहां यह जो काम होने जा रहा है, वह उसको पीछे ढकेलने अथवा पीछे घसीटने का काम होगा, जबकि उसे पीछे घसीटने का काम इसके अनुसार हो नहीं सकता है । फिर आप संबंधित विधेयक को देखें, इसमें कुछ काम बताये गये हैं जैसे आवेदन-पत्रों को ग्रहण करना, महत्वपूर्ण सरकारी नियमों और आदेशों का प्रकाशन करना तथा गजट का अनुवाद करना । हमारी नियमावली का नियम 118 यह कहता है कि अगर कोई ऐसा विधेयक यहां पुरः स्थापित किया जाता है —चाहे वह

आवर्तक खर्चा हो या अनावर्तक खर्चा हो, यदि यह खर्च अन्तर्ग्रस्त है तो उसमें वित्तीय ज्ञापन लगा होना चाहिए। तो वह वित्तीय ज्ञापन भी इसमें नहीं लगाया गया है, जिसकी इसमें आवश्यकता थी।

इसके साथ इसको बनाने से कुछ अलगाववादी प्रवृत्ति पैदा होगी, अलगाववादी और विघटनकारी ताकतों और तत्वों को इससे बढ़ावा मिलेगा। यह बात कही गई थी कि अगर कोई बात होगी और उसमें पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त प्रतिशत में उर्दू बोलने वाले होंगे, तो उस पर किया जा सकता है। सन् 1968 में मुख्य मंत्रियों की एक कान्फ्रेंस हुई थी। लोक सभा में भी इस पर एक बार प्रश्न हुआ था और जब प्रश्न हुआ था उसके उत्तर में तत्कालीन गृहमंत्री, श्री मकवाना ने यह कहा था कि उर्दू को सरकारी स्तर पर दूसरी जगह दी जा सकती है परन्तु अगस्त, 1961 में मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों के हुए सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया है, उसको ध्यान में रखना होगा, जिसके अनुसार जहां पर 30 प्रतिशत लोग दूसरी भाषा के बोलने वाले होंगे तभी वहां पर किसी दूसरी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने पर विचार किया जाएगा। परन्तु जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, इसमें केवल 10.51 प्रतिशत लोग उर्दू बोलते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि उर्दू भाषा किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों की भाषा है और न मैं इस चीज को मानता हूं कि मुसलमान ही केवल उर्दू भाषा के बोलने वाले हैं और उसके समर्थक हैं। तमाम हिन्दू भी उर्दू भाषा को बोलते हैं और इसके समर्थक भी हैं। यदि ऐसी बात होती तो केवल 10.51 प्रतिशत लोग ही उर्दू भाषी न होते जबकि प्रदेश में मुसलमानों की संख्या 15.88 प्रतिशत है। इसमें मेरी आपत्ति यह है कि जो चीज लाई जा रही है, उसमें उर्दू से जो प्रेम रखने वाले लोग हैं, उनको ध्यान में लाकर नहीं लाई जा रही है। विशेष रूप से इस वर्ग के जो लोग हैं, उनकी जो प्रमुख समस्याएं हैं, गरीबी व भुखमरी आदि, उसकी ओर से उनका ध्यान हटाने के लिए यह हिन्दी और उर्दू का झगड़ा प्रदेश में पैदा किया जा रहा है, जिससे मूल समस्याओं की ओर से उनका ध्यान हट जाए। बांटों और राज्य करों की दृष्टि से यह लाया जा रहा है।

मेरे पास भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण नामक पुस्तिका है जो राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा प्रसारित है, उसमें आप देखें 5 जुलाई, 58 को एक राजाज्ञा जारी हो चुकी है, उसमें इन कामों को उर्दू में करने की पहले ही सुविधा दे दी गयी है, जो इसके द्वारा यह करने जा रहे हैं। इसमें पहले ही लिखा है उर्दू में लिखित लेखों के सभी न्यायालयों तथा कार्यालयों द्वारा उनका किसी दूसरी भाषा या लिपि में रूपान्तरण या लिप्यान्तरण के बिना ही स्वीकार किया जाएगा। इसमें दरख्वास्तों, आदेश व विज्ञापन तथा गजट आदि उर्दू भाषा में भी करने की व्यवस्था की गयी है।

अब इसके द्वारा नई बात क्या होने जा रही है? केवल अलगाववादी भावना भड़का कर घृणा का वातावरण और जातीय व साम्प्रदायिक दंगे भड़काने का काम किया जा रहा है।

मेरी अन्तिम आपत्ति यह है कि यह खर्चीला होगा, मैंने हिसाब लगाया है, इसमें 28 करोड़ रुपया सालाना व्यय होगा। इतने बड़े व्यय भार को वहन करने की इस सरकार की ताकत नहीं है। मैं सरकार के वित्तीय संसाधनों को अच्छी तरह जानता हूं। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय में यह मामला इस समय विचाराधीन है। मामले में पूरी सुनवाई हो चुकी है, केवल फैसला देना शेष है। इसको यहां रखना तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करना भी हो सकता है। इसलिये जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न हो जाये तब तक इस विधेयक को यहां नहीं आना चाहिये। मैंने मान्यवर, इसके न रखे जाने के लिये 7 तर्क प्रस्तुत किये हैं। यह संविधान स्पष्ट उल्लंघन है और इससे अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा। हम नहीं चाहते कि कोई काम ऐसा हो जिससे कोई उपद्रव हो, झगड़ा हो या जिसके कारण प्रदेश के विकास का काम रुक जाये। इसलिये वैधानिक और संवैधानिक तथा हर दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मेरा अनुरोध है कि आप इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा न दें।

श्री रियासत हुसैन–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने इस राज भाषा (संशोधन) विधेयक के बारे में जो आपत्ति उठायी वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा की तरफ से उठायी है या बी0 जे0 पी0 की तरफ से क्योंकि उनके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा में मुहम्मद आजम खां भी हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

अध्यक्ष जी, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो सरकार बराबर 1982 से आज तक अध्यादेशों के बल पर उर्दू के प्रश्न को जिन्दा रखे हुए है, उसका खुद का इरादा क्या है? क्या यह सरकार वास्तव में उर्दू को यह स्थान देना चाहती है, अगर चाहती है तो फिर दो वर्षों से अध्यादेश के माध्यम से ऐसा क्यों किया जा रहा है? यहां पर अब तक 6 बार हम लोग मिल चुके हैं, क्यों नहीं उसे विधेयक के रूप में पारित कराया गया? अब तक क्यों नहीं विधेयक लाया गया, अगर वह आता तो उस पर चर्चा होती और उसके बाद कोई निर्णय हो जाता। मगर यह सरकार की नीयत खुद साफ नहीं है। मंत्रि मंडल खुद एक मत नहीं है। श्री वासुदेव सिंह के नेतृत्व में आधा दर्जन मंत्री इसका विरोध कर चुके हैं। (व्यवधान) यह अध्यादेश यहां ले आते हैं, और जब सदन उठ जाता है, वह पास नहीं हो पाता, तो उसके बाद यह फिर अध्यादेश जारी कर देते हैं। कोई मंत्री कहीं जाकर, छिपकर उसके विरोध में कोई बयान दे देता है और वह अखबारों में छप जाता है। वह बयानबाजी अखबारों में छप जाती है। तो पहले यह सरकार अपने मन को तो साफ करे। अपनी नीति को तो साफ करे। यह पाखन्ड क्यों करते हैं? पहला अध्यादेश 7 अप्रैल, 82 को निकला, दूसरा 28 सितम्बर, 82 को निकला, फिर 14 मार्च, 1983 को निकला, उसके बाद 28 अप्रैल, 1983 को निकला, और फिर 12 अक्टूबर, 1983 को निकला।

मान्यवर, जहां तक उर्दू भाषा का संबंध है, वह तो हिन्दू और मुसलमान दोनों की भाषा है। इस भाषा को फिराक गोरखपुरी और चकबस्त जैसे विद्वान लोगों ने सींचा है। अगर आप वास्तव में इसको सही दर्जा दिलाने के पक्ष में थे तो विधेयक पास कराते। हम तो इसके समर्थक होंगे। यदि आप चाहें तो हिन्दी को हटा दें और उसके स्थान पर उर्दू को पहली भाषा बना दें। हमें इसमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो यह है कि आप अध्यादेश के बल पर क्यों चल रहे हैं? कौन सी परिस्थिति ऐसी थी जिसने आपको इस विधेयक को पास करने से रोका था। आपने पिछले दो सालों में इस विधान मंडल को विश्वास में नहीं लिया, अपने कैबिनेट के मंत्रियों को विश्वास में नहीं लिया। यही मुझे निवेदन करना था।

(श्री काशीनाथ मिश्र का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, इस पर क्या डिबेट होगी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय काशीनाथ जी, आप संक्षेप में कहें।

*श्री काशीनाथ मिश्र–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो इस विधेयक को अनुज्ञा न देने के संबंध में अपने विचार रखे, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो नियमावली है उसके 123(2) में साफ लिखा हुआ है कि "परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाय कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण रूपेण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेंगे।" तो मैं कहना चाहता हूं कि यह विधायनी शक्ति से परे नहीं है। जो यह अनुज्ञा के स्तर पर विरोध करते हैं तो मैं यह समझता हूं कि इनका विरोध बिल्कुल जायज नहीं है, नियमानुसार नहीं है। यह हमारी विधायनी शक्ति से परे नहीं है। जहां तक उन्होंने संविधान की धारा 351 का हवाला दिया तो धारा 351 में साफ लिखा है कि हिन्दी को बल देने की प्रक्रिया अपनायी जाएगी। उर्दू भाषा को दूसरी भाषा मानना यह हिन्दी भाषा को बल देने की प्रक्रिया है। इसमें साफ लिखा है उर्दू के दस्तावेजों को उनके हिन्दी रूपांतरण सहित रजिस्ट्रीकरण के लिये दिया जाएगा। तो मान्यवर, इससे हिन्दी की क्षमता बढ़ेगी। उर्दू को यदि दूसरी राजभाषा बनाया जाता है तो हिन्दी की क्षमता बढ़ेगी और हिन्दी को बल मिलेगा। हिन्दी का झगड़ा उर्दू से नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू से परहेज करने वाले लोग वह होंगे जो हिन्दुस्तान की जंगे आजादी से नफरत करते हैं। हिन्दुस्तान की जंगे आजादी की शुरुआत उर्दू भाषा से शुरू हुई।

सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुये कातिल में है। इसका नारा लेकर सैकड़ों लोग शहीद हो गये। इंकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू भाषा के जरिये प्राप्त हुआ है।

सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके यह गुलिस्तां हमारा। यह हिंदुस्तान के जर्रे-जर्रे में उर्दू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाषा के माध्यम से पहुंचाया गया है। उर्दू भाषा से नफरत करना हिंदुस्तान की जंगे आजादी की तहरीर से नफरत करना है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हिन्दी को बल देने के लिये और जंगे आजादी की याद को ताजा रखने के लिये, फिराक साहब ने भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति को उर्दू भाषा के साथ जोड़ दिया है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको पास करें। हमारा जो चुनाव घोषणा पत्र है, उसकी धारा 43 के दूसरे पैराग्राफ में हमने कहा है कि उर्दू को हम राजभाषा बनायेंगे। यह हमारा पोलिटिकल कमिटमेंट है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। हाई कोर्ट में क्या जेरे तरमीम है और उच्च न्यायालय में क्या जेरे तरमीम है, लेकिन हमने जनता के प्रति जो वादा किया है, उसके तहत यह हमारा बिल आया है। यह हमारी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बिल को पास करके अपनी सच्चाई और नेकनामी का परिचय दें जनता के सामने।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर।)

आबकारी मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)–

मान्यवर,

श्री अध्यक्ष–

आपको कुछ कहना है।

श्री वासुदेव सिंह–

मान्यवर, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी। मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा एक निश्चित मत है इस प्रश्न के ऊपर, 2 वर्षों से बराबर चला आ रहा है, यह बात सही है। मैं संवैधानिक दृष्टि से उर्दू को इस प्रदेश की राजभाषा बनाने का तो विरोधी हूं लेकिन उर्दू का उन्नायक मैं श्री काशीनाथ मिश्र जी से और अधिक हूं। (मेजों की थपथपाहट।) मैं किसी उर्दू दां से कम नहीं उर्दू जानता हूं। उर्दू का जो गुण है, उर्दू की जो भाषा शैली है, उसका मैं उन्नायक हूं, हिमायती हूं। यह शीरीं जुबां है और बुलंद भाषा है। मैं राज भी बता रहा हूं। यह चुनाव घोषणा-पत्र की बड़ी चर्चा करते हैं, तो मेरा निवेदन यह है कि उस वक्त हम लोग एक तरह से उजड़े हुए थे और मैं यह कहूंगा कि हमारे साथी नरसिंह राव जी के साथ मेरा भी हाथ घोषणा-पत्र बनाने में है और मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने अनेकों लेख भी लिखे और यहां तक मैंने कहा कि अगर कोई चाहता है उर्दू की पढ़ाई, तो उसको खत्म न किया जाय। आज मुसलमानों में ही केवल 1/5 प्रतिशत लोग उर्दू जानते हैं। उर्दू मुसलमान की भाषा है, इसको मैं मानता हूं अगर कोई उर्दू पढ़ना चाहता है, तो उसकी मिडिल कक्षा तक उर्दू पढ़ाया जाय।

(सदस्यों द्वारा मेंजें थपथपायी गयीं।)

(व्यवधान)

क्या कारण है कि अब उर्दू भी हो? क्यों नहीं हिन्दी स्वीकार करते हो? उर्दू की उन्नति हो, उर्दू का विकास हो, क्योंकि जब हम नहीं रहते हैं, तो प्रेम के नाते माननीय सदस्य लोग मेरा नाम लिया करते हैं। उर्दू अखबार के जो एडीटर साहबान हैं, उनकी राय जो मेरे बारे में है, उसको मैं बताना चाहता हूं। रियासत ने कहा कि मैं इन्सानी दोस्त

उर्दू के दिलदांदा, मुसलमानों का दोस्त, फिरका परस्ती से ऊपर विरोधी रहा हूं, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी हूं। एक आदमी के राय की बात नहीं है, राय कभी-कभी एक आदमी की पार्टी के संगठन की राय से ऊंची होती है। मैं यह समझता हूं कि किसी के कहने पर, राग-द्वेष से ऊपर उठकर मैं कह रहा हूं। मैं उर्दू का दोस्त हूं, इन्सानियत का दोस्त हूं। यह कहना कि कौम परस्त आदमी है, मैं इन सब बातों को नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं तहेदिल से समझता हूं, मैं अपने कैबिनेट के सभी साथियों को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को आश्वस्त (कन्विन्स) नहीं कर सका।

(व्यवधान)

तब आप 343, 345 की अपेक्षा को देखते हुए इस सदन में निश्चय हुआ कि भाषा इस सम्मानित सदन में हिन्दी देवनागरी लिपि में होगी। केन्द्र की भाषा हिन्दी है। जब संघ और उत्तर प्रदेश एक पहिया, एक ही भाषा के बारे में धरी हो गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा कारण अब है कि उर्दू भी हो? मुझे पता है, जिन लोगों ने मुल्क को तकसीम कराया।

(व्यवधान)

1947, में 50 लाख आदमियों को मार दिया गया, उस समय मेरे जैसे लोग वहां गये, मैं गया। कोई बड़ा हिन्दू या कोई बड़ा मुसलमान लड़ाई फसाद में नहीं मरता है। हमेशा गरीब हिन्दू और गरीब मुसलमान ही मरते हैं। ऊंचे दिमाग के अंग्रेजीदां जो हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या यह मानवता है? यह संविधान है। अभी उसके बारे में कहा गया, इस पर मैं निर्भर करता हूं।

(व्यवधान)

मैं नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उर्दू समर्थकों की धर्म निरपेक्षता में मुझे शक है। वह धर्म निरपेक्ष नहीं है, सम्प्रदायी है। जो हमारा संविधान है, मान्यवर, इस संविधान के अधीन हम यहां बैठे हैं, इस संविधान के अंदर लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा और विधान परिषद् गठित है। उसी संविधान की अपेक्षा की पूर्ति की दिशा में जो समय-समय पर ध्यानाकर्षण किया है, उसकी अनसुनी न हो, इसलिए मैं इसको आपके समक्ष रख रहा हूं, और वह है 345 अनुच्छेद, अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। एक और एक से अधिक जो भाषाओं की बात है, जब हिन्दी को स्वीकार कर लिया तो दूसरी भाषाओं का दावा खत्म हो गया। उसे अन्तिमता प्राप्त हो गयी।

अगर वर्ग विशेष के लिये मान्यवर, मांग की जाती है तो अनुच्छेद 347 में है कि यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए। अगर माननीय अध्यक्ष जी

आश्वस्त हैं और पत्रावली में राष्ट्रपति का समाधान व्यक्त है और उनका निर्देश है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरे संज्ञान में यह बात नहीं है। यह संवैधानिक स्थिति थी, जिनके बारे में मैंने सदन को आपके माध्यम से अवगत कराया। संविधान की हम शपथ लेते हैं। मंत्री बनने पर संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की भावना का आदर करते हुए मैं समझता हूं कि सत्य बात सभा में आनी चाहिये। मैं इसमें नहीं जाता कि कैबिनेट का क्या फैसला हुआ है, क्या राय है क्या नहीं है। मंत्रि परिषद् की गोपनीयता को अक्षुण्ण रखते हुए जो संवैधानिक स्थिति थी उसके बारे में निवेदन किया।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन–

व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें नियमों के अन्तर्गत कोई चर्चा या डिबेट नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये मैंने संसदीय कार्यमंत्री को बुलाया था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

123(2) में पूरी बहस का प्राविधान है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है।

*श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि जब इस विधेयक से संबंधित अध्यादेश सदन के पटल पर आया था उससे दूसरे दिन ही मैंने औचित्य का प्रश्न आपके सामने रखा था और उसमें मैंने एक गम्भीर प्रश्न यह उठाया था कि चूंकि अध्यादेश जब आता है तो पहले कैबिनेट उसको एप्रूव करता है फिर उसके बाद गवर्नर अपने सेटिसफैक्शन पर दस्तखत करते हैं तो उस वक्त वासुदेव सिंह जी का प्रदेश में इस तरह का बयान आया था जिससे मालूम होता था कि कैबिनेट में इस चीज पर एक राय नहीं है। इसलिये मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया था कि इस बात का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए कि कैबिनेट का जो प्रोसीजर है, उसके मुताबिक यह अध्यादेश पेश हुआ है या नहीं तो इसमें संसदीय कार्य मंत्री ने अपने निर्देश में कहा था कि कैबिनेट में जिस तरह से और अध्यादेश एप्रूव होने के लिए गवर्नर के पास जाते हैं, उसी तरह से यह भी गया है और उसी तरह से अध्यादेश की शक्ल में गवर्नर ने पारित किया है। यह स्पष्ट बात हो गई तो एक तरीका ज्वाइन्ट रेसपान्सिबिलिटी का आता है, जब इस विधेयक को अध्यादेश के रूप में लाया जा रहा है, आज ज्वाइन्ट रेसपान्सिबिलिटी से वह स्टैन्ड कर रहा है या नहीं और संसदीय कार्य मंत्री जी से मैंने पहले आज्ञा मांगी है, यह कोई चर्चा का विषय नहीं है तो इस बात को स्पष्ट कर दें। औचित्य प्रश्न के नाम पर कहा था कि इस विधेयक को अध्यादेश की शक्ल में जारी किया गया, कैबिनेट की राय है कैबिनेट का निर्णय है, इस बात पर इसको कायदे से रखा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें चर्चा बहुत हो चुकी है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप सब बैठें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

हिन्दुस्तान की सरजमीं पर बसर करने वाले इन्सान जाति के लोगों को पैसे के नाम पर हिन्दू और मुसलमान के रूप में बांटने की साजिश सत्ता पक्ष द्वारा की जा रही है इस बात को लेकर सत्ता पक्ष में बहुत बड़ा अन्तर्विरोध चल रहा है और मंत्रि परिषद् के वरिष्ठ मंत्री प्रोफेसर वासुदेव सिंह राजभाषा के विरोध में हैं अतएव इस मंत्रि परिषद् को त्याग-पत्र देकर राजभाषा के विधेयक को वापस ले लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बहस चल रही है उसमें मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इसकी अनुज्ञा दे देते हैं तो इसके बाद एक्ट हो जायेगा 'हां' 'न' में इन सबका फैसला हो जायेगा और यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने आयेगा और दो दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला दे दे तो क्या स्थिति होगी?

श्री चेतराम गंगवार–

वासुदेव सिंह जी, जिन्दाबाद।

(कई शासन पक्ष एवं विरोध पक्ष के सदस्यों द्वारा "वासुदेव सिंह जी जिन्दाबाद" के नारे लगाये गये)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्ति बनाये रखें।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह अनुज्ञा मांगने पर काफी चर्चा हुई और यह सारी चर्चा मान्यवर, इसका विस्तृत रूप में जवाब दिया जा सकता है, लेकिन मैं इसकी संवैधानिक स्थिति, जो सभी सदस्यों ने इस वक्त सामने रखी है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि सबसे पहला प्रश्न जो माननीय गुप्त जी ने और दूसरे अन्य माननीय सदस्यों ने रखा, वह इसके लीगल, कान्स्टीट्यूशनल राइट्स का है, संवैधानिक अधिकार का है। यहां पर इसकी जो धारा 345 है, संविधान की, उसके अन्दर इस विधेयक को पेश कर सकते हैं, यह मान्यवर, सबसे पहली बात माननीय गुप्त जी ने रखी है और उसका कुछ सदस्यों ने समर्थन किया है और कुछ ने विरोध किया है। मान्यवर, जहां तक संविधान का सम्बन्ध है, यह बात साफ है और इस बात से कोई भी व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता कि हम सब संविधान की कसम खाते हैं और यदि उसकी बातों से मुकरते हैं तो हमें भारत का शहरी कहलाने या इस माननीय सदन का सदस्य कहलाने का अधिकार नहीं है।

जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है, वह हमारी राष्ट्रभाषा है और मैं माननीय हुकुम सिंह जी की बात से सहमत नहीं हूं कि हिन्दी को हटाकर उर्दू को राजभाषा बना दें। मैं उसका विरोधी हूं। हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है, उत्तर प्रदेश की भाषा है और हिन्दी का स्थान दूसरी कोई भाषा नहीं ले सकती है। इसी वजह से मान्यवर, इसमें राज्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, दूसरी भाषा शब्द इस्तेमाल किया गया है। मान्यवर, जहां तक धारा 345 की एडमिसिबिलिटी का सवाल है, इसमें किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया गया है, यह बात मैं खुद कहता तो वह छोटे मुंह बड़ी बात होती। इस सम्बन्ध में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश की तरफ, जिसमें उन्होंने इस धारा 345 के ऊपर अपना निर्णय दिया है और उस

निर्णय के बाद वहां पर जो दो अन्य भाषायें थीं उनको दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। मान्यवर, इसमें हिन्दी का कोई विरोध नहीं है। मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ देता हूं :—

"मध्य प्रदेश आफिशियल लैंगु-एजेस एक्ट (24 आफ 1950) एस0 3 (2)—वैलिडिटी-हिन्दी स्पिल ए रीजनल लैंगुएज-आर्टि-किल 345 नाट कन्ट्रावेन्ड—(कांस्टि-ट्यूशन आफ इण्डिया, आर्टिकिल 345.

दि आर्गूमेंट दट अन्डर आर्टीकिल 345 दि स्टेट लेजिस्लेचर कैन आईदर एडाप्ट हिन्दी और आल्टरनेटिवली वन और मोर आफ दि रीजनल लैंगुएजेस, एण्ड कैन नाट कम्बाइन हिन्दी विद ए रीजनल लैंगुएज, एज हैज बीन डन बाई एस. 3 आफ दि मध्य प्रदेश एक्ट इज नाट साउन्ड हिन्दी लैंगुएज फाइन्डस ए प्लेस अमोंग दि रीजनल लैंगुएज स्पेसि-फाइड इन दि ए शिड्यूल आफ दि कान्सिटीट्यूशन एण्ड कैननाट दयेर फोर बी डीम्ड टु बी टेकन आफ दि केटेगरी आफ दि रीजनल लैंगुएजेस कान्टैम्प्लेटेड बाई आर्टिकिल 345.

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार यह बहस, यह आर्गूमेंट, कि इस धारा के अनुसार कोई दूसरी जबान, हिन्दी के साथ दूसरी जबान को भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि धारा 345 में रोक नहीं लगायी गयी है, यह ठीक नहीं है। धारा 345 में आप स्वयं देखें, वहां हिन्दी से पहले लैंग्वेजेज शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य होता कि इसके ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तो भाषा शब्द का प्रयोग करते, भाषाएं शब्द न होता। लैंग्वेज शब्द लिया जाता, लैंग्वेजज शब्द न लिया जाता। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है। इसके लिये धारा 345 का जो आठवां शिड्यूल है उसे आप पढ़िये। उसमें 14 जुबानें दी गई हैं। उसमें मलयालम, काश्मीरी, तेलगू और हिन्दी आदि दी गई हैं। इस विशेष आर्टि-कल 345 जो है, जहां पर आफिसियल लैंग्वेजेज की बात आयी है, उससे अलग नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, वहां पर मराठी की बात चली थी। इसमें लिखा हुआ है—"सिन्स बोथ हिन्दी एण्ड मराठी वेयर इन यूज इन दि स्टेट आफ मध्य प्रदेश, दि स्टेट लेजिस्लेचर वाज एनेटाइटिल्ड टु एडाप्ट बोथ आफ दैम एज आफिशियल लैंगुएजस"।

इस प्रकार मान्यवर, वहां पर मराठी और हिन्दी दोनों को स्टेट—लेजिस्लेचर की भाषा मानी गयी। कोई भी संशोधन का अधिकार इस सम्मानित सदन को है, किसी कानून बनाने का अधिकार इस सम्मानित सदन को है, उसी के तहत उसे संशोधन करने का अधिकार भी है। यह जो संशोधन है, कोई नया नहीं है और न ही यह विधेयक कोई नया है। मान्यवर, आप संवि-धान के आर्टिकिल 367 को देखें जिसके अन्तर्गत लिखा गया है कि "जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस संविधान के निर्वचन के लिए साधारण खण्ड अधिनियम, 1897, ऐसे अनु-कूलनों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए जो अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए जाएं, वैसे ही लागू होता जैसे वह भारत डोमीनियन के विधान-मण्डल के किसी अधिनियम के निर्वाचन के लिए

लागू होता है।" जिसमें, मान्यवर, इसकी आपूर्ति होती है। यह सब नियमानुकूल हुआ है, सब संवैधानिक तरीके से हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं किया गया है।

मान्यवर, इसी अध्यक्ष पीठ से कई बार निर्णय दिये जा चुके हैं। 1978 में निर्णय दिया गया है इसी पीठ से 1 खण्ड 279 को आप देखें। उसमें लिखा है " कोई विधेयक, जिसके किसी खंड के अवैध होने का आरोप लगाया जाय, सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।" यह निर्णय इसी पीठ से दिया गया है। इसमें दो बातें सामने आ जाती हैं। इसके अन्तर्गत ऐसी स्थिति आ गयी थी कि विधेयक को अन-कांस्टीट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, उसे अल्ट्रावायरस डिक्लेयर कर दिया गया था।

मान्यवर, 20 अगस्त, 1969 को श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1969 को प्रस्तुत करने पर आपत्ति करते हुए कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से तथा अखबारों से यह पता चला है कि लगान वसूली विधेयक की धारा 3 को हाईकोर्ट ने अल्ट्रावायरस घोषित कर दिया है। अतएव, विधेयक का सदन में लाना बेसूद और कानून के खिलाफ होगा। श्री अनन्तराम जायसवाल ने श्री त्रिपाठी का समर्थन करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का उक्त फैसला जब तक अपील रद्द न हो जाय, तब तक वह कानून के रूप में है और तब तक सदन द्वारा विधेयक को विचारार्थ लेने का कोई अधिकार नहीं है। श्री अध्यक्ष ने इस पर निर्णय दिया कि जब धारा 3 सदन के विचारार्थ आयेगी तो सदन को अधिकार होगा कि वह उसको थ्रो आउट कर दे। इसलिए विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है। मान्यवर, यह सारी बातें उस वक्त आ सकती थीं, जब इस पर चर्चा हो रही हो। विचार होने के बाद यह आ सकता है।

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, आपने मेरा नाम लिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं यह कह रहा था . .

श्री अध्यक्ष–

चेतराम गंगवार जी, आप बैठें। मैंने आपको केवल शांत तरीके से बैठने के लिये पुकारा था।

श्री चेत राम गंगवार–

मान्यवर, आप मुझे माननीय संसदीय कार्य मंत्री के बाद मौका दें। मान्यवर, मुझे सुनने के बाद आपको सहायता मिलेगी।

श्री अम्मार रिजवी–

यह जितने क्लाजेज या एक्ट का हवाला दिया और यह रूलिंग दिखायी, यह किसी वक्त भी मान्यवर, जब सदन की अनुज्ञा मांगी जा रही है, उस समय किसी तरह की इस प्रकार की आपत्ति जो है वह ग्राह्य नहीं हो सकती। यह सारी बहस जो है, यह एक पोलिटिकल बहस है, और यह उस वक्त की जा सकती है, जब इस पर चर्चा हो। इस वक्त देखना है कि संवैधानिक रूप से यह आपके सामने है, इसमें माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हो

चुका है, यह पूरी तरह से सदन की शक्तियों के अंदर है ।

जहां तक 351 का हवाला दिया गया है, उसमें राष्ट्रपति को अधिकार है । इसमें किसी तरह के राष्ट्रपति के अधिकार से, जो हमारा इस विधान सभा का अधिकार है, उस से किसी प्रकार का कोई क्लैश नहीं है, न उससे यह खत्म होता है । 345 धारा जो है, जिसके अधीनस्थ यह बना है, पूरी तरह से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से संवैधानिक रूप से जो प्रकिया यहां रही है और जो आपकी पीठ से पहले निर्णय लिये जा चुके हैं, उसके अनुकूल यह बना है । मेरा निवेदन है कि इसकी अनुज्ञा आप दे दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने वित्तीय ज्ञापन की बात कही थी, इसका उत्तर आपने नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष–

यह बाध्य नहीं कर सकते कि हर वक्त आपका उत्तर दें ।

मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय हुकुम सिंह जी की बात को सुना और उस पर मैंने अन्य माननीय सदस्य को भी सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी सुना . . . .

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मेरी व्यवस्था की बात है ।

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, आपने मुझे पुकारा था, आप सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठिए ।

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, आप एक मिनट सुन लें । मान्यवर, आप जिस आसन पर विराजमान हैं, एक उच्च आसन पर विराजमान हैं, और मान्यवर, इसकी बड़ी गौरव गरिमा रही है । इसके अलावा आप सबसे पुराने सदस्य भी हैं इस सदन के। मान्यवर, प्रदेश में जो यह सूत्रपात होने जा रहा है, खून खराबा होने जा रहा है

(घोर व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . .

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिये ।

श्री काशी नाथ मिश्र–

मान्यवर, मुझे सुन लें, मुझे कहने का मौका दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काशीनाथ मिश्र जी, आप बैठिये । आप लोग भी बैठिये ।

जो माननीय सदस्य बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं, उनका एक शब्द भी नहीं लिखा जायेगा ।

श्री चेतराम गंगवार–

[* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो भी सदस्य बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, उनका एक भी शब्द नहीं लिखा जायेगा ।

आप लोग अपने-अपने स्थानों पर बैठिये ।

नोटः–[***]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मैंने इसके प्रस्तुत होने के पहले 10 बजे ही आपको एक सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास आपकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मैंने माननीय राजेना कुमार गुप्त जी के माध्यम से सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के माध्यम से आपकी कोई सूचना मेरे पास नहीं आयी है । आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

[* * * [

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायगा ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको कोई आज्ञा नहीं दी है । यह गलत बात है, कोई शब्द लिखा नहीं जायगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, आप बैठें ।

मैंने सभी माननीय सदस्यों को सुना । माननीय गुप्त जी ने और माननीय हुकूम सिंह जी ने . . .

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, प्रदेश में आग लग जायगी ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, जब मैं प्रश्न उपस्थित करूंगा, उसके बाद आप कहेंगे।

नियम 123 (2) में जो आपत्ति की गयी है . . .

(घोर व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

यह सदन चल नहीं पायगा ।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

"उर्दू को घर में अपनाओ, राज काज हिन्दी में लाओ"–नारा लगाते हुए सदन के फलोर पर आ गये ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अपने-अपने स्थानों पर जायं ।

नोटः–[***]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के प्रयास से श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा दुर्गा प्रसाद मिश्र अपने-अपने स्थान पर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री हुकम सिंह ने नियम 123 (2) में भी आपत्ति की है । उनका कथन है कि यह विधेयक इस सदन की विधायिनी क्षमता के बाहर है । अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के संकलन (1969–70) के पृष्ठ 117 पर यह निर्णय दिया गया है कि यदि विधेयक या उसकी धारा संविधान के प्रतिकूल हो तो उस पर निर्णय न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है । इतना ही नहीं, जब इस विधेयक को विचार हेतु लिया जायगा तो सदन को यह अधिकार रहेगा कि उसे पारित करे या न करे । पुरः स्थापन की स्टेज पर मेरे द्वारा यह निर्णय ले लेना कि यह संविधान के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल, उचित न होगा । अनुज्ञा के विषय पर जब मैं प्रश्न उपस्थित करूंगा तो सदन उपयुक्त निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने से व्यवधान)

माननीय गुप्त जी, आप बैठें ।

मुझे जानकारी मिली है कि इसी विधेयक से सम्बन्धित अध्यादेश को चुनौती दी गयी है और कदाचित उच्च न्यायालय द्वारा अपना निर्णय सुरक्षित कर दिया गया है । जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस प्रश्न पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा । जहां तक वित्तीय ज्ञापन की बात कही गयी, मैं उससे सहमत नहीं हूं । यदि उर्दू भाषा में आवेदन पत्र दिया जा सकता है तो उससे सरकारी खजाने से कोई खर्चा नहीं होगा, जिस पर माननीय गुप्त जी ने आपत्ति की है । सभी बातों को सुनने के बाद में, जिन माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है, मैं सबको अस्वीकार करता हूं और मैं सदन में इसको पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगने की अनुमति प्रदान करता हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किये जाने और 'हां' की संख्या अधिक है, कहने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नहीं मान्यवर, "नहीं" की संख्या अधिक है, मैंने आपके निर्णय देने के पहले ही आपत्ति की थी ।

(विभाजन की मांग होने पर घण्टी बजायी गयी)

श्री अध्यक्ष–

घण्टी बज रही है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

जब घण्टी बज रही है तो 5 मिनट तक कोई व्यवस्था नहीं होती । आप कृपया अपने स्थान पर बैठिये ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, आप सुन तो लीजिए ना, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हुकम सिंह जी, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, आप लोग जरा इनको समझाइये कि जब घण्टी बज रही हो तो कोई व्यवस्था नहीं होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अनौपचारिक बात तो हो सकती है मान्यवर ?

श्री अध्यक्ष–

आप यहां आइये ना ।

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, इनको अपने कक्ष में बुला लीजिये ।

(इस बीच घण्टी बजती रही)

(घण्टी बन्द होने पर)

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रियासत हुसैन–

'ना' की संख्या अधिक है । मैं इसको चैलेन्ज कर रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस पर आप गुप्त मतदान करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 279 को देख लें । इस पर मेरा निर्णय हो गया । अब मैं आगे बढ़ता हूं ।

श्री रियासत हुसैन–

बाई शो आफ हैन्ड्स होना चाहिए, वह प्रक्रिया कराये । 'ना' की संख्या अधिक है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्णय दे दिया है । अब आप बैठें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[समय 2 बजकर 30 मिनट]

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री छत्तर सिंह और श्री किरन पाल सिंह की जिस सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है वह जनपद बुलन्दशहर में औरंगाबाद बादशाहपुर तालाब से ड्रेन निकाले जाने के फलस्वरूप गांवों की उपजाऊ जमीन के खराब होने तथा ट्यूबवेलों को उखाड़ने के संबंध में है । श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी और डाक्टर शिवानन्द नौटियाल की सूचना को शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भेजा है, वह कानपुर के थाना घाटमपुर के गांव शेखपुर में महेश बाबू नामक युवक की पुलिस द्वारा हत्या के विषय में है । श्री हरिवंश सहाय की सूचना बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया की प्रबन्ध समितियों में आपसी तनाव से उत्पन्न संकट के बारे में है। इसको मैंने सुनने के लिए स्वीकार किया है । अब मैं श्री हरिवंश सहाय की सूचना को लेता हूं ।

*श्री हरिवंश सहाय–

माननीय अध्यक्ष जी, देवरिया जिले में बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय है जहां पर कि दो प्रबन्ध समितियां बनी हुई हैं, दो प्राचार्य हैं, दो जगहों पर दो भागों में अध्यापक लोग बैठते हैं और वे मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं । वहां पर बी0 एस-सी0 (ए-जी0) में कुल 120 सीट हैं और उसमें 229 छात्रों का नामांकन किया गया है । 16 अप्रैल से परीक्षायें होने जा रही हैं जिन ज्यादा छात्रों का नामांकन किया गया है वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे । इस विषय में वहां पर काफी वाद-विवाद है । आगामी 25 तारीख को वहां पर जिलाधिकारी जबरन चुनाव करा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जो वहां पर गबन हुआ है, उसकी जांच करा ली जाय और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस पर आप हमें चर्चा का मौका दें । 5 लाख से ऊपर, वहां पर जो कार्यवाहक प्राचार्य हैं, गबन किये हैं। वहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है । लड़कों का भविष्य अन्धकार में है। पूर्वांचल में केवल एक मात्र कालेज है और उसमें भी घपला है ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

देख लिया जाय ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

श्रीमन् जी, आपको यह सुनिश्चित जानकारी है कि इस सदन में कार्यस्थगन के माध्यम से एक मुद्दा उठा था कि आज गेहूं की फसल, रबी की फसल अंतिम दिनों में है इस समय उसे पानी मिलना चाहिये । इस संबंध में आपने सिंचाई मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए निर्देश दिया था और उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी, खाली आश्वासन नहीं दिया था, कि एक दो दिन के अन्दर रबी की फसल को अंतिम समय में जो दो पानी की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति कर दी जायेगी । मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि अभी तक बुन्देलखंड क्षेत्र के 5 जनपदों में जो रबी की फसल अंतिम समय में है, पानी नहीं मिल रहा है । पहले जब बुआई होती है उस समय पलेवा के लिए पानी की आवश्यकता थी, उस समय पानी नहीं दिया गया जिसकी वजह से दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में रबी की बुआई हुई और इस समय कल मैंने वहां के किसानों के द्वारा लायी हुयी सूखी फसल को दिखाया और मैं स्वयं ललितपुर और झांसी गया था, वहां पानी के अभाव में बुंदेलखंड के अंदर फसल सूख रही है आज हजारों एकड़ भूमि पर जो गेहूं की फसल है वह बरबाद हो रही है । आज पानी न मिलने के दो कारण हैं । पहला तो सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की सफाई नहीं हुई और जो टूटफूट थी, उसकी मरम्मत नहीं हुई और ललितपुर जनपद में जो जामनी बांध है, उसका फाटक टूट गया । जब दिसम्बर में सलाहकार समिति की बैठक हुई, मैंने उस समय इस मुद्दे को उठाया था ।

बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र है इसलिए वहां के किसानों को पूरी तरह से आश्वस्त किया जाय कि (इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए। उनको सिंचाई के लिये पानी मिलेगा या नहीं, उस समय स्पष्ट कहा गया था कि सिंचाई के लिए 3 पानी की व्यवस्था करेंगे और उसके स्थान पर एक पानी दिया गया । माननीय विधायक जो किसान हैं, यह जानते हैं कि अगर अंतिम समय में दो पानी फसल को नहीं मिलेगा तो फसल बरबाद हो जायेगी । आज बुंदेलखंड की हजारों एकड़ फसल बरबाद हो जायेगी । वहां के किसान पानी न मिलने से आंसू बहा रहे हैं । वहां पानी नहीं मिला है लेकिन वहां सिचाई विभाग द्वारा जो कागज तैयार किये जा रहे हैं उसमें सम्पूर्ण सिंचाई के कागज तैयार किये जा रहे हैं। आज वहां तबाही मची है। हजारों एकड़ जमीन में फसल बरबाद हो जायेगी अगर इस समय पानी की व्यवस्था नहीं की गयी । आज सिंचाई विभाग की नालायकी और बिजली विभाग की कटौती के कारण सिंचाई नहीं हो रही है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात पूरी हो गयी है । माननीय रियासत हुसैन बोलें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

इस पर मंत्री जी का वक्तव्य दिला दें।

श्री यशपाल सिंह (जिला बुलन्दशहर)–

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

इस समय कोरम की आवश्यकता नहीं होती।

(इस समय 2 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष–

लंच के समय कोरम की कोई आवश्यकता नहीं है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय हरिवंश सहाय और माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री की बात पर कुछ आपको कहना है ?

*संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, दो बातों की तरफ यहां पर जिक्र हुआ। माननीय हरिवंश सहाय जी ने जिस बात का जिक्र किया उसकी जांच करवा कर उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, एक बात कहनी है 15, 16 अप्रैल से परीक्षायें होंगी। हमारे यहां बी0 आर0 डी0 पी0 जी0 कालेज है (व्यवधान)

मान्यवर, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बाबा राघव दास, देवरिया में बी0 एस-सी0 (ए-जी0) (पार्ट-1) में 120 सीटें हैं और 229 लड़के एडमीशन में हैं जिनसे 5-5 हजार रुपये लिये गये हैं। कमेटी का चुनाव अनधिकृत रूप से होने जा रहा है। (व्यवधान) लड़कों का भविष्य अंधकार में है। इसलिये निवेदन है कि मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें और इसमें आप वक्तव्य दिलायें।

श्री अम्मार रिजवी–

मा0 सदस्य ने कोई चीज नहीं बतायी कि क्या कार्यवाही की जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के बाद या शून्य प्रहर के बाद मा0 सदस्य मुझसे बात कर लें कि क्या हो सकता है।

मान्यवर, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने बुन्देलखण्ड के किसानों के बारे में कहा कि वहां के किसानों की फसल को एक ही पानी मिला और जिससे फसल सूख रही है और पानी फसल को नहीं मिल रहा है। इसके पहले भी यह मामला आया था। मामला गम्भीर है कि आजकल किसानों की फसल को पानी नहीं मिल रहा है। कल तो सम्भव नहीं है, इसलिये आज ही मैं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई और बिजली विभाग के अधिकारी को बुलाकर मान्यवर, आपके कक्ष में मा0 सदस्य को भी बुलाकर इस स्थिति पर विचार विमर्श कर लेंगे ।

*श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, आज से एक साल पहले सी0 आई0 ए0 का एजेन्ट लारकिंस लखनऊ में गिरफ्तार हुआ था। समाचार मिला है कि उसका पूरा जाल लखनऊ में बिछा है। आई0 टी0 कालेज, लखनऊ में एक महिला, मिस सिमस्टन है, जो एशियन वीमेंस इंस्टी-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ट्यूशन बनाकर काम कर रही हैं, उनके पास से बहुत बड़ा धन मिला है और सी0 बी0 आई0 ने जब जांच किया तो पता चला कि उनका लखनऊ में यूनाइटेड कामर्शियल बैंक में धन जमा है, उनको पकड़ने की जब तैयारी की गयी तो उनका जो हेडक्वार्टर आई0 टी0 कालेज में था, वह रहस्यमय ढंग से शिफ्ट होकर लखनऊ पब्लिशिंग हाउस में चला गया और फिर वहां से हटा दिया गया। इसमें फाइनेन्स के अध्यक्ष, भूतपूर्व आई0 जी0 पुलिस के रिटायर अधिकारी थे। यह सारे लोग इधर-उधर अब गायब हो गये हैं और हेडक्वार्टर पता चला है कि पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया है। सी0 आई0 ए0 की साजिश से देश और प्रदेश खतरे में है। ऐसी दशा में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि लारकिंस भूतपूर्व एयर वाइस मार्शल रह चुके हैं, उनको निवास स्थान मीराबाई मार्ग से पकड़ा गया था और उनका लाखों रुपये नजरबाग और चिनहट में पाया गया है। ऐसी दशा में देश में हमारे प्रदेश की बदनामी होगी कि सी0 बी0 आई0 आकर यहां जांच करे और उनको गिरफ्तार करे और प्रदेश की सरकार खामोश रहे जबकि सी0 आई0 ए0 के लखनऊ में कई अड्डे हैं। लखनऊ की दीवारों में चारों तरफ जगदीश गांधी के बारे में लिखा पाया गया है। इसलिये निवेदन है कि सरकार सी0 आई0 ए0 का जो जाल यहां बिछा है उसका पता लगावे और उनका सफाया करे और सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा आप करायें चूंकि देश और प्रदेश का यह महत्वपूर्ण विषय है।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, आपको और सदन को विदित होगा कि कानपुर देहात का जो एरिया है, उसमें कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब हो चुकी है और 4-4 आदमियों की सामूहिक हत्यायें हो रही हैं। इस विषय को लेकर, बाद में पुलिस वाले इंकाउन्टर का रूप देते हैं, कानपुर देहात में जो राजनैतिक दल हैं, उनके कार्यकर्ता और नेताओं में बहुत ही अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हुआ है। और वहां की जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री चतुर्भुज त्रिपाठी ने जब इस प्रश्न को लेकर आई0 जी0, डी0 आई0 जी0 व प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी को लिखा और अखबारों में दिया और पूरा हवाला दिया कि किस तरह से 4 लोगों की हत्या करके पुलिस द्वारा उन्हें इन्काउन्टर दिखाया गया है, तो पुलिस ने यह कार्यवाही उनके खिलाफ की। उसी सन्दर्भ में चूंकि 26 तारीख को सभी राजनीतिक पार्टियों ने उनके दफ्तर में धरना देने व प्रदर्शन करने का निश्चय किया था, इसलिये वहां की पुलिस ने आज से 4 दिन पहले श्री चतुर्भुज त्रिपाठी जी के भाई को भी गिरफ्तार करके फर्जी डकैती के मामले में जेल भेज दिया और 17 तारीख को खुद उनके विरुद्ध झूठा डकैती का मुकदमा बनाकर उनको जेल भेज दिया, ताकि 26 तारीख से पहले पहले यह सब लोग, नेता लोग चुप हो जायें, पस्त हो जायें। इस कार्यवाही का परिणाम यह हुआ कि जितने भी विरोधी लोग और राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, उनका ज्वाइन्ट एक्शन हुआ इस कार्यवाही के विरोध में। फिर यह हुआ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि 26 तारीख को डिमान्सट्रेशन भी होगा और उसके अलावा भी कार्यवाही की जावेगी। इससे पूरे राजनीतिक दलों में असुरक्षा और असंतोष उत्पन्न हो गया है। इसलिये नियम 56 में मैंने इसकी नोटिस दिया है, आप इसको स्वीकार करके सदन का कार्य रोककर इस पर चर्चा करायें और यदि आप उसमें नहीं कर सकते हैं तो कानपुर दूर नहीं है, कल के बाद सदन उठ जाएगा, आप अधिक से अधिक सोमवार के दिन तक इस पर सदन में वक्तव्य दिला दें। जिससे कि उस पर जो भी कार्यवाही शासन ने की है वह सामने आ जाए। यही मैं 56 की नोटिस के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, खैरुल बशर साहब ने जो सी0 आई0 ए0 के फैले हुए जाल का मामला उठाया कि बहुत से इसके सेन्टर्स रहे हैं, तो श्रीमन्, आपको खुद याद होगा कि इसमें पहले ही कुछ कार्यवाही की गई थी और उसका मुकदमा दिल्ली कोर्ट में चल रहा है, और कुछ अभियुक्त उसमें गिरफ्तार हुए थे। उनका कहना है कि सरकार को किसी चीज का पता नहीं है, तो यह सरकार पूरी तरह से हर चीज से अवगत है और पूरी तरह से समझे हुए है। उन्होंने जो तथ्य सामने रखे हैं, प्राईमा फेसी कोई चीज सामने आएगी तो उसकी जांच की जायेगी, इंक्वायरी की जायेगी और देश के हित के साथ खेलने की छूट या इजाजत किसी को भी नहीं दी जायेगी।

रियासत साहब ने जो कुछ कहा है, उसको आप सोमवार को या अन्य किसी तिथि को दिलवा दें और यदि वह चाहते हैं तो हम इस प्रकरण की जांच भी करवा लेंगे, ताकि जो वक्तव्य है उसमें शुरू की जांच सामने आ जाए। उन्होंने जो राजनीतिक तरीके से परेशान करने की बात बताई, इसके भी आदेश दे दिये जाएं कि किसी भी व्यक्ति को उत्पीड़ित करने या सजा देने का काम राजनैतिक आधार पर न किया जाये। इसके आदेश डी0 आई0 जी0 रेंज को तथा कमिश्नर, इलाहाबाद को आज ही भिजवा दिये जायेंगे।

(श्री मोतीलाल देहलवी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

देहलवी जी आपने जो दिया है, उसका तो वक्तव्य स्वीकार हो चुका है, अब किसलिए?

श्री मोतीलाल देहलवी–

एक मिनट मुझे सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री गौरी शंकर भैय्या–

यह जो चतुर्भुज त्रिपाठी हैं, इनके तीन भाई हैं, श्री चतुर्भुज और इनके छोटे भाई डकैती के जुल्म में फंसा दिये गये हैं और मंझले के हाथ में दगी हुई कारतूस दिखाकर उनका भी चालान कर दिया गया है। चूंकि यह आन्दोलन करने वाले थे, इसलिये इनको और इनके रिश्तेदारों तक को भी वह परेशान करने के लिये तरह-तरह से फंसाना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी आदेश दे दिये जायें कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी, उनको छोड़ दिया जायेगा और जो लोग मुल्जिम बनाये गये हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया जैसा माननीय सदस्य कर रहे हैं उस पर ध्यान दें और उसके अनुसार कार्यवाही करें।

श्री मोतीलाल देहलवी–

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह स्पष्ट घोषणा की थी कि छात्राओं के केन्द्र, जहां वे पढ़ रही होंगी, वहीं रखे जायेंगे. . .

श्री अध्यक्ष–

आप इसे नियम 56 में न उठाकर और किसी नियम में लायें तो मैं उसे देख लूंगा।

श्री मोतीलाल देहलवी–

आप मान्यवर, सुन तो लें। मेरी सूचना यह है कि छात्राओं के केन्द्र 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर हैं, इसके कारण अभिभावक लोग परेशान हैं। माननीय मंत्री जी की घोषणा का कोई पालन नहीं हो रहा है। विपक्ष को तो इसमें खुशी है क्योंकि यह लोग श्रीमती इन्दिरा गांधी को रायबरेली में हराना चाहते हैं। रायबरेली में छात्राओं के केन्द्र इतनी-इतनी दूर रखे गये हैं कि उसके कारण अभिभावकों को बहुत परेशानी हो रही है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। नौकरशाही इन पर हावी होती चली जा रही है।

श्री अम्मार रिजवी–

न ही मान्यवर, नौकरशाही हावी है और न ही ऐसी बात है कि जो घोषणा यहां पर की जाती है, उसका पालन नहीं होता। जो घोषणा मैंने की थी उसके बाद कई परीक्षा केन्द्रों को बदला गया है। अभी पूरी सूचना नहीं आयी है, पर 66 परीक्षा केन्द्रों को बदला है। जहां कहीं का भी हमारे पास प्रार्थना-पत्र आता है कि परेशानी है, तुरन्त कार्यवाही करते हैं। अगर कोई ऐसी बात है कि कोई केन्द्र 40–50 किलोमीटर दूर है, तो वे बतायें उसको बदल दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अगर कोई 12 किलोमीटर है तब ? अगर पिछले वर्ष सेन्टर वहीं था, तो क्या बदला जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

अगर कोई परेशानी है या ऐसी बात है तो आदेश भेज दिये जायेंगे। ऐसे आदेश भेजे भी जा चुके हैं कि अगर कोई सेन्टर 10--12 किलोमीटर दूर है तो उसे बदल दिया जाये। अगर कोई स्पेसिफिक केस सामने आयेगा तो उसे बदल दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय सदस्यों की बातों को सुना। माननीय हरिवंश सहाय की सूचना के विषय में माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसके अनुसार वे कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना के विषय में भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे कार्यवाही करेंगे।

श्री खैरुल बशर की सूचना के सम्बन्ध में मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है।

श्री रियासत हुसैन की सूचना के विषय को मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

श्री विजय सिंह राना की सूचना के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है।

कार्य स्थगन के रूप में सभी सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है।

(अगली मद पुकारे जाने पर – व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि लड़कियों के परीक्षा

केन्द्र बदल दिये जायेंगे लेकिन बदले नहीं गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। अब रसद पर आयें बिना रसद के काम नहीं बनता है।

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—

अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग

[समय 3 बजे अपराह्न]

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,75,33,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय 3 बजे अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, यह जो धनराशि पेश की गयी है वह पूरे सूबे के लिये जो आवश्यक वस्तुयें हैं, उनकी उपलब्धि और उनके वितरण और उनकी जमाखोरी काला-बाजारी को रोकने के लिये यह खर्च किया जायगा। श्रीमन् यह सूबा हमारे पूरे देश का छठवां या सातवां हिस्सा है और इसकी आबादी करीब 11 करोड़ है जो अन्य बहुत से देशों के बराबर है और इसका विस्तार भी कई मील है। इस सूबे की जो वितरण प्रणाली है, तो हो सकता है कि कहीं कोई गलती होती हो या कोई अधिकारी कार्य न करता हो, लेकिन इसके लिये पूर्ण प्रयास किया गया है कि इस व्यवस्था में सुधार हो।

श्रीमन्, प्रदेश में दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, शकर, तेल, इडिबिल आयल और कोयला यह जो 10-12 वस्तुयें हैं उनके वितरण के लिये उचित मूल्य की दूकानें खुली हैं। उनमें मुनाफाखोरी न हो, कालाबाजारी न हो इसके लिये जिला मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह जनपद में जहां जहां यह स्थान हैं, वह अचानक देखें और यह सुनिश्चित करें कि उन स्थानों पर या दूकानों में सामान उपलब्ध हो रहा है और उसकी वितरण व्यवस्था ठीक हो रही है और उसकी मुनाफाखोरी और कालाबाजारी नहीं हो रही है। इसको रोकने के लिये उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम है। यह 1977 में पास किया गया था। इसके अनुसार जो विभाग है या जो उसके अधिकारी हैं, उन्होंने जो कार्य किया है, उसका लेखा जोखा मैं आपको बताना चाहता हूं। 1982-83 में जो छापों की संख्या थी वह 24256 थी। यह संख्या 1983-84 में 32236 हो गयी। गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 82-83 में 1985 थी जो अब जाकर 1185 रह गयी है। इसमें कुछ कुछ कमी हुयी है। मान्यवर, लाइसेंस जो निलम्बित किये गये हैं। 1982-83 में उनकी संख्या 713 थी। यह 1983-84 में बढ़कर 828 हो गयी। इसी प्रकार निरस्त किये जो लाइसेंस हैं उनकी संख्या 1982-83 में 664 थी। 1983-84 में यह संख्या बढ़कर 1985 हो गयी। तो मान्यवर, इस प्रकार से जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिये प्रयास किया जा रहा है। जमा-खोरों एवं कालाबाजारियों पर प्रभावी

अंकुश रखने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है और संशोधन इसलिये किया गया है ताकि इसका ऐसा प्रभाव हो कि कालाबाजारी और जमाखोरी में कमी हो। इसमें प्राविधान किया गया है और इसमें समरी ट्रायल की व्यवस्था कर दी गयी है ताकि फैसला जल्दी हो। इसका विचारण स्पेशल न्यायालयों द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो पकड़े जायेंगे तो वह नान-बेलेबिल आफेंस होगा।

श्री कुबेर भण्डारी–

आपके दल के लोग दूकान चला रहे हैं। कोई उनको पकड़ने नहीं जायगा।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

माननीय सदस्यों को मैं बताऊंगा जो दूकानें आप खुलवा रहे हैं। श्रीमन्, शासन द्वारा जन साधारण को आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने तथा चोर-बाजारी, मुनाफाखोरी व जमाखोरी को रोकने के उद्देश्य से उक्त एक्ट 5 अक्टूबर, 1979 से इस प्रदेश में लागू किया गया है। इस एक्ट के अन्तर्गत जिलाधिकारियों द्वारा पूरे प्रदेश में अब तक 181 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधादेश पारित किये गये हैं जिनमें से 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक 34 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। इस कार्यवाही का अच्छा परिणाम निकला है। जिला मैजिस्ट्रेटों को ऐसे आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनवरत कार्यवाही करने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं।

श्रीमन्, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हमारी प्रधान मंत्री जी के बीस सूत्रीय कार्यक्रम का अभिन्न अंग है और 17वां सूत्र है, उसके अनुसार वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए उचित दर की दुकानें प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण अंचलों में खोली गयी हैं जिनका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को आम जनता, मजदूरों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना है। इस दृष्टिकोण से विद्यालय तथा विश्वविद्यालय एवं श्रमिक बस्तियों में उचित दर की दूकानें खोली जा रही हैं। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1983 को 20,996 उचित दर की दूकानें कार्यरत थीं जिनकी संख्या बढ़कर 31 दिसम्बर, 1983 को 23,756 हो गयी है। वर्ष 1983-84 में जो हमारा टारगेट है, वह 4 हजार उचित दर की दूकानें खोलने का कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इस सुविधा को अधिक क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जा सके। 31 जनवरी, 1984 तक 3046 अतिरिक्त दूकानें खोली जा चुकी हैं।

श्री कुबेर भण्डारी–

मान्यवर, आज रसद विभाग का बजट है और कोरम पूरा नहीं है। सरकार की निष्क्रियता इससे ज्यादा और क्या हो सकती है? मंत्री जी बैठे हैं और कोरम का अभाव है उनको कोई सुनने वाला नहीं है। इस पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिये। इनका विभाग निष्क्रिय है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप बैठें। कोरम के लिये घंटी बजायी जाय।

(कोरम की घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया

है, उसके बारे में सदन को बताना चाहता हूं कि कितनी उपलब्धियां होती हैं. श्रीमन्, गेहूं के बारे में पूरे प्रदेश में हमारा यह प्रयास रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं का जो वितरण है, वह सही हो। इसकी जो उपलब्धता है, उसमें साल दर साल वृद्धि होती गयी है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो साल ब साल जो वृद्धि हुई है, उसको पढ़ सकता हूं। 1 वर्ष 1982-83 में हमको 3,23,864 मैट्रिक टन गेहूं मिला था और इस साल यह बढ़कर 3,87,664 मैट्रिक टन हो गया। वर्तमान समय में हमको 45 हजार और 25 हजार मैट्रिक टन चावल का भारत सरकार से आवंटन मिला है, जो कि प्रदेश की 11 करोड़ की आबादी के लिये 8 किलो प्रति यूनिट है, जो कम होता है, तो इस प्रकार वर्तमान समय के राशन कार्ड पर 8 किलो प्रति यूनिट है, इसका आवंटन बहुत ज्यादा हो जाता है।

श्रीमन्, भारत सरकार से इस अतिरिक्त आवंटन को प्राप्त करने के लिये हमने, शासन ने कई बार लिखा है कि राज्य सरकार का आवंटन ज्यादा किया जाय, लेकिन उसमें आशा नहीं है। भारत सरकार से अतिरिक्त आवंटन बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है, किन्तु इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। राशन की दुकानों के अतिरिक्त आवश्यक वस्तु निगम के स्टोरों से भी वितरण हो रहा है। कई जगह शिकायतें मिली हैं कि राशन कार्ड दुकानदार अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि पुराने हो गये हैं, खराब हो गये हैं, तो नये राशन कार्ड बनवाए जा रहे हैं और जल्द से जल्द नये राशन कार्ड वितरित कर दिये जाएंगे। उससे फर्जी राशनकार्ड बन्द हो जाएंगे और नये राशन कार्ड बन जाएंगे।

श्रीमन्, इस वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिये जिला मैजिस्ट्रेटों को कुछ अधिकार दिये गये हैं। जो राशन की दुकानें हैं, वह अब हफ्ते में दो दिन खुलेंगी और वहां के जो ग्राम प्रधान हैं उसका वेरीफिकेशन करेंगे और सर्टिफिकेट देंगे कि फलां-फलां दुकान में इतना स्टाक है, वेरीफिकेशन हो जायगा तो उसका प्रमाण-पत्र देंगे। दूसरे जहां से राशन की दुकानों को सामग्री मिलती है, उन स्टोरों के लिये भी जिला अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि वे इस बात को सरप्राइज विजिट कर चेक करें कि वे दुकानें हफ्ते में तीन दिन खुलनी चाहियें ताकि राशन की दुकानों को हफ्ते में तीन दिन सामान मिल सके और उसका भी प्रमाण-पत्र प्रधान या सरपंच या गांव सभा के सदस्य को देना होगा कि सामान आ रहा है और वितरण हो रहा है। इसके बाद श्रीमन्, जो ब्लाकों की दुकानें हैं, उनके बारे में यहां से आदेश भेजे गये हैं कि ब्लाकों की जो दुकानें हैं, उनके बारे में विचार होना चाहिए खास तौर पर कि उसका वितरण हुआ कि नहीं। इसके लिए हमने अधिकारियों को आदेश दे दिये हैं कि कभी-कभी वे लोग भी सरप्राइज विजिट कर लिया करें। तहसीलदार, एस0 डी0 एम0 तथा अन्य खाद्य विभाग के अधिकारियों को हमने आदेश दे दिये हैं कि उनके प्रमाण-पत्रों पर आप संतोष न कर लें बल्कि उनको भी सरप्राइज विजिट करनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आप लोग ध्यानपूर्वक माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुनें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

गेहूं उत्पादकों की कमी नहीं है। परन्तु जो पैदा किया जा रहा है, उसका सही वितरण हो रहा है कि नहीं, इसे देखना है।

दूसरी आवश्यक वस्तुएं जो हैं, वह है सीमेन्ट। श्रीमन्, इस सीमेन्ट का दोहरा मूल्य है। 28 जनवरी, 1982 को भारत सरकार द्वारा इसका दोहरा मूल्य निर्धारित किया गया था। यह शैक्षिक, धार्मिक, विकास प्राधिकरणों और अन्य कार्यों के लिए तथा लघु-उद्योगों के लिए और निर्माण कार्यों के लिए दिया जायेगा। यह सीमेन्ट दो प्रकार का है। एक लेवी सीमेन्ट दूसरा नान-लेवी सीमेन्ट है। लेवी सीमेन्ट के लिए परमिट लेना आवश्यक है और नान-लेवी सीमेन्ट के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। पहली श्रेणी इसकी जन वितरण श्रेणी है, दूसरा रेन्ट-कन्ट्रोल और तीसरा दर-सम्पत्ति, जिसका सहकारी संस्थान द्वारा वितरण किया जाता है। यह सीमेन्ट हमको त्रैमासिक के हिसाब से आवंटित होता है। 1984 में जनवरी से मार्च तक 2 लाख 50 हजार मैट्रिक टन सीमेन्ट प्राप्त हुआ, पहली श्रेणी जन-वितरण के अन्तर्गत। इसके लिए लाइसेन्स की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में डी0एस0ओ0 और ब्लाकों में बी0 डी0 ओ0 द्वारा इस श्रेणी का सीमेन्ट आवंटित किया जाता है। इस श्रेणी के अन्तर्गत आवासीय मकान, शैक्षिक, धार्मिक और लघु-उद्योग इकाईयों और अन्य सरकारी कार्यों के लिए लेवी सीमेन्ट का वितरण होता है। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी है, इस श्रेणी के अन्तर्गत विभागों, निगमों, विकास प्राधिकरणों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को लेवी सीमेन्ट शासन द्वारा आवंटित किया जाता है। मान्यवर, इसके बाद जो तीसरी श्रेणी है, इस श्रेणी के अन्तर्गत केवल कच्चे माल के रूप में सीमेंट उपभोग करने वाली लघु औद्योगिक इकाईयों को लेवी सीमेन्ट का त्रैमासिक आवंटन उद्योग निदेशक, कानपुर को किया जाता है जिसको वे उक्त इकाईयों को आवंटित करते हैं।

मान्यवर, लेवी सीमेन्ट का फुटकर मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा त्रैमासिक निर्धारित एफ0 ओ0 आर0 मूल्य के आधार पर किया जाता है। उसमें ड्यूटी भी तथा अन्य चार्जेज भी लगकर वह तय होता है। मान्यवर, इसके बाद कहना चाहूंगा कि आवासीय भवनों के मरम्मत के लिये शासन द्वारा पहले 6 बोरी तक लेवी सीमेन्ट देय थी, जिसे इसी जनवरी से बढ़ाकर 10 बोरी कर दिया गया है। इसमें मकान मरम्मत आदि के लिये 6 बोरी के बजाय अब 10 बोरी कर दी गयी है, सीमा बढ़ा दी गयी है।

अब इसके बाद जो हमारी आवश्यक वस्तु है, वह है चीनी, मान्यवर, यह चीनी भी हमको भारत सरकार से आवंटित होती है। मार्च, 1982 तक भारत सरकार द्वारा प्रदेश को लेवी चीनी का मासिक कोटा 41,768.5 मी0 टन दिया जा रहा था। वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर भारत सरकार द्वारा माह अप्रैल, 1982 से प्रदेश का मासिक कोटा बढ़ाकर 47,111 मी0 टन किया गया।

श्री कुबेर भण्डारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, क्या सचिवालय के अधिकारियों द्वारा बनायी हुई कापी को ही मंत्री जी पढ़ेंगे या अपने दिमाग या दिल से भी कुछ कहेंगे?

एक सदस्य–

माननीय सदस्य को जानकारी हो कि आंकड़े पढ़े जा सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

जो लोग बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, मैं उनको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। जहां तक माननीय सदस्य व्यवस्था की बात कह रहे हैं, तो इसमें यह है कि जो आंकड़े प्रस्तुत हैं, उसके आधार पर वह पढ़ रहे हैं, कोई लिखित भाषण नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

मान्यवर, वितरण प्रणाली की बाबत जो उपलब्धियां हैं, और उसकी बाबत जो आंकड़े हैं कि केन्द्र सरकार से कितना आवंटित होता है, अब क्या स्थिति है, तो वह मैं कह रहा हूं। मान्यवर, मैं कह रहा था कि जनसंख्या के आधार पर हमको चीनी का आवंटन ज्यादा होना चाहिए। और, इसके लिये हम लोग बराबर मांग करते जा रहे हैं, लेकिन वह हमको केन्द्र सरकार से कुल जो हमारी मांगे हैं, उन पर अभी तक सफलता नहीं मिली है। मान्यवर, इसके बाद आपकी चाय है। चाय का लाइसेन्स लेना पड़ता है और इसमें भी कुछ प्रतिबन्ध है।

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अब संक्षेप में अपनी बात कह कर समाप्त करें और भी माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, जो मोटी-मोटी बातें कहने की हों, वह कह दीजिए, फिर आपको, जब आप जवाब देंगे, मौका मिलेगा ही। जरा समय का ध्यान रखिये।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

मान्यवर, इसके बाद वनस्पति है, मान्यवर, वनस्पति के जो उत्पादक हैं और जो सरकार के प्रतिष्ठान हैं, उनसे वनस्पति मिलता है। उसका भी सही वितरण करते हैं। इसके अलावा पाम आयल, रेपसीड आयल भी हमने आयात करना शुरू कर दिया है, वह हमको सेन्टर से मिलता है। उसके हिसाब से यह जरूर है कि कुछ जगह से जानकारी हुई कि पाम आयल आदि इसका वितरण कहीं-कहीं भली प्रकार नहीं हो रहा है।

मिट्टी के तेल के विषय में उसकी वितरण व्यवस्था के विषय में तो आम जनता में शिकायत कम है, लेकिन फिर भी मिट्टी का तेल, जितना हमको चाहिये, उतना उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके कारण जनपदों में जनसंख्या के हिसाब से आवंटन नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद हमारा जो कोयला है, जो जनता के इस्तेमाल का कोयला है और जो भट्ठी वालों के लिये कोयला है, उसमें भी कुछ प्रतिबन्ध है और वह भी हमको केन्द्र से कम्पनियों से उठाना पड़ता है।

जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं, ज्यादा समय न लेकर आपके सुझाव सुनना चाहता हूं ताकि उनका जवाब दे सकूं। बाकी भाषण बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं, अतः बैठ रहा हूं।

श्री भीखा लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11–खाद्य तथा रसद विभाग–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को सुना और उन्होंने जो अपने विभाग के क्रिया-कलापों की बाबत बताया, उसको भी सुना। इस विभाग के आम तौर से मोटे तौर से तीन काम हैं :—

1—आवश्यक वस्तुओं एवं दैनिक उपभोग की वस्तुओं के मूल्य का नियंत्रण करना,

2—जन साधारण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उचित मूल्य पर दैनिक उपभोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराना, तथा

3—चोर बाजारी तथा जमाखोरी की प्रवृत्ति को रोकना।

अब हम एक-एक कार्य का मूल्यांकन करते हैं कि कहां तक विभाग इसमें सफल हुआ है।

जहां तक मूल्य नियंत्रण का सवाल है, मूल्य नियंत्रण में कारखानों से बनी हुई चीजों में, एक-दो को छोड़कर, सरकार को कोई नियंत्रण का अधिकार इनको नहीं है। वे बाजार में जिस भाव से चाहते हैं, बेचते हैं। खाद्यान्नों के मूल्य पर सरकार नियंत्रण करती है और नियंत्रण करने के दो पहलू हैं—प्रथम यह कि उत्पादक को उचित मूल्य दिलाना, और दूसरा, उपभोक्ता को उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराना। जहां तक उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने का सवाल है, कीमतें भारत सरकार तय करती है जैसे गेहूं, धान और खरीफ के अनाजों की कीमतें भारत सरकार उसी करती है और प्रदेश की सरकार उसी भाव पर खरीदती है। यह मूल्य उचित है या नहीं, हमारा मत है और बहुत से लोगों का मत है कि किसानों के लिये जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, वह लाभकारी नहीं है। गेहूं पिछले साल 151/- रु0 प्रति क्वि0 तय किया और इस बार 1/- रु0 की बढ़ोत्तरी हुई है यानी आधा प्रतिशत बढ़ा है। धान मोटा, पिछले साल 122/- रु0 था इस बार 132/- रु0 है। धान सायम, 126/- रु0 था, इस बार 136/- रु0 कर दिया है। धान सुपरफाइन, पिछली बार 130/- रु0 था इस बार 140/- रु0 कर दिया है, धान की कीमत में 8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है। उत्पादन की लागत में और सब चीजों को छोड़कर केवल दो चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। सिंचाई की दर 20 प्रतिशत बढ़ी है, खाद का दाम 33 प्रतिशत बढ़ा है, जो कि 84/- रु0 के स्थान पर 112.50 रु0 हो गया है। ऐसी हालत में गेहूं की कीमत में 1/2 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करने का क्या औचित्य है?

इसी आधार पर मैं कहता हूं कि काश्तकारों को उचित मूल्य नहीं मिलता। अब सरकार जो कीमतें तय कर देती हैं, उससे प्रदेश की बाजार में उसका एक वातावरण बन जाता है और उसके आस-पास ही कीमतें रहती हैं और व्यापारी लोग भी उसे खरीद कर रख लेते हैं। सरकार का यह कहना है कि समर्थन मूल्य का तात्पर्य है कि जब बाजार का भाव गिरने लगे तब सरकारी खरीद शुरू की जाय ताकि समर्थन मूल्य काश्तकारों को मिले। लेकिन सरकार कितना अनाज खरीदती है? सरकार कुल खाद्यान्न उत्पादन का केवल साढ़े बारह परसेन्ट ही खरीदती है। इससे अधिक न भारत सरकार और न प्रदेशीय सरकार में खरीदने की क्षमता है।

बिक्री के लिये जो अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध होता है, वह व्यापारियों के लिये खुले बाजार में आप छोड़ देते हैं जो धान में 30 परसेन्ट और गेहूं में 50 परसेन्ट है जिसे व्यापारी लोग उसे खरीदते हैं। जब कीमतें बढ़ने

लगती है तो आप कहते हैं कि हम अपनी दूकानों से खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं, राशन देते हैं जिसमें भाव संतुलित रहते हैं लेकिन वहां कितना राशन मिलता है, यह सब जानते हैं, सरकारी-भंडारों में सीमित गल्ला होने के कारण आप बाजार में व्यापारियों से कम्पीटीशन नहीं कर पाते हैं। 152 रु0 में खरीदा हुआ गेहूं 200 रु0 तक पहुंच जाता है। सरकार कीमतों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, केवल कीमतों को प्रभावित करती है क्योंकि उसके पास स्टाक नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर खाद्यान्न नहीं मिलता है।

अभी चीनी के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जितनी चीनी की आवश्यकता है उतना केन्द्र से नहीं मिल पाती, उसके लिये हम भारत सरकार को लिख रहे हैं। अधिक की तो बात छोड़िये, यहां आवश्यकतानुसार आप चीनी नहीं दे पा रहे हैं। हमारे देश में और प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है। देश में इतनी बची हुई सरप्लस चीनी है कि इसको बाहर भेजना पड़ता है। इसका कारण यह है कि भारत सरकार की यह नीति रहती है कि इस तरह से सीमित कोटा रिलीज किया जाय ताकि बाजार का भाव गिरने न पावे। लेवी के दाम तो निर्धारित हैं ही लेकिन मिल मालिकों के लिये जो चीनी छोड़ दी जाती है उसके भाव निर्धारित नहीं हैं। सरकार की नियत या नीति उपभोक्ताओं को मदद पहुंचाने की नहीं है बल्कि चीनी मिल मालिकों को मदद पहुंचाने वाली है। इसमें सरकार की कोई मजबूरी नहीं है बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। चीनी के मामले में अभी भारत सरकार ने 25 क्विंटल चीनी के दाम बढ़ा दिये जबकि चीनी उत्पादन में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं बढ़ा क्योंकि गन्ने की कीमत वही है जो पिछले वर्ष थी। 20 लाख टन हमारे उत्तर प्रदेश में चीनी पैदा की गयी इस प्रकार चीनी मिल मालिकों को 50 करोड़ रु0 अतिरिक्त मुनाफा दे दिया गया। अब यह कीमतें क्यों बढ़ायी गयीं इसके भी राजनीतिक कारण हैं। इलेक्शन नजदीक नजर आ रहा है, शायद मिल मालिकों से कुछ तो चुनाव फण्ड में पैसा तय किया गया होगा।

जहां तक मिट्टी के तेल का सवाल है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसकी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन खुद उन्होंने शिकायत की कि हमको जितनी जरूरत है उतना तेल नहीं मिल पाता है। हमारे यहां मिट्टी के तेल की कितनी आवश्यकता है, यह जो पुस्तिका मुझे मिली है, इसके पेज 14 पर लिखा हुआ है कि 75 हजार किलोलीटर तेल की आवश्यकता है। केन्द्र से जनवरी, 1983 और फरवरी, 1983 में 75 हजार किलो लीटर के बजाय 77 हजार किलोलीटर तेल मिला है। लेकिन बाकी 10 महीनों में, 55 हजार, 60 हजार, 57 हजार के आसपास मिली है जितनी हमारी जरूरत थी, जितनी हमारी आवश्यकता थी, उतना भी नहीं मिला। फिर मंत्री जी कहते हैं कि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है। मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में फरवरी, 1983 में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने एलान किया था कि तेल के सम्बन्ध में दो कैटेगरीज बनायी जाय, 2 श्रेणियां बनायी जाय—एक तो गरीबों की और दूसरी जो सक्षम व्यक्ति हैं, जिनके पास पैसा है और वे अधिक पैसा देकर मिट्टी का तेल खरीद सकते हैं, जिनकी क्रय

शक्ति अच्छी है। इस तरह से मान्यवर, उन्होंने फरवरी, 1983 में एलान किया था लेकिन तीन सप्ताह बाद वित्त मंत्री ने एलान कर दिया कि यह नहीं किया जायेगा और जो पुरानी व्यवस्था है, वही चालू रहेगी, जो पद्धति चल रही है, वही चलती रहेगी। मिट्टी का तेल जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है तो एक ढिबरी जलाता है, उसकी क्रय शक्ति मजबूत नहीं है, उसको भी उसी दाम पर मिट्टी का तेल मिलता है जिस रेट पर धनी व आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को मिलता है। मेरा निवेदन है कि मिट्टी का तेल गरीबों को सस्ते दाम पर दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मिट्टी का तेल गांवों में उपलब्ध नहीं है। खुले बाजार में और चोर बाजारी में मिट्टी का तेल उपलब्ध है, लेकिन जो सरकारी दुकानें हैं वहां पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी व्यवस्था की जाय कि गांव के बाजारों में उचित मूल्य पर मिट्टी का तेल भिजवाया जाय।

मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक दर्शन है और इसका उद्देश्य गरीबों को, मजदूरों को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को सस्ते दाम पर सब्सीडाइज्ड रेट पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसी से साफ जाहिर है कि इन दुकानों को खोलने का उद्देश्य क्या है। आप इन दुकानों को झुग्गी झोपड़ियों में खोलें, गरीब और श्रमिक बस्तियों में खोलें, मजदूर बस्तियों में खोलें जो लोग देहात से आकर शहरों में मजदूरी करने आते हैं और बस जाते हैं, उन स्थानों पर खोलें। आज सुबह सचल दुकानों के बारे में प्रश्न आया था। आपके 20 सूत्री कार्यक्रम में 17वां आइटम है, 17वां बिन्दु है कि गरीब लोगों के लिए यह दुकानें खोली जायेंगी। लेकिन इन दुकानों को आपने बड़े-बड़े कस्बों में खोला है, वहां पर आपने इन दुकानों को खोला है। जिनकी क्रय शक्ति अधिक है। आपने गरीब इलाकों में नहीं खोला है। सचल दुकानें गरीब बस्तियों में, मजदूर बस्तियों में और छात्रावासों में खोली जायें।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया था कि पूरे उत्तर प्रदेश के ग्यारह जिलों में इस प्रकार की 32 दुकानें हैं और उन 32 दुकानों में 12 दुकानें सुल्तानपुर में हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश का राजा सुल्तानपुर का है और हमारे देश का राजकुमार सुल्तानपुर से चुनाव लड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या औचित्य है। शासन की ओर से कहा जाता था कि विरोधी पक्ष का हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम पर विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है। हमको काफी समय तक उससे अलग रखा गया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर यह गरीबों के लिए लागू किया जाये, मजदूरों के लिए लागू किया जाये तो चाहे जो भी कार्यक्रम हो, उसका हम कार्यान्वयन चाहेंगे। लेकिन आप जब भी कोई बात शुरू करते हैं तो इन्दिरा गांधी के नाम से भाषण शुरू करते हैं, उनकी स्तुति से शुरू करते हैं। अगर इस 20 सूत्री कार्यक्रम के 17वें बिन्दु को आप लागू नहीं कर सकते तो ढिंढोरा मत पीटिये कि हम गरीबों के लिये कुछ कर रहे हैं, हरिजनों के लिए कर रहे हैं। इंदिरा गांधी को लिख दीजिये कि उत्तर प्रदेश के लिये 17वां बिन्दु हटा दें, यहां पर उसे लागू न करें। आप अखबारों में, रेडियो में, टेली-

विजन में यह पब्लिसिटी कर रहे हैं कि निर्बल वर्गों के लिए यहां पर सब कुछ किया जा रहा है।

मान्यवर, अभी सदन में यहां माननीय मंत्री जी ने बताया और जैसा कि इस पुस्तक में भी लिखा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिये आपने 23,756 दुकानें खोली हैं। मान्यवर, नवम्बर, 1983 में वितरण प्रणाली की केन्द्रीय परिषद् बैठक केन्द्रीय खाद्य मंत्री भगवत झा आजाद ने भी बुलाया था, उसमें हमारे प्रदेश के माननीय खाद्य मंत्री जी भी गये थे, अन्य प्रदेशों के खाद्य मंत्री भी गये थे। उसमें केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने कहा था कि यदि इस प्रणाली को मजबूत करना है तो हर प्रदेश में प्रति दो हजार यूनिट पर एक दुकान होनी चाहिए। यदि उस मानक को इस प्रदेश में लागू किया जाय तो हमारे यहां 60 हजार दुकानें होनी चाहिए जबकि आपके पास इस समय केवल 23 हजार दुकानें ही हैं। इस पर आप कहते हैं कि हमारी वितरण प्रणाली सुदृढ़ है। खेतिहर मजदूरों को सस्ता गल्ला देने के लिये आपने क्या व्यवस्था की है? सस्ते गल्ले की दुकानें देहातों में नाम मात्र के लिये हैं। वहां पर कोई उचित व्यवस्था नहीं की गयी है।

इस तरह से कहा जाता है कि हमारी वितरण प्रणाली मजबूत है। हम इसे नहीं मानते हैं। हमारे देहातों में शक्कर और तेल की जो स्थिति है, वह यह है कि पिछले वर्ष से जो इसके प्राइवेट लाइसेन्सी होते थे, उनको सहकारिता के हाथ में दे दिया गया। माननीय खाद्य मंत्री जी महसूस करते हैं कि गांवों में सहकारी समितियां ठीक तरह से काम नहीं करती हैं और जहां ये समितियां ठीक तरह से काम नहीं करती हैं, वहां प्राइवेट व्यक्तियों को लाइसेन्स दिये जायेंगे। मैं भी कहता हूं कि यह अच्छी बात है, सहकारिता आन्दोलन यहां पर खूब फले, फूले, आगे बढ़े, मजबूत हो। मैं भी इसका हामी हूं लेकिन आज इन सहकारी समितियों के बारे में कहना पड़ता है कि किसानों को, गांवों के लोगों को ये चीजें ठीक तरह से नहीं पहुंचा पाती हैं। ब्लैक में ये चीजें चली जाती हैं। भंडार से ईश्यू करा ली जाती हैं और शहर में बिक जाती हैं, दुकानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसके लिये निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है। विभाग की एक मोनोपोली है कि कोई जनता का आदमी इसमें हाथ नहीं डाल सकता। एक मजबूरी मंत्री जी के सामने है। सारा सामान तो खाद्य मंत्री जी देते हैं लेकिन बेचने वाला उनसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता। इनका डाइरेक्ट कन्ट्रोल नहीं है। सारा कन्ट्रोल सहकारिता मंत्री, बच्चा पाठक जी के हाथ में है। सामान इनका, बेचने वाले दूसरे और नियंत्रण किसी दूसरे का आज ही सदन में एक प्रश्न उठा था और मैंने याद दिलाया कि जो बेगम हजरत महल पार्क में प्रधानों का सम्मेलन हुआ था, उसमें माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि देहातों में जो ग्राम प्रधान हैं, उनको अधिकार दिये जायेंगे। क्या अधिकार दिये गये हैं? उनको अधिकार दिये जायं ताकि वे इन दुकानों का नियंत्रण कर सकें। जो माल दुकानों में आये, उनके सामने वह आये, स्टाक में दर्ज हो, उसमें प्रधानों के दस्तखत हों, और वितरण करने के बाद भी प्रधान के दस्तखत हों। ये अधिकार प्रधानों को दिये जायं।

एक सदस्य–

दे दिये गये हैं ।

श्री भीखालाल–

दे दिये हैं तो घोषणा कर दीजिये कि हमने वह अधिकार दे दिये । जहां तक चोर बाजारी पर अंकुश लगाने की बात है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारा विभाग चोर बाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाता है। मान्यवर, एक साल में सिर्फ 34 आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की गई और वह भी केवल 5 जिलों में। यह इस पुस्तक के पहले पृष्ठ में भी लिखा है– कानपुर में 1, मुरादाबाद में 13, अलीगढ़ में 9, आगरा में 10, और इलाहाबाद में 1–कुल 34 आदमियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। पूरे प्रदेश में सब जगह मामला ठीक है सिर्फ 5 शहरों में केवल 34 चोरबाजारिये पकड़े गये और इसको आप बड़ी भारी विभाग की क्षमता कहते हैं जो चोर बाजारी को रोकने के लिए विभाग कार्य कर रहा है। इसी तरह से जमाखोरी के संबंध में भी आंकड़े पृष्ठ दो में दिये गये हैं। इसमें आंकड़े दे दिये कि इतने लाईसेन्स रद्द किये और इतने आदमियों को गिरफ्तार किया गया लेकिन कितने आदमियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया या कितनों को सजा दी या जेल भेजा, इसकी कोई सूचना नहीं है। तो यह विभाग जमाखोर और जखीरेबाज को पकड़ कर सजा नहीं दे सका।

एक आखिरी बात कह कर अपनी बात खतम करूंगा, शेष सुझाव जब जवाब दूंगा, उस समय दूंगा । अंत में सिर्फ रेंट कंट्रोल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं उसकी तरफ भी आप ध्यान दें । जो आपका रेंट कंट्रोल अधिनियम है और जो आपके रेंट कंट्रोल के कार्यालय हैं जितने आपके इसके अधिकारी हैं सब अराजक तत्वों के हाथ में पहुंच गये हैं । अगर ऐसे लोग दिलचस्पी रखते हैं तो उनको आपके यहां के रेंट कंट्रोल अधिकारी से 8 दिन के अंदर एलाटमेंट आर्डर मिल जायेगा और यदि वह अराजक तत्व दिलचस्पी रखते हैं तो आदेश के दो दिन के अंदर कब्जा मिल जायेगा। वह आठ 10 या 15 मजबूत आदमियों को ले जाकर किसी भी मकान को खुलवा लेंगे और कब्जा कर लेंगे आज कल यही सब हो रहा है इस सदन में कई बार प्रश्न उठ रहे हैं अगर आप चाहते हैं तो इस विभाग को इन अराजकतत्वों के हाथों से निकालें ताकि रेंट कंट्रोल के सम्बन्ध में मकान मालिक और किरायेदार दोनों को जो दिक्कत होती है, उससे उनको छुटकारा मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और शेष सुझाव जवाब के समय दूंगा ।

*श्री दूधनाथ राजभर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो खाद्य तथा रसद जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री दूधनाथ राजभर–

श्रीमन्, इस विभाग के जरिये जो वितरण व्यवस्था शासन ने की है, उसका उद्देश्य है कि मूल्य नियंत्रित रहे और मनुष्य के उपभोग की जो सामग्री है जैसे चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदि जो खाद्यान्न वस्तुयें हैं, वे उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जांय और हमारी सरकार ने इस तरह की व्यवस्था करके ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर निर्बल वर्ग और गरीब लोगों तक इन वस्तुओं को पहुंचाने का प्रयास किया है। यह बहुत ही सराहनीय काम है। अभी आपने देखा कि सहकारिता के माध्यम से वितरण की व्यवस्था की गयी, उसमें निजी क्षेत्र की अपेक्षा सहकारिता के माध्यम से वितरण करने से काफी सुधार हुआ है और उपभोक्ता को सामान मिलने में पहले की अपेक्षा काफी सहूलियत मिली है। माननीय मंत्री जी, जिनको यह विभाग मिला हुआ है, उनके बारे में सारा प्रदेश जानता है कि वह अपने तरीके के अनोखे व्यक्ति हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपको जब यह विभाग मिला दुनियां जानती है जिसका उपभोक्ता से सीधा सम्बन्ध है, गरीब लोगों का इससे विशेष सम्बन्ध है, हमारे प्रदेश के 10 करोड़ लोगों को एक नयी आशा मिली है और वह आशा करते हैं कि आप इस विभाग में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे और जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और जो एक दूषित वातावरण पैदा हुआ है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन आयेगा।

श्रीमन् मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि शासन ने वितरण व्यवस्था को अपनी तरफ से नियंत्रित रखने के लिए प्रशासकों को रखने का निर्णय लिया है। वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये मेरा सुझाव है कि अदालत पंचायतों से लेकर जिले स्तर तक आप खाद्य सलाहकार समिति बनायें और मैं चाहूंगा कि इस समिति की देखरेख में आपके माल की निकासी हो और वितरण हो और जब समिति प्रमाण दे कि सही माने में उपभोक्ताओं को तेल, चीनी, गेहूं, चावल आदि पहुंच गया है तो अगली निकासी दी जाये। मान्यवर, ब्लाक स्तर और जिले स्तर पर इस तरह की कमेटियों का गठन किया जाये।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश गरीब प्रदेश है और बिजली की यहां व्यवस्था न होने के कारण गांव के लोग मिट्टी का तेल जलाते हैं, बिना इसके अंधेरा रहता है, इसलिये यह एक आवश्यक वस्तु है। मैं कहना चाहता हूं कि सचिवों के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति की बात आती है तो जहां तारीफ करते हैं कि प्राइवेट से सहकारिता का सेक्टर अच्छा है वहीं खेद प्रकट करता हूं कि मिट्टी का तेल उठाने में आपके सचिव, आपकी सोसाइटी इतराज करती है, इसलिये सुझाव देना चाहता हूं कि मिट्टी तेल का वितरण संपूर्ण प्राइवेट सेक्टर में कर दें ताकि उपभोक्ताओं को तेल मिल सके।

मान्यवर, सीमेंट में दोहरी नीति से सुधार हुआ है आपूर्ति में, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि सीमेंट निकासी में आपका आदेश गया है ब्लाकों में कि सीमेंट आपूर्ति बायो गैस और गोबर गैस के प्लांट लगाने में ही दी जाये जिससे तमाम निर्माण के कार्य और जनता के निर्माण के कार्य रुके पड़े हैं जबकि बायो-गैस और गोबर गैस में इतनी अधिक सीमेंट की जरूरत नहीं है कि आपकी सारी सीमेंट खप जाये, इसलिये सामान्य निर्माण के कामों के लिये भी सीमेंट दी जाये, इसके ऊपर मंत्री जी ध्यान दें।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में खाद्य सलाहकार समिति में 8 सितम्बर, 1981 को निर्णय हुआ कि आजमगढ़ मुख्यालय, मऊनाथ भंजन और मुबारकपुर नगरपालिकाओं में वितरण व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से संभव नहीं है, इसलिये यहां पहले जैसे प्राइवेट सेक्टर में वितरण व्यवस्था थी, वैसे ही लागू की जाये। लेकिन खाद्य सलाहकार समिति के सर्वसम्मति निर्णय को प्रशासन के लोगों ने लागू नहीं किया। मेरा सुझाव है सरकार और मंत्री जी से कि विशेष ध्यान देकर आजमगढ़ नगर क्षेत्र में, मऊनाथ भंजन और मुबारकपुर में वितरण व्यवस्था पहले जैसी प्राइवेट सेक्टर में दे दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र–

मंत्री जी ने तो हाउस में ही खाद्य की कमी कर दी है।

(श्री नन्द किशोर सिंह के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, 5 मिनट का समय दिया है, जब 4 मिनट हो जायेंगे तो आप अपना भाषण समाप्त करने की ओर अग्रसर हों। ऐसा नहीं होगा तो हमारे लिए दिक्कत होगी। मैं इसमें आपका सहयोग चाहता हूं।

श्री नन्द किशोर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, शासक दल सन् 80 के चुनाव में जब सत्ता में आया तो उस समय चीनी का भाव 2 रु0 15 पैसा प्रति किलो था, आज 4.15 हो गया है। इस पर भी विचार होना चाहिए, उस समय सीमेंट 25 रु0 बोरी थी (व्यवधान) आज वह 50 रु0 कन्ट्रोल में और 70 से 75 ब्लैक में चली गई है। नियन्त्रित कपड़े की दुकानों पर कपड़ा नहीं मिल रहा है। दुकानदार कपड़ा प्राप्त करने के लिए दौड़ता है लेकिन उसको कपड़ा नहीं मिलता है। कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि के दाम भी बढ़ गये हैं और सरसों का तेल 20 से 25 रुपया कलो बिक रहा है। बांट माप विभाग जो आपके अधीन है, जिसको आप देखते हैं, वह लोग छोटे-छोटे दुकानदारों से केवल पैसा लेकर काम करना चाहते हैं और इंस्पेक्टर लोग को-आपरेटिव दुकानों से पैसा मांगते हैं। हमारे यहां हाटा में उसने कहा कि हमें दो सौ रुपया दोगे तब तुमको पूरा तेल देंगे वरना नहीं। मैंने कहा रसीद दे दो, किसी तरह उनको पता चल गया कि यह एम0 एल0 ए0 है तो किसी प्रकार मिट्टी का तेल दिया।

आज गांवों में मिट्टी का तेल तो कतई नहीं मिल रहा है। प्राइवेट क्षेत्र में जो आपके दुकानदार हैं, वह निश्चित रूप से अपना तेल लेकर बांट रहे हैं, लेकिन कोआपरेटिव के जरिये बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सप्लाई विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं वह बिना पैसा लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। अभी हमारे देवरिया जिले के खुरखुन्दू थाने में 121 बोरा स्मगलिंग का गेहूं पकड़ा गया था, जिसे 8,000 रुपये में बेंच डाला गया जबकि वास्तव में बाजार के हिसाब से उसका दाम 25 से 30 हजार रुपये के बीच था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सभी जगह और विशेष कर पूर्वी जिलों में स्मगलिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो रही

है । हमारे यहां देवरिया से, गोरखपुर से बिहार के रास्ते होकर चावल आदि खाद्यान चीन जा रहा है । भाटपार के रास्ते से और पडरौना के रास्ते से भी जा रहा है । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जो कोआपरेटिव के दुकानदार हैं, उनके सम्बन्ध में अपने इंस्पेक्टरों पर रोक लगाएं और डी0 एस0 ओ0 को आदेश दें कि जो अधिकारी पैसा न मिलने के कारण दुकानदारों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। मिट्टी का तेल कोआपरेटिव सेक्टर वाले बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं, अतः मेरा निवेदन है कि इसे समूल प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाय । आज कई कोआपरेटिव दुकानें डिफंक्ट हो गई हैं, जिससे 5 किलोमीटर उपभोक्ताओं को जाना पड़ता है ।

हाईस्कूल इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं हो रही हैं, उसके लिए छात्रों को पिछले दो सालों में स्पेशल रूप से मिट्टी का तेल देने की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन आज वह नहीं है, जिससे 3-4 रुपया लीटर विद्यार्थियों को मिट्टी का तेल लेना पड़ रहा है । तो आप अपनी कन्ट्रोल की दुकानें प्राइवेट सेक्टर में दुकानें और खोलें । इसके साथ मैं बजट का विरोध करता हूं ।

[समय 4 बजकर 5 मिनट]

*श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया । मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, 1980 में जब विधान सभा का चुनाव हो रहा था, उस समय प्रदेश में लोगों को न मिट्टी का तेल उपलब्ध हो रहा था, न ही अन्य आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध थीं । उसके बाद के 4 वर्षों में सरकार ने सारी चीजें जनता को उपलब्ध करायीं । यह बात सही है कि जिस सीमा तक सुधार होना चाहिये था वह नहीं हुआ, लेकिन आज गांव की गरीब जनता को सभी आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर उपलब्ध हो रही हैं और उसके लिये मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं ।

मान्यवर, सरकार ने जब यह निर्णय लिया कि जरूरत की चीजों को सहकारिता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जायेगा, इस निर्णय से उन लोगों को, जो चोरबाजारी करते थे, जिनको पिछली जनता सरकार का समर्थन प्राप्त था, बहुत चोट पहुंची । ऐसे लोग गांव की गरीब जनता के राशन कार्ड इकट्ठा करके अपने पास रख लेते थे, सामान उन लोगों को नहीं देते थे, और फिर उसको चोरबाजारी में बेचते थे । जब सरकार ने सहकारिता के माध्यम से वितरण की व्यवस्था की, तो इन लोगों ने उन राशन कार्डों को उनको वापस नहीं किया .. (व्यवधान) मेरा सुझाव है कि सरकार एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर बोगस कार्डों को तथा उन कार्डों को जो दुकानदारों के पास भारी मात्रा में जमा हैं, निरस्त करें और नये राशनकार्ड छपवा कर गांव की गरीब जनता को उपलब्ध करायें ।

इस विभाग का सम्बन्ध गांव की गरीब जनता से है और यह कार्य बहुत आवश्यक है । आज जिनके पास गलत तरीके से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पैसा जमा हो गया है वे लोग इस भीषण मंहगाई के समय में भी मंहगी से मंहगी चीज को खरीद सकते हैं, जब कि गरीब जनता आवश्यक वस्तुओं तक को खरीदने में असमर्थ है यह आवश्यक है कि उसे यह आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकें ताकि गरीब अपने परिवार का पोषण ठीक प्रकार से कर सके । मैं व्यक्तिगत रूप से पब्लिक सेक्टर का समर्थक हूं और मेरा विश्वास है कि उसी के द्वारा आम गरीब आदमी को सुविधायें पहुंचायी जा सकती हैं । यह हो सकता है कि कहीं कोई सचिव भ्रष्ट हो या कोई प्रशासक भ्रष्ट हो, पर उसके आधार पर सहकारिता को ही बुरा कहना उचित नहीं होगा । हम सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करके ही, उसके द्वारा ही आवश्यक वस्तुयें गरीब जनता तक उपलब्ध करा सकते हैं ।

माननीय भीखालाल जी ने रेन्ट कन्ट्रोल की बात कही । बड़े-बड़े शहरों में जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको रहने के लिये मकान नहीं मिल पाते। दूसरी तरफ जिन्होंने काला धन बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर रखा है, वे बड़ी-बड़ी इमारतें बनाकर, काले धन को सफेद करने में लगे हुये हैं । यह भी देखा गया है कि लोग पुराने अपने मकानों को, जो लोग लम्बे समय से उसमें रह रहे होते हैं उनके हाथों न बेच कर, दूसरे गुण्डों के हाथ बेच देते हैं, या ऐसे लोगों के हाथ बेच देते हैं जो गुण्डों का सहारा लेकर मकान को खाली करवा लेते हैं । आप रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट में ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि यदि कोई मकान बेचना चाहता है तो वह पहले उसी आदमी के हाथ बेचने की बात करे जो पहले से उसमें किराये पर रहता हो । अगर वह न ले, तब दूसरे के हाथ वह बेच सके। इससे कर की जो चोरी होती है, वह भी नहीं होगी और इससे सरकार को भी लाभ होगा क्योंकि यह लोग मकान बेचते अधिक दामों में हैं और दिखाते कम दामों में हैं।

आज की परिस्थिति में नया सर्वेक्षण कराकर शहरों और कसबों के मकानों को रेन्ट कन्ट्रोल के अन्तर्गत लेकर उचित किराये पर लोगों को उपलब्ध कराना चाहिये । मान्यवर, तीसरी बात मैं मिट्टी के तेल के बारे में कहना चाहता हूं । मिट्टी के तेल के जगह-जगह पर कुछ लोग डंप डीलर बन गये हैं । तो हमको एक सिस्टम एडाप्ट करना चाहिये। यह नहीं कि जैसा माननीय मंत्री जी सबेरे कह रहे थे कि जहां उचित तरीके से वितरण नहीं हो रहा है वहां व्यक्तिगत लोगों को लगाया जायगा । उचित अनुचित का फैसला नहीं है, हमको अपने सिद्धान्त पर अमल करना होगा। सहकारिता के द्वारा ही हम उचित तरीके से वितरण कर सकते हैं। चुनाव सहकारिता के नहीं हुये हैं लेकिन आज जो प्रशासक हैं, यह जनता के प्रतिनिधि हैं । जब हमने जनतंत्र को स्वीकार किया है तो जिस चीज में जनता का एक्टिव पार्टीसिपेशन हो, वह व्यवस्था चलानी चाहिये। सहकारिता के माध्यम से ही जन वितरण की प्रणाली को चलाना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री छत्तर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं कटौती के

प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जिला पूर्ति कार्यालय में जो वहां पर लिपिक हैं तो ऐसा देखने में आया है कि वह 20-20 साल से उसी आफिस में काम कर रहे हैं और उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है। ज्यादातर लिपिक उन्हीं जनपदों के हैं और उन्होंने फर्जी नामों पर अपनी बीवी के नाम, भाइयों के नाम पर भट्ठों और दूसरी चीजों के लाइसेंस ले रखे हैं और उनको चला रहे हैं। तो शासन कोई ऐसी नीति बनाये कि कोई भी लिपिक अपने गृह जनपद में नहीं रहेगा और किसी भी जनपद में 3 साल से ज्यादा एक जगह पर नहीं रहेगा। मान्यवर, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि गांवों में आज भी राशन कार्ड नहीं बने हैं। मैं अपने जनपद का एक मामला पेश करना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों हम 5-6 लोग डी0 एम0 के यहां बैठे थे वहां पर खाद्य विभाग का जिक्र आया। डी0 एस0 ओ0 से पूछा गया कि कितने यूनिट यहां पर हैं। उन्होंने कहा कि 18 लाख यूनिट हैं। जब पूछा गया कि कितने कार्ड बने हैं तो उन्होंने बताया कि केवल 5 लाख यूनिट के कार्ड्स बने हैं। तो 13 लाख यूनिट बिना कार्ड के चल रही हैं जिनके लिये कोई राशन की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, आज किरोसीन आयल नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, यह पाम आयल जो बेचा जाता है तो मेरे विचार से माननीय सदस्य सहमत होंगे कि शहरों में उसको कोई व्यक्ति नहीं लेता है और वह पूरा पाम आयल डीलर की दूकान से उठकर हलवाई की दूकान पर ब्लैक में चला जाता है और हलवाई उसका प्रयोग अपना सामान बनाने में करते हैं। तो या तो इसकी वितरण व्यवस्था को समाप्त किया जाय या वितरण करना है तो इसका वितरण अच्छे तरीके से किया जाय।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग के माध्यम से जो वितरण चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा घपला हो रहा है। एक-एक सहकारी समिति के साथ 20-20 गांव लगे हुये हैं। किसान को एक लीटर किरोसीन आयल लेने के लिये 5 कि0 मी0 तक जाना पड़ता है। जब वह दूकान पर पहुंचता है तो उससे कहा जाता है कि दूसरे दिन आना। आप सभी जानते हैं आपके क्षेत्र में भी यह समस्या होगी। जब वह दूसरे दिन दूकान पर तेल लेने जाता है तो एक लीटर तेल के लिये उसका बहुत समय बेकार जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में तो हालत यह है कि 10 रुपया उसको एक दिन की मजदूरी मिलती है। तो मजबूर होकर वह तेल ब्लैक में ढाई रुपये का ले लेता है ताकि उसका एक दिन बेकार न चला जाय और वह कम से कम पूरे दिन काम कर सके। किरोसीन आयल ब्लैक में बेचा जाता है। मेरा निवेदन है कि हर गांव में इसके लिये एक दूकान खोलनी चाहिये। मान्यवर, खाद्य समिति का गठन हर जनपद में किया गया है लेकिन उसकी बैठक तीसरे, चौथे या छठवें महीने होती है। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दें कि खाद्य समिति की बैठक प्रत्येक माह में निश्चित तारीख पर हो।

मान्यवर, इनके विभाग में एक एस0 एम0 आई0 अधिकारी होता है। मेरे विचार से यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पद है। मैं अपने कस्बा सयाना की

बात कह रहा हूं । मेरे विचार से वह एस0 एम0 आई0 नम्बर दो में माल उतरवाता और निकलवाता है । पेट्रोल और डीजल की हालत यह है कि पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल और डीजल में किरोसिन आयल मिलाते हैं और इससे मुनाफा कमाते हैं । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे भी दो मिनट अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया । जहां तक कि खाद्य मंत्री का सवाल है, मैं खाद्य मंत्री की भूरि-भूरि प्रसंशा करता हूं, क्योंकि जो दायित्व इनको दिया गया, उसमें किसी ने नहीं बतलाया कि उसमें कोई कमी इन्होंने किया । इनका काम केवल इतना था कि वितरण प्रणाली करने वाली संस्थाओं को जितनी जरूरत थी, वह पूर्ति करते रहे और उसकी ये उतनी पूर्ति भी करते रहे हैं । अन्य माने में ये बेचारे हैं, क्योंकि ये वितरण करने वालों को कोई सजा नहीं दे सकते । इसलिये इनकी प्रसंशा करने में मैं समझता हूं कि यह दल और वह दल दोनों मेरे साथ होगा । हमारे मित्र ने चन्द राय जाहिर किया, मैं अपनी राय जाहिर करता हूं कि जब तक यह वितरण प्रणाली प्राइवेट लोगों के हाथ में थी, तब तक बोगस और जेन्यून कार्ड होल्डरों में से कुछ जेन्यून कार्ड होल्डरों को कुछ मिल जाया करता था और ठीक-ठीक वितरण हो जाता था, मगर सहकारिता विभाग की जो वितरण प्रणाली चली, उससे न तो जेन्यून कार्ड होल्डर्स को और न बोगस कार्ड होल्डर्स को, किसी को कुछ नहीं मिलता । इस वितरण प्रणाली में 200 परसेंट गड़बड़ी है ।

सहकारिता विभाग वालों को न कोई कलेक्टर और न कोई डिप्टी कलेक्टर और न मिनिस्टर कोई सजा दे सकता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि खाद्य मंत्री को वह ताकत मिलनी चाहिए कि वह वितरण प्रणाली वालों की सजा भी कर सकें । यदि ऐसा न हो, तो यह वितरण प्रणाली तोड़ कर प्राइवेट लोगों से वितरण कराया जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, मैं सिर्फ कुछ सुझाव ही माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं । नं0 1–आप ए0 डी0 एम0 (एस0) की पोस्ट को एबालिश कर दीजए । यह बिलकुल इन्फ्रक्चुअस पोस्ट है । आपका जो वितरण है, वह राशन और सीमेंट वगैरह का उसमें एस0 डी0 एम0 ये सब भी आ जाते हैं परमिट काटने के लिए। इसको ब्लाक लेबिल पर निश्चित रूप से आप कीजिए । ब्लाक हैड-क्वार्टर पर सीमेंट की दूकान से और आपको कपड़े की दूकान से जो जनता कपड़ा मिलता है, वह दूकान और सीमेंट की दुकान ब्लाक हैडक्वार्टर पर होनी चाहिए । या ब्लाक एरिया में नहीं कि 100 गांव है जिसने जितना मौका देखा रख दिया आज मिट्टी के तेल की तो कभी किसी और चीज की शार्टेज पब्लिक में होती है । मिट्टी का तेल ऐसी चीज है कि चार-पांच किलोमीटर पर मिट्टी का तेल आदमी लेने जाए और न मिले या किसी वजह से दूकान बन्द हो, न मिल सके तो ऐसा कुछ कीजिए कि मिट्टी का तेल उसे मिल जाए पिछली बार मीटिंग हुई थी उसमें कुछ तय नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो पाया। जितने डिस्ट्रिक्ट के मार्केट्स हैं वहां आफ अरेजमेन्ट्स कीजिए एक ड्रम तेल या दो ड्रम तेल का जो आपके रेट पर हो, जब बाजार में बोतल लेकर आदमी तेल लेने जाता है तो वह मिल जाए, वह बिना परमिट के तेल ले जाए। पिछले साल मीटिंग में डी0 एस0 ओ0 ने कहा था कि ऐसा कर रहे हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं, तो ऐसा करने से गरीब से गरीब आदमी को, जो साढ़े तीन रुपया चार्जेज है, इस पर तेल मिल सके। जो कमेटीज की मीटिंग है बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपकी कमेटी उसमें से है। इसमें जो प्रीसाइड करता है तो आप उसकी मीटिंग एक महीने में लगाए, वह तीन महीने में लगाता है। आपकी परचेजिंग शुरु हुई गल्ले की, आपके परचेजिंग सेन्टर को, जो सुविधा मंडी समिति को देनी चाहिए, वह नहीं देती है। तो आप मंडी समिति से जो सेवा मिलनी चाहिए वह लीजिए। राशन कार्ड की बात है, राशन कार्ड आप बंटवा नहीं पाये।

मान्यवर, रेन्ट कन्ट्रोल की बड़ी प्रौब्लम है। इसमें मैं इस राय का हूं कि एक निश्चित अवधि, निवेदन करूंगा कि 10 साल 15 साल ऐसा कीजिए कि जो कोई किराएदार उसमें रहता है उसको आप प्रापर्टी राइट दे दीजिए। जब कोई आदमी 10 साल 15 साल उसमें रहेगा या 12 साल से जो आप ठीक समझे, उसको प्रापर्टी राइट मिले और कम्पनसेशन मकान मालिक को मिल जाए जिससे उस मकान की हालत जर्जर न हो। आज तो यह पोजीशन बन गयी है कि मकान मालिक इसलिए मकान ठीक नहीं कराता है कि वह सोचता है किराएदार खाली नहीं करेगा तो इससे जिम्मेदारी एबालिश होगी। यह इतना बड़ा मसला नहीं है श्रीमन्, मैंने सुझाव दिया है और मैं समझता हूं कि इन सुझावों को सामने रखते हुए अन्त में यह बात कहकर खत्म करूंगा कि आपका विभाग जो कई जगह बंटा हुआ है ठीक है, एक जगह आप नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा काम करें कि मैक्सिमम कोआपरेशन आपके काम में मिलना चाहिए। वह मिलते तो साज साजे की हंडिया के साथ हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं इसमें तहसीलदार वगैरह सभी आते हैं तो ऐसा करें कि उनको ज्यादा सुविधा मिल सके।

*श्री राजकुमार राय–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खादय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मैं उसका समर्थन करता हूं। विरोध पक्ष द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी का एक अनूठा व्यक्तित्व है और ज्यों ही उन्होंने इस विभाग को सम्भाला, प्रदेश की जनता में आशा की लहर फैल गयी और मैं समझता हूं कि इसी अति उत्साह में उन्होंने एक बयान दे डाला कि अब वितरण प्रणाली को सहकारिता से निकाल कर प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है। अखबारों में छपी उस खबर को देखकर मान्यवर, एक बात दिमाग में हमेशा ऐसी लगी रही कि जब शासन ने एक मामला तय किया कि जन प्रणाली, जन वितरण प्रणाली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को मजबूत करेंगे, सहकारिता के द्वारा प्रदेश की जनता को आवश्यक वस्तुएं जैसे चीनी, सीमेंट, तेल आदि मुहैय्या करायेंगे और उस पर अमल करेंगे। सहकारिता से उसमें सफलता भी मिली है। प्राइवेट दुकानदार जिन चीजों को नहीं दे पाए, सहकारिता के माध्यम से वे गांवों में पहुंची हैं, स्थिति में बेहतरी आवश्यक है।

मान्यवर, उसमें कुछ समस्याएं हैं। मिट्टी के तेल का वितरण नहीं हो रहा है, तो हमें उन कमियों के लिये अपने एक सिद्धान्त को बहुत सोच समझ कर लाना है, उनसे मुकरना नहीं है। हम उन कमियों को दूर करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक्सपेरीमेंट के तौर पर जनता को बहुत समय तक भुलावे में न रखें, तो ठीक है। मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि पूर्ण सहकारिता के माध्यम से उन कमियों को दूर करेंगे, लेकिन कभी भी वितरण को व्यक्तिगत दूकानदारों के हाथ में नहीं देंगे। मान्यवर, जहां तक कमियों की बात है, शासन की एक घोषित नीति है कि वह दो हजार की आबादी पर एक दूकान करेंगे। हमें उसे करना है। हमें किसानों को उनका समर्थन मूल्य दिलाना है और जो सारी चीजें हैं, उनको तय करना है।

मैं मान्यवर, माननीय मंत्रीजी को सुझाव दूंगा कि जहां उन्हें उनकी फसल के भुगतान में दिक्कत होती है, मौके पर किसानों से उनकी फसल लेते हैं, गेहूं लेते हैं, क्रय केन्द्रों पर गन्ना लेते हैं और उनका भुगतान न करके लटकाते हैं, शुगर फैक्ट्रीज और सरकारी दफ्तरों तक दौड़ाते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। मौके पर पैसा देकर दौड़ धूप से उनको बचा दें।

मान्यवर, फेयर प्राइस शाप्स की संख्या बढ़ा दी लेकिन मान्यवर, सबसे आवश्यक है कि जो जनता स्टोर हैं, शहरों में काम कर रहे हैं, मान्यवर, भारत और उत्तर प्रदेश गांवों में बसा है। यहां के जनता स्टोर और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें गांवों में नहीं ले जाते, उनकी संख्या नहीं बढ़ाते तो निश्चित रूप से गरीब जनता, जो सबसे पिछड़ी हुई है, जिसका सबसे पहले विकास करना है, उसके प्रति अन्याय कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीजी सदन के अन्दर घोषणा करें कि वह जनता स्टोर्स को अन्तरांचल गांवों में फैलाएंगे और बढ़ाएंगे। और भी समस्याएं हैं जिन पर आपको विचार करना है।

बांट और माप की समस्या है। जब दुकानदार सीमेंट फैक्ट्री में जाते हैं तो उनको सीमेंट तौल कर नहीं मिलती। जब उपभोक्ता सीमेंट स्टाकिस्ट से कहता है कि सीमेंट तौलकर दो तो स्टाकिस्ट कहता है कि हमको यह तौलकर नहीं मिलती, हम आपको कैसे तौलकर दे दें? फिर 40 किलो, 41 किलो, 42 किलो कितनी भी दें, यह उपभोक्ता का सौभाग्य होगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर कठोरता से अमल करना होगा। सीमेंट फैक्ट्रियों को आदेश प्रसारित करें कि जो भी सीमेंट दें, तौल कर दें, एक ग्राम की भी कमी न हो। मान्यवर, जहां सारी चीजें चाहते हैं, इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिये

कोसते हैं उनकी क्षमता बढ़वाते हैं वहीं इस बात की आवश्यकता है कि उनकी सेवा शर्तों को भी ठीक किया जाये। आज दस-दस साल से लोग विभाग में अस्थाई पड़े हुए हैं ऐसी स्थिति में क्या होगा ? उनकी ई0 बी0 क्रास न हो तो क्या होगा ? हमें उनकी सेवाशर्तों को ठीक करना होगा और भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा ताकि जनता को अधिक से अधिक सुविधायें पहुंचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तहे दिल से इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। जन साधारण के बीच भूखे पेट को रोटी, भवनों से विरक्त रहने वाले लोगों को भवन मुहैय्या कराने की बात माननीय सदस्यों द्वारा यहां पर कही जाती है। मैं आपके माध्यम से श्रीमन् सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि यहां पर कहा गया कि रेन्ट कन्ट्रोल के मकान गरीबों को दिये गये हैं। माननीय सिंचाई मंत्री जी इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्य हैं, मंत्रि परिषद् के एक वरिष्ठ मंत्री भी हैं और साथ ही साथ एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि रेन्ट कन्ट्रोल के मकानों में स्वयं माननीय सदस्य लोग रहते हैं वे न गरीब हैं और न ही भवन हीन हैं। इनके विभाग में भ्रष्टाचार का क्या कहना ? इस विभाग में अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं सुब्रमण्यम जैसे भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जिला स्तर पर जिला पूर्ति अधिकारी गोवर्धन लाल, गोरखपुर, जिनके बारे में मेरा पिछलें दो वर्षों से अनवरत रूप से पत्राचार चल रहा है, के बारे में मैंने कई बार कहा कि इनकी जांच की जाय। यदि आपके पास कोई चमत्कृत व्यक्ति हो तो गोरखपुर से उनकी पत्रावली मंगाई जाय और उसकी जांच की जाय। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है फिर भी इसके बावजूद इस आदरणीय सदन में यही जवाब आता है कि जांच कराई जा रही है और अग्रेतर जांच कराई जा रही है जबकि विजिलेन्स ने उनके खिलाफ आरोप सिद्ध कर दिया है तो ऐसी स्थित में अग्रेतर जांच की आवश्यकता क्या है ? इससे सिद्ध होता है कि शासन द्वारा उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। हजार बार समाचार पत्रों में इसका उल्लेख हुआ और मैंने भी इसके बारे में लिखकर दिया। देवरिया में रेपसीड आयल और पाम आयल दोनों की एक ही दुकान में एक आदमी पिछले दो वर्षों से बेच रहा है। उसे वह सब हजम होता जा रहा है, परन्तु उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

लार्ड कार्नवालिस की यह उत्तराधिकारी सरकार दोहरी शासन व्यवस्था पर विश्वास करती है। सीमेंट की दोहरी नीति पर यह सरकार परगना अधिकारी को पुरस्कृत कर रही है। यह परगना अधिकारी सीमेंट की एजेन्सियों के एजेन्टों को और सीमेंट मालिकों को अपने घर पर बैठाकर सीमेंट का परमिट वहीं दे देता है और सारा स्टाक खाली करवा देता है। अगर जन साधारण को परमिट मिलता भी है तो स्टाक में सीमेन्ट खाली हो जाता है। माननीय मंत्री जी, आप अपने सशक्त हाथों से इसकी जांच करवायें,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चूंकि आप भी इस प्रदेश के रहने वाले हैं और वस्तु स्थित आपको मालूम है। आज आप शासन में हैं, इसलिए कुछ करने में लाचार हैं।

मिट्टी के तेल के बारे में चर्चा हुई। साधन सहकारी समितियों द्वारा वितरण के गीत गाये गये। कोआपरेटिव करप्शन में किसी से कम नहीं है, अगर उससे करप्शन को निकाल दिया जाय, तो उसकी आत्मा निकल जाती है। जहां केवल एक ट्रांसफर इन्ट्री में और आंकड़ों को अगल-बगल करने में यह विभाग चल रहा है। आज जो वहां पर सेल्स मैन है, उसे पकड़ने के लिए आपके पास कोई कड़ी नहीं है। सचिव की जिम्मेदारी होती है। सहकारी पर्यवेक्षक आपके विभाग का है, उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। असफलता की नाव खड़ी करके हया के साथ आप हंसे जा रहे हैं।

इन गरीब लोगों पर आप हंस रहे हैं, नंगे लोगों के कपड़ों को लेकर हंस रहे हैं, मरे हुए लोगों के कफन को लेकर हंस रहे हैं।

वितरण व्यवस्था के बारे में एक बात बताऊं, वितरण व्यवस्था तो ऐसी होती है कि जब विकास क्षेत्र सलेमपुर, देवरिया की साधन सहकारी समिति का सेल्समैन तेल को बेचते हुए पकड़ा जाता है, खरीदने वाला जेल जाता है, डेढ़ हजार रुपये लेकर उसको छोड़ दिया जाता है। आज भी वह तेल बेच रहा है। यह इनकी वितरण व्यवस्था है। इनकी वितरण व्यवस्था में सुधार की अपेक्षा करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(श्री बिहारी लाल का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री कुबेर भण्डारी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है कि मेरे दल से लिस्ट गयी है, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें।

श्री कुबेर भण्डारी–

आपकी इस व्यवस्था के विरोध में मैं सदन त्याग करता हूं।

(श्री कुबेर भण्डारी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बिहारी लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जब से उन्हें खाद्य विभाग का मंत्री बनाया गया, तब से इस विभाग में सुधार हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार की जो बात है, हमेशा ऊपर से आती है। किसी भी माननीय सदस्य ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। खाद्य की जो बात है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा खाद्य वितरण हो ताकि करप्ट अधिकारी जो मिलकर गड़बड़ करते हैं, उसकी रोकथाम हो सके।

अब मैं पर्वतीय क्षेत्र की बात कहूंगा। पर्वतीय क्षेत्र में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मोटर नहीं जाती है, तो फिर राशन कैसे पहुंच सकता है? पर्वतीय क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई, फसल चौपट हो गयी, लेकिन वहां पर राशन नहीं जा सकता। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर राशन पहुंचाने की व्यवस्था

कर। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं, जिनको लाइसेन्स तो मिल गया लेकिन उनको राशन नहीं मिल पाता है, अगर मिल भी गया तो वे उसे हल्द्वानी के मार्केट में बेच देते हैं। ऐसे लोगों का लाइसेन्स खत्म कर दीजिये ताकि दूसरे लोगों को दिया जा सके।

उत्तर प्रदेश में 56 या 57 जिले हैं, जो भी राशन की दुकानें खुलती हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को वे नहीं मिल पाती हैं। आप देखें कि जो भी नयी दुकानें खुलेंगी, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों का भी उसमें कोटा होना चाहिए। अन्त में कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र पुखरटाण्डा, थारी इत्यादि में दो-दो महीने तक राशन नहीं पहुंच पाता है। मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि वहां पर किसी भी प्रकार से राशन पहुंचाने की व्यवस्था करवायें। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जिला नैनीताल में, जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि वह जिला पूर्ति अधिकारी ऐसे बिठा दिये गये हैं, जो यह कहते रहते हैं कि मुझे एक साल-डेढ़ साल रिटायरमेंट के लिए रह गया है, मान्यवर, उन्होंने ऐसी अनियमितताएं वहां पर कर रखी हैं, जिनका कोई भी अधिकारी कुछ नहीं कर सकता है। लोगों से वह मिलते नहीं हैं। वह सुबह से ही अपने नशे में चूर रहते हैं। मैं यह कहूंगा कि आप वहां कोई कर्मठ और ईमानदार जिला पूर्ति अधिकारी भेज दें, ताकि वहां कार्य सुचारु रूप से चल सके। मान्यवर, यह पर्वतीय क्षेत्र का मामला है, इस पर आप ध्यान देने का कष्ट करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री विद्यासागर नौटियाल को पुकारे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता–

आप केवल 2 मिनट में अपनी बात संक्षेप में कहें।

*श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वितरण प्रणाली के खिलाफ आज जो कुछ कहा जा रहा है, वह इससे विचलित न हों। वितरण प्रणाली को जब आपने हाथ में लिया, उसकी बाबत कार्य करना शुरू किया, तो यह आपके समाजवाद की दिशा में बढ़ने का एक विश्वास प्रकट होता खत्म करने के लिये, बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं। श्रीमन् हमारे यहां पहाड़ों के अन्दर महीनों अनाज नहीं पहुंचता है। अब आपकी बड़ी बुरी बात है कि आपके पास इस देश में अनाज पैदा होता है, लेकिन आप पहाड़ को अनाज नहीं दे पाते हैं। मान्यवर, मैंने पहले भी इस आदरणीय सदन में यह निवेदन आपसे किया था कि पहाड़ आपको शुद्ध जल देता है, शुद्ध वायु देता है, मिट्टी देता है और पहाड़ आपको अनेक खनिज सम्पदाएं देता है, लेकिन पहाड़ के अन्दर अनाज नहीं पैदा होता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बरसात के पेशतर, पहाड़ों के अन्दर जितने आपके अनाज के गोदाम हैं, उनको आप भरवा दीजिए। मान्यवर, होता क्या है, बरसात के शुरू होते ही, वहां की सड़कें टूट जाती हैं और आवागमन ठप्प हो जाता है। दूसरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारे यहां श्रीमन्, कन्ट्रोल का कपड़ा कतई नहीं जाता है पहाड़ों के अन्दर सस्ते गल्ले की दुकानों से आप अपने यहां के कंट्रोल के कपड़े के वितरण की व्यवस्था वहां सुनिश्चित करायें, ताकि वहां की गरीब जनता को कंट्रोल का कपड़ा मुहैय्या हो सके।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

श्रीमन्, इसी के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया।

*श्री मारकण्डेय चन्द–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। समय इतना कम है, इसलिए मान्यवर, मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने माननीय खाद्य मंत्री जी की कार्यकुशलता, कार्य क्षमता और उनकी ईमानदारी की जितनी भी प्रशंसा की है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर, सर्वप्रथम, मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट के सम्बन्ध में जो पुस्तिका जो लिटरेचर पिजन होल के माध्यम से उपलब्ध हुआ है, उसमें एक पुस्तक है–जिसका शीर्षक है– खाद्य तथा रसद विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 1983-84 इनके पृष्ठ-6 पर देखने का कष्ट करें। इस विभाग ने लिखा है कि 45 हजार मी0 टन गेहूं और 25 हजार टन चावल प्रति माह भारत सरकार से मिलता है और, इस प्रदेश में 23 हजार 4 सौ 23 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से इसका वितरण होता है। मैं इसकी आलोचना न करके, इतना ही कहूंगा कि माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित कर लें कि यह दुकानें चल रही हैं? यदि नहीं, चल रही हैं, तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि जो भी उनका मापदण्ड है, चाहे एक न्याय पंचायत पर 2 हजार पर एक या 4 हजार पर एक, तो उस हिसाब से दुकानें खोली जानी चाहिए। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे जनपद में कोई भी सस्ते गल्ले की दुकान नहीं चलती है, न उनसे अनाज मिलता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी कृपया आप इस पर ध्यान देकर दिखवा लें। मान्यवर, जो आजकल समस्या है, रियासत हुसैन ने भी बात कही, चीनी की बात नहीं कही, गल्ले की विशेष बात नहीं कही, हालांकि गल्ले की बात है, लेकिन मिट्टी का तेल–एक विशेष समस्या है। मान्यवर, साढ़े तीन रुपये से लेकर 5 रुपये तक मिट्टी का तेल मिल रहा है और कहीं-कहीं तो वह भी नहीं मुहैय्या है। मान्यवर, गोरखपुर जनपद में साढ़े तीन रुपये से लेकर साढ़े पांच रुपये लीटर तक मिट्टी का तेल मिल रहा है। इसको भी देखने की जरूरत है। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये। मान्यवर, ब्लाक स्तर पर श्रीमन्, दुकानें हैं, कुछ चीजों की दुकानें हैं एक विडम्बना यह है कि रेन्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कन्ट्रोल की जो दुकानें हैं वह एक-एक क्षेत्र में पांच-पांच हैं और ग्रामीण अंचलों में एक भी नहीं है तो वहां के लोग 9-9 किलोमीटर चले जाते हैं मिट्टी का तेल पाने के लिये। मैंने कई बार कहा कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करा दें जिससे कि तेल गाड़ी में भर कर आ जाय और लोगों को वितरित हो जाय, परन्तु ऐसा आप कर नहीं पाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप रेन्ट कन्ट्रोल के जरिये जो मिट्टी का तेल के वितरण की प्रणाली है, इसमें संशोधन करके कोई नीति निर्धारित कीजिये जिससे कि ग्रामीण अंचल के लोगों को भी सुविधा प्राप्त हो सके।

इसी तरह से जो आपकी खाद्य सलाहकार समितियां हैं, उनमें भी बहुत घोटाला है। वहां जो ए0 डी0 एम0 सी0 एस0 की पोस्ट है, इसके लिये हमेशा लड़ाई रहती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पोस्ट को आप समाप्त कीजिये। मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि मेरे जनपद में एक सचिव हैं जो कि 2200 बोरे चावल के साथ पकड़े गये, 28 दिन जेल में रहे, हाईकोर्ट में जमानत हुई लेकिन इस समय भी वे सचिव बने हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि गोरखपुर में, गोला में, हरैया में जो समिति है उसके वे सचिव हैं, इनकी सेवाओं को आप समाप्त कीजिये क्योंकि यह चावल की बोरी के साथ अवैध रूप से पकड़े गये हैं।

एक अन्तिम सुझाव और है कि जो यह रेन्ट कन्ट्रोल के जरिये से मकान दिये जाने की बात है तो जो पुराने रेन्ट पर लोग रहते हैं वे मकान की मरम्मत आदि नहीं कराते हैं। उनके लिये होना यह चाहिये कि यदि उनकी जमीन नजूल की है तो उसका रेन्ट बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय भीखा लाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। 1981-82 में सीमेन्ट करीब 23 या 24 रु0 में थी लेकिन एकबारगी कन्ट्रोल पर भी रेट दुगुना, इसका होने के क्या कारण हैं? (इस समय 4 बजकर 47 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मैं समझता हूं कि मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ एक कारण था कि आने वाले समय में चुनाव को देख कर सीमेन्ट मिल मालिकों से लाखों रु0 इनकी पार्टी ने ले लिया है इस आश्वासन पर कि चुनाव जीतने पर लाभ सीमेन्ट में दिलायेंगे इस सरकार को देंगे। तत्कालीन मुख्य मंत्री के कार्यकाल में घोषणा की गयी थी कि सीमेन्ट, गल्ला, कपड़ा का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से करेंगे। परन्तु वर्तमान मंत्री जी ने घोषणा की कि व्यक्तिगत दूकानदारों को देंगे। आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको करना क्या है या आप किस तरह से वितरण करना चाहते हैं। एक-एक आदमी से तीन-तीन, चार-चार हजार रुपये लेकर दूकानें अलाट करेंगे। सारी वितरण व्यवस्था जर्जर है, उसे आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

बस एक मिनट में समाप्त करता हूं। अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि सरकार एक नीति बनाये और उस नीति के माध्यम से सीमेन्ट, गल्ला तथा कपड़ा और मिट्टी का तेल वितरण व्यवस्था करें ताकि रोजमर्रा की वस्तुएं लोगों को उपलब्ध करायी जा सकें। छात्रों की परीक्षायें चल रही हैं और वे मिट्टी के तेल के लिये तरसते हैं। आप मिट्टी का तेल गरीब छात्रों को नहीं दे पा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में मिट्टी के तेल का अभाव है। इस तरीके से आपको अपने विभाग को चलाना है कि इन चीजों का अभाव जनता में न रहे। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में आपके अधिकारी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। और आपकी उन पर पकड़ नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी व्यवस्था करें आपकी सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री हर देव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं लगातार 3 वर्षों से देख रहा हूं कि दैवी आपदाओं, सूखा और बाढ़ में हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने और विशेष रूप से हमारे खाद्य मंत्री जी ने गेहूं, चावल, मिट्टी के तेल की व्यवस्था की है, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। ऐसी कठिनाइयों में, ऐसे संकट के समय चीनी, मिट्टी के तेल और गेहूं चावल को दिया है। मिट्टी के तेल की तो दरिया बहा दिया है। मैं बराबर खाद्य सचिव के यहां जाता हूं, और जानकारी लेता रहता हूं 28 या 29 तारीख को हर जिले में जो उनका कोटा आवंटित होता है, वह भेज दिया जाता है और नियमित रूप से हर जिले को पहुंचता है, यह जो कार्य किया गया है वह सराहनीय है। जिला स्तर पर जो व्यवस्था है, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर इसके वितरण में उदासीनता बरती जाती है, लापरवाही बरती जाती है जैसे जनपद बलिया। उस पर आपको नियंत्रण करना होगा, अगर आप इस वितरण प्रणाली को ठीक प्रकार से चलाना चाहते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी जो होते हैं वह इनकी निकासी में समय लगाते हैं और उदासीनता बरतते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र रसड़ा में राजकीय जनता स्टोर, रसड़ा, रतनपुरा, बिल्थरा रोड भीमथुरा, हलधरपुर, चकरा और पूरा उर्फ फरेहदा में खोले जायें। अन्त में मैं 2-3 सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। सीमेन्ट के वितरण में बहुत गड़बड़ी है। सीमेन्ट के दो तरह के मूल्य लिये जाते हैं जिस के फलस्वरूप गरीब लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। माननीय मंत्री जी, जो गरीबी रेखा से नीचे कमजोर वर्ग हैं तथा अनुसूचित जाति के लोगों को ब्लाकों से सरकारी रेट पर सीमेन्ट कार्ड के जरिये दिलाने की कृपा करें। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह लोगों को कार्ड इश्यू कर दें और उनको सीमेन्ट मिल जाये। जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, वह जहां-जहां पर न्याय पंचायतें हैं, वहां पर अलग से खोली जायें जिससे गरीब लोगों को उनसे लाभ पहुंचे। वहां के लोगों जैसे बनिया, कानू अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों को इससे रोजगार मिलेगा, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जायेगा, लेकिन वह उन दुकानों को सही ढंग से चलावें। मेरा दूसरा

यह सुझाव है कि कोल डिपो, रतनपुरा में और डीजल व तेल की दुकान रतनपुरा व गोविन्दपुर में खोली जायं। मान्यवर, आपके माध्यम से एक बात मैं माननीय मंत्री जी से और कहना चाहता हूं कि इस विभाग में अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण कोटा पूरा नहीं है, उनको पूरा किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं खाद्य तथा रसद मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो विपक्ष की ओर से कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं।

श्री कुबेर भण्डारी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे रसद के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हम लोग देवरिया से आते हैं, देहात के क्षेत्र से आते हैं। वहां पर कोई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ठीक तरह से व्यवस्था नहीं है। होली के अवसर पर लखनऊ में ही चीनी नहीं मिल पायी। एक यूनिट पर 2 किलो चीनी के आदेश विभाग की तरफ से हुए थे किन्तु 1 किलो चीनी कहीं मिली है कहीं नहीं मिली है। जब शहर की ही यह हालत है तो देहात की क्या स्थिति होगी, यह अन्दाजा लगाया जा सकता है। मंत्री जी कहते हैं कि सारी व्यवस्था ठीक है। जनता सरकार को दोष देते हैं। जनता पार्टी के शासन काल में चीनी दो रुपये किलो में मिलती थी और आज इनके शासन काल में 4-5 रुपये किलो तक चीनी मिल रही है। जो सरकारी रेट है वह 4 रुपये 15 पैसा है। जनता पार्टी के समय की आप तुलना नहीं कर सकते हैं।

गेहूं बाजार में डेढ़ रुपये किलो मिल रहा है और सरकारी रेट एक रुपया 96 पैसे। इस तरह से जो आपकी वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को गल्ला मिल रहा है, वह बिलकुल नगण्य है। आप लखनऊ कानपुर के लोगों की ही हालत सुधारें। गांवों में आप भेज नहीं पाते हैं। वहां पर नवयुवकों के नाम पर आप इन दुकानों को दे रहे हैं, अपने दल के लोगों को दे रहे हैं। उनको आप दण्डित नहीं कर सकते हैं। मैं साफ तौर से एक बात कहना चाहता हूं कि इन दुकानों को देने के लिये लिखा हुआ है कि हरिजनों को वरीयता दी जायेगी। 20 सूत्री कार्यक्रम में भी यह है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपका रसद विभाग है उसमें एक भी हरिजन व्यक्ति प्रथम श्रेणी के पद पर क्यों नहीं रखा गया है? उसका कोटा अभी तक खाली है। बताया जाता है कि कोई योग्य नहीं है। उसमें आरक्षण नहीं रखा है। कितने हरिजन अधिकारी आपने रखे हैं? जैसे ही उनका प्रमोशन का समय आता है, उनको आप निलम्बित कर देते हैं। प्रदेश भर के डी0 एस0 ओ0 के ट्रांसफर का प्रपोजल चल रहा है। एक पी0 के0 सेठ हैं उन्होंने कई हजार रुपये अपनी लड़की की शादी के लिये उधार लिये हैं। हरिजनों को तंग किया जा रहा है। कोई हरिजनों का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। प्रथम श्रेणी में एक भी हरिजन अधिकारी नहीं है। आप हरिजनों के नाम पर यहां आये हैं, और उनके नाम पर ढिंढोरा पीटते हैं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। उनमें से माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की, जो घटेश्वर, जिला आगरा में एक निर्माण कार्य की

बालिका के साथ दो पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में है, उसको मैंने स्वीकार किया है और बाकी सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं।

[समय 4 बजकर 55 मिनट]

विधान सभा सचिवालय तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों में सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

*संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 1–(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 200 के साथ पठित नियम 229(2) के अनुसार लोक लेखा समिति में 21 से अनधिक सदस्य, नियम 231(2) के अनुसार प्राक्कलन समिति में 25 से अनधिक सदस्य, नियम 232-ख के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति में 25 से अनधिक सदस्य,

(2) विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा क्रमशः दिनांक 6 अगस्त, 1974 एवं 14 अगस्त, 1974 को पारित संकल्प के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति में 21 सदस्य, तथा

(3) मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन संगठन तथा कार्यविधि के नियम-1 के खण्ड (ङ) के साथ पठित खण्ड (क) के अनुसार मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों में प्रत्येक में 16-16 सदस्य,

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये और उसके बाद समय-समय पर उनकी आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिये सदस्य, विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं।

2–उक्त सम्बन्धित नियमों तथा संकल्प के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1984-85 के लिये सदन की उक्त समितियों के लिये तथा मंत्रियों को परामर्श देने के लिये सभी स्थायी समितियों के लिये निर्वाचन किया जाना है।

3–सम्बन्धित नियमों एवं संकल्प के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, यह सदन श्री अध्यक्ष को, उक्त सभी समितियों में वर्ष 1984-85 के लिये विधान सभा के सदस्यों को तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समिति में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिये यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्प की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

*श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, यह जो प्रस्ताव रखा है उस पर थोड़ा मैं कहना चाहता हूं। आप तो अन्तिम रूप से ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैं पहले अपनी बात कह लूं। मैं एक स्पष्टीकरण मांग रहा हूं अपनी जानकारी के लिये। माननीय संसदीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य मंत्री जी ने सदन के समक्ष एक संकल्प रखा है जिसमें अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है जिसमें लिखा है कि वर्ष 1984-85 के लिये सदन की उक्त समितियों के लिये आदि-आदि ऊपर से नीचे तक जो लिखा है। उसमें मेरा तजुर्बा यह रहा है कि 31 मार्च के बाद अप्रैल निकल जाता है, मई निकल जाता है और जून तक आ जाता है और तीन महीने बाद मेरे और मेरे सचिव द्वारा हजारों कोशिश करने के बाद आप लोग मेरे पास जो लिस्ट प्राइवेट तरीके से, मेरी गाइडेंस के लिये वैसे मुझे अधिकार है कि मैं कुछ भी करूं, मैं परेशान हो जाता हूं लिस्ट नहीं मिलती। मैं निवेदन करूंगा और सदन में आश्वासन चाहता हूं मेरे यहां 31 मार्च तक अपनी सूची भेज दें, मैं उसमें तबदीली करूं यह मेरा अधिकार है, सदन ने मुझको अधिकार दे रखा है। लेकिन किसी वजह से 31 मार्च तक, आप भी सुन लें और इधर से आप भी सुन लें, प्राइवेट तरीके से जो मेरी सहायता के लिये लिस्ट आती है यदि नहीं, आयेगी तो यह मेरे लिये सम्भव नहीं होगा कि मैं अप्रैल, मई, जून तक उसे ले जाऊं। प्रत्येक वर्ष का तजुर्बा देखते हुए मेरे लिये यह परेशानी हो जाती है। मैं इस जिम्मेदारी को तभी स्वीकार करने की स्थिति में हूं जब कि आप सदन में इस बात का आश्वासन दें कि 31 मार्च और ज्यादा से ज्यादा अप्रैल के पहले हफ्ते तक लिस्ट आ जाय। नहीं तो मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि इस प्रस्ताव को इस रूप में स्वीकार कर लूं। इसलिए पहले आश्वासन चाहता हूं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आपका आदेश हमें मिलना चाहिये, उसमें हमारा आश्वासन क्या चीज है ?

श्री अध्यक्ष–

उसी तरीके से जैसे आंख मीच कर यह कह रहे हैं।

श्री अम्मार रिजवी–

जो आदेश आप देंगे उसका हम लोग पालन करेंगे तथा जो तिथि निर्धारित करेंगे उसके अनुसार सारी कार्यवाही करेंगे।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, यह जो एक प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस माननीय सदन में रखा है, यह सारे दलों से और सभी सदस्यों से संबंधित है। अब तक जो इस तरह के प्रस्ताव आते थे वे सारे नेताओं से बैठ कर आपकी मौजूदगी में तय कर प्रस्ताव आते थे। ताकि कोई विवाद की बात न हो। यह पहली बार है कि हम लोगों को बिल्कुल मालूम तक नहीं है न माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी को मालूम है. . .

श्री अध्यक्ष–

माननीय मोहन सिंह जी के हस्ताक्षर हैं।

श्री रियासत हुसैन–

कभी इस तरह से तय नहीं हुआ और इस तरह से प्रस्ताव नहीं आया। माननीय भीखालाल जी कह रहे हैं हमें भी नहीं मालूम है। यह अच्छी परम्परा नहीं है यह हम आपके संज्ञान में ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोगों को विश्वास में लेना चाहिये।

प्रश्न यह है कि समितियों में नामनिर्देशन हेतु जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन

में प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1984-85 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग (क्रमागत)

श्री भीखालाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में अपने मत व्यक्त किये। मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं आखिर में कुछ सुझाव दूंगा। तो मैं एक बात कहने के बाद अपने सुझाव दूंगा। जैसा माननीय कुबेर भण्डारी जी ने शिकायत की वह शिकायत मुझको भी है। हमेशा जो प्रमुख त्योहार होते हैं उन पर भारत सरकार भी अतिरिक्त कोटा चीनी का चीजों का राशन कार्ड से देती है। इस वर्ष भी यह प्रथा लागू की गयी। लेकिन सब जगहों पर यह शुगर नहीं मिल पायी। वह आदेश जिलों में पहुंचा या पहुंचा तो दुकानदारों को नहीं पहुंचा, तो मंत्री जी पता लगायें कि इसमें कहां पर दोष था।

मान्यवर, अब मेरा सुझाव है कि सरकार और विभाग के सामने चुनौती है मूल्यों के नियंत्रण की। इसमें दो पहलू हैं। एक किसान को उत्पादन के उचित मूल्य मिलें और दूसरे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गल्ला मिले। जहां तक उत्पादकों का सवाल है तो इसके सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुका हूं और अब उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर गल्ला नहीं मिल पाता है चूंकि सरकार के पास इतना भण्डार नहीं होता है, क्योंकि कुल उत्पादन का 12 1/2 प्रतिशत ही खरीददारी सरकार करती है और गेहूं का 50 प्रतिशत बाजार में छूट जाता है, कि वह बाजार में कंपटीशन करे और कीमतों में नियंत्रण रख सके। इसलिये उपभोक्ताओं को सही दाम पर खाद्यान्न नहीं मिल पाता है।

इसका अब एक ही उपाय है कि सरकार साहस करे चूंकि शासक पार्टी का ही प्रस्ताव है, और जो स्वीकृत प्रस्ताव है, उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि उसका उपाय है कि गल्ले के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण जब तक नहीं करेंगे तब तक मूल्यों पर नियंत्रण नहीं हो सकता है, कांग्रेस पार्टी इसको स्वीकार कर चुकी है और 1959 में नागपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया था किन्तु तबसे इसको लागू नहीं किया गया। कांग्रेस जब 1969 में विभाजित हुई तो बम्बई में कांग्रेस आई का महाधिवेशन हुआ, उस समय कांग्रेस इंडीकेट थी, उसके दो प्रस्तावों की मैं याद दिलाना चाहता हूं—एक प्रस्ताव था कि गल्ले के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण और दूसरा चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, पं0 कमलापति त्रिपाठी जी थे, उन्होंने घोषणा किया था कि हम दोनों प्रस्तावों के प्रति बचनबद्ध हैं और लागू करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह बचनबद्धता कब लागू होगी।

मान्यवर, 1971 में सरकार ने निश्चय किया कि गेहूं की फसल से पूरा मार्केटेबिल सरप्लस सरकार खरीदेगी और खरीफ में धान भी इसी तरह

खरीदा जायेगा लेकिन व्यापारियों के दबाव के कारण गेहूं की खरीद को भी छोड़ दिया गया और चावल पर लागू ही नहीं हुआ, इसलिये सरकार अपनी नीतियों को लागू नहीं कर पा रही है और जिसके कारण उपभोक्ताओं को राशन उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा है। इसलिये सुझाव और आग्रह है कि मंत्री जी आज घोषणा करें कि गल्ले के थोक व्यापार का हम राष्ट्रीयकरण करेंगे और यदि यह घोषणा कर देते हैं तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले सकता हूं।

मान्यवर, मेरा यह भी सुझाव है कि भारत सरकार की नीति के अनुसार प्रदेश में 2 हजार यूनिटों पर एक राशन की दुकान खोली जाती है तो इसमें मेरा सुझाव है कि शहरों में कवाल टाउन्स में, कस्बों में थोड़ा भेद करें कि जो आर्थिक स्थिति से सम्पन्न हैं, जो गल्ला खुले बाजार से खरीद सकते हैं उनको राशन का गल्ला दिलाने में कोई औचित्य नहीं है, इसलिये जो गरीब हैं उनको ही राशन से गल्ला दिलाया जाये। इस तरह की नीति बनाकर राशन कार्ड दिलायें।

मान्यवर, इसी तरह से, जैसा श्री रियासत हुसैन जी ने कहा, जिलों में ग्रामीण जीवन में मिट्टी तेल बहुत आवश्यक चीज है, बिजली गांवों में नहीं है जिससे वह लोग चिराग जलाते हैं, इसलिये यदि मिट्टी का तेल आसानी से किसानों को मिले तो उनके घरों का अंधेरा दूर हो सकता है, इसलिये ऐसी व्यवस्था करें कि गांवों में जो बाजारें हैं, वहां लाइसेंसी जाकर मिट्टी का तेल बेचें ताकि लोगों को एक बोतल तेल के लिये 4-5 किलोमीटर दूर न जाना पड़े और आसानी से तेल मिल सके।

मान्यवर, मैं भी इस बात का पक्षधर हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिये और जैसा श्री दूधनाथ राजभर ने प्रस्ताव दिया था और मैं भी प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अदालत पंचायतों से लेकर जिले स्तर तक जन-प्रिय समितियां जो बनी हैं, उनकी देख-रेख में इन चीजों का वितरण हो और जिसमें प्रधान भी शामिल हों उन पर नियन्त्रण रखा जाए, इसको बचाया जाये और इसको लागू किया जाये। यह सक्रिय कमेटियां हों, केवल कागज पर ही न बनायी जांय। बहुत से साथियों ने इस बात को कहा है कि देहातों में राशन कार्ड नहीं हैं और आपने कहा भी है कि हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप इसकी जल्दी व्यवस्था करें और साथ ही जैसे समय-समय पर शहरों में राशन कार्डों का पुनरीक्षण होता रहता है, वैसे ही वहां भी इसका पुनरीक्षण होना चाहिए। क्योंकि गांवों में घरों का बंटवारा भी होता रहता है, जिससे जिसके पास वह रह गया वह उसका दुरुपयोग करता है जो अलग हो गया वह बिना कार्ड के रह जाता है।

सीमेन्ट के सम्बन्ध में जो रियासत हुसैन साहब ने कहा उसको भी ठीक किया जाये और सीमेन्ट की दुकान ब्लाक स्तर से ही हो ताकि जहां से उसे परमिट मिलता है वहां से वह खरीद सके। कुछ ब्लाकों में अभी लेवी सीमेन्ट की दुकानें नहीं हैं, जिससे लोगों को कई-कई मील तक सीमेन्ट लेने जाना होता है, जिससे जितने की

सीमेन्ट उतना ही उसका ढुलाई में खर्च हो जाता है। टाउन और कस्बों में भी जो आपने सीमेन्ट की दुकानें खोली हैं, वह उसकी सीमा के अन्दर ही रहें, वह उसके बाहर न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और उम्मीद है कि यह माननीय सदन उससे सहमत होगा।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का आभारी हूं। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं वह इस विभाग के नियंत्रण के लिये काफी सही हैं। कटौती प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य, श्री भीखालाल ने जो सुझाव दिये हैं, उसमें से कुछ सुझाव तो मेरे क्षेत्र के बाहर हैं और बाकी मैं समझता हूं कि जितने भी इधर और उधर के सदस्यों ने कमी की बात कही है, शिकायतें की हैं, वह अपनी जगह सही हैं। जो शिकायतें हैं — पेट्रोल न मिलने की, चीनी न मिलने की, वितरण सही न होने की, पंचायत समितियों द्वारा सामान न उठाने की और प्राइवेट सेक्टर के सम्बन्ध में तमाम शिकायतें, वह सब अपनी जगह सही हैं। प्रश्न केवल इस बात का है कि उनको कन्ट्रोल कैसे किया जाये। जहां तक मैं समझता हूं कि सामान की कमी भी अगर है और सही वितरण है तो जनता उस पर रोष नहीं करती है, लेकिन सामान है, चाहे जितनी तादाद में हो। यदि सही वितरण नहीं होता है तो उस पर जनता में रोष होता है। प्रश्न यह है कि एक-डेढ़ महीने अभी हमें विभाग सम्भाले हुआ है। यह विभाग हमारे कन्ट्रोल में पूरा नहीं है। तहसील लेविल पर तहसीलदार और एस0 डी0 एम0 सीमेन्ट का लाइसेंस देंगे। एम0 एल0 ए0 की हैसियत से भी मुझे उस वक्त अनुभव हुआ था। तहसीलदार गलत परिमिट दे रहा था, 10 रुपया फी बोरी के बिना वह नहीं देता था, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था और आज भी कुछ कर नहीं सकता हूं। मैं जानता हूं कि तहसीलदार, एस0 डी0 एम0 गलत परमिट देते हैं। लेकिन उस पर मेरा नियन्त्रण क्या है? और नियन्त्रण अगर नहीं है तो उनको भय नहीं होता।

जहां तक कोआपरेटिव सोसाइटीज का प्रश्न है, मैं यह नहीं कहता कि सभी ठीक हैं। यह बात भी ठीक नहीं होगी कि सेन्ट परसेंट वितरण व्यवस्था उनसे ले ली जाये। मैं यह समझता हूं कि सहकारिता विभाग का जो हमारे विभाग के साथ साथ सहयोग है, वह अच्छा है। (व्यवधान) लेकिन वह साधन सहकारी समितियां जो अपने कर्तव्यों को नहीं समझती हैं, वे अवश्य न तो सामान को उठाती हैं और न ही वितरण करती हैं। इस चीज को मैंने एम0 एल0 ए0 की हैसियत से देखा है। यह भी देखा है कि जो उनके सचिव हैं, उनके कई-कई मंजिले भवन बन गये हैं। यह सब मेरे ध्यान में है। लेकिन अभी मैं कोई ऐसा आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं कि मैं इन समितियों को रखूंगा या नहीं।

अब और ऊपर चलिये। ए0 डी0 एम0 (सिविल सप्लाई) भी मेरे अन्डर में नहीं हैं। फिर उसको करप्शन में कैसे पकड़ा जाये क्योंकि वह तो अगर लेगा तो नीचे के लोगों से लेगा, डायरेक्ट नहीं लेगा।

एक बार एक माननीय सदस्य ने पाम आयल की शिकायत की और उसको पकड़ने के लिये डेढ़ बजे रात तक हम लोग रुके रहे, मगर पकड़ नहीं सके, वह निकल गया।

नकली चाय की जो बात आयी, यह चीज ऐसी तो है नहीं कि मेरे वक्त में हुई हो, यह तो पहले से चली आ रही है। एक जगह नहीं, कई जगह यह चीज पकड़ी गयी है।

अब प्रश्न यह है कि जो विभाग बदनाम हो रहा है, उस पर हमारा कन्ट्रोल क्या है? मेरे पास रह जाते हैं डी0 एस0 ओ0 और इन्सपेक्टर वगैरह। इन पर भी अगर हम कोई कार्यवाही करते हैं तो आप लोगों का राजनैतिक प्रभाव पड़ता है, मुझे कार्यवाही करने नहीं देते। कोई कहता है इनको मत हटाओ, कोई कहता है इनको हटाओ। मैं इसी में रात दिन लगा रहता हूं। तो क्या यह माननीय सदन मुझे इस बात का विश्वास दिलायेगा कि मैं अगर अपने किसी व्यक्तिगत कारण से करूं तो गुनाहगार जरूर हूं, अगर जनहित में कोई कार्यवाही करूं तो वह उसमें मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा और मुझे अपने कार्य की स्वतंत्रता रहेगी।

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं मैंने उन सभी को नोट किया है, उन पर मैं अपने विभाग के अधिकारियों के साथ विचार करूंगा, जो सुझाव मानने वाले होंगे, उनको अमल में लाया जायेगा, अगर मंत्रि परिषद् की राय की आवश्यकता होगी तो वह भी लूंगा, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे भी हैं, जिन्हें मैं अकेले नहीं कर सकता। जो त्रुटियां वितरण प्रणाली में बतायी गयी हैं, उनको भी दूर किया जायेगा। मुझे आशा है आप अपने सुझाव मुझे देते रहेंगे और इत्तिला भी देते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इस अनुदान को पास करे।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों पर अगर नियंत्रण यह नहीं कर सकते, तो वह कौन सी सत्ता होगी जो उनको ठीक करेगी ?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ा ही दीन असहाय युक्त भाषण दिया जिसे हमने सुना। मेरी उनके साथ सहानुभूति है, मगर यह शासन अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। माननीय मंत्री जी ने जो दीन-हीन अवस्था अपनी बतायी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये कोई योजना उनके सामने है ? किस प्रकार से भ्रष्ट अधिकारियों पर नियन्त्रण करेंगे ? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कैसे सुधारेंगे? कोई योजना उनके सामने है?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

उस राम औतार पिक्चर का क्या हुआ?

श्री राम औतार दीक्षित–

वह भी हो जायेगा। यदि आपकी आज्ञा हो जाय तो सारे लोग वहां पर चलें।

श्री अध्यक्ष–

जी हां, आप वित्त मंत्री जी से बात कर लीजिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)—

मान्यवर, माननीय सूचना मंत्री यहां बैठे हैं। इनसे आप यह दिखवा दें?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सूचना मंत्री जरा खड़े हो जायं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है कि इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों को राम औतार पिक्चर दिखायी जाय उसके लिये क्या आप तैयार हैं ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, राम औतार कोई पिक्चर आयी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आई तो है, "आज का एम0 एल0 ए0, राम औतार"।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, आप पहले चलकर देख लें। अगर देखने के लायक हो तो सबको दिखायेंगे। (हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह वही बन गये हैं, राम औतार पिक्चर हम रोज देखते हैं।

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, मैं दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। प्रदेश में जितनी भी धान की मिलें हैं, उन मिलों में यह जो क्वालिटी इंसपेक्टर और एस0 एम0 आई0 हैं वह सम्भवतः आपके सबार्डिनेशन में आते हैं। कुछ के बारे में आपने अभी कहा कि वह हमारे सबार्डिनेशन में नहीं आते हैं। तो यह जो इंसपेक्टर और एस0 एम0 आई0 हैं, इनकी यह प्रक्रिया है कि हर मिल से 2 रुपये या 3 रुपये फी बोरी बंधा हुआ है। इसके बारे में मंत्री जी कोई नियंत्रण करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य ने जो संकेत दिया है तो चावल या धान मिल में जो इंसपेक्टर या एस0 एम0 आई0 वगैरह कार्य कर रहे हैं तो मैं वह नहीं कहता हूं कि वह बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिये, कुछ दिन का मौका आप हमें दें। ऐसा नहीं है कि वह ठीक नहीं हो सकते। ठीक नहीं होंगे तो भर पायेंगे। उनको ठीक किया जायगा। माननीय सदस्य ने जो यह पूछा कि यह अधिकारी किसके नीचे हैं तो जो एप्वाइंटिंग अथारिटी होता है वही कार्यवाही करता है। तो इस व्यवस्था पर विचार किया जायगा और सही वितरण तथा मूल्य निर्धारण के लिये जो औचित्य होगा वह किया जायगा।

श्री कुबेर भण्डारी—

मान्यवर, इन निरीह मंत्रियों से क्या उम्मीद की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,75,33,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

जनपद देवरिया की कचहरी में वकीलों पर पुलिस द्वारा तथाकथित लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य :—

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-3-84 को पुलिस को यह सूचना मिली थी कि सोनाड़ी ग्राम के पास दिनांक 2-3-84 को हुयी हत्याकाण्ड से सम्बन्धित थाना—भुलवनी पर दर्ज अपराध संख्या-24/84 धारा 147/148/149/307/302 भा0द0वि0 के नामित अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में आत्म-समपर्ण करने की योजना बनायी गयी है। यह भी सूचना मिली थी कि इन लोगों के पास हथियार भी होंगे और देवरिया कचहरी के अन्दर वे किसी भी उत्तेजना पर जघन्य अपराध कर सकते हैं। इस सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उक्त अपराध संख्या-24/84 से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं न्यायालय परिसर के अन्दर तथा बाहर शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये पुलिस बल लगाया गया था। कुछ अधिवक्ता भी प्रकटतः सन्दिग्ध प्रतीत हुये थे और इस लिये पुलिस कर्मियों द्वारा उनके नाम पते पूछे गये थे। इससे कुछ नवयुवक अधिवक्तागण उत्तेजित होकर पुलिस के विरुद्ध नारे बाजी करने लगे परन्तु पुलिस कर्मियों द्वारा यह बताने पर कि अधिवक्ता श्री के0के0 सिंह की हत्या से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु ऐसा किया जा रहा है, अधिकांश अधिवक्ता शान्त हो गये। परन्तु उसी दिन लगभग 12 बजे दिन में श्री बालेन्द्र पाण्डेय, एडवोकेट दो अन्य अधिवक्ताओं के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवरिया के चेम्बर से एक मेज जबरदस्ती निकाल कर उनके न्यायालय के समक्ष परिसर में खड़े होकर पुलिस को गालियां देने लगे। इस पर पुलिस के समर्थक अधिवक्ताओं तथा विरोधी अधिवक्ताओं के बीच झड़प हो गयी। इस पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस ने हस्तक्षेप किया और सामयिक आवश्यक कानूनी कार्यवाही करके श्री बालेन्द्र पांडे सहित तीन अधिवक्ताओं को पकड़ कर उनके विरुद्ध थाना-कोतवाली, देवरिया पर भा0द0वि0 की धारा-160 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया। बाद में, तीनों अधिवक्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया। यह कहना सही नहीं है कि इस घटना से पूरे जनपद के न्यायालय बन्द हुये।

2—पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने व उससे सैकड़ों अधिवक्ताओं के घायल होने की बातें भी सही नहीं हैं। यह कहना भी सही नहीं है कि पुलिस कार्यवाही के समय एडवोकेट श्री बालेन्दर पाण्डेय का बांया हाथ टूटा था। इसके विपरीत दिनांक 4-3-84 को एक मोटर साईकिल दुर्घटना में उनका हाथ टूटा था।

3—यह कहना भी सही नहीं है कि देवरिया में तथा कथित दो माफिया गिरोह द्वारा आतंक मचाया जा रहा है।

4—यह कहना सही नहीं है कि अधिवक्ता दिनांक 7-3-84 को काला कोट पहन कर कचहरी नहीं आये या कचहरी का कार्य बन्द रहा।

5—पान वालों या टैक्सी वालों को मारे जाने, अधिवक्ताओं के घर छापे पड़ने की बातें सही नहीं हैं।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

6—यह कहना भी सही नहीं है कि विगत छः महीनों में देवरिया जनपद के दो गिरोहों में युद्ध के कारण एक दर्जन से अधिक लोग मारे गये हैं ।

7—दिनांक 2-3-84 को सांयकाल घटित घटना, जिसमें सर्वश्री के0 के0 सिंह एडवोकेट, आशुतोष सिंह व सत्तन सिंह की हत्या हुयी थी के मामले में पुलिस ने इस घटना के बीस घण्टों के अन्दर चार अभियुक्तों को हत्या में प्रयुक्त कार एवं अन्य असलहों सहित पकड़ लिया और एक सप्ताह के अन्दर अन्य तीन नामित अभियुक्तों की चल सम्पत्ति भी कुर्क कर ली ।

8—यह कहना सही नहीं है कि पूरे जनपद में विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है और जिले में क्षोभ एवं आतंक व्याप्त है अपितु जनपद में स्थिति सामान्य है ।]

श्री हरिवंश सहाय—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का यह जो बयान है, बिलकुल सत्य से परे है । उसमें कोई भी बात सही नहीं कही गयी है । मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि दीवानी कचहरी के अन्दर जहां डिस्ट्रिक्ट जज और सी0जे0एम0 बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई रिपोर्ट मारपीट के बारे में जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और हाई कोर्ट के जज के पास भेजा है, वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री प्रमोद कुमार—

ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। चूंकि इसकी विवेचना चल रही है, तो सारे तथ्य सामने आ जायेंगे ।

*श्री राज कुमार राय—

घटना क्राइम नं0 24 सन् 84 जब 2-3-84 की है और विवादित घटना 8-3-84 की है, तो इस बीच में लगभग एक सप्ताह पुलिस क्या करती रही और जब अभियुक्त न्यायालय में आत्म समर्पण को जा रहे थे, तो उस समय इतने दल-बल प्रयोग और घेरे बन्दी की क्या जरूरत थी और जब अधिवक्ताओं के एक वर्ग को इस पकड़े जाने की सूचना मिल ही गयी थी, तो अभियुक्तों को कैसे यह सूचना नहीं मिली और वह बरबस वहां पड़े रहे ? सूचना के अनुसार जब अधिवक्ता बलेन्दर पाण्डेय का हाथ कई दिन पहले मोटर साइकिल की दुर्घटना से टूट गया था, तो घटना के दिन किस प्रकार वह सी0जे0एम0 के दफ्तर से मेज निकाल कर कैसे नारेबाजी करते रहे ? उनकी चोटें मुआइने के समय कितनी पुरानी पायी गयीं ?

श्री प्रमोद कुमार—

जैसा बताया गया है, उस समय उनका हाथ टूटा हुआ था, जिस समय वह भाषण दे रहे थे ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो पूरी रिपोर्ट आयी है, यह एकदम गलत है । मैं 8 तारीख को ठीक 10 बजे वहीं सड़क पर था और जब लाठी चार्ज हुआ, यह बात सही है कि पुलिस साढ़े 9 बजे पहुंच गयी थी, सारे वकीलों को चेक करना शुरू किया और वकीलों ने विरोध किया, तो यह लाठी चार्ज किया गया । इसमें कहा गया है कि किसी वकील के घर छापा नहीं डाला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इम्तियाज हुसैन उर्फ अन्नू बाबू, एडवोकेट जो कांग्रेस (आई0) के नेता हैं, उनके घर पर पुलिस ने छापा डाला, सारे घर की तलाशी ली, उसके बाद भद्दी-भद्दी गालियां दी उनको और उनके परिवार वालों को । दूसरे दिन पुलिस ने वकीलों की घेराबन्दी किया । पुलिस पहचानती है वकीलों को . . .

श्री अध्यक्ष–

अगर आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो मैं आपको बैठा दूंगा ।

श्री नन्द किशोर सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इम्तियाज हुसैन उर्फ अन्नू बाबू के घर पर छापा डालने तथा वकीलों को मारने की जांच किसी जज से कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, विवेचना हो रही है, इन बातों का पूरा ध्यान रखा जायेगा ।

*श्री रुद्र प्रताप सिंह–

अध्यक्ष जी, जो वक्तव्य मुख्य मंत्री जी की तरफ से मंत्री जी ने पढ़ा है, यह एकदम सत्य से परे है । एक जो जिला जज ने पत्र घटना के बाद लिखा है, वह निश्चित रूप से फाइल में पड़ा होगा, उसको बतलायें। उन्होंने स्वीकार किया है हमारे परिसर में पुलिस आकर बालेन्द्र पाण्डेय को पटक कर चढ़ बैठी, सीने पर चढ़कर मारा और इतना मारा कि पाखाना हो गया और उनका पैंट खराब हो गया । वकील का ऐसा पेशा है कि किसी मुल्जिम या शरीफ आदमी के लिये जब वह उनके पास जाता है, तो वह खड़ा होता है । क्या कहीं कानून में ऐसा है, पुलिस अदालत के परिसर में जाकर तलाशी ले सकती है ?

श्री अध्यक्ष–

वह स्वयं वकील हैं ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

बनारस में हुआ, देवरिया में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, लखनऊ में होगा, वह खुद भी भुगतेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

एक वकील के कत्ल का मामला था । कुछ लोग वकील के भेष में आत्मसमर्पण करने वाले थे । 10 बजे अदालत शुरू होती है, साढ़े 9 बजे जिला प्रशासन ने सारे प्रबन्ध कर लिये थे । यह इस बात का एक सबूत है, एक अपवाद कहा जा सकता है और किसी को चोट नहीं आयी। एहतिहात के तौर पर कार्यवाही करनी पड़ती है ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने पुनः जो प्रश्न किया है, उस पर बल देता हूं न जाने क्यों किस विवशता के कारण मंत्री जी जानकारी नहीं दे रहे हैं। सी0जे0एम0 ने जो पत्र लिखा, पत्र कहिये, प्रार्थना पत्र कहिये, वह क्या लिखा ? दूसरी बात 8-3-84 की घटना है, हड्डी टूटने का जो मामला है, उसके बारे में कहा गया कि बालेन्द्र पाण्डे का हाथ 4-3-84 को मोटर साइकिल एक्सीडेंट से हुआ। 8-3-84 को हड्डी टूटी या 4-3-84 को टूटी। पुलिस किस आधार पर कह रही है कि 4-3-84 को टूटी । क्या कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज है ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट ने जो पत्र लिखा है, यह सहादत के लिये काफी महत्वपूर्ण बात होगी। मैं पुलिस अधिकारी को आदेश करूंगा कि जांच के समय उस पत्र के अनुसार कार्यवाही की जाय, मैं यह आश्वासन देता हूं।

श्री हुकुम सिंह–

हड्डी टूटने का जवाब नहीं आया ?

श्री प्रमोद कुमार–

कोई एफ0 आई0 आर0 नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि सी0 जे0 एम0 की रिपोर्ट के सन्दर्भ में नहीं आया। मामला पुलिस के खिलाफ है। हुकम सिंह के प्रश्न से सन्देह पैदा हो गया। मोटर साइकिल से उनका एक्सीडेन्ट हुआ और हाथ की हड्डी टूटी इसकी जानकारी कैसे मिली ? इस पूरे मामले की जांच क्या आयुक्त स्तर के या किसी जिला सत्र न्यायाधीश से करायेंगे ? एल0 आई0 यू0 से जांच कराने का क्या कारण है ? इसकी जांच आयुक्त स्तर या जिला सत्र न्यायाधीश से करायेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पहले मैं स्पष्ट कर दूं। कहा गया कि हाथ पहले टूटा या बाद में, तो जिस समय यह घटना हो रही थी, वह भाषण दे रहे थे, उस समय हाथ टूटा हुआ था। प्लास्टर चढ़ा हुआ था दूसरी तरफ कहा गया कि आयुक्त से, जज से, जांच कराइए . . .

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बातचीत न करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर आप आज्ञा दें तो मैं जज से जांच कराने को तत्पर हूं।

श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र–

जहां तक मुझे जानकारी है अधिवक्ता के रूप में कोई आत्मसमर्पण करने आए . .

(शोर)

मान्यवर, इल्तजा हुसैन के घर की तलाशी ली गयी और तलाशी लेने के बाद उसे अपमानित किया गया तो क्या वह वैधानिक कार्यवाही है ?

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र–

मान्यवर, यह गलत है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

इसकी जांच करा लें यह सही है।

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप सब बैठें।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एक सम्मानित व्यक्ति, एक अधिवक्ता के घर की तलाशी ली जाए . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सब बैठ जाएं। मिश्र जी कुछ कह रहे हैं ?

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, इम्तियाज हुसैन के घर की तलाशी ली गयी, उसके बाद उसे अपमानित किया गया . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठते क्यों नहीं?

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए जिससे कहें, जांच करवा दें।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र–

मैं जानना चाहता हूं कि बालेन्द्र पाण्डेय जो तथाकथित वकील हैं, उनका अपराधिक जीवन रहा है या नहीं?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री हुकम सिंह–

मैं जानकारी चाहता हूं कि इनका जो वक्तव्य है उसको देखने की कृपा करें । बालेन्द्र पाण्डेय सहित तीन अधिवक्ताओं को पकड़कर उनके विरुद्ध थाना-कोतवाली, देवरिया पर भा0 द0 वि0 की धारा–160 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया । बाद में तीनों अधिवक्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इन्होंने वकील साहब के बारे में कहा है कि हाथ टूटा था जब उनका हाथ टूट गया अगर उनका हाथ टूटा हुआ था तो निस्सन्देह पुलिस ने डाक्टरी करायी होगी क्या डाक्टरी में आया है कि इनका हाथ टूटा हुआ है । माननीय गृह मंत्री जी मेरा प्रश्न यह है कि जिस समय वह भाषण पढ़ रहे थे, उस समय प्लास्टर चढ़ा हुआ था मेरा प्रश्न यह है कि जैसा कि मंत्री जी ने भाषण दिया कि पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, तो उसके बाद अगर उनके शरीर में चोटें थीं, तो यह पुलिस का नैतिक और कानूनी दायित्व होता है कि उनका मेडिकल करावें। तो उस मेडिकल की रिपोर्ट क्या है, माननीय मंत्री जी पढ़ कर सुना दें ।

श्री प्रगोद कुमार–

मान्यवर, यह पुलिस का नैतिक दायित्व निश्चित रूप से है । मेडिकल रिपोर्ट जी0 डी0 की रिपोर्ट में अंकित होती है, जो इस समय मेरे पास मान्यवर, उपलब्ध नहीं है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह मुल्जिम पकड़े गये, तो उनका मेडिकल हुआ भी या नहीं और अगर हुआ तो उसकी रिपोर्ट में चोट का ड्यूरेशन क्या लिखा है ? चोटें फ्रेश थीं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

यह बता तो रहे हैं कि रिपोर्ट उनके पास नहीं है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, एक प्रार्थना करूंगा । मान्यवर, आप स्वयं समीक्षा कर लें, सारे प्रकरण में सारे माननीय सदस्यों ने मंत्री जी से जानकारी चाही है कि मेडिकल रिपोर्ट क्या रही, इसकी जानकारी मंत्री जी के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास सी0 जी0 एम0 की रिपोर्ट नहीं है । मान्यवर, आजकल जो वकीलों पर पुलिस के प्रदेश व्यापी अत्याचार हो रहे हैं, वैसा ही यह भी एक मामला है। इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस बयान को स्थगित करा दें और आयुक्त से जांच कराकर फिर से रिपोर्ट मंगाने की कृपा करें । वरना सारे प्रदेश में वकीलों में उत्तेजना का वातावरण फैल रहा है और शांति व्यवस्था के लिये संकट पैदा हो सकता है । इस मामले में मान्यवर, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अपना संरक्षण प्रदान करें ।

श्री प्रगोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों की भावनाओं से सहमत होते हुए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी तरह से कोई पक्षपात नहीं किया जायगा और जो चीफ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जूडीशियल मैजिस्ट्रेट से इन्क्वायरी की बात कही है। मेरे पास सी0 जी0 एम0 की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, अगर माननीय सदस्य के पास हो तो उपलब्ध करा दें, तो मैं कुछ जवाब दे दूं। फिर धारा 160 के अनुसार इसमें जमानत में कोई दिक्कत नहीं है।

(श्री नन्द किशोर सिंह, श्री कुबेर भण्डारी, श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय ने वक्तव्य की प्रतियां फाड़ कर फेंकी।)

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, मेरा आरोप है कि पुलिस की हिरासत में वकील साहब की हड्डी टूटी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी को इस सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं का ख्याल नहीं है। ये उच्च स्तरीय जांच कराने के लिये तैयार नहीं हैं। इस मामले में सरकार की नैतिकता और नीति के विरोध स्वरूप मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

जनपद गोण्डा में बनगाई रेलवे स्टेशन पर छात्रों पर जी0 आर0 पी0 द्वारा गोली चलाये जाने से एक व्यक्ति के मरने के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

[दिनांक 28-2-84 को जी0 आर0 पी0 तथा आर0 पी0 एफ0 की सहायता से रेलवे कर्मचारियों द्वारा गोण्डा-बहराइच लाइन पर, गोण्डा से 17 किलोमीटर दूर बनगाई रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट यात्रियों की चेकिंग की गयी। उक्त तिथि को प्रातः 9 बजे 174 डाउन पैसेन्जर पर गाड़ी को बनगाई स्टेशन पर इस दल द्वारा चेक किया गया चेकिंग के परिणाम स्वरूप 31 व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये। इन बेटिकट यात्रियों को चेकिंग दल जब रेलवे फाटक के पास खड़ी बसों की ओर लेकर चले तब वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी और चेकिंग दल को घेर लिया। इस भीड़ ने बिना टिकट यात्रियों को छुड़ाने का प्रयास किया। चेकिंग दल द्वारा ऐसा न करने पर भीड़ ने वहां पर पड़े पत्थरों से चेकिंग दल पर पथराव किया। चेकिंग दल के साथ की फोर्स ने पथराव करती हुई भीड़ को भगाने का प्रयास किया। किन्तु सफलता न मिली और भीड़ और अक्रामक होती गई। पथराव से चेकिंग दल के सदस्यों को चोटें आयीं। एक उप निरीक्षक की नाक पर गम्भीर चोट आयी। हिंसक भीड़ ने एक टी0 टी0 ई0 को पकड़ कर खीचने की कोशिश की और चेकिंग दल ऐसी स्थिति में आ गया कि आत्मरक्षार्थ उनके साथ आई सशस्त्र पुलिस द्वारा चार राउन्ड गोलियां चलानी पड़ी। भीड़ बेटिकट यात्रियों को इसी बीच छुड़ा चुकी थी। तदोपरान्त चेकिंग दल घटना-स्थल से प्रस्थान कर सके।

उक्त घटना में पुलिस द्वारा गोली चलाने के फलस्वरूप राम तेज नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। सम्बन्धित घायल जी0 आर0 पी0 तथा रेलवे कर्मचारियों का चिकित्सा परीक्षण कराया गया। इस घटना में कुल एक उप-

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निरीक्षक, दस जी0 आर0 पी0 के कान्स-टेबुलों व पन्द्रह आर0 पी0 एफ0 के रक्षकों को चोटें आयी। एक टी0 टी0 ई0 को भी साधारण चोटें आयीं। किसी अन्य के घायल होने के सम्बन्ध में कोई विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कौड़िया बाजार में घुसकर जी0 आर0 पी0 के जवानों द्वारा मारपीट करने के आरोप सही नहीं पाये गये। जी0 आर0 पी0 कर्मियों द्वारा शिव सहाय को मारने एवं उनसे रु0-570/- छीनने तथा एवन्नक मनिहार को मारने की कथित घटना के सम्बन्ध में कोई सूचना स्थानीय पुलिस थाने अथवा घटना स्थल पर गये उच्चाधिकारियों को नहीं दी गयी। जिससे यह विदित होता है कि यह आरोप सही नहीं है।

रेल के सहायक वाणिज्य अधिकारी जो इस दल का नेतृत्व कर रहे थे, ने इस घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट की जिसके आधार पर धारा 147/148/336/337/323/333/353/224/225 भा0 द0 वि0 तथा 120/121 रेलवे एक्ट के अन्तर्गत अभियोग थाना जी0 आर0 पी0 गोण्डा पर पंजीकृत किया गया। मृतक के परिवार के एक सदस्य ने थाना कौड़िया, जिला-गोण्डा में धारा 147/148/304 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कराया। मृतक के परिवार वालों को (एक हजार रुपया) 1000/- आर्थिक सहायता दी गयी है। जिलाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रीरियल जांच के आदेश दिये गये हैं। इस घटना की कोई जन-प्रतिक्रिया प्रकाश में नहीं आयी है। स्थिति सामान्य है।]

श्री मुरलीधर मुनोम–

मान्यवर, जो 31 व्यक्ति पकड़े गये चेकिंग दल द्वारा उनके नाम क्या हैं?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह एक हादसा है जिसमें जो व्यक्ति पकड़े गये, उनको लोग छुड़ा ले गये, इसलिए उनके नाम जानने का अवसर ही नहीं आया। जैसे ही, वे पकड़े गये, लोगों ने ईंट पत्थर चला कर उनको छुड़ा लिया।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

आपने लिखा है कि 31 व्यक्ति बिना टिकट पकड़े गये, इनको जब रेलवे फाटक के पास खड़ी हुई बसों की ओर लेकर चले, तब वहां भीड़ ने ईंट पत्थर चला कर उनको छुड़ा लिया उन व्यक्तियों के खिलाफ दफा 147]148/336 आदि लिखी गई है, तो इसमें कितने व्यक्ति ऐसे हैं, जिनकी नामजद रिपोर्ट लिखी गई है, भले ही बाद में उनको छोड़ दिया गया हो। और कितने की संख्या दिखाई गई है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरे पास जो रिपोर्ट आयी है, यदि आप आदेश दें तो, मैं उसे पढ़ दूं। नाम से किसी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई है क्योंकि यह कहा गया है कि वहां पर 1-2 हजार की भीड़ थी।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितने लोगों की नामजद रिपोर्ट है और उनकी संख्या क्या है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नामजद रिपोर्ट नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज कुमार राय–

मान्यवर, कितने यात्री बेटिकट पकड़े गये और कितने सेकेण्ड क्लास के पकड़े गये? और उस तिथि में लोगों को कितनी कितनी चोटें आईं और उनका नेचर क्या था?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर 31 व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये। एक उप निरीक्षक की नाक पर गम्भीर चोट आयी।

श्री मुरलीधर मुनीम–

मान्यवर, श्री रामतेज गन्ना का काश्तकार था। अपने बहनोई की परची से बन गई गन्ना क्रय केन्द्र पर वह गन्ना तुलवाने गया हुआ था। जो घटना स्थल है, वह स्टेशन से 500 मीटर दूरी पर है। गेट पर गाड़ी खड़ी थी, तो वह पैदल कैसे लिये जा रहा था?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जब लोगों को पकड़ कर लाया जा रहा था तो बाजार से हजारों की तादाद में लोग वहां पर आ गये और वे लोगों को छुड़ाने लगे छुड़ाने में वे लोग सफल भी हो गये। और भीड़ उन पर हावी हो गई।

श्री मुरलीधर मुनीम–

मान्यवर, रामतेज तो मर गया। अब उसके पीछे एक विधवा औरत और दो बच्चे रह गये हैं, तो क्या सरकार उनके बच्चों को सर्विस में लेगी, ऐसा क्या सरकार का इरादा है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मृतक के परिवार को एक हजार रुपए सहायता के रूप में दिया गया है। सर्विस में लेने का कोई इरादा नहीं है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ने से दो घटनास्थल लगते हैं। एफ0 आई0 आर0 में किस घटना स्थल का उल्लेख किया गया है। जहां लोग बे-टिकट पकड़े गये या फिर जहां वह व्यक्ति मारा गया?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सभी स्थान लगभग एक ही हैं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, दोनों घटनास्थलों में फर्क है। एक तो वह है जहां से बे-टिकट यात्रियों को पकड़कर बस द्वारा ले जाया जा रहा था, परन्तु वहां मार-पीट शुरू हो गई। और दूसरा वह है कि जहां पर व्यक्ति मारा गया। एफ0 आई0 आर0 में कौन सा स्थान दर्ज है, यह माननीय मंत्री जी बता दें?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप मेरे वक्तव्य को देख लें। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है।

श्री मुरलीधर मुनीम–

मान्यवर, श्री शिव सहाय और एवन्नक मनिहार वहां गये और उन्होंने कहा कि खुदा के लिए ऐसा न करो। परन्तु उनको मारा-पीटा गया। जब वे थाने पर रिपोर्ट लिखाने गये तो, रिपोर्ट को नहीं लिखा गया। इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस को बचाने के लिए तोड़-मरोड़ कर उत्तर दिया जा रहा है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कोई तथ्य छुपा न रह जाय, कोई बात तोड़ मरोड़ कर न रखी जाय, इसलिए इसके मजिस्टिरियल जांच के आदेश दे दिये गये हैं। माननीय सदस्य ने जो भी कुछ कहा है, वे कृपया उस मजिस्ट्रेट के सम्मुख भी कह देंगे।

मान्यवर, जब उसकी जांच आयेगी और जिसका भी कोई दोष साबित होगा, वह दंडित होगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य से कहूंगा कि आप माननीय मंत्री जी से पुनः मिल लीजिए और जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, यह उसका निवारण करेंगे । आप इनके कक्ष में इनसे बात कर लीजिएगा ।

ग्राम सिहोरिया (गोरखपुर) में हैजे के प्रकोप से लोगों की मृत्यु के सम्बन्ध में दिनांक 1 मार्च, 1984 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 10 (नत्थी 'ग') के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, जब हम सदस्य यह महसूस करते हैं कि कोई माननीय मंत्री अपने कर्तव्यों का भली प्रकार निर्वहन नहीं कर रहे हैं या सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रही है, तो हम लोग त्याग पत्र तक की मांग करते हैं । मान्यवर, इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से त्याग-पत्र की मांग करते हुए मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा था और उसका आज अंजाम हमको यह देखना पड़ा कि हमारे क्षेत्र में 6 आदमी हैजे के प्रकोप से मर गये और वहां के स्वास्थ्य अधिकारी वहां ठीक से उपचार करने नहीं गये ।

श्री अध्यक्ष–

अपनी बात संक्षेप में कहियेगा ।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, उस स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध तीन बार अधिकारियों को लिखा और उसका स्थानांतरण भी हुआ । लेकिन माननीय मंत्री जी के हस्तक्षेप से वह स्थानांतरण रोक दिया गया । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि त्याग-पत्र भी मांगने में अपने कारण रहे हैं । मान्यवर, कुछ पत्रों का जवाब माननीय मंत्री जी के कार्यालय से नहीं मिला । इसलिए मैंने एक पत्र अपने पत्रवाहक के द्वारा रिसीव कराने की चेष्टा की, तो उस पत्र को इनके निजी सचिव महोदय ने रिसीव करने से मना कर दिया, उसकी प्राप्ति की रसीद नहीं दी । मैं स्वयं वहां पर गया, फिर भी उन्होंने प्राप्ति की रसीद देने से इंकार किया और कहा कि हमारे यहां पत्र प्राप्ति की रसीद नहीं दी जाती है । मान्यवर, उसी रोज मैंने एक रजिस्टर्ड डाक द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में पत्र भेजा, वह दिनांक 13-8-81 को भेजा । मैंने उसमें यह कहा था कि क्या विधान सभा के एक माननीय सदस्य होने के नाते इतना भी अधिकार नहीं है कि आपके कार्यालय से मैं अपने पत्रों की प्राप्ति रसीद ले सकूं? लेकिन, माननीय मंत्री जी द्वारा उसका उत्तर उस रूप में न देकर यह दिया गया कि प्रायः हर पत्रों के उत्तर बाद में भेजे जाते हैं। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ पत्रों का उत्तर नहीं मिला था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा था । इतना ही नहीं मान्यवर, मैंने 2-1-82 को माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था, वह पूरा यहां रखने का समय नहीं है । उसमें तीन मुद्दों पर विशेष जोर था । उसमें एक तो यह था कि श्रीमती के0 के0 सक्सेना, स्वास्थ्य निरीक्षका, माल लखनऊ-इनका दो महीने में 5 बार स्थानांतरण किया गया, इस तरह से यहां स्थानांतरण का रिकार्ड कायम किया गया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बहुत संक्षेप में कहें, बाद में भी मौका मिलेगा । अभी माननीय मंत्री जी का जवाब भी होना है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, जो बात है, वह रखनी ही होगी । इसकी पृष्ठभूमि में कुछ कहना ही है । स्टोरी बतानी है ।

उस स्वास्थ्य निरीक्षका का दो महीने में 5 बार स्थानांतरण किया गया । इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित श्री राम भुज त्रिपाठी, सेनेटरी इंस्पेक्टर का स्थानांतरण 30-6-81 से 27-11-81 के बीच 10 बार किया गया । पांच महीने में उसका 10 बार स्थानांतरण किया गया ।

इसी तरह से डा0 बी0 बी0 त्रिपाठी का स्थानांतरण रुका । अधिकारियों के लिखने के बावजूद भी। मान्यवर, इसी कारण लिखा था कि मंत्री जी से त्याग पत्र लें । मान्यवर, (बार-बार माइक के सामने से मुंह हटाकर और नीचे झुककर बोलने के कारण कुछ शब्द स्पष्ट समझ में नहीं आ सके ।)

उसी से क्षुब्ध होकर आज हमें तरह तरह से उत्पीड़ित किया जा रहा है, हमारे क्षेत्र की जनता को उत्पीड़ित किया जा रहा है । प्रश्न में सन्तोषजनक उत्तर न मिलने के कारण आपसे अनुरोध किया और आपने चर्चा का अवसर दिया था । जो त्रिपाठी जी हैं, 17-2-83 को फिर चिट्ठी लिखी थी कि ज्वाइंट डायरेक्टर को लिख दिया है स्थानान्तरण के लिये फूल कुमारी निर्बल और गरीब महिला थी, वह जल गयी थी, अस्पताल में भर्ती होने गयी, लेकिन अस्पताल में चिकित्सा सुविधा न उपलब्ध कराकर अस्पताल से बाहर कर दिया गया, उसके शरीर में कीड़े पड़ गये । कुत्ते और बिल्ली नोच-नोच कर खा गये । मैंने आपकी सेवा में भेजा था, लेकिन वह अस्वीकार कर दिया गया । इस तरह का चित्र मैंने स्वयं अपनी आंखो से देखा था । जब अखबारों में निकला तब उसकी जांच हुई ।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री केदार नाथ सिंह–

आप सुन तो लें । मुझे इस घटना पर क्षोभ है । उस महिला के बारे में जांच रिपोर्ट में यह कहा गया कि डा0 त्रिपाठी की हृदयहीनता को देखते हुए इनका जनहित में यहां रहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वह रुक गये क्योंकि वे माननीय मंत्री जी के रिश्तेदार, संबंधी और प्रिय बन्धु हैं ।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि वक्तव्य का मतलब यह नहीं होता है कि किसी के व्यक्तिगत चरित्र पर छींटाकशी की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय केदार नाथ जी, आप शीघ्र समाप्त करें ।

श्री केदार नाथ सिंह–

प्रश्न यह उठता है कि वहां पर रिपोर्ट आयी और सी0 एम0 ओ0 ने 28-9-83 को रिपोर्ट भेजी और यह कह दिया कि हैजे से मृत्यु नहीं हुई। मैं यह जानना चाहता था कि क्या रासायनिक परीक्षण कराने के बाद हैजा न डिक्लेयर करके दूसरा रोग डिक्लेयर किया? दूसरी बात, 8-2-83 को रिपोर्ट आयी और उस पर स्थानान्तरण हुआ। मेरा पूछने का तात्पर्य यह है कि किन परिस्थितियों में इस दोषी डाक्टर को 5 महीने तक रोके रखा गया। आखिर इस दोषी अधिकारी को रोकने में किस अधिकारी का हाथ है?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)–

मान्यवर, यह चर्चा पिपराइच में 6 लोगों की मृत्यु की है या जनपद गोरख-

पुर के अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में है? जिस पर आपकी आज्ञा हो, उस पर कहूं?

श्री अध्यक्ष–

आप उनकी बात का उत्तर दे दें।

श्री लोकपति–

पिपराइच में 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 20 दिन के अन्दर, गैस्ट्रो-इन्टाइटिस से। वहां कालरा नहीं है।, अगर कालरा होता तो 20 दिन में 6 व्यक्ति न मरे होते।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा–

तो फिर कितने मरे होते?

श्री लोकपति–

आप धर्मराज हो, आप ही जानते होंगे।

(हंसी)

मान्यवर, अगर कालरा होता तो इतने लोग न मरते।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

तो कितने मरने चाहिये थे? 100 आदमी?

श्री मुईद अहमद–

नहीं, जितने आपने टांडा में मरवाये थे।

श्री अध्यक्ष–

ये प्यार मोहब्बत की बातें आप लोग अपने कमरे में किया करें।

श्री लोकपति–

मान्यवर, यह बात सही है कि पी0 सी0 एस0 डाक्टर पिपराइच में जहां पी0 सी0 एस0 को होना चाहिये, वह वहां नहीं रहता है, उसको निलम्बित कर दिया गया है और जांच की जा रही है यदि यह सत्यापित हो जायेगा कि वह सच में वहां नहीं रहता है जहां उसे रहना चाहिए तो उसकी सेवायें भी समाप्त कर दी जायेंगी।

इसी तरह से पिपराइच में एम0 ओ0, श्री वाई0 डी0 सिंह जो कि श्री केदार नाथ सिंह जी के घनिष्ठ लोगों में से हैं, वह गोरखपुर में रहते हैं, पिपराइच में नहीं रहते हैं। उनके स्थानान्तरण के आर्डर कर दिये गये हैं और उस जगह पर पिपराइच में दो नये डाक्टरों की वहां नियुक्ति कर दी गयी है। मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल को बुलाकर आदेश दे दिये गये हैं। पिपराइच मेडिकल कालेज के अन्तर्गत ही है उनसे कहा गया है कि वे वहां पर डाक्टरों की सुव्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ:

दिनांक 22 मार्च, 1984

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

राजकीय मेडिकल कालेजों में मेडिसिन विभाग के रीडरों की वरिष्ठता सूची:

नियमित रीडर:

1—डा0 ए0 के0 गुप्ता (तदर्थ प्रोफेसर मेडिसिन)
2—डा0 एस0 एन0 अग्रवाल (तदर्थ प्रोफेसर मेडिसिन)
3—डा0 बृज किशोर
4—डा0 एम0 के0 गोविल
5—डा0 सन्तोष कुमार (नियमित प्रोफेसर, नैफ्रालोजी)
6—डा0 टी0 एन0 मेहरोत्रा
7—डा0 एन0 एल0 पटनी
8—डा0 डी0 के0 हाजरा
9—डा0 डी0 के0 निगम
(तदर्थ प्रोफेसर मेडिसिन)

ये सीधी भर्ती द्वारा चयनित नियमित रीडर हैं। रीडर इन मेडिसिन के पदों के लिए प्रोन्नति द्वारा नियमित चयन हो जाने के बाद इनकी पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

तदर्थ रीडर :

1—डा0 डी0 एस0 गहलोट
2—डा0 एन0 बी0 एस0 सरकारी
3—डा0 एस0 एस0 एल0 श्रीवास्तव
4—डा0 आर0 सी0 अरोरा (तदर्थ प्रोफेसर मेडिसिन)
5—डा0 सन्तोष सक्सेना
6—डा0 मनमोहन सिंह
7—डा0 आर0 एन0 द्विवेदी
8—डा0 विजय प्रकाश
9—डा0 डी0 एन0 मिश्रा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

शासन से प्राप्त सड़क अनुदान से कराए गए कार्यों तथा व्यय का विवरण

वित्तीय वर्ष	किए गए कार्य का विवरण	व्यय धनराशि (रुपयों में)	टिप्पणी
1	2	3	4
1981–82	1––मजीद के घर से भगेलू के मकान तक सोलिंग का कार्य एवं कामेश्वर मिश्र के घर से इंजीनियर साहब के घर तक सोलिंग का कार्य।	35,384.54	..
	2––टाउन एरिया में 600 फीट नाली एवं 400 फीट खड़ंजा सड़क का निर्माण।	52,643.98	.
	3––गोला बाजार से नदी तक नाली, नाला एवं पुलिया का का निर्माण।	47,766.60	..
1982–83	1––राम लाल के मकान से मंगल हरिजन के मकान तक तथा शब्बीर खां के मकान से अनवर के मकान तक सड़क खड़ंजा का कार्य।	52,435.71	इसके अतिरिक्त रु0 5,013.16 पैसे का भुगतान होना है।
1983–84	1––अमानुल्लाह लेखपाल के घर से विश्वनाथ हजाम के घर तक नाली निर्माण।	9,074.68	
	2––मोहल्ला पुराना चौक में नाली निर्माण तथा मोहल्ला दलाल टोला में सड़क एवं उसके किनारे की नाली का निर्माण।	..	प्रस्तावित कार्य हेतु रु0 37,608.19 पैसे की निविदा स्वीकृत की जा चुकी है।

अध्यक्ष सभा

नत्थी 'म'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर।)

इं0 पी0के0 पाण्डे, अधीक्षण अभियन्ता, पौड़ी निर्माण मण्डल, उ0 प्र0 जल निगम, पौड़ी द्वारा मिराई जौली पेय-जल योजना के कार्यों के निरीक्षण दिनांक 16-12-83 में पाई गई कमियों व त्रुटियों का विवरण।

योजना के कार्यों में निरीक्षण के समय पाई गई कमियां:—

1—रफनिंग फिल्टर के आगे जो गधेरे में पाईप लाईन डाली गयी है वह असुरक्षित है जिसके पिलर्स आदि की व्यवस्था आवश्यक है।

2—बी0 एफ0 जी0 से रफनिंग फिल्टर तक बिछाई गई अस्थाई पाईप लाईन असुरक्षित पाई गई जिसे चट्टान के साथ-साथ पिलर्स व कलेम्प लगाकर बिछाया जाना आवश्यक है।

3—ग्रेविटीमेन को जहां पर खेतों में बिछाया गया है कुछ स्थलों पर अधिक गहराई में दबाने की आवश्यकता है।

4—ग्राम जौली के टैंक के पास पाईप लाईन जमीन के ऊपर बिछाई गई है, जिसे नीचे दबाया जाय।

5—ग्राम जौली के टैंक के बोटम से ऐसा अनुमान होता है कि लीकेज है। सहायक अभियन्ता द्वारा यह बताया गया कि टैन्क की वाटरटाइटनेस की टैस्टिंग नहीं की गई। जलाशय का वाटरटाइट होना आवश्यक है व इसकी जांच की जाये।

6—इस टैंक की दीवारों में क्रेक्स पाये गये जिसके विषय में अधिशासी अभियन्ता ने बताया कि यह प्लास्टर के क्रेक हैं परन्तु अधोहस्ताक्षरी उनके स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट नहीं हुए। इसे ठीक कराया जाये।

7—इस टैंक से 3 आउटलेट पाईप दिये गये हैं उनके लिए जो फिटिंग का प्रयोग किया गया उनमें लीकेज पाया गया जिसे ठीक कराया जाये।

8—जौली ग्राम में निर्मित जलाशय में पानी योजना में किये गये प्राविधान की अपेक्षा कम आता हुआ पाया गया जिसके कारण हो सकता है कि लगभग 6 कि0 मीटर ग्रेविटीमेन में एक भी एयरवाल्व नहीं लगाया गया है।

योजना के कार्यों में निरीक्षण के समय पाई गई त्रुटियां :—

1—बोल्डर फील्ड गैलरी के डाउन-स्टीम में जो प्रोटेक्शन कार्य किये गये हैं वे टूटे पाये गये व बी0 एफ0 जी0 में फाउन्डेशन से काफी मात्रा में लीकेज पाया गया।

2—रफनिंग फिल्टर का कार्य अपूर्ण पाया गया व कार्य की गुणता भी संतोषजनक नहीं पाई गई।

3—जल श्रोत से जौली ग्राम तक बिछाई गई ग्रेविटीमेन से इलाइनमेन्ट में पड़ने वाले एक तौली नामक ग्राम को कनेक्शन दिया गया है। योजना के अनुसार तौली ग्राम में एक जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। जलाशय के कार्य की गुणता संतोषजनक नहीं पाई गई। स्थल पर सेन्ड छानने के लिए जाल आदि का भी प्रबन्ध नहीं किया गया है।

4—जौली ग्राम में निर्मित जलाशय के पास व्हीलवाल चेम्बर के ऊपर ढक्कन नहीं लगाये गये हैं व चेम्बर क्षतिग्रस्त पाये गये।

5—बारबेडवायर फैन्सिग के लिए एंगिल आइरन यद्यपि लगाये गये हैं परन्तु बारबेडवायर नहीं लगाया गया है।

6—जो पिलर बनाये गये हैं उनका कार्य अधूरा पाया गया तथा गेट भी स्थल पर रखा पाया गया जो कि नहीं लगाया गया है।

7—वितरण प्रणाली में इस योजना के अन्तर्गत ग्राम सैंज में डाली गयी पाईप लाइन अधिकांश स्थलों पर दबी हुई नहीं पाई गई। ग्राम सैंज मल्ला से ग्राम सैंज तल्ला तक की पाइप लाइन कई स्थानों पर जमीन के अन्दर नहीं दबाई गई है।

उत्तराखण्ड सूचना

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 02 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)।

प्रमुख शिकायतों की सूची

1—लगभग 3 वर्ष पहले श्रीमती श्रीवास्तवा इसी पी0 एच0 सी0 के निकटवर्ती गांव के गोल बंदी एवं सर्कस व्यक्ति श्री हृदय नरायन सिंह उर्फ नान्हू सिंह से शायद शादी कर ली जिनकी पहली औरत स्वस्थ एवं जिन्दा हैं जिनके बच्चे भी लगभग वयस्क हो चुके हैं तथा पिता संरक्षण न होने से नर्कमाय जीवन बिता रहे हैं।

2—श्री नान्हू सिंह के गोल बन्द और सर्कस होने का नाजायज फायदा ये अपने कार्यक्षेत्र में उठाती हैं। गरीब जनता से पैसा फीस और दवा के दाम के रूप में वसूल करती हैं जिसकी शिकायत यहां के आम आदमी श्री नान्हू के भय से इस स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर से नहीं कर पाते।

3—पी0 एच0 सी0 के अपने सुपरवीजन कार्य की पूर्णरूपेण अनदेखी करके ये केवल डिलेवरी कराती हैं और संबंधित महिलाओं से फीस वसूल करती हैं।

4—सामान्य डिलेवरी को भी भयानक और मौतकारक बताकर यहां की गरीब जनता से 150/- रुपये से 500/- रुपये तक प्रत्येक डिलेवरी में इनके द्वारा धन वसूल किया जाता है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि डिलेवरी अस्पताल के रजिस्टर में इनके नाम दर्ज हैं जबकि बच्चा पैदा कराना इनके क्षेत्र के बाहर है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0—एल0 85 विधान सभा (122)—1984—8131